राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक-5 दसवीं विधान सभा के पांचवें सत्र का आठवां दिवस संख्या-6

गुरुवार,

2 नवम्बर, 1995

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री उदयलाल आंजना।

विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में कृषि कनेक्शन्स

139. श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कृषि कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो वर्ष 1993-94 व 1994-95 में विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में कितने कृषि कनेक्शन दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? उपरोक्त वर्षों में जारी कनेक्शन्स का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कृषि कनेक्शन हेतु 11 के. वी. की लाइन खींची जाने की स्थिति में शुल्क लिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि कृषि कार्य के लिये वर्ष में दो बार दो-दो माह के लिये थ्रेसर का उपयोग किया जाता है, जबकि विद्युत खर्च पूरे वर्ष का लिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, वित्त (श्री अनंगकुमार जैन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से (1) जी हां। कृषि कनेक्शन, मण्डल द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार दिये गये हैं। वर्ष 1993-94 व 1994-95 के दौरान विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा की पं. स. निम्बाहेड़ा व छोटी सादड़ी में दिये गये कृषि कनेक्शनों का विवरण निम्न प्रकार है :—

(श्री अनंग कुमार जैन)

क्र. सं.	श्रेणी	वर्ष 1993-94		वर्ष 1994-95	
		पं. स. निम्बाहेड़ा	पं. स. छोटी सादड़ी	पं. स. निम्बाहेड़ा	पं. स. छोटी सादड़ी
1.	जलोत्थान सिंचाई योजना	....	1	....	....
2.	अनु. जनजाति	11	26	2	5
3.	अनुसूचित जाति	23	17	8	2
4.	विद्युतीकृत ग्राम जहां एक भी कनेक्शन नहीं है	6	4	....	....
5.	अपंग व्यक्ति	1	2	1	....
6.	एक पोल दो पोल योजना	65	26	298	187
7.	सामान्य श्रेणी	99	77	19	9
	योग	205	153	328	203

वर्ष 1994-95 में जिन कृषि आवेदकों द्वारा मांग पत्र की राशि जमा करवा दी गयी थी उन्हें कृषि कनेक्शन शीघ्रातिशीघ्र सामान की उपलब्धता के अनुसार वर्ष 1995-96 में दिये जा रहे हैं।

(2) सामान्य श्रेणी के कनेक्शनों के लिये 11 के.वी लाइन खींचे जाने पर राज्य सरकार द्वारा 8 पोल तक (11 के. वी. एवं एल. टी. दोनों के लिये) सब्सिडी दी जाती है, जिसके लिये देय पोल चार्जेज की दर संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार है तुरन्त प्राथमिकता योजना में कृषि कनेक्शन देने हेतु पोल चार्जेज का विवरण उक्त परिशिष्ट में दर्शा दिया गया है।

(3) कृषकों को थ्रेसर चलाने के लिये मण्डल से अस्थाई विद्युत कनेक्शन लेना आवश्यक है। इसके लिये एक बार स्वीकृति लेने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष स्वीकृति आदि की कोई औपचारिकता पूरी करना जरूरी नहीं है। मण्डल के दिशा निर्देश

(श्री अनंग कुमार जैन)

पुस्तिका के अनुसार आवेदकों को प्रत्येक वर्ष विद्युत खर्च के लिये एक मुश्त अग्रिम राशि जमा करानी होती है जो कि पूरे वर्ष के उपयोग के अनुरूप न होकर फसल के समय थ्रेशर चलाने के विद्युत खर्च के अनुरूप ही ली जाती है ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–1 देखें)

श्री उदयलाल आंजना : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि सामान्य श्रेणी के कनेक्शन की जो प्राथमिकता बनी हुई है उसमें कौन से वर्ष तक के कनेक्शंस का निस्तारण अभी तक कर दिया गया है । विवरण तो सदन की मेज पर रख दिया लेकिन यह नहीं बताया कि कौन से वर्ष तक आपने निस्तारण कर दिया है । 1982 तक या 1984 तक कर दिया गया है, यह जानना चाहता हूं ।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्षों में जिन काश्तकारों ने सामान्य श्रेणी में डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा करायी थी, यह जो पिछला वर्ष गया है इससे पहले उनको अभी तक पूरे राज्य में कनेक्शंस नहीं दिये गये हैं । हजारों की संख्या में ऐसे किसान हैं जिन्हें राशि जमा कराये, आज दो-दो साल हो गये और आप यह कह रहे हैं कि सामान्य श्रेणी के सामान की उपलब्धता के अनुसार दे देंगे । तो जो प्राथमिकता के आधार पर अलग से कनेक्शन दे रहे हैं उनमें सामान कहां से आ जाता है ? आपको चाहिये कि पहले उन काश्तकारों को कनेक्शन दें जिन्होंने पहले से डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा कर रखी है । इसके बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, किस वर्ष तक के कनेक्शन दिये गये यह डिटेल तो इस वक्त मेरे पास नहीं है लेकिन मैंने प्रति पंचायत समिति जो-जो जिस-जिस श्रेणी के कनेक्शन दिये गये हैं उनकी प्रति सदन के समक्ष पेश की है । जो दिशा निर्देश हैं, मण्डल ने समस्त दिशा निर्देशों के बारे में एक पुस्तिका जारी कर दी है । कुछ भी चीज छुपी हुई नहीं है, हर चीज माननीय सदस्य के पास पहुंचा दी गयी है ।

श्री हरजीराम बुरड़क : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन कनेक्शनों को तीन-तीन बार गिन लिया गया है । यहां पर जो आंकड़े दिये जा रहे हैं वे बिलकुल फर्जी हैं । जिस-जिस साल में जिनको डिमाण्ड नोटिस जारी किये उनको भी गिन लिया कि इतने कनेक्शन कर दिये, उनमें से अब कर रहे हैं फिर गिन रहे हैं और इससे पिछले साल का भी ऐसा गिना जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, ये सरासर गलत उत्तर दे रहे हैं ।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन आवेदकों द्वारा डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा करा दी गयी हैं उनको निश्चित रूप से 31 मार्च, 1996 तक कनेक्शन दे दिये जायेंगे, यह

(श्री अनंग कुमार जैन)

माननीय सदस्य को मैं अपनी ओर से निवेदन कर रहा हूं।

श्री हरजीराम बुरड़क : जिन्होंने दो-दो साल पहले जमा रखे हैं उनका क्या किया आपने ?

श्री अध्यक्ष : 31-3-96 तक कह रहे हैं कनेक्शन दे दिये जाएंगे। जिनके पैसे जमा है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, एक यह पूछना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : मूल प्रश्नकर्ता। आप दो मिनट बिराजें।

श्री उदयलाल आंजना : अध्यक्ष महोदय, प्राथमिकता के आधार पर 1982 की सूची अभी तक पैंडिंग पड़ी हुई है, नई-नई स्कीमें चालू कर दी हैं। काश्तकारों का शोषण हो रहा है। 13 साल हो गये हैं अभी तक कनेक्शन नहीं हुए हैं। 1982 में जो फाइलें लगी थीं प्राथमिकता के आधार पर, उनको अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। यह तो जानकारी दी नहीं कि कब तक का क्लियर कर दिया है, केवल यह रख दिया कि इतने कनेक्शन इसमें दे दिये गये हैं। कृपया यह बताएं कि 1982 के कनेक्शन अभी तक क्लियर क्यों नहीं हुए हैं ?

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से केवल यह पूछना हैं, नर्सरी, वन पोल टू पोल प्रायोरिटी तोड़ कर पैसा जमा कराने की स्कीम है लेकिन मंत्री महोदय क्या यह भी व्यवस्था करेंगे कि जिस ने सिक्योरिटी जमा करायी है उसको वरीयता के आधार पर सामान दिया जाना चाहिये ? सामान देने में वही वरीयता रखी जाय जिस तरह से उन्होंने डिमाण्ड नोट के पैसे जमा कराये हैं। क्या यह व्यवस्था मंत्री महोदय करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण सिंह जी।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, ने जो उत्तर दिया है उससे स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है कि सरकार ने 1993-94 और 1994-95 के अन्दर जो भूतपूर्व सैनिक, शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब और अपंग लोग हैं उनके कनेक्शन्स की संख्या बहुत कम कर दी है।

श्री अध्यक्ष : वे भीम की तरफ ज्यादा हैं इस तरफ कम हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह : मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मंत्री महोदय, आप तो एक ही बात बता दीजिये ...

श्री अध्यक्ष : आप और हम दोनों जानते हैं, गुलाबसिंह जी साहब भी जानते हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह : विरोधाभासी उत्तर दिया है, उसके साथ अनैक्सर लगाया है कि पोल की कीमत 7 हजार है या 9 हजार है। यह बताइये कि पोल आप कितने में खरीदते हैं ?

श्री दलीचन्द (दानपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से यही पूछना चाहूंगा कि 1992 में जिसने डिमाण्ड नोट की राशि जमा करायी है, उस साल कनेक्शन नहीं हुआ दूसरे साल उसकी डिमाण्ड बदली और काश्तकारों से दुबारा राशि मांगी गयी है। काश्तकारों के दुबारा जमा कराने के बावजूद भी आज तक उनके कनेक्शन नहीं हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : अब एक में दस-बीस सप्लीमेंटरी हो जायेगी, फिर विश्नोई साहब कहेंगे हमारा क्वेश्चन नहीं आता है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, छोटी-सी बात है, मैं तो कभी-कभी खड़ा होता हूं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : अभी जो दो साल से नहीं दिये गये हैं उनकी आपके पास सूची है, उनको क्यों नहीं दिये गये ? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी, पूरी बात बताएं।

श्री उदयलाल आंजना : थ्रेशर के मामले में तीन हजार रुपये अलग से चार्ज कर लिये गये हैं जबकि काश्तकार के कुएं पर पहले से कनेक्शन है, उससे थ्रेशर चलाकर अपनी फसल ले लेता था। मीटर खराब होने से फ्लैट रेट कर दी गयी है और तीन हजार अलग से काश्तकार से लिया जा रहा है। यह काश्तकारों के साथ पूर्णतया अन्याय है। पांच हार्स पावर की मोटर का मिनिमम चार्ज 200 रुपये होता है तो तीन हजार वर्ष भर के किस आधार पर लिये जा रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने फरमाया कि 31 मार्च, 1996 तक सारे कनेक्शन्स दे दिये जायेंगे मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि अब तक जितने डिमाण्ड नोटिस जमा हुए हैं किस-किस श्रेणी में और कौन-कौन से वर्गों के कनेक्शन्स आज तक पैन्डिंग हैं ?

श्री अध्यक्ष : अभी यह ज्यादा डिटेल तो नहीं दे पायेंगे क्योंकि यह बात निम्बाहेड़ा तक सीमित है। निम्बाहेड़ा के लिये कहा है कि 31 मार्च, 1996 तक दे दिये जायेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : मंत्री महोदय ने स्पष्ट कहा है कि 31 मार्च, 96 तक सारे कनेक्शन्स दे दिये जायेंगे....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह निम्बाहेड़ा के लिए पाइंटेडली क्वेश्चन पूछा गया है। पारीक साहब, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है लेकिन यह निम्बाहेड़ा तक ही सीमित है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : उन्होंने कहा है सारे राज्य में दे दिये जायेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : इनकी कैपेसिटी है ही कितनी-सी ? इन्होंने कह दिया दे देंगे हम कनेक्शन कैपेसिटी नहीं है तो कहां से देंगे ?

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (वल्लभनगर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि जिन काश्तकारों के कुएं पर कनेक्शन है और जिनका बिल मन्थली बनता है,

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

ऐसे लोगों को थ्रेशर का कनेक्शन वहां से देने में क्या आपत्ति है सरकार को ?

श्री अनंग कुमार जैन : सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, दो दिन से विद्युत की समस्या पर सदन के अन्दर बहुत विस्तृत चर्चा हुई। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने उसका विस्तृत रूप से उत्तर दिया और सारी स्थिति को स्पष्ट किया। यह प्रश्न छोटी सादड़ी और निबाम्हेड़ा तक सीमित है, उसी के बारे में इन्फार्मेशन मैंने आपके माध्यम से सदन को दी। जो डिमाण्ड नोटिस जमा हैं उनके बारे में मैंने पूर्व में निवेदन किया कि मार्च, 1996 तक उनको कनेक्शन दे दिये जायेंगे। थ्रेशर के लिये तीन हजार रुपये जमा कराने पर एक बार कनेक्शन लेना पड़ता है उसके बाद बार-बार उसको रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं है। प्रति वर्ष तीन हजार रुपये जमा कराएं और पूरे वर्ष तक आप थ्रेशर चला सकते हैं। विद्युत बोर्ड के द्वारा जो भी नीति निर्धारित की गयी है विभिन्न प्रकार के कनेक्शन के बारे में, वह स्पष्ट रूप से इस पुस्तिका के अन्दर दी गयी है। वह सभी जन प्रतिनिधियों के पास, सभी जगह पहुंचा दी गयी है और हर जन प्रतिनिधि को वह पुस्तक मिल चुकी है। उसमें सारी बात स्पष्ट दी हुई है इसलिये कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जो विद्युत बोर्ड द्वारा या राज्य सरकार द्वारा छिपायी गयी हो। हर नीति को स्पष्ट रूप से दिया गया है, प्रकाशित किया गया है।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने एक चिन्ता यह जतायी कि पोल के चार्जेज क्या लिये जाते हैं। पोल चार्जेज भी उपभोक्ताओं से पूरी राशि नहीं ली जाती है। विभिन्न प्रकार के कनेक्शन के लिए अलग-अलग तरह की स्लैब दे रखी हैं, कहीं सरकार 7 हजार रुपये पर पोल सब्सिडी देती है कहीं पांच हजार देती है। विभिन्न प्रकार के कनेक्शन्स में सब्सिडी दी जाती है। जो तुरन्त प्राथमिक योजना है उसके बारे में अलग नीति विद्युत मण्डल ने निर्धारित की है, उस नीति को भी इस किताब के अन्दर प्रदर्शित किया हुआ है। सम्पूर्ण नीति को किताब में बताया हुआ है और उसी के आधार पर कनेक्शन दिये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री उदय लाल आंजना : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह जानना चाहा है कि थ्रेशर पर इसी वर्ष तीन हजार रुपये लेना शुरू किया गया है जब कि पांच हार्स पावर का मिनिमम चार्ज 210 रुपये महीना होता है और थ्रेशर साल में केवल दो बार चलता है। तीन हजार रुपये किस आधार पर काश्तकारों से लिये जा रहे हैं ? यह काश्तकारों के साथ अन्याय नहीं है क्या ? मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। यह प्रश्न के के मूल भाग में नहीं है। बिराजें आप।

श्री उदयलाल आंजना : फिर तीन हजार रुपये किस आधार पर मांग रहे हो ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। वह थ्रेशर की बात तो है, मुझे पता है।

श्री उदयलाल आंजना : माग संख्या तीन में है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह थ्रेशर की बात हो है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा-सा स्पेसिफिक प्रश्न था कि आपने वर्ष 1993-94-1994-95 में एस. सी. एस. टी के कनेक्शन के अन्दर, भूतपूर्व सैनिकों के कनेक्शन के अन्दर और विकलांगों के कनेक्शन के अन्दर क्या चित्तौडगढ़....(व्यवधान)....मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है।

सामान्य प्रावधायी निधि और राज्य बीमा की कटौतियों का अभिलेख

140, श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : क्या राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार राज्य कर्मचारियों द्वारा सामान्य प्रावधायी निधि और राज्य बीमा के सम्बन्ध में उठायी गयी समस्याओं से अवगत है? यदि हां, तो इन समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सामान्य प्रावधायी निधि और राज्य बीमा की कटौतियों का रिकार्ड प्रत्येक कर्मचारी के सम्बन्ध में विधिवत रखा जा रहा है? यदि नहीं तो क्यों व इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है या प्रस्तावित है?

(3) क्या यह सही है कि सामान्य प्रावधायी निधि और राज्य बीमा कटौतियों का विधिवत कर्मचारीवार रिकार्ड गत कई वर्षों से नियमों में अपेक्षित अनुसार नहीं रखा गया? यदि हां, तो कब से और विधिवत कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी सम्बन्धित कटौती के बारे में वांछित व विधिवत रिकार्ड न रखने के कारण टिप्पणी/निर्णय दिये हैं? यदि हां, तो उन निर्णयों की प्रति सदन की मेज पर रखें और उनकी अनुपालना में उठाये गये कदमों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न धनखड़ जी वाला स्थगित है। श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष जी, स्थगित कैसे है? मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है, लाखों कर्मचारियों का हित इससे जुड़ा हुआ है।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सामान्य श्रेणी के जो आवेदक हैं, जिनको डिमाण्ड नोटिस जारी हो गया, जिन्होंने पैसा जमा करा दिया है उनको भी कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी) : अध्यक्ष महोदय, सरकार को केवल इतना-सा ही उत्तर देना है। बहुत महत्वपूर्ण

(श्री पूनमचंद विश्नोई)

प्रश्न है। आप क्या कर रहे हैं यही तो कहना है। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, जनरल प्रोविडेंट फण्ड, स्टेट इंश्योरेंस की कटौती होती लाखों कर्मचारियों की, उस कटौती का इन्द्राज होना चाहिये, पास बुक बननी चाहिए। (व्यवधान)

श्री भंवर सिंह डांगावास (मेड़ता) : अध्यक्ष महोदय, यह निर्णय लिया गया था कि प्रश्न में प्रश्नकर्ता दो सप्लीमेंट्री करेगा और दो अन्य करेंगे। हर प्रश्न में डिबेट आने के कारण मेरा प्रश्न रखा हुआ है वह नहीं आ पाएगा। हम महरूम रह जायेंगे। हर प्रश्न में डिबेट नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : इसमें आपने सारे राजस्थान की सूचना मांगी है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है? वह नीति सम्बन्धी मामला है। हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिया है उसकी कैसे अनुपालना कर रही है इतनी-सी तो बात है। सरकार क्या इन सब का एकाउट रख रही है? प्रत्येक को पास बुक दे रही है या नहीं? इतना-सा तो प्रश्न है। इसमें कहां से सूचना मांगनी है? जो सरकार काम कर रही है उसके बारे में यहां की यहां सूचना देनी है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो नियमों के विपरीत है। प्रश्न को आप स्थगित कर रहे हैं। प्रश्न को स्थगित करते हैं तो मूल प्रश्नकर्ता है उसको सूचना नहीं दी जाती है। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न को आप कब के लिए स्थगित कर रहे हैं? कल अन्तिम दिवस है इसलिए सरकार 14 दिन में पूरे राजस्थान के कर्मचारियों से सम्बन्धित... (व्यवधान) या तो उसको कल के लिए रखें आप। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : कल रख लीजिये। (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : कल इसका उत्तर दिला दीजिये आप।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, अगर आप देखेंगे, कोई इन्फार्मेशन सीक नहीं की गयी है। सिर्फ यह पता लगाने की चेष्टा की गयी है कि इनके द्वारा जो लैप्सेज किये जा रहे हैं, करोड़ रुपये सस्पेंस एकाउंट में डाले जा रहे हैं उसका क्या औचित्य है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप एक बार प्रश्न को देखिये। कहां इन्फार्मेशन सीक की गयी है? It is a cover up operation. लाखों कर्मचारियों का अहित हो रहा है, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसको कल का पहला प्रश्न रख लीजिये। अगर इतनी ही अव्यवस्था है सरकार की (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इतना लम्बा रिकार्ड है,

(श्री अध्यक्ष)

प्रत्येक कर्मचारी के सम्बन्ध में रखा जाता है। 15 लाख अकाउंट है। (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि प्रश्न आप यदि स्थगित करें तो पहले प्रश्नकर्ता का नाम पुकारें वह जब प्रश्न बोले तो उस वक्त आप फरमाएं कि इसको मैं स्थगित करता हूं, क्योंकि सरकार के पास इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा था कि धनखड़ जी का है और धनखड़ जी का प्रश्न स्थगित।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपने नाम नहीं पुकारा और यह फरमा दिया कि प्रश्न को स्थगित किया जाता है। यह प्रक्रिया के अनुसार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा, धनखड़ जी का प्रश्न स्थगित है। धनखड़ जी का नाम पुकारा पूरा। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : नाम नहीं पुकारा।

श्री अध्यक्ष : आप देख लें, इसमें प्रोसीडिंग में आया है धनखड़ जी का। आप प्रोसीडिंग देख लें। (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : फिर आप फरमाते कि इसका उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है इसलिए (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने यह कहा है कि धनखड़ जी का प्रश्न दो हैं वह स्थगित है।....

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें सुओ मोटो आपकी तरफ से ऐसा स्टेटमेंट नहीं आना चाहिये। यह रिक्वेस्ट सरकार की तरफ से आनी चाहिये। सरकार को कारण बताने चाहिये, जस्टिफिकेशन देना चाहिये। सरकार को कारण बताना चाहिये कि सरकार क्यों स्थगित करवाना चाहती है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष की व्यवस्था के विरुद्ध किसी भी प्रकार का प्रश्न करना हाउस की परम्परा के विपरीत है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : यह प्रश्न सदन की सम्पत्ति है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप अगला प्रश्न आने देंगे क्या ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मुझे यह आश्चर्य है कि इस सदन के भूतपूर्व अध्यक्ष जिन्होंने कई सवाल....(व्यवधान)....स्थगित किया है और थोड़ा कठोरता से हमको क्वेश्चन नहीं करने दिया। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : सरकार अपने कारण दे कि वह क्यों स्थगित करवाना चाहती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री लक्ष्मण सिंह : यह परम्परा के

(श्री लक्ष्मण सिंह)

विपरीत है, नियमों के विपरीत है । (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष के किसी भी निर्णय के खिलाफ.... (व्यवधान)....कभी विधान सभा के स्टाफ के खिलाफ, कभी बोलने नहीं दिया .... (व्यवधान)....वे आसन की व्यवस्था के विपरीत बोलते हैं, यह बहुत आश्चर्य की बात है । (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : सरकार बताये कि क्या विवशता है, क्यों वह इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती । (व्यवधान) इसके लिये पहले इनको इंन्फार्मेशन मिलनी चाहिये । (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार को पूछने से पहले एक बार देखिये आप । मैंने पूछा है कि क्या कर्मचारियों की इस शिकायत से सरकार अवगत है....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये ।

श्री जगदीप धनखड़ : जनरल प्रोविडेण्ट फण्ड । नम्बर दो, कौनसा ऐसा इसमें राग है जिसके बारे में सरकार कह रही है कि इक्ट्ठा कर रहे हैं ? विधान सभा की प्रासंगिता क्या रह जायेगी ?

What is the sense of accountability ?

पहला प्रश्न इस सत्र का आया उसको भी स्थगित कर दिया ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये ।

श्री जगदीप धनखड़ : इसके फोर पार्ट्स हैं । जैसे आप कह रहे हैं सभी कर्मचारियों का है, यह नहीं पूछा । मैंने पूछा है कि क्या कर्मचारीवार रिकार्ड गत कई वर्षों से नहीं रखा गया । मैं प्रत्येक कर्मचारी का रिकार्ड कहां मांग रहा हूं ? मैं कह रहा हूं आपका जो उत्तरदायित्व है वह क्यों नहीं रख रहे हैं । (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, किसी प्रश्न का चयन किया जाता है तो सैक्रेटेरिएट आपका तय कर लेता है कि तारांकित के लिए उपयुक्त नहीं है तो अतारांकित में दिया जाय । उसके लिये उस सदस्य को समय दिया जाता है, हम आकर के यहां पर करेक्शंस करते हैं । वह समय निकल गया, प्रिन्ट हो गया इसके अन्दर और वन फाइन मार्निंग आप यहां पर पधारकर कहते हो कि स्थगित कर दिया है । सरकार इसके लिये जस्टिफिकेशन करे, कारण बतायें सरकार कि वह क्यों स्थगित करवाना चाहती है । फिर बाद में तय कर दें तथा इसको कल पहला प्रश्न रखा जाए ।

श्री अध्यक्ष : अभी प्रश्नकाल के बाद में इस पर बात करेंगे । प्रश्नकाल के बाद में विचार करेंगे ।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, अभी व्यवस्था दे दीजिये । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये ।

श्री लक्ष्मण सिंह : हम 24 घण्टे और देते हैं। कल पहला प्रश्न रख लीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्रजी जोशी। आप बिराज जाएं।

श्री जगदीप धनखड़ : उससे पहले, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से उन कारणों का जस्टिफिकेशन होना चाहिये जिनके आधार पर इस प्रश्न को वे स्थगित करवाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 140 का भाग दो, क्या सामान्य प्रावधायी निधि और राज्य बीमा की कटौतियों का रिकार्ड प्रत्येक कर्मचारी के सम्बन्ध में विधिवत रखा जा रहा है? अब पूरे कर्मचारियों का रिकार्ड देखना है, रखा जा रहा है। सामान्यतया रखा जाना चाहिये और रखा जाता है। मान लीजिये उसमें कोई कमी हो और हाउस में यह कह दें कि सामान्य गति से सारा हिसाब रखा जा रहा है तो हाउस के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसका ठीक ढंग से निर्वहन नहीं कर पायेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं यही बात कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, तीसरे में लिखा है, क्या यह सही है कि सामान्य प्रावधायी निधि और राज्य बीमा की कटौतियों का विधिवत कर्मचारीवार रिकार्ड गत कई वर्षों से नियमों में अपेक्षित अनुसार नहीं रखा गया? इसका मतलब नियमों का और कर्मचारियों का रिकार्ड, इन दोनों का सामंजस्य नहीं बने तब तक उत्तर देने का कोई अर्थ नहीं होगा।

श्री जगदीप धनखड़ : यह बताये कि कितने सालों से दे रखे हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह : इसका मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं कि रिकार्ड ठीक नहीं रखा जा रहा है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इस विभाग के सम्बन्ध में कह दूं कि इस विभाग के काम से मैं स्वयं सन्तुष्ट नहीं हूं। यह भी सही है कि जिस प्रकार से रिकार्ड रखा जाना चाहिये उस प्रकार से रिकार्ड नहीं रखा जा रहा है। और आपने इस सारे मामले में (व्यवधान) आप ठहर जाओ। आपने जो क्वेश्चन दिया है, उस प्रश्न के बाद में इस सारी व्यवस्था को मैं देख रहा हूं। कितना रिकार्ड कर्मचारी के हिसाब से बना है, कितना नहीं बना है, (व्यवधान) यह मैने कह दिया, जवाब दे दूं सारा....

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जी जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : प्रश्न संख्या 141.

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष जी, आपके कक्ष में बात कर लेंगे, देख लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, आप तो अभी (व्यवधान) आप बोल देना।

श्री जगदीप धनखड़ : आप जांच करवाइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बस बोल दी मैंने, जांच खुद ने ही कर ली।

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जी।

श्री जगदीप धनखड़ : एक समय निश्चित कीजिये, साल भर में हो जायेगा, छह महीने में हो जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखिये, यह काम ऐसा है कि निश्चित समय में नहीं होगा। इसमें सारा रिकार्ड चैक करना पड़ेगा। आपका कभी सरकार में वास्ता नहीं पड़ा है इसलिये समय निश्चित करने की बात कर रहे हो। (व्यवधान) मैं उनको कह रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : ताऊ की सरकार में मंत्री थे। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भारत सरकार में कोई विशेष विभाग नहीं था।

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जी जोशी। (व्यवधान) कृपया शान्ति रखें।

विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

141. **श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कुल कितने राजकीय प्राइमरी, मिडल, सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी व सीनियर हायर सैकन्डरी विद्यालय हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त विद्यालयों में छात्र/छात्राओं की विद्यालयवार संख्या क्या है ?

(3) उपरोक्त विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या का निर्धारित मानदण्ड क्या है ? क्या उक्त मानदण्ड के अनुसार विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में स्थित उपरोक्त विद्यालयों में अध्यापकों के स्वीकृत पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो किस-किस विद्यालय में कितने कितने पद ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उपरोक्त विद्यालयों में इस सत्र की समाप्ति से पहले सम्पूर्ण रूप से अध्यापकों की नियुक्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया) : (1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के विद्यालयों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) कक्षावार छात्र संख्या बिन्दु संख्या 1 की सूची में अंकित कर सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में अध्यापकों के मापदण्ड के आधार पर स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया है।

(4) व्याख्याताओं के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग को चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया है। तृतीय एवं द्वितीय वेतन श्रृंखला के रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

है। रिक्त पदों को भरने का पूर्ण प्रयास किया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-2 देखें।)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, बांदीकुई के स्कूलों में व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापकों की जो कमी बतायी है, पहली बात है कि इस शैक्षणिक सत्र के किस माह में और किस तारीख तक वह पूरी कर दी जायेगी क्योंकि शैक्षणिक सत्र का अन्त 2-3 महीने में होने वाला है ?

दूसरा, मेरा प्रश्न है, आपने बताया कि व्याख्याताओं के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आर. पी. एस. सी. से चयनित आशार्थी उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है, यह पत्र आपने कब लिखा ? वह पत्र पढ़कर सुनाएं कि उसमें क्या बात लिखी ?

तीसरा, तृतीय एवं द्वितीय वेतन शृंखला के रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अब यह कार्यवाही विचाराधीन है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। सवाल है कि राजस्थान सरकार ने यह बजट गयी बार शिक्षा के लिए समर्पित किया था। आपने पाठ्य-पुस्तकें मुफ्त में दीं। अगर शिक्षक नहीं दिये तो पाठ्य-पुस्तकें मुफ्त में देने का क्या प्रयोजन रहा ? करोड़ों-अरबों रुपयों का क्या फायदा रहा ? इसलिए, माननीय मंत्री महोदय, आप यह बताये कि कब तक आप तृतीय और द्वतीय वेतन शृंखला के अध्यापकों की नियुक्ति कर देंगे ? वह किस दिन का होगा जिस दिन अध्यापकों की कमी स्कूलों में नहीं होगी ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पाठ्य-पुस्तकें मुफ्त वितरित करके वाहवाही लूटी लेकिन शिक्षक नहीं हैं स्कूलों में। स्कूल शिक्षकों से खाली पड़ी हैं, ऐसी स्थिति में शिक्षा का क्या लाभ होगा ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शैलेन्द्र जी, पाइंटेड प्रश्न करें। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया :.... नहीं दोगे तब है।

श्री अध्यक्ष : भाषण देने का टेम्प्टेशन सबको होता है। बिराजिए आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : भाषण देने की बात नहीं है। सही बात हरेक को बुरी लगती है। करोड़ों रुपयों की जनधन की हानि हो गयी और उत्तर यह नहीं आया कि....

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजिए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : एक तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना है कि आप समय बताइये। इस वर्ष का माह बताइये कि वर्ष 1996 की अन्तिम परीक्षा से किस समय कितने दिन पहले तक आप नियुक्त करेंगे ? कृपया तारीख और माह बताएं और समय की पाबन्दी बताएं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। अब यह काफी था। वे जवाब दे रहे हैं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, इसी से सम्बन्धित हमारा प्रश्न

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

है। राज्य सरकार ने जो पत्र दिया है वह सिर्फ बांदीकुई के बारे में है या सभी जगह जो स्थान खाली पड़े हैं....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिऐ। पहले एक बार जवाब सुनें आप।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : पहले आप एक बार मेरा जबाब सुन लें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : नहीं, आप सारा ही जवाब देंगे न। इसलिए मैं कह रही हूं, जो पत्र आपने लिखा है, वह सभी जगह खाली पड़े हुए पद हैं....

श्री अध्यक्ष : पहले आप बात तो सुनें। पहले मूल प्रश्नकर्त्ता की बात तो आने दें आप।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर सुन लें। उसके बाद अगर आपकी कोई शंका रह जाती है तो उसके लिए मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं।

बांदीकुई में व्याख्यताओं के 53 पद कुल हैं। उसमें से मात्र10 पद खाली हैं। उन 10 पदों में से भी तीन तो व्यावसायिक शिक्षा के है, जिन पर व्याख्याता लगाया नहीं जाता है। वे उस संख्या की गिनती में है। बाकी बांदीकुई में जो रहे, हिन्दी के पद के लिए मैंने 6-10-95 के दिन आदेश जारी कर दिया, और भौतिक विज्ञान के पद के लिए मैंने 24-9-95 को आदेश जारी कर दिया। लोटवाड़ा में नागरिक शास्त्र का 24-9-95 को आदेश जारी कर दिया। संस्कृत के लिये लोटिपाना में 24-9-95 को आदेश जारी कर दिया। हिन्दी का जो बालिका शिक्षक है, उसके लिए भी आदेश जारी कर दिया। मैं सोचता हूं, 10 पद कुल रिक्त हैं जिसमें से तीन तो हमारी सूची में, जिनको हम लगाते हीं नहीं, वे हैं। व्यावसायिक शिक्षा के व्याख्याता। इस तरह की स्थिति है। द्वितीय वेतन श्रृंखला के आपके यहां कुल 179 पद हैं, उसमें से मात्र तीन रिक्त हैं। अध्यापक थर्ड ग्रेड के 413 पद कुल हैं इस क्षेत्र में, उसमें से मात्र 17 रिक्त हैं। प्राचार्य 4 हैं, चारों उपलब्ध है। वाइस प्रिंसिपल 4 हैं; चारों उपलब्ध हैं। प्रधानाध्यापक 9 कुल हैं आपके क्षेत्र में, 9 में से 7 लगे हुए हैं, 2 रिक्त हैं। दो में से भी एक की मृत्यु तो 7-10-95 को हुई, उसके कारण से रिक्त है। दूसरे पर मैंने लगाया लेकिन उसने जॉइन नहीं किया इसलिए रिक्त है। ये दोनों जो प्रधानाध्यापक हैं उसके लिए भी 31-10-95 को मैंने आदेश जारी कर दिये हैं। सारे माननीय सदस्य भी इस बारे में चिन्तित हैं कि राजस्थान में रिक्त पद बहुत हैं।

मैं एक सैकण्ड आपका जरूर लूंगा लेकिन सम्पूर्ण राजस्थान में जो कुछ भी मैंने पद भरे हैं, वे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उसके बाद अगर कोई विषय और खड़ा होता है तो आप उसमें से पूछें।

प्राधानाचार्य के 1180 पद कुल हैं उसमें से मात्र 8 पद रिक्त हैं, जिनको

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

भी मैंने तीन दिन पहले भर दिया हैं। केवल 9 लोगों ने जॉइन नहीं किया। उनके स्थान पर भी दूसरे व्यक्ति को लगा दिया।

वाइस प्रिंसिपल के कुल 1043 पद हैं, इस साल मैंने 984 लोगों का प्रमोशन करके इस पद पर लगाया। उनमें से 196 लोगों ने अभी तक जॉइन नहीं किया है और मात्र 110 पद वाइस प्रिंसिपल के खाली हैं। ये इसलिये खाली हैं कि हैड-मास्टर में से 50 प्रतिशत वाइस प्रिंसिपल बनते हैं। हैडमास्टर, 5 साल चयनित होने के बाद जिनकी अवधि पूरी होती है वे ही उसमें आ सकते हैं। आज की तारीख में कोई भी हैडमास्टर में कन्फर्म व्यक्ति उपलब्ध नहीं रहा इसलिये 110 पद खाली पड़े हैं।

प्राधानाध्यापक के कुल 3045 पद हैं। इसमें से इस वर्ष मैंने 1019 लोगों की डी. पी. सी. करके उनको लगाया और केवल 184 पद खाली रहे। जो लगाये, उसमें से 401 व्यक्तियों ने अभी तक जॉइन नहीं किया। मैं सैकण्ड लिस्ट में फिर प्रयास कर रहा हूं, उनको शत-प्रतिशत जॉइन कराने के लिये प्रयासरत हूं और वे जाइन करेंगे।

व्याख्याताओं के कुल 12715 पद हैं, जिसमें से इस साल मैंने 693 आर. पी. एस. पी. से लेकर लगाये हैं और 1400 लोगों की डी. पी. सी. करके, प्रमोशन करके कुल 2093 लोगों को लगाया है। फिर भी आज की तारीख में 640 पद खाली हैं। उसमें से 341 पदों की केवल विज्ञान की डी. पी. सी. एक साल से नहीं हुई, जो अगली 15 तारीख तक मैं निश्चित रूप से करा लूंगा और इस माह के अन्त तक उन पदों को भी भर दूंगा। केवल कुछ छोटे-मोटे रहे हैं, जिनकी डी.पी.सी. नहीं हुई, जो सैकण्ड और थर्ड ग्रेड हैं। बाकी सारे पद भर दिये हैं लेकिन अंग्रेजी, विज्ञान और गणित के सम्बन्ध में हाई कोर्ट का एक फैसला 18-7-95 को हो गया। जो चयन प्रक्रिया अब की बार हमने नयी बनायी, उसके तहत हमने उसी जिले के जी एम्प्लायमेंट से नाम मंगाये थे, उसको चैलेंज कर दिया चैलेंज करने के कारण से सामान्य श्रेणी के 50 प्रतिशत पद इन विषयों के खाली रह जाने के कारण से नहीं भरे गये हैं। थर्ड ग्रेड में भी सामान्य श्रेणी में नहीं भरे गये हैं, उनमें से भी 75 प्रतिशत पंचायत समिति से लेकर भरने का प्रयास किया। मैं सोचता हूं, मुश्किल से थर्ड और सैकण्ड ग्रेड के एक प्रतिशत से तीन प्रतिशत तक पद रिक्त हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये जो पद रिक्त रहे हैं, ये भी नवम्बर के अन्त तक पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। शत-प्रतिशत कभी भी इस विभाग में पद नहीं भरे जा सकते, जब यह कह सकते हों कि आज शत-प्रतिशत भर दिये, क्योंकि मृत्यु के करण, प्रमोशन के कारण, सेवा-निवृत्ति के कारण से और अन्य कारणों से रिक्त रह जाते हैं। शत-प्रतिशत तो मैं नहीं कह सकता पर 98 प्रतिशत पद निश्चित रूप से इस माह के अन्त तक भर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय मंत्री महोदय, आपने बार-बार कहा है कि आदेश प्रसारित कर दिये—24-9-95 को आदेश प्रसारित कर दिये, 26-10-95 को आदेश प्रसारित कर दिये...

श्री अध्यक्ष : अब इसमें कोई प्रश्न नहीं बचा है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपके आदेश प्रसारित करने के बाद भी जो शिक्षक ड्यूटी जोइन नहीं करते हैं, उनके लिये आदेश आपका प्रसारित करना इम्फक्चुअस हो गया, मीनिंगलैस हो गया। आप उसके लिये क्या करने जा रहे हैं जो आपके आदेश नहीं मानता ?

श्री अध्यक्ष : आप तो ज्ञानप्रकाश चेलानी की कार्यवाही मत करना। आप बिराजिये। श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल।

कृषि विपणन बोर्ड द्वारा विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी में सड़क निर्माण

142. **श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि विपणन बोर्ड द्वारा अब तक तहसील गंगापुर में कितनी सड़कों का निर्माण करवाया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विपणन बोर्ड ने उक्त सड़कों की मरम्मत एवं पुनः निर्माण हेतु गत वर्ष वित्तीय स्वीकृति एवं निर्माण कार्य के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अधूरी सड़कों का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा ?

(3) क्या यह भी सही है कि गंगापुर से ग्राम ऊडेई खुर्द की पुलिया गत कई वर्षों से क्षतिग्रस्त है, जिससे बरसात में रास्ता पूर्णतया बन्द हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलिया की मरम्मत करवाने का विचार रखती है ?

(4) क्या यह सही है कि गंगापुर सिटी की नहर-रोड क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी मरम्मत करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, कृषि (श्री ज्ञानसिंह चौधरी) : (1) कृषि उपज मण्डी समिति, गंगापुर सिटी द्वारा गंगापुर तहसील में 15 सड़कों का निर्माण पूर्ण करवाया जा चुका है तथा दो सड़कें निर्माणाधीन हैं। सड़कों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) गत वर्ष कृषि उपज मण्डी समिति, गंगापुर सिटी के अन्तर्गत सड़कों की मरम्मत एवं पुनः निर्माण स्वीकृति निम्नानुसार जारी की गयी—

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

क्रम सं.	नाम सम्पर्क सड़क	प्रशासनिक स्वीकृति (लाखों में)	वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)
1.	सम्पर्क सड़क हिण्डौन रोड से जाट बड़ोदा	5.00	4.50
2.	सम्पर्क सड़क टोक्सी	5.00	4.50
3.	सम्पर्क सड़क जीवली	3.00	2.00
4.	सम्पर्क सड़क पावटा	7.25	6.50
5.	सम्पर्क सड़क रायपुर से फुलवाड़ा	6.25	5.50
6.	सम्पर्क सड़क हिण्डौन रोड से मेडी	4.25	3.75
7.	सम्पर्क सड़क हिण्डौन रोड से मीना बड़ोदा	5.00	4.50
8.	सम्पर्क सड़क सालोदा से पीलोदा	8.40	1.50

निर्माण की प्रगति सम्बन्धी सूचना परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) यह सही है कि सम्पर्क सड़क सालोदा से पीलोदा के मध्य ग्राम उडेई खुर्द की पुलिया क्षतिग्रस्त है। यह सड़क भी इस वर्ष अतिवृष्टि के कारण काफी क्षतिग्रस्त हो गयी थी। संदर्भित पुलिया सहित उक्त सड़क की विशेष मरम्मत हेतु 30.00 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति एवं 5.00 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति वर्ष 95--96 के लिए जारी कर दी गयी है।

(4) गंगापुर सिटी की नहर-रोड भी अतिवृष्टि के कारण काफी क्षतिग्रस्त हुई है जिसकी मरम्मत के लिये 7.00 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वर्ष 95-96 के लिये 2.00 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : अध्यक्ष महोदय, अब सप्लीमेंट्री तो मेरा इसमें है नहीं। मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सड़कों को मंजूर कर दिया लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं। वह निवेदन मेरा यह है कि ठेकेदार ठेके तो ले लेते हैं, बिलो रेट के ऊपर लेते हैं पर जो कार्य की अवधि होती है उस अवधि के अन्तर्गत वे कार्य सम्पूर्ण नहीं करते हैं। इसका एकमात्र कारण यही बना, जो आपने

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

लिस्ट दी है कि इतने कार्य स्वीकृत आपने गत वर्ष किये, दो सड़कें आपने इस वर्ष स्वीकृत कर दीं लेकिन उन कार्यों का निर्माण उस अवधि के अन्दर नहीं किया। मंत्री महोदय से मैं इतना ही निवेदन करूंगा, आप अपने अधिकारियों को निर्देश दें कि ऐसे ठेकेदार जिन्होंने काम ले लिये हैं उनको मेहरबानी करके ब्लैक लिस्ट घोषित करें और दुबारा से उनको काम नहीं दें। यही सब से बड़ा कारण बनता है कि हमारे गंगापुर में हो चाहे सवाई माधोपुर में हो, जितने भी निर्माण कार्य आप उनको अलाट करते हैं, उनको देते हैं, वे कार्य समय पर नहीं होते हैं। जिसका नतीजा ग्रामवासियों को तो भुगतना ही पड़ता है, साथ-साथ विभाग को भी इसका नतीजा भुगतना पड़ता है। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : यही सुझाव दें दो न कि लो रेट वालों को कैसे रोकें।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : मैं यह नहीं कहता कि हाई रेट पर दीजिए, लेकिन अगर बिलो रेट के ऊपर ठेकेदार कार्य लेता है और उसे नहीं करता है, समय के ऊपर नहीं करता है तो मेहरबानी करके उसको ब्लेक लिस्ट करिये, उसके ऊपर पैनल्टी लगाइये, मेरा निवेदन यह है।

श्री देवीसिंह भाटी : वह तो लम्बा हो जाएगा।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : लम्बा होगा तो फिर कार्य कैसे पूरा होगा।

श्री देवीसिंह भाटी : हाँ, तो यह लो रेट वालों को कैसे रोकें, उस पर थोड़ा सुझाव दें हमारे सब के लिये।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : मैं यह नहीं कहता। मेरा तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो ठेकेदार समय के ऊपर कार्य नहीं करते। .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसमें कोई प्रश्न की बात नहीं है, आप बिराज जायं। इसमें कोई प्रश्न की गुंजाइश नहीं है। ..... (व्यवधान) मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, आप मंत्रीजी का जवाब सुनें। भरतजी, बैठें। शर्माजी, बैठिये आप पहले।

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : नहीं, साहब। जैसा कि सिंचाई मंत्रीजी ने पूछा था कि बिलो रेट के लिये कैसे हम क्या इन्तजाम करें, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं इस सम्बन्ध में कि आपका कांट्रेक्ट जिस वक्त शुरू हो उसमें एक टाइम लिमिट होती है कि इतने दिन के अन्दर कांट्रेक्टर काम शुरू नहीं करेगा, उसको हम रद्द कर देंगे। लेकिन अमूमन यह देखा जाता है, चाहे सार्वजनिक निर्माण विभाग हो, कि वह काम शुरू करने के बाद में ....।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। यह तो सभी जानते हैं।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पल्लीवाल साहब ने बताया, वास्तव में स्वीकृति के बाद कामों में देरी

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

होती है। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि वास्तव में स्वीकृतियां जारी करने के बाद, वर्क आर्डर होने के बाद निश्चिय समय उनके काम पूरा करने का होता है। मैंने हमारे डाइरेक्टर को इस बात के निर्देश दे दिये हैं कि इस देरी के कारणों की जांच की जांए। और जिन भी ठेकेदारों के खिलाफ या अधिकारी के खिलाफ देरी के कारण पाये जाएंगे, निश्चित रूप से सख्ती से उन पर कार्यवाही की जाएगी जिससे भविष्य में इस प्रकार की देरी नहीं हो।

श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री कुबेर सिंह जी।....

स्थगित प्रश्न
(गुरुवार, 26 अक्टूबर, 1995)
उपभोक्ता संघ की दुकानों में चोरी के प्रकरण

5. श्री कुबेरसिंह (फलासिया), श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा) एवं श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विगत पांच वर्षों में उपभोक्ता संघ की जयपुर शहर स्थित ऐलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकानों में चोरियां हुई ? यदि हां, तो किस-किस दुकान में कब-कब, किस-किस माल व कितनी-कितनी राशि की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त चोरियों से हुई क्षति का इन्श्योरेन्स क्लेम विभाग द्वारा भेजा गया था ? यदि हां, तो किस-किस दुकान का किस-किस चोरी के लिए कितनी-कितनी बार ? प्रत्येक इन्श्योरेन्स क्लेम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि इसकी वसूली संबन्धित दुकान के सेल्समैन से की गयी ? यदि हां, तो किस-किस सेल्समैन से कितनी-कितनी राशि, किस-किस आधार पर ? प्रत्येक का कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार चोरी हुए माल जिसकी प्रबन्धक द्वारा सम्बन्धित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी तथा इन्श्योरेन्स क्लेम भी मांगा गया था, सम्बन्धित दुकान के सेल्समैन से राशि वसूल करने को उचित मानती है ? यदि हां, तो किस आधार पर ? यदि नहीं, तो क्या सरकार सेल्समैन से वसूल की गयी की जा रही राशि का सेल्समैन को भुगतान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री श्री (सुजानसिंह यादव) : (1) जी हां। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। बीमा क्लेम का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी हां। जनाना अस्पताल शाखा, द्वितीय में दिनांक 24-4-90 को हुई कैश की चोरी, तादाद रुपये 1290.00 की वसूली, आदेशों की अवहेलना करने के आधार पर श्री कमल काला, सहायक विक्रेता से कर ली गयी है।

(श्री सुजानसिंह यादव)

(4) राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के आदेशों द्वारा विक्रेताओं को पाबन्द किया हुआ है कि विक्रेता बिक्री की राशि आवश्यक रूप से दूसरे दिवस बैंक में जमा करवाएंगे। बिक्री रोकड़ की चोरी होने पर यदि यह पाया गया कि विक्रेता ने उक्त आदेशों की पालना में लापरवाही एवं उल्लंघन किया है तो चोरी से होने वाली हानि के लिए विक्रेता स्वयं ही दोषी है जिसकी वसूली विक्रेता से करना पूर्ण रूप से उचित एवं वैध है। इन्श्योरेन्श क्लेम से विक्रेता किसी प्रकार की छूट का हकदार नहीं है।

जहां तक माल दवाइयों की चोरी का प्रश्न है यदि पुलिस तफतीश में चोरी स्थापित नहीं होती है तो तथाकथित चोरी के प्रकरण के गुण-अवगुण को ध्यान में रखते हुए विक्रेता से चोरी की राशि वसूल की जानी है अथवा नहीं, का निर्णय लिया जाता है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट--4 देखें)

श्री रघुवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा उत्तर में दिये गये परिशिष्ट "अ" के अनुसार, आपका भौतिक सत्यापन 18-10-93 को हुआ और उसमें यह पाया गया कि सैल्समैन फाल्ट में है, उस पर अपराध बनता है। उसके उपरांत इन्श्योरेन्स में क्लेम करने की आवश्यकता कहां पड़ी ? बार-बार संशोधित लिस्ट इंश्योरेन्स वालों को भेजने की आवश्यकता कहां पड़ी ? दूसरा मेरा क्वेश्चन यह है कि जब पुलिस ने एफ. आर. दे दी और कोई ने भी सम्मन जारी किये सम्बन्धित जो भी कार्यालय प्रभारी थे उनको, तो कोर्ट में नहीं जाकर, हाजिर नहीं होकर सैल्समैन के पक्ष में एफ. आर. कोर्ट की तरफ से दिलाने में क्या इन्होंने मदद नहीं की ? अगर इन्होंने मदद की है तो क्या मंत्रीजी जो भी प्रभारी थे उनके खिलाफ कोई कार्यवाही कर रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : बहुत ही रेलेवेन्ट सवाल है।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, प्रथम तो विधान सभा सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे प्रकरण विधान सभा में नहीं आए। क्यों नहीं आए ? कि गबन और घोटाले के प्रश्न हैं। जे. के. लोन अस्पताल में सुरेश ओझा नाम का व्यक्ति जहां सैल्समैन है उसने बार-बार छह दफा इस तरह की कार्यवाहियां की। जब भी, जांच की गयी तभी दवाइयों की कमी पायी गयी। उनका एक इन्क्रीमेंट बन्द किया गया। सस्पैंड किया, दुबारा बहाल किया उनको। काफी टाइम किया, छह दफे। जब यह 18 तारीख को उन्होंने चोरी की, कहा कि चोरी की रिपोर्ट जब मैंने मेडिकल को दी उसी वक्त तत्काल चोरी की रिपोर्ट मोती डूंगरी थाने में दर्ज करायी गयी। दर्ज कराने के बाद सुरेशजी ओझा ने दुबारा एक लिस्ट हमको दी कि नहीं, यह चोरी इतने की नहीं, इतने की है। उसमें कीमत नहीं लिखी कि वह चोरी कितनी थी। उसमें एन. ए. सी. पहले ही दे रखी है। जब एन. ए. सी. पहले दे रखी और एन. ए.

(श्री सुजानसिंह यादव)

सी. हमने उन से कलेक्ट की, तब यह कहां उठ सकता है कि चोरी हुई ? जब दवाइयां ही दुकान में नहीं थी, तो चोरी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके उपरांत 18 तारीख को मेडिकल एम. डी. ने यह आदेश जारी किये इस दुकाम का भौतिक सत्यापन किया गया, भौतिक सत्यापन दुकान का किया तो 74912 रुपये कुछ पैसे की चोरी मालूम पड़ी कि यहां गबन हो गया है। उसके उपरान्त फिर इन्होंने एक आवेदन पत्र दिया कि यह चोरी की जो रिपोर्ट मैंने लिखवायी थी यह 74912 की ही चोरी मानी जाए।

एक माननीय सदस्य : 64, 64।

श्री सुजानसिंह यादव : इसके उपरान्त इधर-उधर करके अपने स्तर पर सुरेश ओझा ने उसमें अन्तिम रिपोर्ट दिला दी। अन्तिम रिपोर्ट दिलाने के बाद इससे असंतुष्ट होकर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन की, वह रिट पिटीशन मई के महीने में माननीय न्यायाधीश ने खारिज कर दी। इस आधार पर खारिज की कि इसका तो और भी कहीं प्रकरण चल सकता था, हाई कोर्ट में आने की जरूरत नहीं थी। इसके उपरान्त हमने उसको ...

श्री रघुवीर सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा पाइंटेड सवाल है। इतना सारा (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये।.... (व्यवधान) ... आप बैठ जाइये, इस तरह से नहीं।

श्री रघुवीर सिंह : मेरा पाइंटेड सवाल है।

श्री अध्यक्ष : पहले आप पूरा सुनें। आप बैठें, बैठें आप। (व्यवधान) आप पूरा सुनें।

श्री सुजानसिंह यादव : मैं प्रकरण आपके सामने रख दूं कि कहानी क्याथी। प्रश्न पूछा उसका भी जवाब दूंगा मैं।

इसमें निहित स्वार्थ क्या है ? जब रिट-पिटीशन खारिज हो गयी तब हमने 95 के जनवरी के महीने में यह कहा कि इनकी तनख्वाह रोक दी जाए। कुछ टाइम के लिए तनख्वाह रोक दी जाए वह आदेश चलता रहा। फिर इसका आडिट हुआ लेखा शाखा द्वारा। उस आडिट में यह पायागया कि इसने गबन किया है। गबन के उपरांत भी पांच हजार की उसने चोरी कर ली, कमी पायी दुकान में। इस तरह से 69 हजार की चोरी और गबन उसके निमत्त रखा गया। माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि यह रिकवरी कैसे हो। इसके उपरान्त हमने उसको निलम्बित कर दिया। निलम्बित करने के बाद हमने उसको कहा कि आपकी आधी तनख्वाह, उस पर आपका डियरनेंस अलाउंस और जो आपको किराया भत्ता मिलता है वह आप लेने के हकदार हैं। हमने बार-बार उनको चिट्ठियां भी लिखीं, मगर वह व्यक्ति कहता है कि मुझे तो पूरी तनख्वाह दी जाए। माननीय सदस्य, ऐसी स्थिति में 69 हजार रुपये हम किससे वसूल करें ? इसी आधार पर हमने उनको निलम्बित किया है, और स्थानीय पुलिस

(श्री सुजानसिंह यादव)

अधीक्षक को यह लिखा है कि गबन के अन्तर्गत इसकी कार्यवाही की जाए, इसको दण्डित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : बिराजें (व्यवधान) आप बिराजें। दयाराम जी पहले बोलेंगे। दयाराम जी मूल प्रश्नकर्ता।

श्री रघुवीर सिंह :साहब, मैंने पूछा वह तो बताओ।

श्री अध्यक्ष : वह हो गया। आप दयाराम जी से पूछ लेना।

श्री रघुवीर सिंह : भौतिक सत्यापन में जब यह साबित हो गया कि यह दोषी है, सैल्समैन दोषी है....

श्री अध्यक्ष : हां, वह भी प्रश्नकर्ता ही हैं। मैं कोई बिना देख नहीं कह रहा हूं।

श्री रघुवीर सिंह : उसके बाद इंश्योरेन्स क्लेम क्यों किया ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : अध्यक्ष महोदय, आप तो खुद लॉ ग्रेजुएट है। मंत्री महोदय से यह तो पूछें कि चोरी और गबन में क्या फर्क है। चोरी की है या गबन हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। दयाराम जी का प्रश्न है, पहले दयाराम जी।

श्री रघुवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सुनें आप। यह साबित हो गया कि गबन हुआ है, उसने गबन किया है फिर इन्श्योरेन्स क्लेम की क्या जरूरत थी ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : चोरी में क्या हुआ और गबन में क्या हुआ, यह बात है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : (मुख्य सचेतक) गबन और चोरी करने वालों के प्रोटेक्शन की जगह बन गया है। आपका इरादा क्या है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दयाराम जी कृपया व्यवस्था में योगदान दें। धारीवाल जी साहब, बिराजें कृपया। (व्यवधान) दयाराम जी का प्रश्न है, आप बिराजें। (व्यवधान) कृपया शांति बनाये रखें। शोरगुल कम हो।

श्री रघुवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सुनिये। मैंने यह पूछा, जब उसके सम्मन जारी किये तो प्रभारी अधिकारी कोर्ट में हाजिर क्यों नहीं हुआ ? क्या इसमें उस सैल्समैन को मदद नहीं की उन्होंने ? मैं यह पूछना चाह रहा हूं अगर उन्होंने मदद की है तो आप उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे है ? आप घुमा फिराकर जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रघुवीर जी, बिराजें आप।

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1990 से लेकर 1994 तक 6 चोरियां हुई मेडिकल स्टोर में।

(श्री दयाराम परमार)

(व्यवधान) चोरियां लिखा है, साहब। यह गबन था या चोरी थी? आपने इसमें बताया कि (व्यवधान) उसमें चोरी शब्द काम में लूंगा। पर माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह चोरी हुई या गबन हुआ था? कैश पैसा भी है और दवाइयां भी हैं तो उसमें से आपने कितनी चोरी साबित की और कितने का उसमें गबन साबित किया? पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न मेरा यह है, यह जे. के. लॉन वाले में चोरी हुई 93 में, उसकी आपने एफ. आई. आर. लॉज करवायी। उसकी एफ. आर. लग गयी 4-10-94 को और आपने उसको सस्पेण्ड किया 13-10-95 को, इतना विलम्ब क्यों हुआ?

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य धारीवाल जी ने यह फरमाया कि गबन है या चोरी। दूर की दूर दवाइयां लेकर कहीं बाजार में इधर-उधर कर दें वह तो गबन है, भौतिक सत्यापत किया, दुकान में दवाइयां कम मिलीं। इधर-उधर दवाइयों को बेच दिया और एन. ए. सी. जारी कर दी। एन. ए. सी. जारी की दुकान में दवाई है नहीं तो इसका मतलब चोरी नहीं वह गबन है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दयाराम जी का जवाब दें आप।

श्री सुजान सिंह यादव : माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है, यह चोरी नहीं यह गबन है। भौतिक सत्यापन किया, दवाइयां मिली नहीं। (व्यवधान)

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का आप उत्तर दिलाएं। (व्यवधान) मैं यह पूछ रहा हूं कि आपकी 6 वारदातों में कितने में तो गबन हुआ और कितने में चोरी हुई? यह पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : यह क्या हो जाता है? बार-बार खड़े होकर पूछ रहे हैं, बात तो पूरी करने दीजिये उनको।

श्री सुजान सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले निवेदन किया, कि 15-10-93 को जो सैलसमैन था जे. के. लॉन वाली दूसरी दुकान में, उसने इस बात की एक रिपोर्ट मेडिकल मैनेजर को दी कि यहां चोरी हो गयी। हमने तत्काल चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। लेकिन फिर दुबारा उन्होंने 18 तारीख को कहा कि यह चोरी इतनी और हुई है। उसके उपरान्त हमको यह डाउट हुआ कि यह बार-बार लिख रहा है कि यह चोरी इतनी हुई है, उसके बाद हमने आदेश दे दिया कि इस दुकान का भौतिक सत्यापन किया जाए कि कितने की चोरी हुई।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : बार-बार रिपीट कर रहे हैं।

श्री सुजान सिंह यादव : मैं दुबारा रिपीट इस आधार पर कर रहा हूं, जब यह बात भौतिक सत्यापन से मालूम पड़ी कि चोरी तो इतनी बता रहे हैं और दुकान

(श्री सुजान सिंह यादव)

में 69 हजार का शार्टेज है उसके उपरान्त हमने इस बात के आदेश दे दिये कि इसकी चोरी नहीं हुई है, यह गबन किया है। अगला आवेदन यह कहता है कि नहीं, चोरी की है, चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पर हमने यह मालूम किया है कि यह गबन हुआ है। गबन के अन्तराल में ये श्रीमान जी हाई कोर्ट पहुंच गये, कोर्ट में पहुंच गये। कोर्ट से उनका फैसला नहीं हो पाया।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है इस सहकारिता में और मंत्रीजी इसको रोक नहीं पा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : पांच हजार, सात हजार यह तो बार-बार कह दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, बिराजें। चोरी पकड़ा दी है। अब क्यों उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं? (व्यवधान)

श्री दयाराम परमार : मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि 6 वारदातों में कितनी चोरी थी और कितना गबन हुआ? (व्यवधान) 6 वारदातें हुई हैं 1990 से लेकर 1994 तक, 6 में से कितना गबन था और कितनी चोरियां थीं, यह प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : यह तो जांच का विषय है। आप क्या पूछना चाहते हैं, पूछें। यह 6 बार नहीं तो कितनी बार हुआ? 69 हजार का गड़बड़ घोटाला है, चाहे तो गबन है चाहे चोरी है, यह तो बाद में स्क्रूटनाइज हो जायेगा। आप कोई बात पूछें, नहीं तो आगे प्रश्न लूंगा। (व्यवधान) पूछ रहे हैं, मन्तव्य क्या निकलता है। आपको तो हाउस को यह बोध करना है कि चोरी हुई है या गबन हुआ है। आप उससे क्या करना चाहते हैं!

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यह कहना चाहता हूं, अगर गबन हुआ है तो सारे डिपार्टमेंट के लोग मिलकर गबन करते हैं दवाइयों का और चोरी का नाटक करते हैं। यह मतलब है। आप मेरे को स्थिति स्पष्ट नहीं करने देते हैं कि चोरी हुई थी या गबन हुआ था। अब आप कह रहे हो, क्या हुआ था। (व्यवधान) पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज करवा दी चोरी होने की। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह तो मामला स्क्रूटनाइज हो जाएगा। आप बिराजें। (व्यवधान) आप बिराजें।

श्री रघुवीर सिंह : किसने गबन किया चोरी की है, उसे फांसी दो, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है परन्तु मेरा यह कहना है कि मामले में जिसने प्रोटेक्स दिया उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, इनका जवाब

(श्री अध्यक्ष)

दीजिये। प्रोटैक्शन दिया उसका क्या कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : जिसने उस अपराधी को सहयोग दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, उसी का जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस मामले को हाई कोर्ट में कानून के खिलाफ क्यों ले जाया गया? किसने राय दी कि हाई कोर्ट में जाना चाहिये। हाई कोर्ट में ले जाकर आपने एक न सुनी। (व्यवधान)

श्री सुजान सिंह यादव : आवेदक गया है, विभाग नहीं गया है। मेरी बात तो सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, वह तो जिसने गबन घोटाला किया है वे गये हैं। आप बोलो। आप बिराजें, दूसरा प्रश्न भी आने दें।

श्री शांति कुमार धारीवाल : उपभोक्ता भण्डारों में कई जगह ये किस्से हैं। माननीय निर्माण मंत्री जी ने कोटा उपभोक्ता....

श्री अध्यक्ष : धारीवाल साहब, एक तो चोरी पकड़ी है। मामला क्लीयर हो गया और 6 घण्टे लगा रहे हो आप बहस में बिना काम के (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : यह महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री रामनारायण चौधरी : को-आपरेटिव एक्ट के तहत कार्यवाही हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें, इनका जवाब आने दें। (व्यवधान) कृपया बिराजें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यहां सार्वजनिक हित के मामले उठाये जाते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जिसने प्रोटैक्शन दिया उसका क्या कर रहे हैं आप? अंकित नहीं करें। कृपया बिराजें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन ×××

श्री अध्यक्ष : इसमें क्या पूछना रह गया फिर?

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

श्री रघुवीरसिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति बनाये रखें।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अमराराम चौधरी : X X X

श्री रघुवीरसिंह : X X X

श्री रामनारायण चौधरी : X X X

श्री किशनगोपाल कोगटा : X X X

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। कोगटा साहब, आप बिराजिये।

श्री मोहनलाल मोदी : X X X

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जायं।

श्री रघु वीरसिंह : X X X

श्री अध्यक्ष : दोनों ही प्रश्नों के मान-नीय सदस्य बिराज जाएं। मंत्रीजी से पाइण्टेड सवाल ही पूछें।

श्री अमराराम चौधरी : X X X

श्री अध्यक्ष : अमरारामजी, बिराजें। पहले मंत्रीजी का जवाब सुनें। पहले मंत्रीजी का पाइण्टेड जवाब सुनें आप।

श्री अमराराम चौधरी : X X X

श्री अध्यक्ष : यह लीगल डिबेट करने की जगह नहीं है। बिराजिये आप। तथ्यों की जानकारी दीजिये। आप बिराज जाएं। वहां हाई-कोर्ट में जाकर प्लीड कीजिये। आप बिराजिये, लीगल, डिबेट वहां हो जाएगी।

श्री अमराराम चौधरी : X X X

श्री रघुवीरसिंह : X X X

श्री रामनारायण : X X X

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जाएं। पहले मंत्रीजी की बात सुनें। यह कैसे चलेगा ? जवाब तो देने दें। कुछ भी अंकित न हो। अंकित नहीं हो। पहले बात सुनें। आप बैठें अब।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, उपभोक्ता संघ में इस तरह के नियम हैं कि सेण्ट्रल स्टोर से दवाइयां जाती हैं सैल्समैन की डिमाण्ड पर। वहां दवाइयों की दुकान पर रजिस्टर होती हैं, उनका स्टॉक रहता है। स्टाक के अनुसार ही उसका सत्यापन किया जाता है। सत्यापन में यदि कमी पायी जाती है तो गबन नहीं कहेंगे, चोरी कहेंगे क्या ? आप बताइये। उसको गबन कहते हैं .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप तो इतना-सा जवाब दें, जिसने प्रोटेक्शन दिया है उसका क्या कर रहे हैं ? That's all.

श्री सुजानसिंह यादव : इसके बारे में भी मैं अर्ज कर रहा हूं। इसकी इन्क्वायरी, (व्यवधान) मेरी बात तो सुनें, पूरी कहानी सुनें। देर इस कारण से हुई, कि पहले उन्होंने रिपोर्ट इस बात की दर्ज करायी कि चोरी हुई है तो हमने तत्काल उसकी चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। फिर

X X X अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री सुजानसिंह यादव)

उन्होंने प्रावेदन पत्र दिया कि नहीं यह इतने की चोरी नहीं है, इतने की चोरी हुई है। फिर हमने सोचा कि चोरी नहीं है। फिर तिबारा एप्लीकेशन इस बात की दी उसने कि यह चोरी है, गबन नहीं है। उसके उपरान्त हमने जांच करायी कि यह मामला क्या है, सन्देह इस बात में है। इसके ग्रादेश पर हमने कहा कि इसकी भौतिक जांच करायी जाए। (व्यवधान) उसको सस्पैण्ड तो कर दिया हमने। (व्यवधान) इन्क्वायरी चालू है। सस्पैण्ड कर दिया हमने उसको।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ग्राप।

श्री ग्रमराराम (धोद) : उन ग्रधिकारियों का क्या किया जिसने (व्यवधान) दरख्वास्त दी, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री रामनारायण चौधरी : उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्यवाही हो सकती है, कोग्रापरेटिव एक्ट के तहत वसूली हो सकती है। इन दोनों को क्यों नहीं काम में लेते हैं ग्राप?

श्री सुजानसिंह यादव : ग्रधिकारियों की कोई गलती नहीं है (व्यवधान) ग्राप मेरी बात ही नहीं सुनते (व्यवधान) डिले इस बात की हुई। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी होती है......(व्यवधान) इन्क्वायरी होने के बाद में (व्यवधान) वैरिफाई किया जाता है ग्रौर ये कहते हैं बाद में कोर्ट में जाने (व्यवधान) यह प्रोटैक्शन है, यह तो सीधा-साधा प्रोटैक्शन है।

श्री सुजानसिंह यादव : ग्राप मेरी बात ही नही सुनते। डिले इस बात की हुई (व्यवधान) देरी इस बात की हुई (व्यवधान) देरी के कारण बता रहा हूं मैं तो। तिबारा एप्लीकेशन दी तो उसने यह माना कि मेरा दिमाग विक्षिप्त है जो मैंने रिपोर्ट ग्रौर ग्रापने भौतिक जांच की है, यह चोरी है। फिर हमने उसको चोरी नहीं माना, कि यह गबन है, इसके टाइम में गबन हुग्रा। इसके बाद में एफ. ग्रार. लग गयी। एफ. ग्रार. लगने के बाद में श्रीमान्‌जी हाईकोर्ट पहुंच गये। मामला सबजुडिस हो गया। हम चुप करके बैठ गये। ग्रभी मई, 1995 में हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि यहां ग्राने की ज़रूरत नहीं थी, इसकी रेमेडी तो नीचे की ग्रदालतों में भी ले सकते थे। इसके उपरान्त हमने दसवें महने में उसको सस्पेंड कर दिया। ग्रौर क्या चाहते हैं? ....(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : बैठिये। (व्यवधान) ग्राप मंत्रीजी से मिलकर बात कर लें। बात पूरी हो गयी, उसको सस्पेंड कर दिया। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं माइनर हूं, मैं चोर हूं लेकिन मैं गबन करता मानते हूं तो क्या उसके कहने से ही ग्रपन नहीं जाएंगे?

श्री ग्रध्यक्ष : बिराजिये। श्री राजेन्द्र जी चौधरी।

जोधपुर में होटल निर्माण हेतु भूखण्डों का आबंटन

143. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या सरकार के पास होटल निर्माण के लिये भूमि आबंटन के मामले विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो जोधपुर जिले में कितने और कौन-कौन से प्रकरण विचाराधीन हैं ? इस सम्बन्ध में भूमि आबंटन की नीति क्या है ?

(2) सरकार द्वारा उक्त हेतु आज तक कितने मामलों में जोधपुर में रिजर्व प्राइस या इससे कम कीमत पर किन-किन को भू-खण्ड उपलब्ध करवाये गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार एक पांच सितारा "होटल चैन" को "रिजर्व प्राइस" पर भूमि आबंटित कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार मध्यम श्रेणी के होटल निर्माण हेतु भी उद्यमियों को जमीन उपलब्ध करा रही है ? यदि हां, तो कहां-कहां एवं किन-किन शहरों में ?

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न स्थगित है। दो विभागों का क्लब हो गया है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसको स्थगित करने का कारण क्या है ?

श्री अध्यक्ष : यह नगर नियोजन विभाग से भी सम्बन्धित है और पर्यटन से भी सम्बन्धित है। दोनों के क्लब हो जाने से इसको स्थगित किया है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको जानकारी दे दूं कि मैंने बिलकुल स्पष्ट प्रश्न पूछा, पर्यटन मंत्री महोदया से पूछा। मैंने इसके बारे में क्वेश्चन विभाग वालों से भी बात की, उनको....

श्री अध्यक्ष : पर्यटन विभाग के पास कोई जमीन नहीं होती है (व्यवधान) तो वह एलोकेशन का कैसे बता सकते हैं आपको ?

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, कल स्वायत्त शासन मंत्रजी ने भी आपके चैम्बर में पूछा था। मैंने उनसे कहा कि मैंने आपसे नहीं पूछा है, मैंने पर्यटन विभाग से प्रश्न पूछा है। यह पूछा है कि आपने जब पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया तो उद्योग के दर्जे के अंतर्गत होटल्स को रिजर्व प्राइस पर जमीन देने की कोई नीति बना रखी है क्या ? आधार क्या है ?

श्री अध्यक्ष . पांच सितारा होटल को रिजर्व प्राइस पर भूमि आबंटन कर रहे हैं, पर्यटन विभाग के पास किसी प्रकार की कोई भूमि नहीं होती है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : आप क्यों जवाब दे रहे हैं ? अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनिये। मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, मेरी बात सुनिये, अध्यक्ष महोदय। मैं यह कहना चाह रहा था... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मूल प्रश्नकर्ता की बात नहीं आने दे रहे हैं, हीरालाल जी इन्दौरा आपको क्या हो गया है ? बार-बार खड़े हो रहे हैं। उनको अपनी बात तो कहने दें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैंने इसके अन्दर यह पूछा कि फाइव स्टार होटल्स और होटल चैन को तो रिजर्व प्राइस पर जमीन देने की बात यहां हैं। मेरी भावना यह है पूछने की जो छोटे और मध्यम श्रेणी के होटल्स हैं, उनको सरकार रिजर्व प्राइस पर जमीन नहीं दे रही है। यह मेरा मतलब था कि पर्यटन को जब आपने उद्योग का दर्जा दिया है तो उसके अन्दर आप उनको जमीन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे ? बहुत सीधी-सीधी बात थी। मैंने स्वायत्त शासन मत्रीजी को कह दिया था कि मैंने आपसे पूछा ही नहीं है। कल ही कह दिया था फिर यह स्थगित क्यों किया गया, मुझे यह बताएं आप।

श्री अध्यक्ष : स्वायत्त शासन मंत्रीजी जवाब दें।

श्रीमती कमला : जो होटल मध्यम हैं उनको भी देने का निर्धारण किया है क्या, माननीय सदस्य का यही पूछना है। अगर किया है तो उनको मिल क्यों नहीं रहा है ? (व्यवधान) नीति निर्धारण क्या है।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, देख लें प्रश्न पहले। आपने प्रश्न देखा ही नहीं है, इसलिये आप ऐसी बात कर रही हैं। क्या सरकार के पास होटल निर्माण हेतु भूमि आबंटन के मामले विचाराधीन हैं ? तो यह जो जमीन के मामले हैं ये निश्चित रूप से हमारे पास होते हैं। नगरपालिका में हो सकते हैं, निगम में हो सकते हैं, और हाउसिंग बोर्ड में भी हो सकते हैं। इसलिये... (व्यवधान) सुनिये आप। फिर है, सरकार ने आज तक कितने मामलों में जोधपुर में रिजर्व प्राइस पर या इससे भी कम कीमत पर किन-किन को भू-खण्ड उपलब्ध करवाये ?" यह हम करवाते हैं, यू. डी. एच. करता है।

श्री रामनारायण चौधरी : आप जवाब दे दो।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, देता हूं, ठहरिये। दो डिपार्टमेंट में कैसे हुआ, यह मैं बता रहा हूं। (व्यवधान) यह दो डिपार्टमेंट में कैसे हुआ, वह अर्ज कर रहा हूं। आपने बिलकुल ठीक कहा कि मैं जवाब दूं। मतलब, उनका तो सवाल नहीं रहा न ! (व्यवधान) अब उनका नहीं रहा, मेरे पास आ गया।

श्री रामनारायण चौधरी : अब आप दो।

श्री अध्यक्ष : अब आप इनकी बात सुनें।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, मैं दे दूंगा। "अगर है तो किन-किन शहरों में ऐसी योजना बनायी गयी है।" अब आप राजस्थान के शहरों का जवाब मांगेंगे तो मुझे चाहिये ही चाहिये थोड़ा-सा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : पूरी बात बता चुका हूं इनको, आज हम क्या बताएंगे ?

श्री अध्यक्ष : पूरी बात सुनें आप। (व्यवधान) अब इनको यह सवाल बता चुके हैं, आपका जवाब आ रहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : जैसा उत्तर मेरे पास उपलब्ध है वह मैं दे दूंगा, मुझे

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कोई आपत्ति नहीं है (व्यवधान) पूरा तो आएगा नहीं। यह देता हूं मैं फिर।

श्री रामनारायण चौधरी : जितना है वह तो दे दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : लेकिन वह पोस्टपोन हो गया।

श्री राजेन्द्र चौधरी : आप मेरी बात सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपकी सुन ली।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि आप पर्यटन मंत्रीजी को यह निर्देश दे दें कि जो मैंने पूछा है, कल वे मुझे इसके बारे में उत्तर दे दें।

श्री अध्यक्ष : आप मंत्रीजी के साथ में बैठकर बात कर लें, इसमें क्या है ? बिराजें आप।

श्री राजेन्द्र चौधरी : नहीं, नहीं, बैठकर बात कर लूंगा। कल इसका जवाब दे दें।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, अगला प्रश्न है, मेरा रह गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज चांस ही नहीं मिल रहा। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्यों के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पक्ष-विपक्ष दोनों सहयोग करें तब काम चले।

श्री महावीर भगोरा : उदयपुर जिले में इन रूटों पर बस सेवाएं नहीं होने से बहुत तकलीफ में हैं वे।

श्री अध्यक्ष : आप कल की बात कर लें उनसे। वे आपको जवाब दे देंगे। मैंने कह दिया आप को सारी बात बता देंगे। पर्यटन मंत्रीजी भी बता देंगी, वे भी बता देंगे। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट--5 देखें)

अतारांकित--प्रश्नोत्तर

उदयपुर में श्री खुशालीराम जी मन्दिर की सम्पदा

228. **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर स्थित मन्दिर श्री खुशालीरामजी की सम्पदा का विवरण मय राजस्व रेकार्ड की प्रति के सदन की मेज पर रखें।

(2) इस मन्दिर की सेवा पूजा के लिए प्रति माह कितने रुपये की सामग्री दी जाती थी। यह राशि कब तब, किस-किस पुजारी को दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मन्दिर की सम्पदा को कब-कब, किस-किस को विक्रय/रहन रखी गयी ?

(4) इस सम्पदा में कुल कितने किरायेदार हैं ? इनमें कौन-कौन किरायेदार विभाग में किराया जमा कराते थे और

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

कब तक जमा कराया ? विवरण सदन की मेज़ पर रखें ।

(5) इस सम्पदा को विक्रय करने, रहने, विभाग में किराया जमा कराना बन्द करने पर क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया गया है ? यदि हां, तो वाद की प्रति व वाद की वर्तमान स्थिति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(6) क्या यह सही है कि इस मन्दिर की मूर्तियां एवं अभिलेख गायब हो चुके है ? यदि हां, तो क्या गायब मूर्तियों अभिलेखों की विभागीय जांच की गई ? यदि हां, तो विभागीय जांच की प्रति व आयुक्त के पत्र क्रमांक 8773 दिनांक 17 जून 1991 व पत्र क्रमांक 15788 दिनांक 25 नवम्बर 1991 की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(7) क्या सरकार मूर्तियों व अभिलेख गायब करने में अधिकारी/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निश्चित कर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उदयपुर स्थित मन्दिर श्री खुशालीरामजी देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियन्त्रित राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी का मन्दिर है । इस मन्दिर की सम्पदा में एक रिहायसी मकान तथा चार दुकानें श्री जगदीश मन्दिर मार्ग उदयपुर में स्थित हैं मन्दिर के साथ कोई कृषि भूमि नहीं हैं । कृषि भूमि के अभाव में राजस्व अभिलेख सदन के पटल पर नहीं रखा गया हैं ।

(2) मन्दिर श्री खुशालीराम जी उदयपुर की सेवा पूजा हेतु महंत श्री गोकुलदास को 4/-रुपये प्रतिमाह की दर से 8/- द्विमासिक सहायता अनुदान की राशि का भुगतान किया गया हैं । यह भुगतान 21-3-72 तक हुआ है । महंत गोकुलदास की मृत्यु दिनांक 31-3-72 को हुई । महंत गोकुलदास ने श्री परसराम को चेला बना दिया था तथा महंत गोकुलदास ने आयुक्त देवस्थान से अनुरोध कर श्री परसराम को चेला रखने की स्वीकृति प्राप्त कर दी थी । देवस्थान आयुक्त द्वारा श्री परसराम के कार्य व आचरण के परीक्षण के तौर पर आदेश दिनांक 29-1-69 द्वारा 2 वर्ष के लिये स्वीकृति प्रदान की थी जो कि बाद में पत्र दिनांक 24-4-71 द्वारा 2 वर्ष के लिये और बढ़ा दी थी । लेकिन विभाग ने श्री परसराम को कोई भुगतान नहीं किया ।

(3) प्रश्न के बिन्दु संख्या 1 में वर्णित सम्पदा दिनांक 26-7-72 को श्री शान्ति देवी पत्नि श्री श्याम लाल सोनी को श्री परसराम दास जो कि महंत गोकुलदास का चेला था के द्वारा विक्रय कर दी गई ।

(4) मन्दिर श्री खुशालीराम जी की सम्पदा के कुल 7 किरायेदार थे, जिनमें से निम्न 4 किरायेदार द्वारा निम्न विवरण अनुसार विभाग में किराया जमा कराया गया ।

(देव स्थान मंत्री)

क्र.सं.	नाम किरायेदार	प्रति माह किराया	जमा होने की अन्तिम तिथि
1.	श्री घनश्याम लाल पिता मनोहर लाल	15/- माह	7/74 तक
2.	श्री पन्नालाल पिता मगन लाल सोनी	6.50 पैसे माह	8/74
3.	श्री ख्यालीलाल पिता हरलाल सोनी	6.50 पैसे	5/74
4.	श्री मोहन लाल पिता नृसिंहदास	25/-	6/78

उक्त अवधि के बाद किरायेदारों द्वारा किराया जमा नहीं कराया गया उपरोक्त के अलावा निम्न किरायेदारों द्वारा देवस्थान विभाग में किराया जमा नही कराया गया।

1. श्री भंवरलाल पुत्र श्री अम्बालाल सुनार
2. ,, किशन लाल पुत्र श्री ठाकरीलाल सुनार
3. ,, राधाकिशन पुत्र श्री खेमराज कसारा।

(5) किराया नहीं जमा कराने पर किरायेदारों को सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर द्वारा दि0 21-8-72 को नोटिस दिये गये। लेकिन उनके विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही नहीं हुई। वर्णित सम्पदा की क्रेता श्रीमति शान्ति देवी ने किरायेदार श्री ख्यालीलाल के विरुद्ध मुन्सिफ न्यायालय, उदयपुर में वर्ष 1975 में दावा दायर किया जिसका निर्णय दि0 7-3-79 को हो चुका हैं। निर्णय के विरुद्ध श्री ख्यालीलाल द्वारा अपील की गई जिसका निर्णय भी दिनांक 3-8-79 को हो चुका हैं। मन्दिर की उक्त सम्पदा के अवैध विक्रय को निरस्त कराने की कार्यवाही हेतु सहायक आयुक्त देवस्थान, उदयपुर को दिनांक 18-11-88 को निर्देश दिये गये। देवस्थान विभाग ने इन प्रकरणों में पक्षकार बनने हेतु प्रयत्न किया परन्तु न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया।

(देवस्थान मंत्री)

(6) जी हां । नागरिकगण मौहल्ला जगदीश चौक ने शिकायत की थी । आयुक्त देवस्थान ने दिनांक 18-11-88 को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु सहायक आयुक्त, देवस्थान, उदयपुर को निर्देश दिये थे । प्रश्न में चाहे गये पत्रों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई हैं । इस सम्बन्ध में सहायक आयुक्त, देवस्थान, उदयपुर द्वारा कोई जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई हैं । अतः जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर नहीं रखी जा रही हैं ।

(7) मूर्तियों व अभिलेख गायब करने के सम्बन्ध से जांच कराई जा रही हैं । अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दायित्व निश्चित कर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं । आयुक्त, देवस्थान को प्रकरण में एक माह में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये जा रहे हैं ।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

उदयपुर के ग्राम सविना में स्थित मन्दिर श्री श्याम सुन्दर जी की भूमि पर अतिक्रमण

229. **श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) :** क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर में सविना ग्राम में मन्दिर श्री श्याम सुन्दर जी की कितनी भूमि है ? राजस्व रेकार्ड की प्रति मय विवरण के सदन की मेज पर रखें ।

(2) इस मन्दिर की भूमि पर किन लोगों द्वारा कितनी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि श्री पन्नेसिह ने इस मन्दिर की भूमि पर अतिक्रमण किया है ? यदि हां, तो कितनी भूमि पर व कब से ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि श्री पन्नेसिह को उक्त भूमि से बेदखल करने के लिए सम्पदा अधिकारी न्यायालय में वाद दायर कर दिया गया है ? यदि हां, तो वाद की प्रति, मुकदमा नं. एवं आगामी पेशी दिनांक आदि का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राजकीय आत्म निर्भर मन्दिर श्री श्यामसुन्दर जी उदयपुर की ग्राम सविना में 901 हैक्टेयर 300 एयर्स भूमि हैं । राजस्व अभिलेख की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) मन्दिर की सविना स्थित भूमि पर 96 लोगों ने 334 बीघा भूमि पर अतिक्रमण किया । अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण क्षेत्र का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(3) जी हां । श्री पन्नेसिह ने मन्दिर की भूमि आराजी नं. 760 की 0.3241 हैक्टेयर भूमि पर लगभग 15 वर्ष पूर्व अतिक्रमण किया ।

(34)

(देवस्थान मंत्री)

(4) जी नहीं। श्री पन्नेसिंह को प्रश्न के भाग-3 में अंकित भूमि पर बेदखल करने हेतु सम्पदाधिकारी, देवस्थान, जयपुर के न्यायालय में वाद दायर करने हेतु सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर द्वारा निरीक्षक देवस्थान विभाग, उदयपुर को निर्देश दिये जा चुके है। निर्देशों की पालना में विलम्ब के लिये सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।

(प्रति व विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

उदयपुर स्थित नागानगरी मन्दिर श्री भीम मोहन जी की सम्पदा

230. **श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) :** क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर स्थित नागानगरी मन्दिर श्री भीम मोहन जी की सम्पदा का विवरण व राजस्व रेकार्ड की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) इस मन्दिर की सम्पदा को कब-कब, किस-किस को विक्रय की गई ? विक्रय विलेख की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) सम्पदा अधिकारी द्वारा न्यायालय में दायर वाद संख्या 4/83 के निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) श्याम लाल सुनार को सम्पदा से बेदखल करने के लिए सम्पदा न्यायालय में दायर वाद की प्रति, वाद की वर्तमान स्थिति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त सम्पदा से सम्बन्धित विचाराधीन वादों के प्रति विभागीय अधिकारियों की लापरवाही व बरती जा रही अनियमितताओं के लिए उत्तरदायित्व निश्चित कर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी मन्दिर श्री भीम मोहनलाल जी (पासवान जी का मन्दिर) रावजी का हाटा, उदयपुर की नागानगरी स्थित भूमि 10,700 वर्ग फुट हल्का आबादी में होने के कारण राजस्व अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

(2) मन्दिर की नागानगरी स्थित 10,700 वर्ग फीट भूमि श्री परसराम दास चेला श्री गोकुलदास द्वारा दि. 28-4-80 को श्री किशनलाल पुत्र बोतलाल सोनी को बेची। विक्रय पत्र की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है। श्री किशनलाल द्वारा उक्त सम्पदा श्री श्यामलाल सोनी को दिनांक 16-8-80 को विक्रय की गयी। विक्रय पत्र की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) सम्पदा अधिकारी (देवस्थान) जयपुर के वाद संख्या 4/83 में हुए निर्णय

(देवस्थान मंत्री)

दिनांक 28-2-84 की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(4) मन्दिर की सम्पदा से बेदखल करने हेतु वर्ष 1983 में सम्पदा अधिकारी के न्यायालय में वाद संख्या 4/83 श्री परसराम दास एवं श्री किशनलाल सोनी के विरुद्ध दायर किया गया था। वाद की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है। सम्पदा अधिकारी ने इस वाद में 28-2-84 को निर्णय पारित किया। उक्त निर्णय के विरुद्ध श्री श्यामलाल सोनी ने जिला एवं सत्र न्यायालय उदयपुर में अपील प्रस्तुत की जिसमें दिनांक 13-9-90 को प्रकरण सम्पदा अधिकारी न्यायालय जयपुर में रिमाण्ड कर दिया गया। इस प्रकरण में वाद संख्या 39/90 कायम होकर आगामी सुनवाई दिनांक 13-11-95 वास्ते जवाब अप्रार्थी नियत है।

(5) मन्दिर की भूमि के विक्रय के सम्बन्ध में अधिकारियों के द्वारा बरती गयी लापरवाही के सम्बन्ध में जांच की जा रही है। जिन अधिकारियों का उत्तरदायित्व निश्चित होगा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

जयपुर-दिल्ली बाई-पास पर करबला भूमि का निजी शिक्षण संस्था को आवंटन

231. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या वक्फ राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड द्वारा हाल ही में जयपुर-दिल्ली बाई-पास मार्ग पर स्थित करबला की भूमि को किसी निजी शिक्षण संस्थान को दिया गया है ? यदि हां, तो किन शर्तों एवं नियमों के अन्तर्गत ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा वक्फ बोर्ड को कोई पत्र लिखा गया है ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला कलक्टर के पत्र के पश्चात् बोर्ड द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान वक्फ बोर्ड द्वारा आदेश क्रमांक 5 व (235) 95 दिनांक 4-9-95 द्वारा जयपुर-दिल्ली बाई-पास मार्ग पर वक्फ करबला की भूमि में से 5666.66 वर्ग गज भूमि न्यू अहंगरान एजूकेशन कमेटी को शिक्षा के प्रसार के उपयोग हेतु दी गयी है। शर्तों एवं बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा आवंटन के सम्बन्ध में जारी हिदायतों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। जयपुर जिला कलक्टर ने उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में स्थगन आदेश पत्र संख्या 3392 दिनांक 6-10-95 वक्फ बोर्ड को जारी किया है जिसकी प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जिला कलक्टर के पत्र के पश्चात् बोर्ड द्वारा जिला कलक्टर के पत्र की प्रति

(राज्य मंत्री, वक्फ)

न्यू अहंगरान एजूकेशन कमेटी के सचिव को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई है तथा निर्माण कार्य बन्द करवा दिया गया है। सम्बन्धित पत्रों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई है। अध्यक्ष, राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फस को इस प्रकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए 6-11-95 को न्यायालय जिला कलक्टर के यहां उपस्थित होना है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।

अतारांकित प्रश्न संख्या 232

(स्थगित)

वन एवं खनिज विभाग द्वारा सर्वे

233. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) एवं श्री रामनारायण (नंनवां) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वन एवं खनिज विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 5 मार्च, 1987 से 8 मार्च, 1987 तक वनखण्ड अम्बारानी में आने वाले क्षेत्र का सर्वे किया गया था? यदि हां, तो किस उद्देश्य के लिए? सर्वे के आधार पर तैयार रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त क्षेत्र में वृक्षों की पिछले वर्षों की संघनता बाबत विभाग के पास जानकारी उपलब्ध है? यदि हां, तो कब से तथा वर्तमान में क्या स्थिति है?

(3) क्या वृक्षों की संघनता में हो रही कमी एवं खनन के कारण हुई कटाई एवं कमी की जानकारी विभाग को है? यदि हां, मो विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों तथा इसके लिए कौन दोषी है?

उत्तर

(1) जी हां। वन विभाग एवं खनिज विभाग द्वारा संयुक्त सर्वे पट्टाधारी के खड्डों के सीमांकन के उद्देश्य से किया गया था। सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" के अनुसार रख दी गई है।

(2) जी हां। वर्ष 1980 में उक्त वन क्षेत्र को संघनता कार्य आयोजना के आधार पर 0.5 थी। स्वीकृत शुदा खानों के क्षेत्र को छोड़कर वन क्षेत्र की संघनता वर्तमान में लगभग यथावत है।

(3) वन क्षेत्र को संघनता खण्ड (2) के अनुसार यथावत है, लेकिन फिर भी समय-समय पर होने वाले अवैध खनन एवं कटान करने वाले अपराधियों के विरुद्ध नियमानुसार एफ. आई. आर. दर्ज की जाकर कोर्ट में चालान किये गये हैं।

(सर्वे रिपोर्ट की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

उदयपुर सम्भाग में वनकर्मियों के सृजित पद

234. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री महावीर भगोरा)

(1) उदयपुर सम्भाग में वन क्षेत्र के मानदण्डानुसार, कितने वनपाल सहायक वनपाल एवं वनरक्षकों की आवश्यकता है ? विवरण वन मण्डल वार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मानदण्ड अनुसार पद स्वीकृत हैं ? यदि नहीं, तो विभाग इन पदों के सृजन की क्या कार्यवाही कर रहा है ?

(3) क्या विभाग मानदण्ड अनुसार पद सृजन को उपयुक्त मानता है ? यदि हां, तो यह पद कब तक सृजित कर भर दिये जायेंगे ?

(4) क्या यह सही है कि विभाग में उक्त पदों के सेवारत कर्मियों के पदोन्नति की कोई नीति बना रखी है ? यदि हां, तो इन पदों पर कार्यरत कर्मियों को कब-कब व कितने-कितने पदों पर पदोन्नति दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो इसके क्या कारण रहे ?

उत्तर

(1) उदयपुर संभाग में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत मानदण्डानुसार 575 वनपाल/सहायक वनपाल एवं 1508 वनरक्षकों की आवश्यकता है। वन मंडलवार विवरण सदन के पटल पर परिशिष्ट "क" के अनुसार रख दिया गया है।

(2) जी नहीं, राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पदों का सृजन अभी संभव नहीं हैं।

(3) जी हां। खण्ड-2 के अनुसार अभी यह निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है कि ये पद कब तक सृजित कर दिये जायेगे।

(4) जी हां। इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को गत तीन वर्षों में दी गई पदोन्नति का विवरण परिशिष्ट "ख" के अनुसार सदन के पटल पर रख दिया गया हैं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-7 देखें।)

बांसवाड़ा जिले में वनों हेतु आरक्षित भूमि पर कब्जे

235. श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले में वनों हेतु आरक्षित भूमि में से कितनी भूमि पर सन् 1980 के पहले से किसानों व आदिवासियों के कब्जे चल रहे हैं ? सरकार उनके खातेदारी हक के बारे में क्या कदम उठा रही है ?

(2) बांसवाड़ा जिले में वनों के लिए आरक्षित भूमि में से कितनी भूमि ऐसी है जिसको खनन कार्य में उपयोग लिया जा सकता है ? क्या सरकार ऐसी भूमि को भूमि विनिमय द्वारा मुक्त करने हेतु कोई योजना बना रही है ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में 1345.40 हैक्टेयर वन भूमि पर किसानों एवं आदिवासियों के कब्जे वर्ष 1980 से पूर्व चले आ रहे हैं। राज्य सरकार के निर्णयानुसार उक्त कब्जों के नियमन की कार्यवाही निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत विचाराधीन है।

(2) बांसवाड़ा जिले में वनों के लिए आरक्षित भूमि को खनन कार्य हेतु उपयुक्तता के बारे में वन विभाग द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया गया है। राज्य सरकार द्वारा रिक्त वन क्षेत्रों में खनन कार्य हेतु स्वीकृत लीज क्षेत्रों को निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत अनारक्षित करने का निर्णय लिया गया है।

निर्वाचन क्षेत्र बांदीकुई (बसवा) में वन विभाग के अन्तर्गत योजनाएं

236. **श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) :** क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निर्वाचन क्षेत्र बांदीकुई के तहसील बसवा में वन विभाग के अन्तर्गत कौन-कौनसी योजनाएं है ? योजनाओं की विवरण सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) तहसील बसवा में गत वर्ष किस-किस क्षेत्र में कितना-कितना वृक्षारोपण किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त क्षेत्र में सड़क के दोनों तरफ कितना वृक्षारोपण किया जा चुका है तथा इस पर कितनी राशि व्यय की जा रही है ?

उत्तर

(1) निर्वाचन क्षेत्र बांदीकुई के तहसील बसवा में वन विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का विवरण परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया हैं।

(2) तहसील बसवा में वर्ष 1994-95 में कराये गये वृक्षारोपण कार्य की सूची परिशिष्ट "ख" के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

(3) गत 5 वर्षों में इस क्षेत्र में कोई सड़क वृक्षारोपण नहीं किया गया हैं, जिससे राशि के व्यय का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-8 देखें।)

प्रदेश में डी. ए. पी. खाद की कीमतों में अन्तर

237. **श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :** क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि डी. ए. पी. नाम के खाद की उत्तर प्रदेश व राजस्थान में कीमतों में फर्क है ? यदि हां, तो क्या

(श्री हरिसिंह)

सरकार इस फर्क को मिटाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उत्तर

जी, हां। डी. ए. पी. के विक्रय मूल्य में उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में अन्तर है, डी. ए. पी. खाद को अनियंत्रित उर्वरकों की श्रेणी में दिनांक 25-8-92 से भारत सरकार द्वारा कर दिया गया है। अत: उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत मूल्यों पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता।

कृषि उपज मण्डी समिति सीकर में कृषक साथी योजना के तहत प्राप्त आवेदन

238. श्री अमराराम (धोद) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर कृषि उपज मण्डी समिति में वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में कृषक साथी योजना में कितने आवेदन प्राप्त हुए एवं उनको किस तारीख को भुगतान हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन आवेदकों को भुगतान नहीं हुआ उसके क्या कारण रहे तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) किन अधिकारियों की लापरवाही के कारण देरी हुई है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, सीकर में वर्ष 1994-95 एवं 95-96 में क्रमश: एवं 11 कुल 16 आवेदन पत्र प्रत्र प्राप्त हुए जिनको दिये गये भुगतान का विवरण तारीखों सहित निम्नानुसार है :—

नाम/पिता का नाम 2	तारीख (भुगतान) 3
श्री पेमाराम/श्री पिराग़ा राम भुवाला	8-8-94
श्रीमती नानची देवी पत्नी श्री केशाराम लामिया	3-1-95
श्री मांगीलाल/श्री बिड़दाराम माण्डोता	28-10-95

(राज्य मंत्री, कृषि)

1	2	3
4.	श्रीमती मनभरी देवी पत्नी श्री रणजीत सिंह भुवाला	28-10-95
5.	श्री सायर/श्री मुगताराम सांवलपुरा	28-10-95
6.	श्री राजू/श्री गणपत रामपुरा	28-10-95
7.	श्रीमती चुन्नी बाई पत्नी श्री भंवर लाल दुलापुरा	30-5-95 (अग्रिम) 17-7-95 (मूल)
8.	श्री उदयसिंह/श्री डालसिंह मिराना	17-7-95
9.	श्री ओमप्रकाश/श्री ईशाराम पलसाना	17-7-95
10.	श्री श्रवण कुमार/श्री किशनाराम नृसिंहपुरा	17-7-95
11.	श्रीमती बरकत/पत्नी श्री अमीश खां दूजोद	17-10-95
12.	श्री गोपाल लाल/श्री मुकनाराम खाचरियावास	2-8-95
13.	श्री नेमी चन्द/श्री मूल चन्द शिवसिंहपुरा	17-7-95
14.	श्री हीरा लाल/श्री दीपाराम पेवा	2-8-95
15.	श्री जीवणराम/श्री नानूराम रूलाणा	17-10-95
16.	श्री बेरीसाल/श्री नानूराम किरडोली	17-10-95

(2) भुगतान हेतु कोई आवेदन पत्र विचाराधीन नहीं है। शेष का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) उपरोक्तानुसार प्रश्न ही नहीं उठता।

गंगानगर व सपोटरा तहसीलों में मूंगफली के उत्पादन में कमी

239. श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

(1) क्या यह सही है कि गंगापुर व सपोटरा तहसील मूंगफली की फसल उत्पादन में राज्य में अपना विशिष्ट स्थान रखती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि गत कई वर्षों से मूंगफली का उत्पादन गिर रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या उत्पादन गिरने का मुख्य कारण सफेद लट व अन्य बीमारी है ? यदि हां, तो सरकार इस बीमारी की रोकथाम के क्या उपाय करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां। गंगापुर व सपोटरा तहसील मूंगफली के फसल उत्पादन में अपना विशिष्ठ स्थान रखती है, जिसके फलस्वरूप सवाई माधोपुर का राज्य में मूंगफली उत्पादन में चौथा स्थान है।

(2) यह सही नहीं है कि मूंगफली का उत्पादन गिर रहा है। गत 5 वर्षों के जिला सवाई माधोपुर. गंगापुर व सपोटरा तहसील के मूंगफली उत्पादन के आंकड़ों से स्पष्ट है कि इन वर्षों में उत्पादन स्थिर अथवा मामूली घटत/बढ़त हुई है जो कि मुख्यत: मौसम की प्रतिकूलता/अनुकूलता एवं सफेद लट के प्रकोप के कारण रही है।

(उत्पादन-टन)

वर्ष	सवाई माधोपुर	गंगापुर	सपोटरा
90-91	2,18,370	4,121	5,183
91-92	1,97,779	4,964	4,658
92-93	2,71,741	4,271	1,575
93-94	2,08,617	5,669	4,291
94-95	1,96,193	4,005	4,330

(3) यह सही है कि दोनों तहसीलों की बलुई और बलुई दोमट मिट्टी वाले क्षेत्रों में प्राय: सफेद लट के प्रकोप के कारण उत्पादन में गिरावट आती है। कृषि विभाग द्वारा इसके नियंत्रण के लिये निम्नालिखित उपाय गत वर्षों में किये गये है :—

(1) कृषकों को सफेद लट नियंत्रण हेतु पौध संरक्षण औषधि पर 500/—रु.

(राज्य मंत्री, कृषि)

प्रति हैक्टर अनुदान दिया जा रहा है।

(2) सफेद लट के भृंगों को नष्ट करने के लिये प्रसार माध्यम से नियमित रूप से कृषकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा इसके नियंत्रण हेतु अनुदान दिया जा रहा है।

(3) इसके नियंत्रण के प्रचार-प्रसार के लिये पम्पलेट कृषकों में वितरण किये जा रहे है इसके अलावा स्थानीय समाचार पत्रिकाओं से भी इसके नियंत्रण की जानकारी समय-समय पर दी जाती है।

(4) सफेद लट नियंत्रण के लिये गत वर्षों में सवाईमाधोपुर जिले में विभाग द्वारा निम्न प्रकार खर्चा किया गया है :—

वर्ष	भृंग नियंत्रण उपचारित क्षेत्र (हैक्टेयर)	राशि रु.	सफेद लट नियंत्रण उपचारित क्षेत्र (हैक्टेयर)	राशि रु.
92-93	750	17321.00	190.8	93430.00
93-94	1461	1896.52	908.6	454300.00
94-95	1237	20000.00	केन्द्र सरकार से स्वीकृति देर से प्राप्त होने के कारण नहीं दी गई।	
95-96	2748	90000.00	1229	368725.00

गंगानगर जिले की धान मंडियों में दुकानों का आवंटन

240. श्री हीरालाल इन्दोरा (केसरीसिंहपुर) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गंगानगर जिले की धान मण्डियों में वर्ष 1994 व 1995 में कितनी दुकानें आवंटित की गई ? श्रेणीवार व नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

गंगानगर जिले की धान मण्डियों में वर्ष 1994 एवं 1995 में सम्बन्धित मण्डी समितियों द्वारा आवंटित की गई दुकानों की सूची संलग्न परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' के अनुसार है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

राज्य में बाल श्रमिकों का सर्वे

241. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा): क्या श्रम राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विभाग ने बाल-श्रमिकों का कोई सर्वे कराया है ? यदि हां, तो किस वर्ष में ?

(2) सर्वे के अनुसार राज्य में कुल कितने बाल-श्रमिक विभिन्न उद्योगों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं में कार्यरत हैं ?

(3) क्या बाल-श्रमिकों को शोषण से मुक्ति का कोई कानून राज्य में प्रभावी है ? यदि हां, तो इस कानून के तहत पिछले 5 वर्षों में कितने मामले विभाग द्वारा बनाये गये एवं उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) सर्वे नहीं कराया गया है।

(3) जी, हां।

बाल श्रम (उन्मूलन एवं नियमन) अधिनियम, 1986, राज्य में प्रभावी है। इस अधिनियम में विगत 5 वर्षों में किये गये कार्य का विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	निरीक्षणों की संख्या
1990—91	66
1991—92	95
1992—93	167
1993—94	117
1994—95	194

उक्त अवधि में न्यायालय में एक प्रकरण प्रस्तुत किया गया।

राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल में पुस्तकों का मुद्रण

242. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा गत पांच वर्षों में किस-किस कक्षा की कितनी-कितनी पाठ्य पुस्तकें किस-किस प्रिंटर से किस-किस दर पर मुद्रित करवाई गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1994-95 में उच्च प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु मंडल

(श्री विष्णु मोदी)

को कोई राशि अग्रिम दी गई थी ? यदि हां, तो कितनी राशि अग्रिम स्वरूप दी गई तथा किस-किस कक्षा की कितनी-कितनी पाठ्य पुस्तकें मंडल को उपलब्ध कराने हेतु कहा गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि मंडल को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु दी गई राशि से वांछित संख्या से अधिक पाठ्य पुस्तकें मुद्रित करवाई गयी ? यदि हां, तो कौन-कौन सी कक्षा की कितनी-कितनी पाठय पुस्तकें अधिक संख्या में मुद्रित करवाई गयी ?

(4) मंडल द्वारा अधिक संख्या में पाठय पुस्तकें मुद्रित करवाने से राजकोष पर कितना भार पड़ा है ?

(5) क्या इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों का विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट--1 रख दिया गया है।

(2) राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 1994-95 में वितरण की जाने वाली पुस्तकों के मूल्य की 50 प्रतिशत राशि रुपये 478 लाख अग्रिम दी गई। कक्षाओं व पाठ्य पुस्तकों का विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट--2 पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं। अग्रिम राशि निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के मूल्य का 50 प्रतिशत पुस्तक मंडल द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के राजकीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को तथा कक्षा 1 से 8 तक के राजकीय विद्यालयों की छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती है तथा इन कक्षाओं के गैर-राजकीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। इनकी मांग के अनुसार ही पुस्तकों का मुद्रण कराया गया है। यदि छात्रों के अधिक प्रवेश के कारण मांग बढ़ती है तो उनकी पूर्ति मूल्य पर विक्रय हेतु मुद्रित पुस्तकों से करली जाती है जिनका मुद्रण गत वर्ष की मांग से 10 प्रतिशत अधिक किया जाता है।

(4) राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा आवश्यकता से अधिक पुस्तकें मुद्रित नहीं कराई गई है। पाठ्य पुस्तक मंडल एक स्वायत्तशाषी संस्था है जिसे राज्य सरकार से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता अथवा अनुदान नहीं दिया जाता अतः राजकोष पर किसी प्रकार का भार पड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

(5) राज. राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा पुस्तकें अधिक मुद्रित नहीं कराई गई है। अतः अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

ग्राम नूरपुरा ढाणी (गंगानगर) का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय

243. **श्री राधेश्याम (गंगानगर) :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील सादूलशहर, जिला श्री गंगानगर के ग्राम नूरपुरा ढाणी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कितने विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ? कक्षावार विद्यार्थियों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त स्कूल में कितना स्टाफ कार्यरत है और कितने पद रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) छात्रों की संख्या को देखते हुए सरकार इस स्कूल को कब तक क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नूरपुरा तहसील सादूलशहर जिला गंगानगर में 167 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे है । कक्षावार विद्यार्थियों की संख्या निम्न हैं :—

कक्षा	विद्यार्थियों की संख्या
कक्षा —1	30
कक्षा—2	26
कक्षा—3	16
कक्षा—4	11
कक्षा—5	27
कक्षा—6	19
कक्षा—7	20
कक्षा—8	18

(2) उक्त विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक (द्वितीय श्रेणी) तथा 5 पद तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद स्वीकृत है । इनमें से एक भी पद रिक्त नहीं है । केवल मात्र एक शारीरिक शिक्षक निलम्बित होने के कारण कार्यरत नहीं है ।

(3) कुल छात्र संख्या तथा कक्षा-8 की छात्र संख्या कम होने से मानदण्ड के अनुकूल नहीं होने के कारण क्रमोन्नति पर विचार नहीं किया जा सका । मानदण्डों की पूर्ति करने के उपरांत बजट उपलब्ध होने पर प्राप्त प्रस्तावों पर आगामी वर्षो में विचार किया जा सकेगा ।

अतारांकित प्रश्न संख्या 244

(स्थगित)

विधान सभा क्षेत्र दूदू के विभिन्न विद्यालयों में रिक्त पद

245. **श्री बाबूलाल (दूदू) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र दूदू के विभिन्न प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कब से एवं कहां-कहां ? विवरण मय विद्यालय के नाम

(46)

(श्री बाबूलाल)

एवं स्वीकृत पद, रिक्त पद की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। विधान सभा क्षेत्र दूदू के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। व्याख्याताओं के अधिकांश रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय चयन समिति से चयनित आशार्थियों द्वारा भरा जा चुका है तथा अन्य रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं। तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 9-देखें)

पंचायत समिति गढ़ी (बांसवाड़ा) में लोक जुम्बिश परिषद् द्वारा संचालित विद्यालय

246. श्री भवानी जोशी (बासवाड़ा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बांसवाड़ा जिले में गढ़ी पंचायत समिति में लोक जुम्बिश परिषद् द्वारा वर्तमान में कितने विद्यालय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के चल रहे हैं?

(2) वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में कितने प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया तथा कितने नए प्राथमिक विद्यालय खोले गये?

(3) क्या उक्त विद्यालय में पर्याप्त अध्यापक उपलब्ध करा दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों तथा इनमें अध्यापकों की नियुक्तियां किसके द्वारा एवं कब की जायेगी?

उत्तर

(1) लोक जुम्बिश परिषद् स्वयं के कोई भी विद्यालय नहीं चलाती है। राजकीय विद्यालयों में परियोजना के अन्तर्गत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। खण्ड स्तरीय शिक्षा प्रबन्धन समिति की अनुशंसा से परियोजना के अन्तर्गत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। खण्डस्तरीय शिक्षा प्रबन्धन समिति की अनुशंषा से परियोजना के अन्तर्गत पंचायत समिति गढ़ी में 19 प्राथमिक विद्यालय खोले हैं तथा 10 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया है।

(2) बांसवाड़ा जिले में वर्ष 1994-95 में 70 तथा 1995-96 में 16 प्राथमिक विद्यालयों को राज्य योजनान्तर्गत क्रमोन्नत किया गया है।

लोक जुम्बिश परियोजना अन्तर्गत खण्डस्तरीय शिक्षा प्रबन्धन समिति की अनुशंषा से वर्ष 1994-95 में 10 प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया। वर्ष 1995-96 में किसी भी विद्यालय को इस योजनान्तर्गत क्रमोन्नत नहीं किया गया।

(शिक्षा मंत्री)

(3) जी नहीं। अधिकांश नव क्रमोन्नत विद्यालय में स्वीकृत पदों पर अध्यापक उपलब्ध करवा दिये गये हैं। इसी सत्र में क्रमोन्नत विद्यालयों में पदों पर अध्यापक उपलब्ध करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नियुक्तियां विकास अधिकारी गढ़ी एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा. शि.) बांसवाड़ा द्वारा की जानी है।

कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय, ग्राम बुडसु (मकराना) का क्रमोन्नयन

247. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार निर्वाचन क्षेत्र मकराना के ग्राम बुडसु पंचायत मुख्यालय के कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय को सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को सीधे ही उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत भी किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

आगामी वर्षों में बजट उपलब्ध होने पर तथा मानदण्डों की पूर्ति करने पर राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय बुडसु को कन्या माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव पर भी अन्य प्रस्तावों के साथ गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

बांसवाड़ा में अध्यापकों तथा शारीरिक शिक्षकों की चयन प्रक्रिया

248. श्री दलीचन्द (दानपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा में सत्र 1992-93, 1993-94 व 1994-95 में सामान्य अध्यापक व शारीरिक शिक्षकों की नियुक्तियां की गई हैं? यदि हां, तो कितने व किस नियम व चयन प्रक्रिया के तहत नियुक्तियां की गयी?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान तथा संहिता के पृष्ठ 162 से 164 में प्राप्त नियम के अनुसार तीनों प्रवृत्तियों के अंकों का निर्धारण नियम के अनुरूप नहीं हुआ है? यदि हां, तो वर्ष 1992 से 1995-96 की नियुक्ति सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बांसवाड़ा क्षेत्र में सामान्य एवं शारीरिक शिक्षा के वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक निम्न प्रकार से नियुक्तियां की गई हैं:—

वर्ष	सामान्य अध्यापक	शारीरिक शिक्षक
1992-93	151	48

(शिक्षा मंत्री)

1993-94	101	31
1994-95	305	192

उक्त नियुक्तियां राजस्थान अधिनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के उप नियम 20 के तहत की गयी है।

(2) जी नहीं। राजस्थान शिक्षा संहिता के पृष्ठ 162 से 164 में उल्लेखित नियमों के अनुरूप ही अंकों का निर्धारण किया गया है।

पंचायती राज से शिक्षा विभाग में शिक्षकों के स्थानान्तरण सम्बन्धी नियम

249. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडा-भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग में कार्यरत तृतीय श्रेणी शिक्षकों को शिक्षा विभाग में स्थानान्तरित किए जाने के लिये क्या कोई नियम निर्धारित किये गये हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1995 में जयपुर जिले में कितने तृतीय श्रेणी अध्यापकों को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से शिक्षा विभाग में स्थानान्तरित किया गया है? क्या इसमें नियमों की पालना की गयी है? यदि नहीं, तो पालना न किये जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) जी, हां, राजस्थान अधिनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के परिशिष्ट-एफ के अनुसार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधीन संचालित विद्यालयों के अध्यापकों से रिक्त पदों का 75 प्रतिशत तक पद भरने का प्रावधान है। नियम की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) वर्ष 1995 में जयपुर जिले में ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के अधीन विद्यालयों से 219 तृतीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों का स्थानान्तरण शिक्षा विभाग में किया गया है। नियम की पालना की गयी है।

(नियम की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

व्याख्याता (चित्रकला) के पदों को भरे जाने के नियम

250. **श्री चुन्नीलाल गरासिया** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि व्याख्याता (चित्रकला) के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से तथा 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 में स्पष्ट प्रावधान है? यदि हां, तो क्या पदोन्नति कोटे के समस्त पद पदोन्नति द्वारा भरे जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

(2) व्याख्याता चित्रकला के पदोन्नति कोटे के विगत दस वर्षों में कितने पद रिक्त हुए और उन पर कितने वरिष्ठ चित्रकला अध्यापकों (द्वितीय श्रेणी) को पदोन्नति दी गई यदि नहीं, तो क्या अब तक पद रिक्त पड़े हैं ? यदि हां, तो उन्हें भरने का क्या प्रावधान है ? यदि नहीं, तो उन रिक्त पदों का क्या हुआ ?

(3) क्या यह सही है कि सैकण्डरी कक्षाओं में अब सभी विषय अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाये जाते हैं और सभी विषयों के विषयानुसार अध्यापक नियुक्त किये जाते हैं ? यदि हां, तो कला शिक्षा विषय के लिए कला अध्यापक नियुक्त क्यों नहीं किया जाता है ?

(4) क्या यह भी सही है कि माध्यमिक विद्यालयों में वरिष्ठ कला अध्यापक नियुक्त न होने के कारण कला शिक्षा नाम मात्र का विषय बन कर रह गया ? क्या सरकार इस पर कोई विचार कर रही है ?

(5) क्या यह सही है कि राज्य में शिक्षा विभाग में कार्यरत तृतीय श्रेणी चित्रकला अध्यापकों को वरिष्ठ चित्रकला अध्यापकों, वरिष्ठ चित्रकला अध्यापकों को व्याख्याता चित्रकला के पद पर समय-समय पर पदोन्नत किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों, यदि हां, तो क्या इसी तरह जयपुर जिले में कार्यरत चित्रकला अध्यापकों को पदोन्नत किया गया है ? यदि हां, तो कब-कब और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के तहत व्याख्याता के रिक्त पद 50 प्रतिशत सीधी भर्ती तथा 50 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है। पदोन्नति के कोटे में आने वाले सभी पद पदोन्नति से भरे जा रहे है। पात्रता सूची में चित्रकला विषय के आशार्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण 90-91 तक के पदोन्नति कोटे के पद भरे जा सके।

(2) व्याख्याता स्कूल (विभाग) चित्रकला के गत वर्ष में 24 पद रिक्त हुए, जिनके विरुद्ध 17 द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापन (चित्रकला) की पदोन्नति व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के पद पर की गई। शेष पदों पर पदोन्नति चित्रकला के पात्र आशार्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण भरे नहीं जा सकें।

(3) कला शिक्षा विषय का अध्यापन सामान्य विषय के अध्यापकों से करवाया जाता है। बी. एस. टी. सी. के प्रशिक्षण के समय कला शिक्षा विषय का भी सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

(4) कला शिक्षा विषय के अध्यापन हेतु सभी द्वितीय वेतन श्रृंखला और अध्यापक वेतन तृतीय श्रृंखला को कला शिक्षा विषय का 10 दिन का प्रशिक्षण दिया गया, अतः कला शिक्षा विषय का अध्यापन करवाने में सभी अध्यापक सक्षम है।

(5) जी, हां। जयपुर जिले में पात्रता सूची में आने वाले चित्रकला अध्यापकों को

(शिक्षा मंत्री)

रिक्त पद उपलब्ध होने की स्थिति में पदोन्नति दी जायेगी। गत वर्ष जयपुर शहर में चित्रकला विषय में एक भी पदोन्नति नहीं हुई है।

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

251. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में किन-किन विद्यालयों की क्रमोन्नति वित्तीय वर्ष 1995-96 में प्रस्तावित है ? क्रमोन्नत किये जाने वाले उच्च प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नति के मानदण्ड निर्धारित हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या राजकीय प्राथमिक मलपुरा एवं चतुर्भुज तहसील कोटपूतली (जिला जयपुर) निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करता है ? यदि हां, तो अब तक इन्हें क्रमोन्नत क्यों नहीं किया गया ? क्या सरकार इन्हें क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1995-96 में विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के निम्नलिखित विद्यालयों को क्रमोन्नत कर दिया गया है :—

(1) प्राथमिक से उच्च प्राथमिक

1. मनोहरपुरा
2. फतेहपुरा कलां
3. फतेहपुरा खुर्द
4. बसई
5. कुजोता

(2) उच्च प्राथमिक से माध्यमिक

1. शुक्लावास
2. देवता

(2) जी हां। प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के लिये विभाग द्वारा निम्नांकित मापदण्ड निर्धारित है :—

मापदण्ड	सामान्य क्षेत्र/	जनजाति रेगिस्तानी क्षेत्र
1. गांव की जनसंख्या	1000	500
2. कक्षा-5 की छात्र सं.	20	25
3. कक्षा 1 से 5 तक की कुल छात्रा संख्या	100	75
4. फीडर प्रा0 वि0 की सं.	2	2
5. समकक्ष विद्यालयों की न्यूनतम दूरी (कि. मी.)	2	2

उपरोक्त मानदण्ड के अतिरिक्त निम्नांकित अन्य बिन्दु भी ध्यान में रखे जाते हैं– 1. उपलब्ध वित्तीय प्रावधान 2. प्रशासनिक आधार। 3. क्षेत्र की शैक्षिक आव-

(शिक्षा मंत्री)

श्यकता । 4. भौगोलिक परिस्थिति 5. पर्याप्त भवन एवं मैदान ।

(3) जी नहीं । राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मालपुरा की जनसंख्या 1015 तथा कुल छात्र संख्या 85 तथा कक्षा-5 की छात्र संख्या 9 है । राजकीय प्राथमिक विद्यालय, चतुर्भुज की जनसंख्या 800 तथा कुल छात्र संख्या 200 तथा कक्षा-5 की छात्र संख्या-18 है । विद्यालय क्रमोन्नति के समय मानदण्डों की पूर्ति करने वाले विद्यालयों में से गुणावगुण के आधार पर उपलब्ध बजट को ध्यान में रखते हुए विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते है । आगामी वर्षों में बजट उपलब्ध होने पर तथा मानदण्डों की पूर्ति करने के उपरान्त प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जा सकेगा ।

जयपुर तथा कोटपूतली में बी. एस. टी. सी. प्रशिक्षण केन्द्रों का सृजन

252. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार बी. एस. टी. सी. ट्रेनिंग सेन्टर, जयपुर जिले में खोले जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इसके मानदण्ड क्या हैं ?

(2) क्या सरकार पावटा (कोटपूतली) कस्बे में बी. एस. टी. सी. केन्द्र दोबारा खोलने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं ;

(2) जी नहीं । भारत सरकार की केन्द्र प्रवृतित योजनान्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रावधान है । तदनुसार राज्य में वर्ष 1990-91 के समय के सभी 27 जिलों में जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जा चुके है । इसके अतिरिक्त राज्यों में 18 शिक्षा प्रशिक्षण/विद्यालय संचालित है जिनमें से 4 जयपुर जिले में है जो पर्याप्त है ।

कुशलगढ़ क्षेत्र के गांवों का विद्युतीकरण

253. श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कुशलगढ़ क्षेत्र के कितने गांव विद्युतीकृत किये गये हैं व कितने गांव विद्युतीकरण हेतु बाकी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त क्षेत्र के विद्युतीकरण हेतु शेष रहे गावों को अब कब तक विद्युतीकृत कर दिया जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि गांव, सातसेरा कलां, सातसेरा खुर्द व बोरकुन्डा, चोरा खुर्द, गांवों का विद्युतीकरण होना शेष है ? क्या सरकार इन गांवों का विद्युतीकरण करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कुशलगढ़ क्षेत्र में कुल 396 ग्राम

(ऊर्जा मंत्री)

हैं जिनमें से माह मार्च, 1995 के अन्त तक 319 ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है तथा 77 ग्राम विद्युतीकरण हेतु शेष है, सूची "अ" सलंग्न है ।

(2) विद्युतीकरण हेतु शेष बचे 77 ग्रामों को योजना मद ग्रामीण विद्युतिकरण हेतु आबंटित वित्त एवं घोषित वार्षिक लक्ष्यों के अनुसार स्वीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण आगामी वर्षों में वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार शनैः शनैः किया जा सकेगा । सभी ग्रामों का एक साथ विद्युतीकरण किया जाना सम्भव नहीं है । विस्तार से अधिक आवश्यकता सुदृढ़िकरण की है ताकि मौजूदा सेवाओं के स्तर में गिरावट नहीं आवें ।

(3) ग्राम सातसेरा कलां, सातसेरा खुर्द, बोरकुण्डा व चोरा खुर्द वर्तमान में किसी भी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में स्वीकृत नहीं है । क्षेत्र की वर्तमान में चल रही ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्यकाल समाप्त हो जाने के पश्चात् क्षेत्र के शेष रहे अविद्युतीकृत/अस्वीकृत ग्रामों को मिलाकर नई योजना बनाकर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से स्वीकृत होने पर ही उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण कर पाना सम्भव हो सकेगा ।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

ग्राम आसोतरा (बाड़मेर) में जी. एस. एस. का निर्माण

254. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर के ग्राम आसोतरा में 33 के. वी., जी. एस. एस. के निर्माण का विचार रखती है ? यदि हां, तो इसकी स्वीकृति कब तक हो जायेगी ?

उत्तर

तहसील पचपदरा/जिला बाड़मेर के ग्राम आसोतरा में 33 के. वी. सब-स्टेशन के निर्माण का वर्तमान में कोई प्रस्ताव स्वीकृत नहीं है । अधीक्षण अभियन्ता (एस0 एण्ड0 आई0) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जोधपुर द्वारा अभी हाल ही में एक प्रस्ताव मण्डल की प्लानिंग शाखा को भिजवाया गया है, जिसका तकनीकी दृष्टि से परीक्षण किया जा रहा है । तकनीकी जांच के बाद ही स्वीकृति के बारे में कुछ कहना सम्भव होगा ।

तहसील बसवा (बांदीकुई) के शेष गांवों का विद्युतीकरण

255. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील बसवा (बांदीकुई) के किन-किन ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया गया है व अब कौन-कौन से राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) बसवा तहसील के शेष ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

(3) उपरोक्त गांवों में कितने प्रार्थना-पत्र किस-किस श्रेणी के कनेक्शन लेने हेतु विचाराधीन हैं? इन्हें विद्युत् कनेक्शन कब तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे?

(4) क्या बांदीकुई विद्युत् विभाग के कार्यालय में ट्रांसफार्मर की खराबी होने पर वहीं पर रिपेयर का कार्य तुरन्त कराने का प्रावधान है? यदि नहीं, तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या है?

उत्तर

(1) तहसील बसवा (बांदीकुई) में वर्ष 1981 को जनगणना पुस्तिका अनुसार कुल 172 राजस्व ग्राम है तथा इन सभी ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है।

(2) बसवा तहसील के सभी ग्राम विद्युतिकृत घोषित हैं तथा 1981 की जनगणना पुस्तिका के अनुसार कोई ग्राम विद्युतिकृत घोषित किया जाना शेष नहीं हैं।

(3) उपरोक्त ग्रामों में विचाराधीन श्रेणीवार कनेक्शन निम्न प्रकार हैं :—

कृषि	2099
लघु उद्योग	38
घरेलू उद्योग	2291
अघरेलू उद्योग	67
रोड लाइट	9
जलदाय विभाग	3

इन विचाराधीन प्रार्थना-पत्रों को संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार कनेक्शन उपलब्ध कराये जायेंगे।

(4) विद्युत मण्डल के बांदीकुई कार्यालय के अधीन ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग की अभी कोई व्यवस्था नहीं है। विद्युत मण्डल द्वारा सभी वृत्तों के खराब हुये ट्रांसफार्मर ठीक करने हेतु सेन्ट्रल रेट कान्ट्रेक्ट कर विभिन्न फर्मों को आदेश दिये हुये हैं। उनके माध्यम से वृत्त स्तर पर आर्डर देकर ट्रांसफार्मर रिपेयर करवा कर उनके अधीन सम्बन्धित उपखण्डों को आवश्यकता के अनुसार शीघ्र उपलब्ध करवाया जाता है। अतः अलग से वैकल्पिक व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता वर्तमान में प्रतीत नहीं होती है।

सहकारी संस्थाओं में सदस्य बनाये जाने के दिशा-निर्देश

256. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सहकारी संस्थाओं में सदस्य बनाने की कोई समय अवधि होती है? यदि हां, तो वर्ष में कब तक सदस्य बनाये जाते हैं? यदि नहीं, तो क्या इन संस्थाओं में सदस्य बनाने के दिशा-निर्देश विभाग द्वारा जारी किये जाते हैं? आदेश या दिशा-निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सहकारी संस्थाओं में चुनाव की अवधि निर्धारित है? यदि हां, तो किन-किन संस्थाओं में कितनी-कितनी

(श्री महावीर भगोरा)

अवधि निर्धारित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के अनुसार सदस्य बनाने की कोई अवधि नहीं होती है। वर्ष में कभी भी सदस्य बनाये जा सकते हैं किन्तु वार्षिक सामान्य सभा की बैठक से 30 दिन पहले की अवधि में किसी सहकारी संस्था द्वारा नये सदस्य नहीं बनाये जा सकते हैं। विभाग द्वारा समय-समय पर सदस्यता के सम्बन्ध में निर्देश व मार्गदर्शन दिये जाते रहे हैं।

(2) राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत पंजीकृत सभी सहकारी संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया की अवधि राजस्थान सहकारी संस्था नियम, 1966 में निर्धारित है।

सहकारी विभाग में कार्यरत सजायाफ्ता अधिकारी

257. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़), डा. हरिसिंह (फुलेरा), एवं श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत सजायाफ्ता अधिकारी कार्यरत हैं ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी किन नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यरत हैं ?

(2) क्या यह सही है कि सहकारी विभाग में अनिलकुमार गग, संयुक्त रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत हैं ? जो कि एक सजायाफ्ता व्यक्ति हैं तथा इनके द्वारा वास्तविक तथ्यों को छुपाकर अपना राजकीय सेवा में चयन करवाया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान सहकारी सेवा नियम, 1954 के नियम-13 के प्रावधान के अनुसार इस प्रकार के व्यक्तियों को राज्य सेवा में रखा जा सकता है।

(2) जी हां। जी नहीं। नियुक्ति के सम्बन्ध में इनके द्वारा कोई तथ्य नहीं छुपाये गये हैं।

केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., अलवर द्वारा ऋण वितरण में लक्ष्यों की पूर्ति

258. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अलवर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., अलवर में संचालक मण्डल कार्यरत है ? यदि हां, तो क्या संचालक मण्डल की बैठकें नियमानुसार माह अप्रैल से आहूत की जा रही है ? यदि हां, तो किस-किस दिनांक को बैठकें आहूत की गयी एवं सम्पन्न हुयी ?

(2) क्या बैंक की साख सीमा वर्ष 1995-96 नाबार्ड द्वारा स्वीकृत कर दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि बैंक का वर्ष 1994-95 में ऋण वितरण कम रहा ?

(श्री जगदीप धनखड़)

क्या वर्ष में विभाग द्वारा दिये गये लक्ष्यों की पूर्ति नहीं की गई ? यदि, हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। संचालक मण्डल की बैठकें दिनांक 7-4-1995 एवं 19-8-95 को आहूत की गई थी, जो गणपूर्ति के अभाव में सम्पन्न नहीं हुई।

(2) जी नहीं। नाबार्ड की शर्तों के अनुसार अल्पकालीन ऋण साख सीमा स्वीकृत करने के लिए संचालक मण्डल के प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। चूंकि अब तक संचालक मण्डल द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित नहीं हो सका है। इसलिए साख सीमा अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है। यद्यपि विभाग की ओर से प्रस्ताव नाबार्ड को विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत करने हेतु उठाये गये हैं जो नाबार्ड के यहां विचाराधीन है।

(3) जी नहीं। जी हां। लक्ष्यों के अनुरूप साख सीमा शीर्ष बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किये जाने के कारण ऋण वितरण वर्ष 1994-95 के लक्ष्यों से कम रहे हैं।

राजस्थान राज्य सहकारी बैंक जयपुर द्वारा चालू खाते में ब्याज

259. श्री रमाकांत शर्मा (थानागाजी): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (शीर्ष सहकारी बैंक), जयपुर द्वारा करन्ट अकाउन्ट (चालू खाता) में ब्याज दिये जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो ब्याज दर क्या है ? यदि नहीं, तो क्या अलवर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. अलवर द्वारा दिनांक 31-3-1995 को शीर्ष सहकारी बैंक, जयपुर में जमा करायी गयी 75 लाख की राशि पर कोई ब्याज दिया गया ? यदि हां, तो ब्याज की राशि किस प्रावधान के तहत दी गयी ?

(2) राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि. जयपुर में संस्थाओं द्वारा चालू खाते खोले जाने की क्या प्रक्रिया है ? क्या खाता खोले जाने वाली संस्था का संचालक मण्डल/प्रशासक का प्रस्ताव खाता खोलने के लिए आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या अलवर केन्द्रीय सहकारी बैंक का दिनांक 31-3-1995 को 75 लाख रुपये जमा कराकर खाता खोला गया है ? उक्त खाता खोलते समय संचालक मण्डल द्वारा लिये गये प्रस्ताव की प्रति मय दिनांक सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। अलवर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, अलवर द्वारा दिनांक 31-3-95 को शीर्ष सहकारी बैंक, जयपुर में जमा कराई गई 75.00 लाख की राशि पर चालू खाते में कोई ब्याज नहीं दिया गया है। यद्यपि शीर्ष बैंक ने अलवर केन्द्रीय सहकारी बैंक, अलवर के आग्रह पर इस राशि को दिनांक 31-3-95 से ही ऋण खाते में जमा प्रभावी माना, जिसके कारण अलवर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. के ब्याज की देनदारियों में कमी हुई है।

(सहकारिता मंत्री)

(2) राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि. जयपुर में संस्थाओं द्वारा चालू खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होता है, जिसके साथ संस्था का प्रस्ताव संलग्न होता है। प्रस्ताव बाद में प्रस्तुत कर देने के अलवर केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबन्ध निदेशक के मौखिक आश्वासन पर दिनांक 31-3-95 को बैंक का चालू खाता खोलकर 75.00 लाख रुपये जमा कराये गये जो बाद में बैंक के आवेदन पर ऋण खाते में स्थानान्तरित कर दिये गये। अतः प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं रही।

केन्द्रीय सहकारी बैंक के वाहनों का उपयोग

260. श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितने केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा शीर्ष बैंक हैं ?

(2) उक्त बैंकों में कब से संचालन मण्डल कार्यरत है ?

(3) उक्त बैंकों में किस-किस के पास बैंक कुल कितने वाहन हैं ?

(4) उक्त बैंकों के अध्यक्षों/प्रशासक/मुख्य कार्यकारी द्वारा वर्ष 1994-95 में कुल कितने किलोमीटर वाहन का उपयोग किया गया ?

(5) उक्त बैंकों में अध्यक्ष/प्रशासक/मुख्यकार्यकारी द्वारा निवास एवं कार्यालय में कार्यरत टेलिफोन का वर्ष 1994-95 में कितनी राशि का भुगतान किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में 26 केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं एक शीर्ष बैंक कार्यरत है।

(2) जिन बैंकों में संचालक मण्डल कार्यरत हैं, उसकी प्रति परिशिष्ट-एक पर उपलब्ध है।

(3) वाहनों की सूचना एकत्रित की जा रही है।

(4) विस्तृत सूचना एकत्रित की जा रही है।

(5) टेलीफोन व्यय की सूचना एकत्रित की जा रही है।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-11 देखें।)

जिला भरतपुर के विकास कार्यों का लेखा-जोखा

261. श्री गोपीचन्द (नगर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लूपिन लेबोरेटरीज लिमिटेड बम्बई से सम्बद्ध संस्था भरतपुर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों में कार्यरत है ? यदि हां, तो संस्था का नाम, पता,

(श्री गोपीचन्द)

मय पदाधिकारियों के सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार को इसके वार्षिक लेखा–जोखा का विवरण सरकारी मानदण्ड के अनुसार मिलते रहे है ? यदि हां, तो वर्ष 1990 से अब तक प्राप्त आय-व्यय विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता है।

सरपंच शक्करगढ़ (भीलवाड़ा) द्वारा निविदाओं में अनियमितताएं

262. श्री मोहन लाल बारूपाल (जायल) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत शक्करगढ़, जिला भीलवाड़ा के सरपंच द्वारा आमंत्रित निविदाओं में अनियमितताएं की गयी हैं एवं क्या इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर को भी शिकायतें की गयी हैं ? यदि हां, तो अब तक सरकार द्वारा उक्त सरपंच के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार उक्त सरपंच के विरुद्ध पंचायत अधिनियम की धारा 37 एवं 38 के तहत कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि शक्करगढ़ ग्राम पंचायत की निविदायें उप सरपंच द्वारा आमंत्रित की गई हैं ? यदि हां, तो क्या उप सरपंच, सरपंच के रहते हुए राजस्थान पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत यह कार्य करने हेतु अधिकृत है ? यदि नहीं, तो सरकार उप सरपंच के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सरपंच लुहारी कलां जिला भीलवाड़ा द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितताओं एवं निर्माण कार्य में किये गये भ्रष्टाचार की शिकायतें जिला कलक्टर को की गई हैं यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त के विरुद्ध जांच कर अब तक क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर एवं जांच में दोषी पाये जाने पर सरपंच के विरुद्ध नियमानुसार पंचायत अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावेगी।

(2) जी नहीं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में उप सरपंच इस कार्य के लिये अधिकृत नहीं है। निविदायें सरपंच, उप सरपंच एवं ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के हस्ताक्षर से जारी की गयी है।

(3) जी हां। जांच कार्यवाही जारी है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर एवं उक्त जांच रिपोर्ट में सरपंच दोषी पाये जाने पर सरपंच के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

ग्राम पंचायत खोरा बीसल (आमेर) में नि: शुल्क भू-खण्डों का आबंटन

263. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम पंचायत खोरा बीसल पंचायत समिति आमेर में वर्ष 1993-94 व 94-95 में निःशुल्क आवासीय भू-खण्ड के पट्टे किस-किसको कितने वर्ग गज के दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्राम पंचायत खोरा बीसल के ग्राम बैनाड़ मय दौलतपुरा में जो अब ग्राम पंचायत नांगल में है, किस-किस को कितने पट्टे दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि एक ही परिवार के सदस्यों जैसे पिता, पुत्र, माता, पत्नी के नाम पट्टे दिये गये हैं ? यदि हां, तो ऐसे कितने परिवार हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या एक ही परिवार के सदस्यों को निःशुल्क आवासीय भू-खण्ड के पट्टे दिये जा सकते हैं ? यदि नहीं, तो अब इसमें सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1993-94 में 10 एवं वर्ष 1994-95 में 8 नि: शुल्क भू-खण्ड के पट्टे दिये गये सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) ग्राम बैनाड़ मय दौलतपुरा अब ग्राम पंचायत नांगल सिरस में है, 1993-94 में 3 तथा 1994-95 में 8 पट्टे दिये गये। सूची सदन की मेज रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। ऐसा कोई मामला राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

जिला बून्दी में प्राथमिक विद्यालयों को खेल मैदान हेतु भू-आबंटन

264. **श्री रामनारायण मीणा** (टोडा-भीम) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 1995 को विकास अधिकारी, पंचायत समिति तालेड़ा व नैनवा को प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुरा (रायथल), पीपल्या (रायथल), बन्सोली (मोड़सां), खड़ीबारां, खुरी, बीजलवा, छावनी, गुलखेड़ी, केशोपुरा (माणी), मोतीपुरा (माटून्दा) को खेल मैदान हेतु भूमि-आबटन करने की कार्यवाही एक माह में करने के निर्देश दिए थे ? यदि हां, तो निर्देश पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालय में से किस-किस विद्यालय को कितनी तथा किस खसरा

(राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचा. राज)

नम्बर की भूमि आबंटित की जा चुकी है तथा शेष को कब तक आबंटित करा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। पत्र का प्रति सदन की मेज रख दी गई है।

(2) विद्यालय में खेल के मैदान आबंटन करने के लिए भूमि आबंटित करने बाबत सम्बन्धित विभागों को लिखा गया है। भूमि आबंटित की कार्यवाही के पश्चात् खेल मैदान हेतु भूमि सम्बन्धित विद्यालयों को आबंटित कर दी जावेगी।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

ग्राम तेजपुर (बांसवाड़ा) का उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन

265. श्री दलीचन्द (डोनपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत तेजपुर, पंचायत समिति बांसवाड़ा के उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन का एक कक्ष व बरामदा ध्वस्त हो गया है ? यदि हां, तो इस शाला भवन के निर्माण को सत्यापित/प्रमाणित करने वाले विकास अधिकारी व कनिष्ठ अभियन्ता कौन थे ? इस शाला निर्माण पर कितनी राशि व्यय हुई ?

(2) क्या सरकार इस शाला भवन की मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त शाला भवन के सम्बन्ध में ग्रामीणों द्वारा जिला कलक्टर, को शिकायत की गयी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। शाला भवन का निर्माण को सत्यापित/प्रमाणित, तत्कालीन, विकास अधिकारी श्री प्रकाश पण्ड्या एवं कनिष्ठ अभियन्ता श्री उमेश के द्वारा किया गया था। भवन के निर्माण पर 96,128/- रुपये की लागत आयी।

(2) ध्वस्त भवन का हिस्सा मरम्मत योग्य नहीं है। भवन का पुनः निर्माण कराया जाना होगा। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि पर निर्माण के कार्य पर विचार किया जायेगा।

(3) जी हां। जिला कलक्टर, बांसवाड़ा द्वारा की गई जांच एवं कार्यवाही का विवरण प्राप्त किया जा रहा है।

पंचायत समिति सांगानेर के अध्यापकों के स्थानान्तरण

266. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सांगानेर, जिला जयपुर में कार्यरत अध्यापकों में से कुछ अध्यापकों का स्थानान्तरण माह सितम्बर, 1995 में अन्य पंचायत समितियों में किया गया है ? यदि हां; तो इनका शिक्षा सत्र के मध्य में स्थानान्तरण

(श्री रामस्वरूप मीणा)

किये जाने का क्या कारण है ? जिन अध्यापकों के स्थानान्तरण किये गये उनकी सूची निम्न विवरण सहित सदन की मेज पर रखें। अध्यापक का नाम, स्थानान्तरण किये गये स्थान का नाम, सांगानेर पंचायत समिति में पदस्थापन का दिनांक।

(2) जिन अध्यापकों का स्थानान्तरण किया गया है उसके लिये क्या कोई नीति निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो क्या ? क्या उसकी पूर्णतया पालना की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्राथमिक विद्यालय ग्राम माटावाला एवं वाटिका पंचायत समिति सांगानेर में कितने अध्यापक कार्यरत हैं ? अध्यापक का नाम, पंचायत समिति सांगानेर में पदस्थापन के दिनांक सहित सूची की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति क्षेत्र के 46 विद्यालय नगर निगम सीमा क्षेत्र में आने के कारण पं.स. में कार्यरत अध्यापकों की संख्या स्वीकृत संख्या से अधिक हो गई जिसके कारण इन अधिशेष अध्यापकों का समायोजन अन्य पंचायत समितियों के रिक्त पदों पर किया गया। सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। पंचायत समिति में कनिष्ठ अध्यापकों के स्थानान्तरण पंचायत समिति से प्राप्त वरिष्ठता सूची के आधार पर किये गये हैं। पंचायत समिति द्वारा यह सूची पंचायत समिति में पदस्थापन की तिथि के अनुसार बनाई गई है। विकास अधिकारी से प्राप्त सूची के आधार पर ही स्थानान्तरण किये गये हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) प्राथमिक विद्यालय वाटिका में 5 अध्यापक एवं रा. उच्च प्राथमिक विद्यालय रामसिंहपुरा में 2 अध्यापक कार्यरत है सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की वरिष्ठता का निर्धारण

267. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज में कार्यरत तृतीय श्रेणी शिक्षकों की एक जिले से दूसरे जिले में एवं उसी जिले की एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में स्थानान्तरित होकर आने पर वरिष्ठता नियुक्ति तिथि से निर्धारित की जाती है या पदस्थापन की तिथि से ? पंचायत समिति सांगानेर, जिला जयपुर में वरिष्ठता सूची किस प्रकार निर्धारित की गयी है ? अध्यापकों की वरिष्ठता सूची की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

तृतीय श्रेणी अध्यापकों के एक जिले

(राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पं. राज)

से दूसरी जिले एवं एक ही जिले में एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में स्थानान्तरित होकर आने वाले अध्यापकों की वरिष्ठता का निर्धारण पदस्थापन तिथि से किया जाता है।

पंचायत समिति सांगानेर की वरिष्ठता सूची का निर्धारण विकास अधिकारी सांगानेर द्वारा अध्यापकों के पद स्थापन तिथि से किया गया है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

अलवर में नयी पंचायत समिति के प्रस्ताव

268. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कुछ वर्ष पूर्व जब पंचायतों का पुनर्गठन किया गया था तब कुछ नई पंचायत समितियों के प्रस्ताव भी सरकार को प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(2) क्या जिला अलवर के गोविन्दगढ़ को भी नई पंचायत समिति बनाने का प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो गोविन्दगढ़ (अलवर) को पंचायत समिति कब तक बना दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में नई पंचायत समितियों के गठन का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) जी हां। राज्य में नई पंचायत समितियों के गठन का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

ग्राम दौलतपुरा-बैनाड़ (आमेर) के आवासीय निःशुल्क पट्टे

269. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम दौलतपुरा मय बैनाड़, तहसील आमेर (जयपुर) के खसरा नं. 458, की आबादी भूमि में निःशुल्क आवासीय भू-खण्डों के पट्टे जारी हुए हैं ? यदि हां, तो किस-किस को कब-कब ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) खसरा नं. 458 में कितने पट्टे सरकार ने निःशुल्क जारी किये ? क्या उसका नक्शा बनाया था ? यदि हां, तो नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि खसरा नं. 458 में जो निःशुल्क पट्टे जारी किये हैं उनमें सीमा ज्ञान नहीं है ? यदि हां, तो ऐसे पट्टे किस भूमि के लिए माने जायेंगे ? सरकार ऐसे प्रकरणों में क्या निर्णय लेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जिन निःशुल्क पट्टेधारियों ने 2 साल में कब्जे नहीं किये क्या उन्हें अब

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

भी काबिज माना जावेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या जो व्यक्ति आबादी भूमि में बसे हुए थे और 150 वर्ग गज से अधिक भूमि पर आबाद थे, क्या उनको भी निःशुल्क आवासीय भू-खण्ड के पट्टे जारी हो सकते हैं ? यदि नहीं, तो सरकार ऐसे पट्टों के बारे में क्या निर्णय लेने जा रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ग्राम बैनाड़ मय दौलतपुरा तहसील आमेर में खसरा नं. 458 गै. मु. आबादी (मुख्य ग्राम दौलतपुरा) में सन् 1975 में इन्दिरा विकास योजना के अन्तर्गत गिरदावर तहसील आमेर द्वारा विशेष अभियान के तहत निःशुल्क जारी किये गए थे। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) तहसील आमेर द्वारा खसरा नं. 458 में 17 पट्टे जारी किए गये हैं। खसरे की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। सभी पट्टों के पीछे सीमा ज्ञात है।

(4) सभी निःशुल्क पट्टेधारियों के कब्जे हैं।

(5) जो व्यक्ति पूर्व में आबादी भूमि पर काबिज थे उनको इसके अलावा उक्त भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा कोई पट्टे नहीं दिए गये हैं। 150 वर्गगज से अधिक भूमि के पट्टे निःशुल्क नहीं दे सकते हैं।

(प्रति व सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

पंचायत समिति कोटपूतली के विद्यालयों में रिक्त पद

270. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति कोटपूतली में प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो इन रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) अब तक पदों की पूर्ति नहीं करने के लिये कौन दोषी हैं ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) पंचायत समिति कोतपूतली में "सिंगल टीचर स्कूल" कितने हैं ? और यहां दूसरा अध्यापक कब उपलब्ध कराया जायेगा ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, पंचायत समिति कोटपूतली में अध्यापकों के 24 पद रिक्त हैं। जिला परिषद जयपुर द्वारा चयन की प्रक्रिया जारी हैं शीघ्र ही नियमानुसार नियुक्ति कर रिक्त पद भर दिये जावेंगे।

(2) जी नहीं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्ति पर रोक लगाये जाने के कारण अध्यापकों की नियुक्ति नहीं

(राज्य मंत्री, पंचायती राज)

की जा सकी थी। अब न्यायालय के निर्णयानुसार नियुक्ति शीघ्र कर रिक्त पदों को भर दिया जावेगा।

(3) नियमानुसार प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में दो-दो अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं जिन विद्यालयों में 49 से छात्र/छात्रायें अध्ययनरत होते हैं उन विद्यालयों से विकास अधिकारी द्वारा एक अध्यापक का समायोजन अधिक संख्या वाले विद्यालयों में कर दिया जाता है। पंचायत कोटपूतली में सिंगल टीचर विद्यालयों की सूची निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	नाम विद्यालय
1.	हरदेव गुर्जर की ढाणी
2.	ग्रामीण बाछड़ी
3.	जाहिदपुरा
4.	ढाणी दतारिया
5.	चिमनपुरा
6.	पुरुषोत्तमपुरा
7.	चेहरवाल
8.	मैसलाना
9.	ढाणी ओहदा आबादी
10.	चाटक्या
11.	धोलावा ढाणी
12.	ढाणी पोषवाल

होटल उद्योग के लिए बिजली-पानी की दरें

271. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) होटल उद्योग को मिलने वाली बिजली एवं पानी पर सरकार क्या शुल्क लगा रही है ? क्या यह शुल्क राशि दूसरे उद्योगों से प्राप्त हो रही राशि से भिन्न है? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार होटल उद्योग के बढ़ावे के लिए अन्य उद्योगों को बिजली एवं पानी की राशि में समानता रखने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या प्रयास कर रही है ?

उत्तर

(1) होटल उद्योग से ली जा रही बिजली एवं पानी की दरें परिशिष्ट "क" में संलग्न है। जी हां, ये दरें अन्य उद्योगों से विभिन्न हैं, क्योंकि होटल उद्योग को बिजली व पानी आपूर्ति की वाणिज्यिक दरों पर की जाती है।

(2) होटलों से वसूली जाने वाली जल शुल्क की दरें उद्योगों से प्राप्त की जा रही दरों से कम है, जबकि बिजली की दरें तुलनात्मक रूप से अधिक है। दरों में संशोधन अभी राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

पर्यटन स्थल आभानेरी के विकास की योजनाएं

272. **श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : क्या पर्यटन एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि तहसील बसवा के ग्राम आभानेरी (दौसा) का पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की कोई योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या इसका सर्वे कराया जा चुका है ?

उत्तर

जी हां। वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

तहसील बसवा के आंगनबाड़ी केन्द्र

273. **श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के क्या मानदण्ड हैं ?

(2) तहसील बसवा (बांदीकुई) में विभिन्न स्थानों पर कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र हैं ? इन केन्द्रों पर बच्चों की संख्या का केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त तहसील में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सेविकाओं के कुल कितने पद रिक्त हैं तथा कितनी सेविकाओं की नियुक्ति दी जा चुकी है ?

उत्तर

(1) बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का मुख्य आधार ग्राम की जनसंख्या है। शहरी/ग्रामीण क्षेत्र की परियोजना में औसतन 1,000 की आबादी पर एक केन्द्र स्वीकृत किया जाता है। गांव की शत प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति/जनजाति की होने पर 700 की जनसंख्या पर भी केन्द्र खोला जा सकता है। इसके अलावा क्षेत्र आर्थिक, भौगोलिक एवं सामाजिक परिवेश का ध्यान भी केन्द्र खोलने के समय रखा जाता है।

(2) बाल विकास परियोजना, बांदीकुई के अन्तर्गत बसवा तहसील के ग्रामों के लिए 190 केन्द्र स्वीकृत हैं। 71 केन्द्रों के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जा चुकी है। शेष के लिए कार्यवाही जारी है। वर्तमान में गांवों में सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। फलस्वरूप केन्द्रों पर अभी बच्चे नहीं आ रहे हैं।

(3) आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मानदेय पर लगाया जाता है। इन केन्द्रों पर सेविकाओं के नाम से कोई पद नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 190 व सहायिकाओं के 190 पद तहसील में स्वीकृत है, जिनमें से कार्यकर्ताओं के 119 व सहायिकाओं के 129 पद रिक्त है।

(65)

परिवहन निगम में परिचालकों के रिक्त पद

274. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) एवं श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में परिचालकों के कितने पद सृजित हैं तथा उनमें से इस समय कितने पद रिक्त हैं ?

(2) क्या सेवा से बरखास्त परिचालकों ने सेवा बहाली के लिए अधिकारियों को तथा न्यायालय में अपीलें प्रस्तुत कर रखी हैं ? यदि हां, तो कितने परिचालकों द्वारा उनको कब तक निर्णित करवा लिया जावेगा ?

(3) क्या राज्य परिवहन निगम में परिचालकों के रिक्त पद भरने के लिए कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो पद कब तक भर दिये जावेंगे और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या परिचालकों की सेवा शर्तों में सुधार किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) परिवहन निगम में वर्तमान में परिचालकों के 8081 पद सृजित हैं तथा उनमें से इस समय 380 पद रिक्त हैं।

(2) जी हां । वर्तमान में 143 अपीलें अधिकारियों के समक्ष तथा 2655 वाद/अपीलें न्यायालय में विचाराधीन है। विभागीय अपीलों का निस्तारण अधिकारियों द्वारा अपील प्रक्रिया के अनुसार एवं न्यायालय में चल रहे वादों का निर्णय न्यायालय प्रक्रिया के अनुसार होता है। समयावधि सुनिश्चित किया जाना सम्भव नहीं है।

(3) जी नहीं। उपरोक्त वाद एवं अपीलें देखते हुए, कुछ रिक्तियां रखना उचित समझा गया है।

(4) वर्तमान सेवा शर्तों की उपयुक्तता को देखते हुए किसी संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

तिपहिये (टैम्पो) वाहनों से प्रदूषण

275. श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में चलाये जाने वाले तिपहिये वाहन कितने हैं तथा उनको कौन-कौनसी सड़कों पर चलने की अनुमति दी हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि इन तिपहिये (विशेषत: टेम्पो) वाहनों से जयपुर शहर की मुख्य सड़कें प्रदूषित हो रही हैं ? यदि हां, तो इस प्रदूषण को दूर करने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

(3) इन वाहनों को प्रदूषण प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य क्यों नहीं किया गया ?

उत्तर

(1) दिनांक 15-10-95 को जयपुर शहर में तिपहिया वाहनों को जारी किए गए अनुज्ञा-पत्रों की संख्या निम्नलिखित है :—

आटोरिक्शा	4316
टैम्पो	442
विक्रम आॅटोरिक्शा	266

तिपहिया वाहनों को संविदा वाहन एवं स्टेज कैरेज अनुज्ञापत्र दिये हुए हैं। संविदा वाहन अनुज्ञापत्रों के तहत जयपुर शहर की नगर निगम सीमा के अन्दर वाहन संचालन की अनुमति दी हुई है। स्टेज कैरेज अनुज्ञापत्रों के तहत जयपुर शहर की चार दिवारी के बाहर जिन मार्गों पर वाहन चलाने की अनुमति प्रदान की गई है, उसकी सूचना संलग्न परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। सम्भावित उपायों पर सरकार वर्तमान में विचार कर रही है।

(3) इन वाहनों को प्रदूषण प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट-16 देखें।)

आदिवासी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था

276. श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1994-95 के दौरान आदिवासी क्षेत्र में यातायात हेतु कितने मार्ग खोले गये ?

(2) इस अवधि में कितनी बसें खरीदने के लिये किस-किस को अनुदान व ऋण दिया गया ? क्या बसें खरीदी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उनमें से कितनी बसें आदिवासी क्षेत्रों में चालू की गयी ?

उत्तर

(1) वर्ष 1994-95 के दौरान राज्य आदिवासी क्षेत्र में कुल 20 मार्ग खोले गये।

(2) जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के प्रस्तावित नये औषधालय

277. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में कितने आयुर्वेदिक औषधालय हैं ?

(2) क्या सरकार कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र के गांव पूर्णनगर, सुन्दरपुरा, कल्याणपुरा कलां, बाला का नांगल, मलपुरा आदि गांवों में नये आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

वर्तमान 28 आयुर्वेदिक औषधालय स्वीकृत व संचालित हैं।

(2) जी नहीं।

भवन व्यवस्था एवं बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर विचार किया जा सकता है।

विकास अधिकारी पंचायत समिति निवाई (टौंक) द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्रियों की जांच

278. **श्री चुन्नीलाल गरासिया** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि माह फरवरी, 1994 में पंचायत समिति निवाई, जिला टौंक में विकास अधिकारी द्वारा स्वयं लखनऊ जाकर लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्रियों के आधार पर कार्यरत अध्यापकों की डिग्रियों की जांच की गयी ? यदि हां, तो प्राप्त रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि माह मई, 1995 में अन्य विकास अधिकारी द्वारा उक्त डिग्रियों की पुन: जांच करवायी गयी ? यदि हां, तो प्राप्त रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि दुबारा जांच रिपोर्ट में लखनऊ विश्वविद्यालय के उपकुल सचिव ने उक्त अध्यापकों की डिग्रियों को असत्य एवं अप्रमाणित होना बताया है ? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त प्रकरण में सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध किस-किस स्तर पर क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिए कौन अधिकारी उत्तर-दायी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्राप्त रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी हैं।

(2) जी हां। प्राप्त रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी हैं।

(3) जी हां। जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

(4) इस मामले की जांच के लिये मुख्यालय से जांच अधिकारी नियुक्त किया गया हैं, उनकी जांच रिपोर्ट आना अपेक्षित है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि कोई दोषी पाया गया तो दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-17 देखें।)

स्थगित-प्रश्न

(बुधवार, दिनांक 26 अक्टूबर, 1995)

विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर की उच्च प्राथमिक शालाओं में अध्यापकोंके रिक्त पद

4. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि लूणकरणसर की उच्च प्राथमिक शालाओं में छात्रों की संख्या के अनुपात में अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गयी है ? यदि हां, तो इस क्षेत्र की कौन-कौन सी उच्च प्राथमिक शाला में कितने-कितने अध्यापकों की कमी है ? इस कमी की पूर्ति के लिये कब तक कदम उठाये जायेंगे ।

(2) सरकार ग्राम लखावर, कुजटी रामबाग, शेरपुरा, तख्तपुरा, सहजरासर, तहसील लूणकरणसर एवं चक दो के. डब्ल्यू. एम. मालासर राजेरा कतरियासर उच्च प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों की कमी पूर्ति हेतु क्या कदम उठा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि शिक्षा मंत्री जी ने चूरू में हुई संभागीय बैठक में पिछले वर्ष क्रमोन्नत की गयी उच्च प्राथमिक शालाओं में दो-दो अतिरिक्त कमरों के निर्माण का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र की कौन-कौनसी स्कूल के लिए अतिरिक्त कमरों की स्वीकृत दी गयी ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुपात में अध्यापकों के पद स्वीकृत है। स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है । रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही किया जाना संभव हो सकेगा ।

(2) लखावर, शेरपुरा, तख्तपुरा, चक 2 के. डब्ल्यू. एम. उच्च प्राथमिक विद्यालयों में केवल प्रधानाध्यापकों (द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक) के पद रिक्त है । शेष कुजरीरामबाग, सहजरासर, मालासर, राजेरा, कतरियासर में सभी पद भरे हुए है । रिक्त पदों की पूर्ति करने हेतु नव-नियुक्तियां/पदोन्नतियों के द्वारा समय-समय पर आदेश प्रसारित किये जा रहे है ।

(3) शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा चूरू मण्डल के लूणकरणसर क्षेत्र के नव-क्रमोन्नत विद्यालय में दो कमरे बनवाने सम्बन्धि घोषणा नहीं की गयी थी । परन्तु लगभग 902 विद्यालयों, जो नव-क्रमोन्नत हुए, में कक्षा मय-बरामदा बनाये जाने के लिए धनराशि का आबंटन किया गया ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-18 देखें।)

उच्च प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुर (सीकर) की क्रमोन्नति

9. श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उच्च प्राथमिक विद्यालय कल्याण-पुर, (थोई), जिला सीकर में छात्र संख्या

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

क्या है एवं यह विद्यालय कब से स्थापित है ?

(2) पिछले दो वर्षों में उपरोक्त विद्यालय से भी कम छात्र संख्या वाले किन-किन विद्यालयों को सैकण्डरी विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विद्यालय को क्रमोन्नत नहीं किये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(4) उक्त उच्च प्राथमिक विद्यालय को अब कब तक क्रमोन्नत कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों !

उत्तर

(1) उच्च प्राथमिक विद्यालय, कल्याणपुर (थोई) सीकर में कुल छात्र संख्या 478 है। यह विद्यालय 1953 में प्राथमिक विद्यालय में स्थापित हुआ एवं 1975 में उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हुआ था।

(2) पिछले 2 वर्षों में कम छात्र संख्या वाले निम्न विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया :-

वर्ष	विद्यालय का नाम	कुल छात्र संख्या
1992—93	कल्याणपुरा	473
1993—94	फुलेरा	—
1994—95	सागलिया	273
,,	नीवेडा	390
,,	नेवटिया	242
1995—96	मोरडूगा	259
,,	बावड़ी	418
,,	गोपड़िया	215

(3) विद्यालय क्रमोन्नति के लिए छात्र संख्या ही मानदण्ड नहीं है अन्य मानदण्ड भी है। विद्यालय क्रमोन्नति के लिए राज्य सरकार ने मानदण्ड निर्धारित कर रखें है इन मानदण्डों की पूर्ति करने वाले विद्यालयों में से प्रति वर्ष राज्य सरकार उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत गुणावगुण के आधार पर विचार करती है। मानदण्डों में विद्यार्थियों की कुल संख्या के अतिरिक्त अन्य मानदण्ड भी है जैसे गांव की जनसंख्या अन्तिम कक्षा की छात्र संख्या, फीडर, विद्यालयों की संख्या एवं दूरी, समकक्ष विद्यालयों की संख्या एवं दूरी अन्य आवश्यक बिन्दु आवश्यक भवन, क्षेत्रीय संतुलन एवं स्थानीय मांग इत्यादि कल्याणपुर के समीप थोई में सीनियर माध्यमिक स्तर की शिक्षा सुविधा उपलब्ध है।

(4) आगामी वर्षों में मानदण्डों के अनुकूल होने पर अन्य प्रस्तावों के साथ उपलब्ध बजट को ध्यान में रखते हुये क्रमोन्नति हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(12.00)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री भीमराज भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से पाली शहर में 1 अगस्त, 1995 की प्रातः दो जुड़वां बहनों की रहस्यमय हत्या की गुत्थी नहीं सुलझने से शहर की जनता में व्याप्त भारी आक्रोश के सम्बन्ध में।

(2) श्री राजेन्द्र पारीक एवं श्री परसादी लाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजधानी जयपुर के पांचबत्ती चौराहे पर करोड़ों रुपये की मंदिर की जमीन को हड़पने की कथित साजिश के सम्बन्ध में।

(3) श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के पोलोटेक्निक महाविद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों, शारीरिक शिक्षकों एवं तदर्थ प्रवक्ताओं को अन्य राज्यों के समकक्ष वेतनमान नहीं मिलने से उनमें व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्ताव की ओर सूचना प्राप्त हुई है :–

श्री इन्द्रसिंह पूनिया एवं चार अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम पंचायत सांखु, थाना-हामिरवास में दर्ज मुकदमा नम्बर--158/92 के मुलजिम महावीर के खिलाफ चालान पेश करने की अनुमति पंचायत विभाग द्वारा प्रदान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को आज कानून एवं व्यवस्था पर चर्चा के समय बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा की ओर से विशिष्ट योजना संगठन विभाग द्वारा राज्य की पंचायतों के साथ कथित भेदभाव बरतने के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती सुर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, मेड़ता उप खण्ड में सरकारी राशि के कथित गबन के सम्बन्ध में।

(3) श्री जगदीप धनखड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीकर जिले की खण्डेला पंचायत समिति के ग्राम जयरामपुरा की ढाणी नीमड़ा में निर्माणाधीन विद्यालय भवन की नींव कमजोर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री रेवती प्रसाद कोली, सदस्य, विधान सभा की ओर से निर्वाचन क्षेत्र वैर एवं आसपास की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री अमराराम धोद, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगरपालिका लोसल की रैगर बस्ती हेतु स्वीकृत जल निकासी का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।

(6) डॉ. उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कृषि भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनियों का विकास शुल्क जमा कर उनका नियमन करने की घोषणा की पूर्ण पालना नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री कन्हैया लाल पाटीदार, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य की ग्राम सेवा सहकारी समितियों का, जो किसानों को खाद, बीज, ऋण व नियंत्रित वस्तुएं उपलब्ध कराती हैं, कार्यक्षेत्र अधिक बड़ा होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री शिवनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थन के प्रवासी भाइयों के बच्चों को उच्च तकनीकी शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से राज्य की उच्च तकनीकी संस्थाओं में उनको आरक्षण प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री चुन्नीलाल धाकड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से चित्तौड़गढ़ से जयपुर के बीच वाया बेगूं संचालित अनुबन्धित बसों को बदले जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला दौसा के ग्राम मलवास के खसरा नम्बर 4015 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा के सैटलमेंट रिकार्ड में हेराफेरी कर कृषि भूमि को ग्राम रास्ते में तब्दील करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा नगर में 22 सितम्बर, 1995 को करण नामक बालक की अपहरण कर निर्मम हत्या की जांच पुलिस द्वारा नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्रीमती इन्दिरा मायाराम, सदस्य विधान सभा की ओर से सांगानेर अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिये अवाप्त की जा रही भूमि से किसानों में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(13) श्री रघुवीर सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से सहायक अभियन्ता कार्यालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सराड़ा, जिला उदयपुर को शिफ्ट कराने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी

(श्री अध्यक्ष)

गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि नियम 295 के अन्तर्गत कानून एवं व्यवस्था के सम्बन्ध में निम्न सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :—

(1) श्री गोपीराम जाट, सदस्य, विधान सभा की ओर से भूंथाराम पुत्र रामूराम जाट, निवासी चौसला, तहसील नावां द्वारा थाना नावां में दर्ज रिपोर्ट के मुलजिमानों को अभी तक गिरफ्तार नहीं करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री गोपीराम जाट, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम माचवा तहसील जयपुर में शराब के ठेकेदारों द्वारा खातेदारों के विरुद्ध झूंठे मुकदमे थाने में दर्ज कराकर भूमि हड़पने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्य को उपरोक्त के सम्बन्ध में आज दिनांक 2-11-95 को "कानून एवं व्यवस्था" पर चर्चा के समय इनकी विषय वस्तु पर बोलने की अनुमति होगी।

श्री महावीरजी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच बत्ती के प्रकरण के मामले में मैंने आपको एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और सरकार की करोड़ों रुपये की सम्पत्ति को कुछ लोग षडयंत्रपूर्वक हड़पना चाहते हैं। यदि इसमें किसी भी तरह की ढील बरती गयी तो यह सम्पत्ति आपके हाथ से निकल जायेगी, जो मैं समझता हूं कि एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां एक ओर सरकार भू-माफिया....

श्री अध्यक्ष : नहीं इसका, भेजा है न हमने ?

श्री राजेन्द्र पारीक : भेजने से क्या मतलब निकला, माननीय अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : सरकार का उत्तर आने दीजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : जहां एक ओर सरकार भू-माफियाओं को नियंत्रण में लाने के लिये तरह-तरह की रोज बातें करती है, वहीं सरकार की नाक के नीचे करोड़ों रुपये की सम्पति कुछ लोग षडयंत्र करके हड़पना चाह रहे हैं। इस पर मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर यदि मैं आपको जानकारी नहीं दूंगा, मैं आपको यदि पूरी की पूरी बात नहीं बताऊंगा तो कैसे यह बात आगे बढ़ेगी ? इसमें डिले करना, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही....

श्री अध्यक्ष : आपने थोड़ी देर से दिया, नहीं तो मैं जल्दी मंगवा लेता। आप बिराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब जिस चीज की जानकारी होगी तब ही तो पता चलेगा।

श्री अध्यक्ष : अब यहां जैसी व्यवस्था है, वैसे ही कर सकेंगे। आपने बात कह दी है, सरकार के ध्यान में भी आ गयी है।

श्री राजेन्द्र पारीक : इतनी-सी बात तो आने दीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जब तक वे लोग करोड़ों रुपये की जमीन हड़प जाएंगे।

श्री अध्यक्ष : वह तो काफी समय से चल रहा है और उस पर काफी बन भी गया है। उसकी जांच हो रही है। सबके नोटिस में है वह बात।....(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले में स्वायत्त शासन मंत्रीजी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह मामला कोई आज से नहीं है। 1945 में, उस वक्त की सरकार ने इस मन्दिर की कुछ भूमि को....(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : करोड़ों रुपये की जमीन हड़पने की कार्यवाही हो रही है।

श्री अध्यक्ष : आप मंत्रीजी से बात कर लेना।

श्री राजेन्द्र पारीक : मंत्रीजी बिराजे हुए, हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। मंत्री महोदय स्वयं बिराजे हुऐ हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : प्रक्रिया के अन्दर समय लगेगा। उसमें उनको लाभ मिलेगा और सरकार को करोड़ों रुपये का घाटा होगा। मंत्री महोदय बैठे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : मंत्रीजी बिराजे हुए हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री रामनारायण चौधरी : आप इनको कह सकते हैं कि वे तत्काल इसकी व्यवस्था करें।

श्री राजेन्द्र पारीक : सरकार की नाक के नीचे करोड़ों रुपये का....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप कुछ कह रहे हैं ? मंत्रीजी कुछ कर रहे हैं, आप सुन लिजिये पहले।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बात आज ध्यान में लाये हैं, इसकी कुछ जानकारी मुझे है। यह मामला कई दिनों से चल रहा है। कुछ तथ्य आपने जैसे प्रकट किये हैं और जो संकेत किया है, मैं आपको यही कह सकता हूं कि इसमें अधिक समय नहीं लगेगा और आज ही मैं इस पर कार्यवाही करना शुरू कर दूंगा। कानून में जो कार्यवाही की जा सकती है, आज ही करना शुरू कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री महावीर जी भगोरा।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर जिले में परिवहन विभाग की लापरवाही और प्राइवेट बस वालों की मिलीभगत से मेरे विधान सभा क्षेत्र के गोगुन्दा, कोटड़ा और फलासिया विधान सभा क्षेत्र में प्राइवेट बसों को परमिट दे रखे हैं। उन रूटों पर सरकारी बसें नहीं चलाने से ग्राम यात्री को काफी परेशानी हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, परेशान होने की वजह से हमने बार-बार जिला परिवहन विभाग को, आर. टी. ओ. को यह निवेदन किया कि जिन बसों को रूट का परमिट दिया जाता है उन रुटों पर वे बसें नहीं चलती है और नेशनलाइज्ड रूट पर बसें चलती हैं।

श्री अध्यक्ष : थोड़ी अर्जेंट नेचर की बात हो वह कहें। इमीजिएट अर्जेंट नेचर की।

श्री महावीर भगोरा : अर्जेंट ही बता रहा हूं। अर्जेंट नेचर का ही मैटर है। आज स्थिति यह है कि नेशनलाइज्ड रूट पर बसें चल रही हैं। रोडवेज की बसों के आगे, रोडवेज के बस स्टैंडों पर रोडवेज से यात्रियों को उतार करके उन प्राइवेट बसों में जबरदस्ती बैठाते हैं। नहीं बैठने पर उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। बार-बार परिवहन विभाग से अनुरोध करने के बावजूद भी....

श्री अध्यक्ष : कानून और व्यवस्था के समय पर बोल लेना आप मारपीट वाली बात। अब आप बिराजिये। श्री अमराराम जी।

श्री महावीर भगोरा : कानून और व्यवस्था का मसला अलग है, बसों का मसला अलग है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आपने अपनी सारी बात कह दी, अब बिराजिये आप।

श्री महावीर भगोरा : नहीं, नहीं कह पाया हूं। मेरा यह निवेदन है कि परिवहन विभाग को पाबन्द किया जाए कि....

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्य तो सत्तापक्ष के हैं। उनको क्या शिकायत है? ये तो कभी भी उनको जाकर दे सकते हैं, विचार रख सकते हैं।

श्री महावीर भगोरा : उन बसों को उन रूटों पर चलाया जाय, जहां का उनका परमिट लिया हुआ है। अगर नहीं चलाते हैं तो उन पर विधिवत् कार्यवाही की जाए, यह मेरा आग्रह है।

श्री अध्यक्ष : बस हो गयी आपकी बात पूरी। मैंने सुन ली थी।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का और विशेष तौर से....

श्री अध्यक्ष : आज बिजनस ज्यादा है जल्दी-जल्दी करना है।

श्री अमराराम (धोद) : सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सत्र के बीच में, शिक्षा सत्र जब करीब-करीब आधे से ज्यादा बीत चुका है, हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने शिक्षकों का तबादला भारी संख्या में किया है। एक तरफ तो रीजनल

(श्री ग्रमराराम)

स्तर पर मीटिंग करके यह कहते हैं कि उस ग्रध्यापक का ट्रांसफर होगा, जिसका रिजल्ट कम है, निश्चित रूप से होना चाहिये, हम इसके पक्ष में हैं लेकिन मात्र इसके लिये तमाम शिक्षा ग्रधिकारियों को इकट्ठा करके नियमों के विरुद्ध और जो उनके + + + हैं ऐसे शिक्षक संघ के इशारों से ऐसे शिक्षकों, के जिनके 60 से 70 प्रतिशत रिजल्ट हैं, सत्र के बीच में....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रब विराजिये ग्राप ।

श्री ग्रमराराम : उनके परिवार को नुकसान, उनकी शिक्षा को नुकसान, ऐसे विद्यार्थियों को नुकसान । ऐसे ग्रध्यापको के 70 प्रतिशत से नीचे रिजल्ट कभी भी नहीं रहे हैं । समानीकरण हो जब भी हम मान सकते हैं लेकिन केवल मात्र कुछ शिक्षक संघ जो इनके +++ हैं....

श्री ग्रध्यक्ष : श्री ग्ररुणसिंहजी । ग्राप विराजें, कोई ग्रर्जेंट नेचर की बात हो तो कहें ।

श्री ग्रमराराम (घोद) : दूसरे शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को परेशान करने के लिये, मैं समझता हूं राजनीतिक ग्राधार पर किये गये । यह बहुत बड़ा ग्रन्याय है, शिक्षा जगत के साथ ग्रन्याय है ।

श्री ग्रध्यक्ष : विराजें ।

श्री राजेन्द्र पारीक : ग्रध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा ग्रापके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोलीड़ा ग्रौर सांगरवा में जिस तरह से ग्रध्यापकों का स्थानान्तरण राजनीतिक रूप से किया गया है, वह बहुत ही खेद का विषय है ।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप विराजें । यह बाद में बात कर लेना । (व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र पारीक : नहीं, बात क्या कर लेना ? ऐसे थोड़े ही होगा ? माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में पहले भी यह लाया गया है....(व्यवधान)....यह बहुत ही खेद का विषय है ।

श्री ग्रमराराम (घोद) : ग्रध्यक्ष महोदय, बाद में तो इन्होंने कहा था कि हम ऐसे स्थानान्तरण करेंगे ही नहीं । (व्यवधान)....

श्री ग्रध्यक्ष : कई बातें होती हैं, सारे राजस्थान में साढ़े चार करोड़ जनता है । ग्राप बिराजें । बातें होती हैं ग्रर्जेण्ट नेचर की ।....(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र पारीक : राजनीति का मुद्दा बनाया गया है । इससे ज्यादा + + + स्थिति ग्रौर कोई हो नहीं सकती ।

श्री ग्रमराराम (घोद) : बात से मतलब क्या है ? बाद में इन्होंने कहा था ऐसा कोई स्थानान्तरण नहीं होगा । मैं उस मीटिंग में प्रजेंट था, इन्होंने कहा, ऐसा

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के ग्रादेशानुसार ग्रपलोपित किये गये ।

(श्री ग्रमराराम)

एक भी नहीं है। मैं ग्रापको कई नाम पढ़ कर सुना सकता हूं।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप बिराजें ग्रब। बात कर लेना ग्राप मंत्रीजी से। अर्जेण्ट नेचर की बात करें।

श्री ग्रमराराम (धोद) : इसका मतलब राजनीतिक ग्राधार पर होंगे ? जो ग्रापका विरोध करेंगे, ग्रापकी नीतियों का विरोध करेंगे... (व्यवधान)... वे नहीं रह सकते। यह मुझे कहना है।

श्री ग्रध्यक्ष : देखिये, यह जीरो ग्रावर का मैंने इसलिये रख रखा है कि कोई ग्रर्जेण्ट नेचर की बात छूट नहीं जाए। माननीय ग्ररुण सिंहजी।

श्री राजेन्द्र पारीक : जिन ग्रध्यापकों का सेवा काल सिर्फ दो साल रह गया, किसी का डेढ़ साल रह गया, किसी का एक साल रह गया उन ग्रध्यापकों का यदि उनके इच्छित स्थान पर ग्रन्यत्र स्थानान्तरण किया जाए....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप बिराजें। पारीकजी ग्राप तो ग्राजकल....

श्री राजेन्द्र पारीक : ग्रौर यदि यह कार्य राजनीतिक षड्यन्त्र से किया जाए तो....

श्री ग्रध्यक्ष : बराबर सहयोग करेंगे। क्या बात हो गयी ?

श्री राजेन्द्र पारीक : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राप मंत्री महोदय को निर्देश दें।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप मंत्रीजी से बात कर लेना। बिराजें ग्राप।

श्री राजेन्द्र पारीक : कि शिक्षा जैसे पवित्र कार्य में इस तरह से राजनीतिक वातावरण न बनाएं।

श्री ग्रध्यक्ष : आप बिराजें। ग्ररुण सिंह जी को बोलने दें। श्री ग्ररुण सिंहजी।

श्री ग्ररुण सिंह : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राज "दैनिक नवज्योति" में डीग क्षेत्र के हैड लाइन से एक समाचार ग्राया है जिसकी तरफ मैं माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी श्री राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ का ध्यान ग्राकर्षित करना चाह रहा हूं एक नवजात शिशु की एक कुत्ते ने हमला करके हत्या की। ग्राप एक एफिशिएंट मंत्री हैं, मैं उम्मीद करता हू, ग्राप इसकी जांच करेंगे ग्रौर इसमें कर्मचारियों की लापरवाही हो तो ग्राप स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से माननीय सदस्य को ग्रवगत कराना चाहता हूं कि जो तथ्य ग्रापने रखे हैं वे तथ्य पूर्णतः सत्य नहीं हैं। यह सही है कि 1 नवम्बर, को श्यामवेती, पत्नी बृजमोहन, उम्र 35 वर्ष डीग में 11.45 पर प्रसव हेतु चिकित्सालय में भर्ती हुई। उक्त महिला को दोपहर

(श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़)

12 बजे प्रसव हुआ और प्रसव के दौरान असामान्य और मृत बच्ची पैदा हुई। मृत बच्ची को तुरन्त चिकित्सकों ने परिजनों को सौंप दिया परिजन उस मृत बच्ची को चिकित्सलय के बरामदे में रख कर कहीं चले गये, उस दौरान यह घटना हुई है। इसके पश्चात् भी कोई इस तरह की बात होगी तो मैं इसकी जांच करवा कर माननीय सदस्य को अवगत करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंहजी कुम्हेर।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के पशुपालन विभाग के कर्मचारियों की जो आज दो-तीन दिन से यहां अनशन पर हैं, वेदना की ओर पशुपालन विभाग का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान में पशुधन सहायकों, प्रयोगशाला सहायकों को जो वेतनमान मिल रहे हैं वे, मैं समझता हूं भारतवर्ष में सभी प्रदेशों से कम हैं। उनमें इतना असंतोष व्याप्त है कि कर्मचारियों के प्रतिनिधि अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। मैं आपको निवेदन करूं, उत्तर प्रदेश में वेतनमान 1350 से 2200 है, मध्य प्रदेश में 1320 से 2600 है जबकि राजस्थान में केवल मात्र 950 से 1650 है। इसके कारण पशुधन सहायक, प्रयोगशाला, सहायक दुग्ध अभिलेखगणक, इनकी कर्मचारी यूनियन के जो प्रतिनिधि हैं आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये डिपार्टमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं और खास कर हमारे यहां पर बाढ़ के दिनों में इन लोगों के कार्य की अत्यधिक आवश्यकता है कि ये अपने काम पर पहुंचे। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी वाजिब मांगे हैं उन पर वे ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप जी।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नारी पर होने वाले अत्याचार के बारे में माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

'यत्रनार्यस्तु पूजयन्ते, रमन्ते तत्र देवता'; जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं। आपके राज में इन नारियों को मारा जा रहा है। एक बाप अपनी बेटी की शादी करता है, अपने जिगर के टुकड़े को दूसरे को सौंप देता है। दहेज के कारण से रोजाना हत्याएं हो रही हैं। माननीय मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं, यहां महिलाएं भी विराजमान हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक घटना जो हाल ही में घटी है जयपुर की, दहेज के खातिर मारी गयी मंजू देवी के पिता गणपत सिंह की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गणपत अपनी बेटी के लिये सजा दिलवाने के लिये बड़े-बड़े दरवाजे खटखटा रहा है। पुलिस तो मंजू देवी के ससुराल वालों का ही साथ देने लग गयी है। ससुराल वालों की ऊंची पहुंच और पुलिस से मिलीभगत का नतीजा है कि वे खुलेआम घूम रहे हैं। गणपत सिंह ने मंजू की शादी डेढ़ साल पहले सहदेव सिंह के साथ की थी।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। आज पुलिस विभाग पर विचार होगा, उसमें आप और कह देना।

श्री रामस्वरूप : मामला बहुत गम्भीर है, बाहर महिलाएं आन्दोलन पर बैठी हैं। इस पर मैं चर्चा बाद में करूंगा पर अध्यक्ष महोदय, महिलाएं बाहर बैठी हुई हैं, उन्होंने आकर यह कागज मुझे दिया है। गृह मंत्रीजी यहां बिराजमान हैं, आप उन हत्यारों को कब तक गिरफ्तार कर रहे हो जिन्होंने किसी की बेटी को मारा है ? रोजाना इस प्रकार की हत्याएं हो रही हैं। अगर इस प्रकार की हत्याओं को नहीं रोका आपने दहेज के मामले में, तो ये बढती चली जायेगी।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है, इस पर अभी ध्यान दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : आपका भी रिकार्ड हो गया।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर): महिलाओं की इस तरह से मारने का मामला बहुत गम्भीर है, इस पर अभी ध्यान दिया जाये। ....(व्यवधान) ...

श्री रामस्वरूप : मेरा निवेदन है, गृह मंत्रीजी, कि इन दहेज की हत्याओं को रोकने के लिये आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? मंजू के हत्यारों को आप कब तक गिरफ्तार करोगे ? ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालालजी इन्दौरा। आप बिराजें।....(व्यवधान)....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप इसको इतनी आसानी से नहीं टालें। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का ...

श्री रामस्वरूप : गृह मंत्रीजी, इतना महत्वपूर्ण मामला है कि इसके लिये सारी महिलाएं बाहर खड़ी हुई हैं, आन्दोलन कर रही हैं। ... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें अब।.... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : उन महिलाओं को.... (व्यवधान) ...

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : महिलाओं को इस तरह से सताया जा रहा है, आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, हमारी भी बहनें हैं, इस प्रकार से अगर उनको मारा जायेगा तो कौन उनका रक्षक होगा ? (व्यवधान)....गृह मंत्रीजी यहां बिराजमान हैं, महिलाओं का मामला है...

श्री अध्यक्ष : बहुत जोर-शोर से उठा ली बात, अब आप बिराजें।

श्री रामस्वरूप : आप जवाब दें कि इस हत्यारे को गिरफ्तार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : कर नहीं, कर रहे हैं तो कब तक कर रहे है ? आजकी आज वह हत्यारा गिरफ्तार होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आप विराज जाएं ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि आज की आज गिरफ्तार करने का यहां पर मंत्री महोदय आश्वासन दें।

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं कि 1986 में ...

श्री अध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायारामजी, विराजें आप । आपकी बात रिकार्ड हो गयी है, विराजें आप ।

श्री रामस्वरूप : गृह मंत्रीजी विराजमान हैं ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : गृह मंत्री जी, जहां इस बुरी तरह से उसे मारा जाये, इतने दिन तक लड़की का बाप गुहार करता रहे और पुलिस वाले ध्यान नहीं दें, गृह मंत्री ध्यान नहीं दें, यह बहुत गम्भीर मामला है ।... (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : आप मंत्रीजी से बात कर लेना । विराजें आप । .. (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : गृह मंत्रीजी, जवाब दें । गृह मंत्रीजी जवाब देना चाहते हैं । बहुत अच्छे गृह मंत्री हैं, महिलाओं के बारे में चिंतित हैं आप ।....(व्यवधान).... आप जवाब तो दीजिये । बाहर महिलाएं बैठी हैं... (व्यवधान)....

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मामला सदन के समक्ष रखना चाहता हूं । 1986 में जो लोग चौराहों पर बसे हुए थे, सड़कों पर बसे हुए थे, घुमक्कड़ जाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, कठपुतली बनाने वाले लोग चार दरवाजा में बसे हुए थे अजमेर पुलिया के नीचे बसे हुए थे, और सड़क के किनारों पर बसे थे, गाड़िया लुहार, 1986 में समाज कल्याण विभाग ने यह निर्णय लिया कि उनको किसी कालोनी में बसा दिया जाए । उस समय के प्रधान मंत्री कार्यालय से भी एक आदेश आया कि इन सभी घुमक्कड़ जाति के लोगों को जगह-जगह जयपुर शहर में बसे हुए हैं, एकत्रित कर एक स्थान पर बसा दिया जाए । उस समय समाज कल्याण विभाग ने जे. डी. ए. की स्वीकृति से, मुख्य मंत्री कार्यालय की स्वीकृति से, सारी फार्मेलिटीज पूरी कर इन लोगों को गुर्जर की थड़ी पर बसा दिया। लेकिन अब मुझे मालूम पड़ा है कि लोग धरने पर बैठे हुए हैं, महिलाएं और गरीब आदमी बैठे हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष : मालूम पड़ा है, आप.... (व्यवधान)....

श्री हीरालाल इन्दौरा : यह सरकार जो अनुसूचित जाति की हिमायती है और यहां बहुतायत एम. एल. ए. अनुसूचित जाति के इधर बैठे हुए हैं....

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूरामजी अहारी ।

श्री हीरालाल इन्दौरा : बुलडोजर से उनके मकान तोड़ दिये गये, उनको बेघर कर दिया गया । अध्यक्ष महोदय, राज्य

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

सरकार ने यह कानूनी प्रक्रिया अपने हाथ में लेकर, स्वीकृति देने के बाद में सारी फार्मेलिटीज पूरी होने के बाद उन लोगों को उजाड़ा है।

श्री अध्यक्ष : मेरे को आज बहुत बिजनस लेना है, बिराजें आप।

श्री हीरालाल इन्दौरा : उनको पुनः बसाने की कार्यवाही करनी चाहिये क्योंकि वे कानूनी तरीके से हैं, बैठे स्वीकृति से बैठे हैं। राज्य सरकार की स्वीकृति से बैठे हैं।

श्रीमती इंदिरा मायाराम : मंत्री महोदय बोलेंगे कि कब तक गिरफ्तार करेंगे, तब तक हम नहीं बैठेंगे।.... (व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप : कब तक गिरफ्तार कर रहे हैं, इसके बारे में घोषणा करें।.... (व्यवधान)....

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री बताने का कष्ट करें....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : अब आपको क्या हो गया ?... (व्यवधान)....

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, स्वायत्त शासन मंत्री यह बताएं कि उनके मकानों को क्यों तोड़ा गया है ?.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति रखें।.... (व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप : ....कब गिरफ्तार कर रहे आप उनको ?....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जाएं अब। हो गया, चार-चार बार बोल चुके हो आप।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी बैठे है। कुछ भी आदेश नहीं दिया मौन होकर बैठ गये मंत्रीजी। अन्याय हो रहा है महिलाओं के साथ और मंत्रीजी चुप बैठे हुए हैं।....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : देखिये, रामस्वरूपजी, मैंने कल भी आपको टोका। मैं टोकना नहीं चाहता हूं।....(व्यवधान)....

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, इस बात पर कुछ तो संवेदनशील हो ... (व्यवधान) ... कोई कमेंट तो करे, कोई लॉजिक तो दे।...(व्यवधान) ...

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, कानून की प्रक्रिया को मंत्री ने, विभाग ने स्वयं अपने हाथ में लिया है।.... (व्यवधान)....

श्री आर. पी. शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी का चुप बैठना यह कहता है कि मंत्रीजी खुद उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना नहीं चाहते। मंत्रीजी क्यों नहीं जवाब देते ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जाएं। हर माननीय सदस्य मर्जी आये जब खड़े हो कर बोलने लग जाएं यह बात नहीं है।....(व्यवधान)....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अफसोस यह है कि जयपुर के विधायक सब यहां चुपचाप बैठे हैं....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : महिला का मामला है....(व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : गुर्जर की थड़ी पर जो लोग बेघरबार किये गये हैं, वहां बुलडोजर से जिनके मकान तोड़े गये हैं उनके बारे में स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से वक्तव्य दिलवाएं ।... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायारामजी. आपको क्या हो गया यह? सातवीं बार खड़े हो गये आप ।....व्यवधान....

श्री हीरालाल इन्दौरा : (व्यवधान) स्वीकृति होने के बाद भी मकान कैसे तोड़ दिये ?

श्री अध्यक्ष : विराजिये । अब क्या हो गया ? (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : जवाब तो दिलवाइये ।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात सुन ली, अब विराजिये । (व्यवधान) खाली अर्जेण्ट नेचर की बात करें ।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने जिस मसले की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि पुलिस पूरी दक्षता से और क्षमता से तत्काल नियमोचित कार्यवाही करेगी और किसी तरह की कोई कोताही नहीं होगी ।

श्री अध्यक्ष : बस, खत्म हो गया । (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, जांच के लिये तो कहलाइये । जांच के लिये कहलवा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : कौनसी जांच ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : यह जो गुर्जर की थड़ी के लोग हटाये गये हैं । गुर्जर की थड़ी पर से गरीब हरिजनों को .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह थड़ी की बात थोड़े ही कर रहे हैं । यह तो मर्डर की बात हो रही है, विराजिये आप ।

श्री हीरालाल इन्दौरा : नहीं, नहीं, मैंने जो मामला उठाया है ।

श्री अध्यक्ष : आप क्या समझते हैं ?

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय सदस्य, अपनी सीट से फर्माइये ।

श्री हीरालाल इन्दौरा : यही सीट है मेरी ।

श्री अध्यक्ष : ये जो मैटर हैं, ये अर्जेण्ट नेचर के हैं । (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : इतनी जल्दी जगह मत बदलो ।

श्री हीरालाल इन्दौरा : सीट मेरी यही है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस मामले में हम कम्पैल

(श्री अध्यक्ष)

नहीं कर सकते। आप बिराजें। इन्दोरा जी, आपसे में बातचीत नहीं करें। (व्यवधान) आप बिराजें। अहारी जी को बोलने दीजिये।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में राजनैतिक द्वेष के कारण कई अध्यापकों के स्थानांतरण कर दिये गये हैं। इनके स्थानांतरण इस तरह से किये गये हैं, जहां स्कूलों में जगह खाली पड़ी थी.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने लिखा है कि पाठशाला में ताले लग गये। अब आप दूसरी बात कह रहे हैं।

श्री नाथूराम अहारी : वही तो बोल रहा हूं मैं।

श्री अध्यक्ष : बोलें आप।

श्री नाथूराम अहारी : उदाहरण के लिये मैं बताऊं, नारायण लाल अहारी, अध्यापक ओड़याडिया से गड़ा मौरेया, जब कि जगह खाली है। मनोहर लाल बरंडा गौड़ा मौरेया से गुमानपुरा, जगह खाली है। बसीलाल मनात देवल से चुड़ावाड़ा आदि आदि जगह खाली होने के बाद भी दूसरी जगह कर दी है तो ताले नहीं लगेंगे तो और क्या होगा ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बीच में नहीं बोलें। मंत्रीजी।

श्री नाथूराम अहारी : यहां तक कि कई जगहों पर पर्याप्त स्कूल भवन भी नहीं हैं। इस तरह से शिक्षा की स्थिति हो गयी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि जिन अध्यापकों के राजनैतिक स्तर से ट्रांसफर किये हैं, बिना किसी कारण के ट्रांसफर किये हैं उनको जल्दी से जल्दी शिफ्ट करें और स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है उसको आप चालू कराएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा। जिस तरह से 9-10-95 को सरकार ने अनडेमोक्रेटिक तरीके में नगर परिषद.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप अलवर नगर परिषद की समस्या के बारे मे बोलें। लिमिटेड बोलें।

श्री जुबेर खान : नगर परिषद, अलवर के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य तीन पार्षदों को निलम्बित किया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, जो मीटिंग हुई थी नगर परिषद की, उसमें स्पष्ट ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप समस्या पर बोलें।

श्री जुबेर खान : यह समस्या कैसे नहीं है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इमरजेंसी की बात नहीं कर रहे हैं आप।

श्री जुबेर खान : हम आपको स्थगन प्रस्ताव दें, सात-सात दिन गुजर जाएं आप सरकार को भेजें नहीं जवाब के लिये, यहां उस पर चर्चा नहीं कराएं। अध्यक्ष महोदय, इस सदन की यह परम्परा रही है कि जब कभी भी स्थगन प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने दिया, तुरन्त प्रभाव से सरकार को भेजते हैं और यह मानते हैं कि .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भेज दिया मैंने।

श्री जुबेर खान : चर्चा नहीं कराते लेकिन आप दो मिनट का समय देते हैं माननीय सदस्यों को अपनी बात रखने के लिये। लेकिन इस बार मेरा यह कहना है आपके माध्यम से कि सरकार से आज भी इस सम्बन्ध में कोई जवाब नहीं मांगा गया। अगर जवाब मांगा गया है और आया है तो हमें दो मिनट का समय दिया जाना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी हुई इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? संस्था मीटिंग का हवाला देकर भंग किया गया है, उस दिन आयुक्त ने स्पष्ट कहा है—मिनिट्स में, कि कोई दंगा, कोई झगड़ा मीटिंग में नहीं हुआ। मीटिंग की कार्यवाही बन्द होने के बाद बाहर चाहे कोई झगड़ा हुआ। उसकी एफ आई आर. दर्ज हुई। जब एफ. आई. आर. दर्ज हुई बाहर की तो पुलिस अपने आप कार्यवाही करती, सरकार को क्या हक था कि गैर प्रजातांत्रिक तरीके से बोर्ड को भंग कर दिया गया और चुनाव नहीं कराये गये? अगर हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चुनाव करवाती नगर परिषद अलवर के?....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री राम नारायण जी। आप बिराजें। हो गयी आपकी बात पूरी। बिराजें आप।

श्री जुबेर खान : क्यों कार्यवाहक अध्यक्ष को बैठाया? यह सरासर अप्रजातांत्रिक तरीके से गला घोटना है।

श्री अध्यक्ष : अलवर के लोगों के लिये आपका सन्देश पहुंच गया। बिराजें आप। श्री राम नारायण जी।

श्री जुबेर खान : इस देश में लोकतन्त्र को खतम करने की यह साजिश है, पहला कदम है, मैं आरोप लगाना चाहता हूं सरकार पर।

श्री अध्यक्ष : श्री राम नारायण जी।

श्री रामनारायण (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, इस राज में जिसको 'भाजपा' का राज कहते हैं, + + +बातें हो रही हैं। आदमी मरता है, यदि वह अप्राकृतिक मौत मरता है और यदि बी जे. पी. के लोग उसकी सिफारिश करेंगे तो उसको मुख्य मंत्री सहायता से दस हजार रुपये दिये जाते हैं। माननीय गृह मंत्रीजी, इस 29 अगस्त को नैनवां के संडीला गांव में एक व्यक्ति सुबह, उसका नाम रामफूल था,

---

+ + +अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामनारायण)

उम्र थी 33 वर्ष, कुएं में पंखा खोलने गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें उसकी मौत हो गयी। कोई जहरीली गैस थी। दूसरा उसके बाद गया कि भाई क्या हो गया, श्योकरण 25 साल का नवयुवक, उसकी मौत हो गयी। तीसरा राधेश्याम जिसकी उम्र थी 23 वर्ष, उसकी भी मौत हो गयी। चौथे आदमी को रस्सी से बांधकर लोगों ने चलाने की कोशिश की, उसको जब झटका लगा तो उसको बाहर निकाल लिया। तीन दिन जिला प्रशासन, बून्दी ने सुध नहीं ली। इतने दिन हो गये आज तारीख तक, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिले के हैड—कलक्टर और एस. पी. आज दिन तक नहीं गये। इससे ज्यादा +++बात और क्या हो सकती है? धौलाई गांव में, जहां इमीजिएट दस हजार रुपये दिये जाते हैं हमारे लड़ने के बाद, कमिश्नर से कहने के बाद जिला प्रशासन के कान में जू रेंगी और केवल पांच हजार रुपये दिये। ये किस तरह की बातें हैं? दस हजार रुपये और उसके बाद पच्चीस हजार रुपये, पैंतीस हजार रुपये धौलाई में दिये गये। संडीला गांव में चूंकि आदिवासी आदमी थे, माननीय गृह मंत्रीजी, आपके आदमी थे इसलिये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आप चुपचाप इस तरह के अन्याय को सहन नहीं करें और कृपा करके उनको पैसा दिलाएं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, तीन दिन बाद मात्र वहां का नायब तहसीलदार वहां पर गया। नायब तहसीलदार ने शराब पी रखी थी। रिश्वतखोरी करे तो शराब क्यों पीये? शराब पी रखी थी, गांव वालों से कहा कि पैसे दो नहीं तो उलझा दूंगा, सारे गांव को मड़वा करके मैं भिजवा दूंगा। और पांच-पांच हजार रुपये की उन तीन गांव वालों से रिश्वत मांगी।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री रामनारायण : वहां जो मीटिंग हुई पंचायत समिति में समस्या समाधान की, कलक्टर के सामने यह कहा गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपकी बात पूरी आ गयी।

श्री रामनारायण : कलक्टर के सामने कहा गया कि नायब तहसीलदार के खिलाफ कार्यवाही करें। आज तक कार्यवाही नहीं की गयी। मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, इस अन्याय को... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 295 आज थोड़ा टाइट मामला है, बिराजें आप।

श्री रामनारायण : (व्यवधान) भाजपा कांग्रेस के लोगों से बात करे, बराबर की सहायता करे।

श्री अध्यक्ष : आज पूरा सहयोग करें। बहुत बिजनस बाकी है। बिराजें आप।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री रामनारायण : उनको सहायता दिलायी जाए और सरकार इस बारे में (व्यवधान) पूरा किया जाए धन्यवाद।

श्री कैलाश मेघवाल : आप मुख्य मंत्री जी से मिल लीजिये।

श्री अध्यक्ष : आपको सबको बोलने का पूरा मौका दे रहा हूं। बुरड़क साहब।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

विशिष्ट योजना संगठन व विभाग द्वारा राज्य की पचायतों के साथ कथित भेदभाव

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे विषय की ओर सदन का और सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें राज्य सरकार जो निर्माण कार्य कर रही है उसमें अलग-अलग मानदण्ड निर्धारित कर रखे हैं।

महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा भवन निर्माण कार्य मुख्यतया सार्वजनिक निर्माण विभाग व पुल निगम द्वारा किया जा रहा है जिसके लिये तखमीना बनाने में सार्वजनिक निर्माण विभाग की बी. एस आर. काम में आ रही है। जो भी निर्माण कार्य इन विभागों द्वारा कराया जा रहा है उसमें बी. एस. आर. से अस्सी प्रतिशत तक की ऊंची दरें स्वीकार की जाती रही हैं और इसी आधार पर राशि स्वीकृत व खर्च की जाती है। यदि सामान दूर से लाना पड़ता है तो इसके लिये और राशि दी जाती है।

इसी तरह से राज्य में पंचायतों के माध्यम से भी विशिष्ट योजना संगठन विभाग द्वारा स्कूलों, अस्पतालों आदि के भवन निर्माण करवाये जा रहे हैं। परन्तु उनके लिये तखमीना बनाने के लिये अलग से बी. एस. आर. तैयार की है जिसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग की बी. एस. आर. से आधी रेटें हैं। इसी पर स्वीकृति जारी की जाती हैं और इसी रेट पर पंचायतों को कार्य करवाना पड़ता है जो अधिक राशि खर्च नहीं कर सकते और सामान दूरी पर लाने पर भी अधिक राशि नहीं दी जाती है।

यह एक ऐसा विषय है जिसमें एक ही स्थान पर यदि पंचायत स्कूल का कमरा बनाती है तो उससे दुगुनी राशि में सार्वजनिक निर्माण विभाग कमरा बनाएगा। ऐसा क्यों? आखिर वही सामान लगता है और वही कारीगर और मजदूर कार्य करते हैं। ऐसा भेदभाव क्यों?

इसके अलावा अभी जब अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 21 रुपये से बढ़ाकर 32 रुपये कर दी गयी है, पंचायतों ने मस्टर रोल 21 के स्थान पर 32 से करने शुरू कर दिये। करीब साल भर हो गया परन्तु पंचायतों में उसी पुरानी बी. एस. आर. से ही राशि स्वीकृत की जा रही है जबकि मस्टर रोल पर 21 के स्थान पर 32 रुपये भरने व मजदूरों को भुगतान करने के आदेश पंचायतों को सरकार ने बहुत पहले से दे रखे हैं।

पंचायतों को प्रोत्साहित करने की बजाय हतोत्साहित किया जा रहा है और

(श्री हरजीराम बुरड़क)

खुले रूप से भेदभाव बरता जा रहा है जिसके कारण राज्य की पंचायती राज संस्था व जनता में भयंकर असंतोष है।

अतः नियम 295 के अन्तर्गत इस विशेष उल्लेख के जरिये राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन कर रहा हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की बी. एस. आर. पंचायतों में भी लागू करके यह भेद-भाव समाप्त किया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकांताजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा.......

श्री अध्यक्ष : कल बात कर लेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपके अनुशासन में रहते हैं उसका अर्थ यह है कि +++

श्री अध्यक्ष : नहीं+++। हम आपको आज खाना खिलाना चाहते हैं। जिन्दा रखना चाहते हैं।

श्री रामनारायण : अध्यक्ष महोदय, हिण्डोली के पड़ौस में नैनवां है इसलिये इन्होंने अनुशासन में रहना शुरू कर दिया है। मेरा 131 नहीं लगा जबकि विधान सभा के माननीय सदस्यों में सबसे पहले मैंने दिया और....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें न आप। सूर्य कान्ता जी, कृपया बोलें।

श्री रामनारायण : मैं 131 की बात कर रहा हूं। इतनी समस्याएं हैं, नहरें टूट रही हैं, फूट रही हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। जी. बी. सी. के माडर्नाइजेशन के लिये, यहां तो कहते हैं कि विदेशों का पैसा नहीं लेंगे।

श्री अध्यक्ष : बाद में बातें कर लेंगे। कृपा करके आप विराज जाएं श्रीमती सूर्यकान्ता जी।

मेड़ता उप खण्ड में गबन

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा मेड़ता उप खण्ड में सरकारी राशि का गबन हुआ। महालेखाकार, लेखा परीक्षा कार्यालय, राजस्थान, जयपुर द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उप खण्ड मेड़ता के कार्यालय में वर्ष 1990-91 के लेखा परीक्षण में यह पाया गया कि राजस्व वसूली के पेटे रुपये 2,04,620.00 की राशि वसूली के उपरान्त भी राजकीय कोष में जमा नहीं की गयी। इस पर विभाग ने तुरत-फुरत कार्यवाही कर एक कनिष्ठ लिपिक को जो कि लैजर कीपर का कार्य करता था, निलम्बित कर दिया एवं उसके विरुद्ध पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवा दी।

महोदय, यह मेरी समझ से परे है कि लैजर कीपर का कार्य कर रहा व्यक्ति

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

कैसे राजस्व वसूली की राशि के गबन के लिये जिम्मेदार है (यदि वह जिम्मेदार है तो लेखाकार, सहायक अभियन्ता एवं अधिशाषी अभियन्ता इस प्रकरण में कैसे जिम्मेदार नहीं हैं ?

मान्यवर, यह प्रकरण वर्ष 1988 से 1991 तक का है। क्या इन तीन वर्षों में कैश बुक लिखी ही नहीं गयी ? क्या सहायक अभियन्ता एवं अन्य अधिकारियों ने ध्यान ही नहीं दिया कि राजस्व वसूली की राशि कहां है ? क्या उच्च अधिकारियों की मिलीभगत बिना इतनी बड़ी राशि का गबन होना सम्भव है !

जिस व्यक्ति के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी है उसे कभी भी राजस्व वसूली के लिये नियुक्त किया गया था या अधिकृत किया गया था ? यदि हां, तो ऐसा आदेश सदन के पटल पर रखा जाए। क्या यह सही नहीं है कि वहां वर्ष 1989 से कनिष्ठ लेखाकार कार्यरत था ? यदि हां, तो उसने लेखे सही करने के लिये क्या कार्यवाही की ?

मान्यवर, मेरा आपसे एवं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवायी जाए। केवल मछलियों को ही नहीं अपितु मगरमच्छों को भी पकड़ा जाना आवश्यक हैं। एक छोटे कर्मचारी पर समस्त दोष डालकर बड़े अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुक्त हो सकते हैं ? दोषी बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर उन्हें भी निलम्बित कर उनके विरुद्ध भी इस आपराधिक षड्यन्त्र एवं गबन के लिये मुकदमा चलाया जाए।

मैं इस उक्ति के साथ कि "न्याय किया जाना ही पर्याप्त नहीं है, न्याय किये जाते दिखाना भी आवश्यक है" के साथ अपना प्रस्ताव पूर्ण करते हुए एक बार पुनः अनुरोध करती हूं कि इस प्रकरण में–दोषी अधीक्षण अभियन्ता, अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ लेखाकार एवं खण्डीय लेखाकार एवं अन्य सम्बन्धित समस्त उच्च अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करें न किसी छोटे एवं निर्दोष कर्मचारी के विरुद्ध। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीप धनखड़। (अनुपस्थित) श्री रेवती प्रसाद कोली। (अनुपस्थित) श्री अमरा राम धोद।

लोसल स्थित रैगरबस्ती में पानी का निकास

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, लोसल नगर पालिका सीकर में स्थित रैगर बस्ती में वर्षा एवं गन्दे पानी को निकालने के लिये पिछले चार दशक से वहां के निवासी प्रयासरत हैं। हर वर्षा ऋतु में बस्ती जल मग्न हो जाती है लेकिन आज तक उसका समाधान नहीं हो पाया है। लगभग चार वर्ष पहले जल निकासी हेतु नाली की स्वीकृति स्वायत्त शासन

(श्री अमराराम)

विभाग से हुई। कुछ कार्य भी हुआ था लेकिन वह कार्य आज तक पूर्ण नहीं हो पाया है। उक्त सम्बन्ध में बार-बार सरकार के ध्यान में लाया गया लेकिन अब तक सरकार उपरोक्त कार्य की उपेक्षा करती रही है। इससे जनता में सरकार के प्रति जनाक्रोश है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव के माध्यम से मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि नगरपालिका लोसल की रैगर बस्ती हेतु स्वीकृत जल निकासी नाली का काय पूर्ण कराये जाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला जी।

आवासीय बस्तियों का नियमन

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, दसवीं विधान सभा के पंचम सत्र के पहले प्रश्न के उत्तर में, जो मेरा था, मुख्य मंत्री महोदय ने कृषि भूमि नियमन कर विकास शुल्क जमा करने हेतु घोषणा की थी, कि कृषि भूमि में बसी आवासीय कालोनियों को शीघ्र ही विकास शुल्क जमा करके पट्टे दे दिये जाएंगे। बहुत बधाई व हर्ष की बात थी। 1142 बस्तियां मेरे प्रश्न के उत्तर में बतायी गयी थीं। ठीक उसके बाद 549 बस्तियां चुनकर उनमें कैम्प लगाने की बात कही गयी थी। कैम्प कुछ बस्तियों में लगे भी परन्तु नियमों की जटिलता के कारण अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आये हैं।

अभी चयन की गयी आवासीय कालोनियों में से हम पूर्णतया कालोनी को विकसित नहीं कर पाये हैं।

यह बात सच है कि कैम्पों को बस्तियों में न लगाकर अब जयपुर विकास प्राधिकरण में लगाया जा रहा है लेकिन कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। ऐसी कौनसी कठिनाइयां उक्त कार्य में आयी हैं? क्या उन्हें नियमों में ढिलाई या सरलीकरण के द्वारा किया जा सकता है?

कुल चुनी हुई कालोनियां कब तक नियमित कर दी जाएंगी?

(12.38)

(श्री समर्थ लाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जो स्वीकृत कालोनियां नहीं हैं जैसे शकर नगर, माणिक्यपुरी, गोविन्दपुरी, आमेर रोड आदि, इन्हें कब तक स्वीकृत कर दिया जाएगा?

एप्रूव्ड कितनी कालोनियों के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं? कुल कितनी राशि उक्त कैम्पों में विकास शुल्क की जमा की जा चुकी है? उक्त समस्या के समाधान हेतु तथा मीणा समाज और अन्य अनुसूचित जनजाति के द्वारा बेची गयी जमीनों की कालोनियों को कब तक नियमित कर दिया जाएगा व उनके विकास शुल्क जमा कराने के आदेश हो सकेंगे? मुख्य मंत्री महोदय, आप स्वयं इसे देखें। लोगों में भयंकर कष्ट

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

व असन्तोष है, आक्रोश है। अतः आपसे आग्रह है कि मुझे इस विषय पर चर्चा की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैया लाल पाटीदार।

ग्राम सेवा सहकारी समितियों का कार्यक्षेत्र

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम सेवा सहकारी समितियों का जो किसानों को खाद, बीज, ऋण नियन्त्रित वस्तुएं आदि प्रदान करती हैं, कार्य क्षेत्र काफी बड़ा है। किसी-किसी सहकारी समिति में तो 4-4 ग्राम पंचायतें हैं। 2 और 3 ग्राम पंचायत वाली तो कई सहकारी समितियां हैं जिसकी वजह से लोगों को इन समितियों का समुचित लाभ प्राप्त नहीं हो सकता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारी समिति के माध्यम से किसान खाद, बीज, ऋण व नियन्त्रित वस्तुएं प्राप्त करता है। किसानों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सहकारी समितियों के माध्यम से होती है। लेकिन इनका कार्य क्षेत्र काफी बड़ा होने से न तो समितियों के कर्मचारी किसानों को समुचित व सुलभ लाभ प्रदान कर सकते हैं और न ही किसान समितियों से समुचित लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ग्राम पंचायत का कार्य क्षेत्र छोटा कर लोगों को लाभ पहुंचाया है, ग्रामों में विकास सुलभ कराया है, उसी तरह से सहकारी समितियों का कार्य क्षेत्र को भी छोटा किया जाना नितान्त आवश्यक है। प्रथम तो पचायत मुख्यालय पर जी एस. एस. कायम होना चाहिये और यदि यह संम्भव नहीं हो तो कम से कम दो ग्राम पंयाचतों के बीच एक जी.एस.एस. तो होना ही चाहिये, ताकि किसान इन संस्थाओं का समुचित लाभ प्राप्त कर सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम में सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस तरह ग्राम पचायत का विस्तार कर प्रदेश में विकास को गति प्रदान की है उसी तरह से किसान हित में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का भी विस्तार किया जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

प्रवासी राजस्थानियों हेतु उच्च तकनीकी संस्थाओं में आरक्षण

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से प्रस्ताव करना चाहता हूं।

मान्यवर, राजस्थान मूल निवास के कई हजार नागरिक अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न शहरों में रह रहे हैं। बहुत-से लोग सरकारी सेवाओं में कार्यरत

(श्री शिवनाथ सिंह)

हैं तथा अन्य अपने निजी व्यवसाय, उद्योगों में कार्यरत हैं।

अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह में उच्च तकनीकी शिक्षा के लिये कोई संस्था राजकीय अथवा निजी क्षेत्र की नहीं है जिससे इन प्रवासी राजस्थान वासियों के बच्चों को आगे के अध्ययन में कठिनाइयां आती हैं।

भारत की अन्य अनेक प्रांतीय सरकारों ने अपने राज्यों में स्थित तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में अपने-अपने प्रांतों के प्रवासी लोगों के बच्चों के लिये इन संस्थाओं में अध्ययन हेतु स्थान आरक्षित कर रखे हैं। अभी तक राजस्थान सरकार की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है, जिससे राजस्थान के प्रवासी भाइयों के बच्चों को उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है। अन्य प्रांतों की भांति राजस्थान सरकार भी यदि मेडिकल कॉलेजों, इंजीनियरिंग कॉलेजों में कुछ सीमित सीटें इन बच्चों के लिये रिजर्व करती है तो काफी राहत मिलेगी।

अतः निवेदन है कि सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था करे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल धाकड़।

(अनुपस्थित)

श्री रामस्वरूप मीणा।

दौसा तहसीलदार द्वारा सैटलमेंट विभाग की मिलीभगत से रिकार्ड में हेराफेरी

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम मलवास जिला दौसा के खसरा नम्बर 415 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा को तहसीलदार दौसा ने अपने पद का दुरुपयोग कर सैटलमेंट विभाग की मिलीभगत से रिकार्ड में हेराफेरी कर नये खसरा नम्बर 969/1228, व 969/1202/1228 के रूप में एन्ट्री कर काश्त की कृषि योग्य भूमि को ग्राम रास्ते में तबदील करने से उत्पन्न स्थिति पर नियम 295 के प्रस्ताव के सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रार्थी पांच्या पुत्र श्री रत्ता, मूल्या पुत्र बिरदा जाति मीणा ग्राम मलवास जिला दौसा की खातेदारी व कब्जे की कृषि भूमि साविका खसरा नम्बर 415 रकबा 11 बीघा, 17 बिस्वा को इसी गांव के सीताराम पुत्र गैंदा मीणा जो कि सैटलमेंट विभाग में ही पदस्थापित है तथा दूसरा जगन्नाथ पुत्र शंकर मीणा दोनों ने मिलकर तहसीलदार, दौसा से राजनीतिक एवं पैसे के बलबूते पर सैटलमेंट विभाग के रिकार्ड में हेराफेरी करा कर नया रिकार्ड तैयार कर लिया, जिसमें काश्त की भूमि जो मौके पर सम्बन्धित काश्तकार की काश्त और कब्जा काबिज है, को नया खसरा नं. देकर 969/1220 व 969/1202/1228 ग्राम रास्ते के रूप में बदलकर, तहसीलदार दौसा ने अपने पद का दुरुपयोग कर कमजोर एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के हितों पर कुठाराघात किया है। जिससे स्थिति

(श्री रामस्वरूप मीणा)

विस्फोटक बनती जा रही है और प्रार्थी को आर्थिक एवं मानसिक पीड़ा उत्पन्न हो रही है। प्रार्थी उच्च स्तर पर अधिकारियों को रिश्वत देने में असमर्थ रहा जिससे स्थिति तहसीलदार ने पैदा कर परेशानी में डालकर आर्थिक शोषण कर लिया है।

माननीय रेवेन्यू बोर्ड अजमेर ने आर. आर. डी. 1993 पेज 33 एवं आर. आर. डी. 1994 पेज 761 व 266 में तय किया है कि सेटलमेंट विभाग को उक्त स्थिति उत्पन्न करने का अधिकार नहीं है। माननीय रेवेन्यू बोर्ड ने आर. आर. डी. 1993 पेज 44 में तो यहां तक माना है कि ऐसी एन्ट्री अवैध, प्रभाव शून्य ऐन्ट्री है तथा इसे डीक्लीयरेशन तक की कोई आवश्यकता नहीं है। किन्तु फिर भी तहसीलदार दौसा व अन्य अधिकारी प्रार्थीगण के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मौके पर कभी कोई रास्ता नहीं रहा है, लेकिन जगन्नाथ तथा सीताराम की सिफारिश एवं पैसों के बलबूते पर जबरन रास्ता बनाने के लिये काश्त में भूमि को उपयोग में लेने से मना करते हैं और रास्ता खुलवाने पर आमादा हैं।

इसके साथ ही दिलचस्पी की बात तो यह है कि प्रार्थीगण के साथ तो अन्याय किया जा रहा है किन्तु दौसा तहसील की करोड़ों रुपयों की चरागाह भूमि, ग्राम रास्ता सिवाय चक भूमि, राष्ट्रीय राजमार्गों की सीमाओं पर अतिक्रमण, नहरों पर अतिक्रमण, आदि के सम्बद्ध हलका पटवारियों द्वारा या तो रिपोर्ट नहीं होती और यदि तहसील कार्यालय में हलका पटवारियों के द्वारा उक्त किस्म की भूमियों पर अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में रिपोर्ट होने के बावजूद रिश्वत मिल जाने से धारा 91 के तहत या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं कर पाते हैं। जिससे तहसील दौसा व जिला दौसा के उक्त क्षेत्र में विगत 2 वर्षों से धड़ल्ले से राजस्व विभाग की लापरवाही से अतिक्रमियों को हौसला और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। जिसकी समय रहते राज्य सरकार द्वारा अपना हस्तक्षेप कर अंकुश लगाने व उक्त प्रकरण की जांच कर उचित कार्यवाही के लिये प्रस्ताव के माध्यम से मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी।

भीलवाड़ा में बालक की हत्या की पुलिस द्वारा जांच नहीं

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये निम्न विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा नगर में 22 सितम्बर, 1995 को करण नामक बालक का अपहरण कर निर्मम हत्या कर दी गयी थी। इस घटना को डेढ़ माह बाद तक भी कोई कार्यवाही नहीं होना पुलिस प्रशासन की दृष्टि और विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह नगर की दो लाख जनता में बना हुआ है। पुलिस द्वारा दो किशोरों की कहानी बता कर असली अपराधी को

(श्री रतनलाल ताम्बी)

सुरक्षित रखने की जन चर्चा और समाचार पत्रों में इस घटना की प्रमुखता के साथ खबरें छपने पर प्रभावी कार्यवाही नहीं होने से जनता में भयंकर असन्तोष पैदा हो रहा है। घटना से लगता है कि यह लीपापोती की परिधि में आ गयी है, इसलिये अपराधी अब जनता की निगाहों में खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसा लगता है कि मानो प्रजा की रक्षा करने वाली पुलिस इस घटना से जनता में असुरक्षा की भावना पैदा कर रही है। मेरी मांग है कि इस घटना पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? और आगे करण नामक बालक की निर्मम हत्या की घिनौनी साजिश पर्दाफाश चाहती है ताकि भविष्य में बालक इस तरह अपहरण का शिकार न बनें और अपराधी निरुत्साहित हो सकें। मैं यह भी अनुरोध करता हूं, राज्य के गृह मन्त्री भीलवाड़ा जिले के विधायक हैं, उनके जिले में इस बड़े जघन्य हत्याकांड का डेढ़ माह तक पर्दाफाश नहीं होने पर उन्हें दूध का दूध और पानी का पानी प्रमाणित कर अपनी सजगता और पुलिस छवि के प्रति जनता में हो रहे अवमूल्यन का प्रतिकार करने तथा जघन्य अपराध में लिप्त अपराधियों को दण्डित करने के लिये प्रभावी कदम उठाना आवश्यक है। इस हत्याकांड की जांच के लिये बनी संघर्ष समिति ने भी सरकार का इस मामले में विभिन्न तथ्यों के साथ रोष व्यक्त करते हुये बराबर ध्यान आकृष्ट किया है। सदन में इस बाबत गृह मन्त्री महोदय वक्तव्य देकर, की गयी कार्यवाही की जानकारी देते हुये इस प्रकरण पर की जाने वाली भावी कार्यवाही को भी व्यक्त करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

सांगानेर अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिये भूमि अवाप्ति

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत यह बताना चाहूंगी कि सांगानेर हवाई अड्डे के पास अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिये जगतपुरा ग्राम के आसपास की जो जमीन अवाप्त की गयी थी उसमें से मात्र 13 बीघा 12 बिस्वा छोड़कर बाकी भूमि इस हवाई अड्डे से मुक्त कर दी गयी थी। अब पुनः 7. 8. 1995 को उसी मुक्त भूमि को अवाप्त करने के नोटिस जारी किये गये हैं जिसके कारण उस क्षेत्र में रह रहे निवासियों में आक्रोश फैल गया है व अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गयी है। इस भूमि के कुछ हिस्से में गरीब लोगों ने अपनी सारी पूंजी लगा कर रहने के मकान बनाये हैं। उन गरीबों के मकानों को तोड़ कर सरकार इन लोगों को बेघर करना चाहती है। अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिये अपनी अधिक भूमि की, जो करीब 400 बीघा है, आवश्यकता नहीं है तो फिर उस भूमि को किस कार्य के लिये अवाप्त किया जा रहा है, इसकी जानकारी नोटिस में नहीं है।

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

अतः सरकार से निवेदन है कि इस बाबत नोटिस को तुरन्त वापस लिया जाए और वहां के लोगों में फैली अशांति को समाप्त किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह।

सहायक अभियन्ता (पी. डब्ल्यू. डी.) कार्यालय का सराड़ा में स्थानान्तरण

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत मन्त्री जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उदयपुर जिले के उप खण्ड सलूम्बर का अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय; उदयपुर से सलूम्बर में शिफ्ट कर कार्य संचालन हो रहा है।

सहायक अभियन्ता, सराड़ा कार्यालय, सराड़ा पर स्थित होकर किराये के भवन में चल रहा है जिसका किराया 3600/- (तीन हजार छः सौ रुपये) होकर एक वर्ष का किराया 42,000/- रुपये होता है। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन यह है कि सराड़ा के परसाद स्थित निरीक्षण गृह पी. डब्ल्यू. डी. में पर्याप्त भवन खाली है, जिसमें कोई कार्यालय नहीं है। यहां पूर्व में भी पी. डब्ल्यू. डी. का कार्यालय चल रहा था जो अभी हट कर राजसमन्द जिले में चला गया है तथा परसाद स्थित भवन रिक्त होकर खुर्द-बुर्द हो रहा है। ऐसी स्थिति में सहायक अभियन्ता उप खण्ड कार्यालय परसाद शिफ्ट कर दिया जाए ताकि सरकार के कोष से भारी रकम जो किराये के रूप में दी जा रही है वह बच जाए तथा कार्यालय भी सुव्यवस्थित शिफ्ट कर दिया जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपीराम जाट। आपके दो मामले हैं, एक साथ बोल लीजिये।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : अभी तो एक ही बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका कानून व्यवस्था पर है तो कृपया कानून व्यवस्था पर चर्चा हो उस समय आप बोल लेना।

श्री गोपीराम जाट : ठीक है।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन

लोकायुक्त का 13 वां प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले प्रतिवेदन। श्री भैरोंसिंह शेखावत, मुख्य मन्त्री, राजस्थान लोकायुक्त का 13वां प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री हरिशंकर भामड़ा (उद्योग मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अधीन, उसके कृत्यों के पालन पर उक्त अधिनियम की धारा 12(4) के अन्तर्गत 1. 1. 1990 से 31. 8. 1993 तक की अवधि से

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

सम्बन्धित लोकायुक्त का 13वां प्रतिवेदन सदन की मेज पर रख रहा हूं।

पर्यटन विकास निगम के वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती नरेन्द्र कंवर, पर्यटन राज्य मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अन्तर्गत राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के दो वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखे सदन की मेज पर रखेंगी।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर (राज्य मंत्री, पर्यटन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा के अन्तर्गत राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर का 13वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1991-92 एवं राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर का 14वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखे वर्ष 1992-93 सदन की मेज पर रखती हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

थानागाजी में छात्र-छात्राओं के अध्ययन की समुचित व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री रमाकान्त, सदस्य, विधान सभा, निर्वाचन क्षेत्र थानागाजी में छात्र-छात्राओं के अध्ययन की समुचित व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री रमाकांत (थानागाजी) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान थानागाजी में छात्र-छात्राओं के अध्ययन की समुचित व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के बारे में आकर्षित करता हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, तथ्यात्मक विवरण निम्न प्रकार है :—

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र थानागाजी में सीनियर माध्यमिक स्तर के निम्नलिखित विद्यालय संचालित है :—थानागाजी के नारायणपुर, प्रतापगढ़ टहला और अजबपुरा। थानागाजी में तीनों ही संकाय हैं कला, वाणिज्य और विज्ञान, नारायणपुर में तीनों संकाय हैं, प्रतापगढ़ में तीनों संकाय हैं, टहला में कला और वाणिज्य संकाय हैं और अजबपुरा में केवल कला वर्ग है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में स्थित चार सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में से तीन सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में समस्त संकाय उपलब्ध हैं। इस प्रकार विधान सभा क्षेत्र में समस्त संकायों में विद्यार्थियों के लिये अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है। जहां तक अतिरिक्त विषय और संकाय खोलने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में निवेदन है कि वर्ष 1995-96 में विषय और संकाय खोले जाने हेतु बजट में प्रावधान उपलब्ध नहीं था। अनार्थिक रूप से घोषित संकायों को बन्द कर ही मांग वाले विद्यालयों में

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

संकाय और विषय खोले जाने की चालू सत्र में स्वीकृति दी गयी है।

(13.00)

विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त विषय एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, टहला में विज्ञान संकाय खोले जाने के प्रस्ताव यदि राज्य सरकार को समुचित रूप से प्राप्त होते हैं तो आगामी वर्ष में बजट उपलब्ध होने तथा पर्याप्त छात्र-संख्या एवं स्थानीय भौतिक सुविधाएं उपलब्ध होने की स्थिति में अतिरिक्त संकाय/विषय प्रारम्भ करने के प्रस्ताव पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा। अतः उपरोक्त स्थिति में इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री रमाकान्त (थानागाजी) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट में प्रावधान नहीं है और नये विषय नहीं खोले इसीलिये तो ध्यानाकर्षण कर रहा हूं। यदि बजट में प्रावधान होता, खुल गये होते तो मुझे बोलने की आवश्यकता ही कहां थी ? जहां तक प्रस्ताव का प्रश्न है मैंने माननीय शिक्षा मंत्रीजी को 3-12-90 को बाकायदा प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे। फिर उसके बाद में कार्यवाही नहीं हुई तो मैंने 26-9-91 को पुनः प्रेषित किये। तत्कालीन माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने 3-10-91 को मुझे पत्र लिखकर आश्वासन दिया कि आपका प्रस्ताव मैंने शिक्षा सचिव को भिजवा दिया है, निश्चय ही इस वर्ष के अन्दर कार्यवाही हो जायेगी। उस पर कार्यवाही नहीं हुई।

माननीय उपाध्यक्षजी, जो चार स्कूल हैं सीनियर सैकण्डरी मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर, ये सभी 2-4 वर्ष के अन्दर हुए हों, ऐसी बात नहीं। पिछले 25 वर्ष से हैं। 25-25,30-30 वर्ष पुराने जो स्कूल हों, वे लूले-लगड़े चल रहे हों ? अब स्थिति यह है कि नारायणपुर के अन्दर....

श्री उपाध्यक्ष : आप सवाल पूछ रहे हैं या भाषण दे रहे हैं ?

श्री रमाकान्त : नहीं, भाषण नहीं दे रहा, सवाल पूछ रहा हूं सवालों की भूमिका होती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतिहास और अर्थशास्त्र नारायणपुर में नहीं हैं। होने को तो भूगोल भी नहीं है परन्तु इतिहास और अर्थशास्त्र नहीं होने से वहां के लोग कम्पीटीशन एक्जामिनेशन में बैठ ही नहीं सकते। न वे आर. ए. एस. में बैठ सकते हैं न आई. ए. एस. में बैठ सकते हैं और न कोई और प्रकार के कम्पीटीशन में। इसी प्रकार संस्कृत और हिन्दी जैसे विषय थानागाजी में नहीं हों, विज्ञान के अन्दर थानागाजी में गणित विषय नहीं हो तो वहां का आदमी + + + इंजीनियर बन ही नहीं सकता।

1947 के अन्दर मैं 10वीं में पढ़ता था, मैं साइंस पढ़ने के लिये 45 किलो-

---

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रमाकान्त)

मीटर दूर अलवर जाया करता था। वही स्थिति आज भी उन लोगों की है। आजादी के 48 साल बाद भी प्रतापगढ़ का आदमी 70 किलोमीटर जाकर अलवर साइंस पढ़े तो फिर इन सारी की सारी स्कूलों से जिस प्रकार की हम शिक्षा देना चाहते हैं वह शिक्षा प्राप्त नहीं होती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि थानागाजी में साक्षरता की स्थिति और शिक्षा की स्थिति बहुत ज्यादा, यूं समझिये कि कमजोर है। उसके बावजूद मेरी राजगढ़ पंचायत समिति में दस पंचायतें हैं, उनमें पिछले पांच वर्ष से एक भी स्कूल क्रमोन्नत नहीं हुआ। एक प्राथमिक स्कूल भी, आपका विषय नहीं है परन्तु कहना पड़ता है कि प्राथमिक विद्यालय तक इस साल के अन्दर एक खोला है।

अभी कल कोई कह रहे थे कि उनके विधान सभा क्षेत्र में 2 राजस्व ग्राम हैं जिनके अन्दर अभी तक स्कूल नहीं खुले हैं। मेरे यहां 30 राजस्व ग्राम हैं जहां स्कूल नहीं खुले हैं। प्राथमिक स्कूल आप नहीं खोलें, सैकण्डरी स्कूल आप क्रमोन्नत नहीं करें 10-10 पंचायतों के अन्दर मिडिल स्कूल आप क्रमोन्नत नहीं करें 25 वर्षों से जो विद्यालय चल रहे हैं उनके अन्दर आप विषय नहीं खोलें, संकाय खोलने की जो आवश्यकता है टहला के अन्दर, विज्ञान का संकाय नहीं है, वह नहीं हो। जहां तक विज्ञान संकाय का प्रश्न है, प्रतापगढ़ में साधारण विज्ञान नहीं है, उसके अन्दर केवल कृषि सम्बन्धित विज्ञान हैं। आपने कहां तीनों संकाय, हैं, वह भी सही नहीं है।

मेरा आपसे नम्र निवेदन है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ऐसी स्थिति के अन्दर क्योंकि विषय खोलने के लिये अलग से बजट प्रावधान की आवश्यकता नहीं होती, इतना-सा मुझे ज्ञान है, कृपा करके, इसलिये टहला में विज्ञान संकाय खोलें।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर दे रहे हैं आप, मंत्री महोदय ?

श्री रमाकान्त : जो खामी रह गयी, वहीं ध्यानाकर्षण कर रहा हूं, साहब। इसी प्रकार से नारायणपुर के अन्दर तत्काल इतिहास और अर्थशास्त्र खोलें। नारायणपुर और प्रतापगढ़ में टकंण का विषय नहीं है, वहां टकंण का विषय खोलकर मुझे अनुग्रहित करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता स्वाभाविक है। इतने पुराने स्कूल हैं बच्चों की संख्या भी है, संकाल खोलने चाहिये, इसमें कोई दो राय नहीं हैं लेकिन आपने 1990 और 1991 में तो मांग की पर मेरे आने के बाद में न तो वहां की जनता और न आपकी तरफ से यह प्रस्ताव आया कि हमारे यहां संकाय या विषय खोले जायं। इस कारण मेरी जानकारी का अभाव है। यद्यपि मैंने यह बहुत प्रयास किया था कि विभिन्न विद्यालय में जहां बालक अधिक हैं, संकाय खोले जायें। कुछ ऐसे अनार्थिक संकाय थे जहां एक भी बालक नहीं था,

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

फिर भी संकाय पिछले कई वर्षों से चल रहा था, ऐसे संकाय बन्द किये और उनकी एवज में उसी जिले में जहां से मांग आयी, मैंने संकाय को स्थानांतरित किया ।

आपके यहां भी दो स्कूलों में जहां वाणिज्य संकाय है, एक भी बालक आज की तारीख में नहीं पढ़ रहा है, वहां केवल नाम मात्र का संकाय चल रहा है । राजस्थान में लगभग 127 संकाय ऐसे थे जिनकी उपयोगिता नहीं होने के कारण वे लगभग बन्द हो गये या बन्द हो जाने की स्थिति में हैं । उसकी एवज में इस साल मैंने उन्हीं बन्द सकाय और सब्जेक्ट के आधार पर 47 संकाय, राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर जहां-जहां से मांग आयी थी और बच्चे पर्याप्त संख्या में थे, वहां 47 संकाय खोले और 46 नये विषय इस वर्ष बजट में प्रावधान नहीं होते हुए भी खोले । इस व्यवस्था में से इस प्रकार से किया । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बालकों की सख्या जो वास्तव में आपके इस क्षेत्र में है वह संकाय खोलने के लिये पर्याप्त है । क्योंकि जब संकाय खोलते हैं तो कॉमर्स के लिये 20 बालकों की उपलब्धता चाहिये, कला खोलें तो 25 बालक उपलब्ध होने चाहिये और 15 बालक उपलब्ध हों तो सामान्यतः उस स्थान पर विज्ञान संकाय खोलते हैं ।

उस दृष्टि से आपके अधिकांश विद्यालय वास्तव में संकाय खोलने के लिये भी और विषय की दृष्टि से भी उपयुक्त हैं । मैं इस दृष्टि से आपको अगले वर्ष के लिये आश्वस्त कर सकता हूं । इस साल के बीच में खोलने का मतलब पहले से ही व्याख्याताओं की कई वर्षों से रिक्तता को जो बड़ी मुश्किल से अब किनारे पर लाये हैं, अब संकाय खोल कर बच्चों की पढ़ाई नवम्बर और दिसम्बर में किसी भी प्रकार से उचित नहीं करा सकेंगे । इसलिये मैं आपसे इतना विश्वास दिलाता हूं कि अगले वर्ष जो विषय आवश्यक होंगे और बालकों की संख्या के अनुरूप वहां विषय होंगे, उन विषयों के बारे में और संकाय के बारे में निर्णय लेते समय आपके प्रस्ताव को निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे ।

श्री रमाकांत : आपका मैं बहुत-बहुत आभारी हूं ।

खाजूवाला सिंचित क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का अभाव

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा खाजूवाला सिंचित क्षेत्र में पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : माननीय उपाध्यक्षजी, प्रक्रिया व नियमों के अन्तर्गत माननीय मंत्री महोदय का ध्यान खाजूवाला क्षेत्र के किसानों को जो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उसकी पर्याप्त सुविधाएं दिलाये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ।

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस सदन में बिन्दुवार प्रस्तुत किया है बिन्दुवार ही मैं उनके प्रश्नों का उत्तर देना का प्रयास करूंगा।

(1) अनूपगढ़ शाखा की आर. डी. 365 पर पूरा पानी उपलब्ध होने पर वहां से निकलने वाली तीनों नहरों में पूरा पानी लाया जाता है। यह तो आपके ध्यान में होगा ही।..(व्यवधान) है....

वह, आ रहा हूं, यह तो फैक्ट बताया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप वक्तव्य दीजिये श्रीमान्।

श्री देवीसिंह भाटी : पानी का उतार होने पर यहां से निकलने वाली नहरों की वरीयता क्रम में चलाया जाता है। के. वाई. डी. नहर के वरीयता में होने पर इस नहर में 378 क्यूसेक्स पानी चलाया जाता है।

(2) खोयावाली वितरिका आर. डी. 62700 तक सिल्ट जमा है जिससे नहर में पानी का स्तर बढ़ गया है, इस कारण मोगे अधिक पानी ले रहे हैं। बजट उपलब्ध होने पर नहर की सिल्ट निकलवा दी जाएगी इससे ये मोगे निर्धारित मात्रा में पानी लेने लगेंगे।

(3) बी. डी. नहर के हैड का क्रस्ट नीचा करने की जांच की जा रही है।

(4) यह के. वाई. डी. व के. जे. डी. नहर के हैड नहीं तोड़े गये हैं केवल कुछ मोगों के स्थान बदले हैं और सही साइज के लगाये गये हैं।

(5) यह सही है कि के. जे. डी. नहर का बेड आर. डी. 6 से 17 तक 0.40 फीट से लेकर 1.15 फीट तक ऊंचा है जिसको काश्तकारों द्वारा तुड़वाने का पूर्व में निर्णय लिया जा चुका है। काश्तकारों का सहयोग अपेक्षित है। आवश्यक सहयोग मिलने पर हैड तुड़वा दिया जाएगा।

(6) के. वाई. डी. एवं के. जे. डी. नहरें रेतीले क्षेत्र में से गुजरती हैं। के. जे. डी. नहर एवं के. वाई. डी. नहर की लम्बाई बहुत अधिक है इसलिये इन नहरों की सिल्ट की समस्या अधिक रहती है। उपलब्ध धनराशि के अनुसार वर्ष 1994-95 व 1995-96 में कुछ कार्य करवाये गये हैं।

(7) यह सही है कि के. जे. डी. नहर की आर. डी. 107 पर पानी की कमी रहती है, इसमें रेत भी अधिक भरती है एवं कुछ स्थान पर बैड ऊंचा है। इसकी आर. डी. 107 पर हेमूवाला एवं गुल्लूवाला माइनर निकलते हैं। ये छोटे माइनर होने के कारण काश्तकार इनकी सिल्ट सफाई का कार्य स्वयं कर लेते हैं। इसलिये इन दोनों माइनरों की टेल गेज 0.70 फीट से 1.0 फीट रहती है परन्तु के. जे. डी. की टेल पर पूरी गेज नहीं हो पाती है। विभाग द्वारा टेलों पर काश्तकारों को बार-बार प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे सिल्ट सफाई के कार्यों

(श्री देवीसिंह भाटी)

में सहयोग करें जिससे के. जे. डी. की टेल पर पूरा पानी दिया जा सके।

(8) के. जे डी. नहर के टेल क्षेत्र को पानी उपलब्ध करवाने का प्रावधान इसके मूल अनूपगढ़ शाखा नहर सिस्टम में ही है, तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(9) घग्घर बाढ़ के डिप्रेशन नम्बर 18 को अनूपगढ़ शाखा से जोड़कर बाढ़ के पानी के उपयोग की योजना घग्घर बाढ़ नियन्त्रण परियोजना में सम्मिलित है। घग्घर बाढ़ के पानी को अनूपगढ़ शाखा की आर. डी. 42-46 के मध्य डालने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

अब आपने स्वीकार तो कर ही लिया, आगे स्वीकार नहीं करने की बात तो क्यों कहें ?

श्री भीमसेन चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो जवाब मुझे दिया है वह आम तौर पर सारे का सारा इवेसिव रिप्लाई दिया है इन्होंने। कुछ न कुछ टालने के हिसाब से दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : विस्तृत जवाब दिया है।

श्री भीमसेन चौधरी : इसलिये तो मैंने पाइन्टवाइज पूछा है लेकिन हर एक पाइन्ट का इन्होंने इवेसिव रिप्लाई दिया है। आपने वी. डी. नहर की क्रस्ट के बारे में कहा कि इसकी जांच की जा रही है, तो आपको मालूम है कि वी. डी. नहर की क्रस्ट एक फीट उन्होंने तोड़ दी है। आपको सारा ध्यान है फिर भी आपने इवेसिव रिप्लाई दे रहे हैं कि जांच की जा रही है। दूसरे यह खोयावाली वितरिका के बारे में आपने बताया कि इसमें सिल्ट जमा हो जाती है। इस नहर की सिल्ट, क्लीयरेंस के लिये आपने समय-समय पर 10 लाख रुपये मंजूर किये हैं....

श्री देवीसिंह भाटी : के. वाई. डी. में न ?

श्री भीमसेन चौधरी : हां। 10 लाख रुपये आपने मंजूर किये हैं उसके लिये सिल्ट क्लीयर होने के बावजूद भी चूंकि इसके हैड पर जो मोगे लगे हुए हैं वे ओवरसाइज के लगे हुए हैं, जिसके बारे में आपने जवाब दिया कि हमने मोगों का स्थान चेंज किया है, इसलिये मूड बेस्ड पानी ज्यादा खींच लेते हैं और टेल पर पानी नहीं मिलता। दूसरे दूसरा के. जे. डी. के बारे में मैंने निवेदन किया था। के. जे. डी. में आपने इस बात को मंजूर किया है कि बीच में से बैड लेवल ऊंचा होने से मूड में बराबर मिट्टी भर जाती है और उससे आगे के काश्तकारों को पानी उपलब्ध नहीं होता। इस लेवल को ठीक करने के लिये दो साल से आपने आश्वासन तो दिया है कि इसको करवा रहे हैं लेकिन आज तक आपने इसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं की। आप यह अपेक्षा रखते हैं कि किसान इसको तोड़ दे। किसानों का आप सहयोग लेंगे तो किसान इसके लिये तैयार हैं।

(श्री भीमसेन चौधरी)

तीसरी बात आपने यह बतायी कि के. जे. डी. नहर और के. वाई. डी दोनों ही नहरें बहुत लम्बी हैं। इसीलिये तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता था, मेरा क्वेश्चन नम्बर 8 है इसका। मैंने यह डिमाण्ड की थी कि पूगल शाखा की टेल से इस नहर की माइनर निकाल कर जोड़ दिया जाए तो पूगल शाखा से जो पानी उपलब्ध होगा उससे इस के. जे. डी. केनाल के टेल के काश्तकारों के सामने जो आज समस्या आ रही है वह समस्या आइन्दा नहीं आएगी। इसके बारे में आपने बिलकुल इवेसिव रिप्लाई दिया। आपने यह जवाब दिया मुझे कि के. जे. डी. नहर के टेल क्षेत्र को पानी उपलब्ध कराने का प्रावधान इसके मूल अनूपगढ़ शाखा नहर सिस्टम में ही है। वह तो मैं ही जानता हूं कि मूल सिस्टम में है लेकिन पानी कहां उपलब्ध हो रहा है उनको ? वहां टेल पर जो गेज है वह दशमलव 10 ही रहता है। आप गिरदावरी मंगाकर देखें तो मालूम होगा कि किस तरह से 3-4 बरसों से टेल के काश्तकारों को कोई पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। 110 आर. डी. के बाद के जितने भी काश्तकार हैं के. जे. डी. के उनको पूरा पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसलिये मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया था पर आपने बिलकुल इवेसिव जवाब दिया। यह केवल सिल्ट से नहीं है, लम्बी केनाल है इस वजह से यह सारा सिस्टम खराब हो रहा है इसका।

इसी तरह से आपको मालूम है कि काश्तकारों ने 2 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक वहां खाजूवाला में एस.डी.ओ. के यहां धरना दिया और इन्हीं बिन्दुओं के बारे में उनसे मांग की तो आपने उसके बारे में कोई उनको सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया और आपके ही लोगों ने आपसे बात की तो आपने उनको जवाब दिया कि आप तो केवल बारानी इलाके के काश्तकार हैं, आपको क्या पता कि नहरी सिंचाई क्या होती है।....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर आने दीजिये।

श्री देवीसिंह भाटी : किस को दे दिया ? क्या कहा ?

श्री भीमसेन चौधरी : आपने यह जवाब दिया अजीतसिंह जी को कि तीन बार बारिश आने से वहां के किसानों की नरमे-कपास की फसल इफेक्टेड हुई है, बहुत नुकसान हुआ है।

श्री देवीसिंह भाटी : ऊपर झाड़ लगा हुआ है गिर जायेगा नीचे।

श्री भीमसेन चौधरी : नहीं गिरेगा वह।

श्री देवीसिंह भाटी : आप गवाह थे क्या कि मैंने ऐसे शब्द कहे ? इतना नासमझ नहीं हूं मैं। काश्तकारों से तरीके से बात करता हूं। काश्तकार मेरे लिये भगवान है। उन लोगों से मैं ऐसी कोई बात नहीं कह सकता।

श्री भीमसेन चौधरी : मुझे बताया गया कि आपने जवाब दिया है। फिर भी

(101)

(श्री भीमसेन चौधरी)

मैं निवेदन कर रहा हूं कि साल दो साल का टाइम हो गया इन सारी समस्याओं के बारे में। मैंने पहले विधान सभा सत्र में भी उठाया, दूसरे में भी उठाया और बारबार हर सत्र में उठाता रहा हूं लेकिन आपने इस सम्बन्ध में कोई भी इफैक्टिव काम नहीं किया काश्तकारों के लिये, यह मेरा निवेदन है।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, नहर प्रणाली में निश्चित तौर पर जहां खूब आवपाशी होती है, खूब अनाज का उत्पादन होता है वहीं सिस्टम में निर्माण के समय या बाद में कुछ रुकावटें या बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। वैसे आम तौर पर ये समस्याएं मेरे ध्यान में हैं और विभाग की जानकारी में भी हैं। आपके द्वारा, और जन-प्रतिनिधियों के द्वारा समय-समय पर इसके लिये आगाह भी किया गया है और इसमें सुधार करने का भी निश्चित तौर पर प्रयास किया गया है। जैसा अभी मैंने बताया, जो बी. डी. नहर का क्रस्ट है उसको तोड़ दिया गया और उससे नीचे पानी ज्यादा जा रहा है। काफी अर्से से, जिस समय वाटर कोर्सेस कच्चे थे, बी. डी. नहर की क्षमता उस समय डिजाइन डिस्चार्ज 82.62 क्यूसेक्स थी और खाले पक्के होने के बाद में इसका डिजाइन डिस्चार्ज 118.13 क्यूसेक्स हो गया। लेकिन मौके पर समस्या तब आती है जब हैड से ऊपर वाला काश्तकार यह चाहता है कि उसका हैड बढ़े और पूरा पानी, फायदा उसे मिले और नीचे वाले कहते हैं कि इस हैड को, क्रस्ट के लेवल को थोड़ा कम करो ताकि नीचे हमारे पानी पूरा जाए। वरना जहां थोड़ा पानी चलेगा क्रस्ट के ऊपर वाले हैड ज्यादा रहने से पानी ज्यादा ड्रा कर लेते हैं। इसके लिये कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं माननीय सदस्यों को कहूं और आपके माध्यम से दूसरे अन्य काश्तकारों को निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इसके अन्दर कहीं गड़बड़ हुई है, यदि दो-पांच काश्तकारों को या किन्हीं और विशेष प्रभावशाली लोगों को फायदा देने के लिये क्रस्ट के साथ कोई छेड़खानी की है तो निश्चित तौर पर जो सख्त से सख्त सजा मैं दे सकता हूं अपने हाथ से दूंगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन उसके साथ मैं चाहूंगा कि आप स्वयं मेरे साथ मौके पर पधारें। यह जांच तो हमने विजयनगर वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता को दी है, आप साथ पधारें, काश्तकार साथ वहां हों और आप वहां मौके पर सन्तुष्ट करदें कि यह क्रस्ट यहां रहना चाहिए, यदि इसको आधा फीट नीचे किया है तो गलत किया है तो उसी समय निर्णय लेकर उसको सही करवा दिया जाएगा। लेकिन मैं यह चाहूंगा, क्रस्ट के ऊपर वाले काश्तकार हैं उनको भी पानी सही मिलना चाहिये और नीचे वालों को भी उनका हिस्सा बराबर मिलता रहे इसके लिये मैं अपना यह चैप्टर बिलकुल ओपन रखता हूं, आप साथ पधारिये, निश्चित रूप से मौके के ऊपर निर्णय कर देंगे।

अब सवाल यह उठता है, जैसा आपने फर्माया कि के. वाई. डी. नहर के अन्दर

(श्री देवीसिंह भाटी)

आपने सिल्ट के अन्दर काफी पैसा खर्च कर दिया । मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं जो इसमें पूरी रूचि रखते हैं, यह बात सही है कि यदि हमने नहर का निर्माण किया है और उसके अन्दर पूरी कैपेसिटी के हिसाब से यदि पानी नहीं चलेगा तो टेल का काश्तकार हमेशा रोता रहेगा कि उसे उसके हिस्से का पानी पूरा मिलता नहीं है । सरकार की आम तौर पर यह नीति रहती है कि हम निर्माण के काम ज्यादा से ज्यादा लें, यदि सारा पैसा हमने मेन्टिनेंस में लगा दिया तो नये निर्माण के काम या पानी के उपयोग को हम कर नहीं पाएंगे । मेरी इसके अन्दर पूरी इच्छा है, राज्य सरकार यह चाहती है कि बराबर सिल्ट क्लीयरेंस हो और टेल के ऊपर पानी पहुंचे । इसके लिये जगह जगह मैंने बाहर भी कहा है और आपसे भी निवेदन किया है कि इसके लिये हमने एक प्रस्ताव मूव किया है । यदि उस प्रकार की यह सारी व्यवस्था हो जाएगी तो जितनी भी हमारी इस आबपाशी से आमदनी होगी, जो पानी का सारा मामला जमा होगा वह सारा का सारा हम विभाग के माध्यम से खर्च नहीं करके काश्तकारों की एक कमेटी के द्वारा वहीं उन नहरों की सिल्ट क्लीयरेंस कराएंगे । वे ही उसकी मेन्टिनेंस करेंगे, चाहे बांध है चाहे नहर है । मैं उम्मीद करता हूं कि यह समस्या का एक बहुत बड़ा समाधान हो जाएगा । वैसे उस क्षेत्र के काश्तकार बराबर सहयोग देते रहे हैं, छोटी-मोटी नहरों की तो वे खुद ही सिल्टिंग कर लेते हैं । आप अगर चाहें तो अलग-अलग बता सकता हूं कि किस-किस नहर की कितनी आर. डी. के ऊपर हमने यह अलग-अलग पैसा खर्च किया है ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें ।

श्री देवीसिंह भाटी : यह आपकी जानकारी में है, इसलिये यहां सदन को बताने की आवश्यकता है नहीं ।

सवाल यह रहा कि के. जे. डी. नहर की बहुत ज्यादा लम्बाई है । यह निर्माण के समय सोचा या देखा नहीं कि बिलकुल फ्लैट एरिया है, इसमें कहीं फाल देने की आवश्यकता नहीं, फिलिंग की जरूरत है नहीं और काफी लम्बाई के अन्दर उस नहर को बना दिया गया । अब वास्तव में यह दिक्कत आ रही है कि टेल के काश्तकार हैं उनको कई बार पीने के पानी की समस्या खड़ी हो जाती है । इसके लिये एक सुझाव आया कि इसके बीच में लेवल के अन्दर फर्क है । हमने काश्तकारों से बात की । आप भी वहां थे और अन्य जो वहां के क्षेत्रीय प्रतिनिधि थे उनसे भी बात की । हमने कहा कि मेन्टिनेस का पूरा पैसा हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं कि सारे सिस्टम हम एक साथ ठीक कर लें । इसके बैड लेवल में जहां-जहां भी एक फीट-आधा फीट का फर्क है आप इसकी जहां टाइल्स लगी हुई हैं उनको उखाड़ दें, उसके अलावा जितना विभाग से सहयोग होगा वह सारा हम देंगे और उसके बाद में जैसे-जैसे पैसा मिलेगा हम इसका लेबल सही कर देंगे । उससे काफी

(श्री देवीसिंह भाटी)

उम्मीद है कि आगे पानी टेल तक पहुंच जाएगा ।

दूसरा इसमें बड़ा सुझाव है कि इसको सी. ए. डी. कैनाल की पूगल शाखा से यदि जोड़ दिया जाता है तो टेल पोरशन के एरिया को पूरा पानी मिल सकता है और वे भी आबाद हो सकते हैं । इसके लिये 1994 के अन्दर प्रस्ताव आया था और अधीक्षण अभियन्ता ने वहां से प्रस्ताव बनाकर मुख्य अभियन्ता के यहां प्रस्तुत कर दिये थे । अब सारा टैक्नीकली उसको देखना पड़ेगा कि क्या लेवल होंगे, कितना लम्बा बनाना पड़ेगा । यह सारा मैं दिखवा रहा हूं और मेरी यह कोशिश रहेगी कि टेल का काश्तकार पानी के अभाव में दुखी न हो । समय पर वह अपनी किश्ते भर दे, अपने बच्चों का पेट पालन कर ले और सुचारू रूप से उसे टेल पर पानी मिलता रहे । यह मैं जल्दी ही कोशिश करके निर्णय दूंगा । मैं सोचता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अब सन्तुष्ट होंगे ।

श्री भीमसेन चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने मुझे इस बात का भरोसा दिलाया है कि के. जी.डी. केनाल के जो काश्तकार टेल पर है उनको सही ढंग से और पर्याप्त पानी मिलेगा, ऐसी वे व्यवस्था करेंगे । पूगल शाखा से जोड़ने, से ही उसकी व्यवस्था हो सकती है, इसको आप करें, इसके लिये मैं आपका आभारी होऊंगा ।

श्री रामनारायण चौधरी : पूरे सदन को आश्वासन दिया है, यह आपको आश्वासन नहीं दिया है, दी होल हाउस ।

श्री देवीसिंह भाटी : बिलकुल पूरा सदन गवाह है ।

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1995

श्री हरिशंकर भामड़ा (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से.... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : क्यों लुटाई कर रहे हो ? अकाल में, बाढ़ में सारा राजस्थान त्रस्त है, आप मंत्रियों के वेतन-भत्ते....

श्री हरिशंकर भामड़ा : वेतन भत्ते यह कुछ नहीं है ।

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : सदस्य, विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्तुत करेंगे । श्री रमाकान्त ।

(अनुपस्थित)

श्री भीमराज भाटी ।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसे हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्य रामनारायण जो साहब ने कहा, राजस्थान में अकाल और बाढ़ की भीषण स्थिति से बहुत भारी नुकसान हो चुका है। उसके बावजूद यदि मंत्रियों के भत्ते बढ़ाये भी जाएं तो फिर सदस्यों के भत्ते बढ़ाये जाएं। मोटर व्हीकल का यूज नहीं करने के लिये दो हजार की जगह जब पांच हजार का प्रावधान किया जाए तो पिछले विधान सभा सत्र में हम सभी माननीय सदस्यों ने इस राजस्थान सरकार से और राजस्थान के मंत्री महोदय से यह निवेदन किया था कि हम जो विधान सभा के माननीय सदस्य हैं उनको भी अपना व्हीकल या कोई साधन खरीदने के लिये कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाए। जब आप मंत्रियों के भत्ते बढ़ाना चाहते हैं, तो माननीय सदस्यों के साथ यह दुर्भाव क्यों, यह भेदभाव क्यों? हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों में इस तरह का प्रावधान है। 4 परसेंट से लगाकर 9 परसेंट और 8 परसेंट तक में माननीय सदस्यों को व्हीकल के लिये लोन मिलता है। हम लोग यहां आते हैं तो जनता की सेवा के लिये ही आते हैं, फिर हमको भी कम ब्याज की दर पर साधन उपलब्ध कराकर क्यों नहीं वाहन ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है? सब जगह, मैं हिन्दुस्तान के कई प्रान्त गिना सकता हूं। पंजाब में है, हरियाणा में है....

श्री देवीसिंह भाटी : आदतें खराब हो जाएंगी।

श्री भीमराज भाटी : आदतें काहे को खराब होंगी? फिर आपकी आदत खराब होगी? आप क्या करेंगे? ....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री भीमराज : दूसरा मेरा यह निवेदन है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे राजस्थान के जो माननीय सदस्य हैं उनको लाने-ले जाने के लिये स्टेट रोडवेज की बसें लगा रखी है या मैटाडोर लगा रखी है। हम माननीय सदस्य इस काबिल तो नहीं हैं, हम लोग दो-दो चार-चार उन बसों में आते हैं, राजस्थान की सरकार कोई दूसरे छोटे व्हीकल की व्यवस्था करें जिससे आपको डीजल की भी बचत होगी। हम 5-7 लोग उन बसों में आते हैं। 20-22 लोगों के लिये कोई दूसरा साधन हो जो फ्यूल एफीशिएंट हो। आपकी रोडवेज की बसें 80 और 140 हार्स पावर की बसें हैं, उनमें आप डीजल भी ज्यादा कंजूम करते हो और मेन्टिनेंस का भी उसका खर्चा ज्यादा है। तो क्यों नहीं आप इसके लिये छोटे व्हीकल्स खरीदते हैं?

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि राजस्थान विधान सभा के जो रिटायर्ड सदस्य हैं उनकी पेंशन कई सालों पहले 500 रुपये मुकर्रर की गयी थी। वे इस सदन के माननीय सदस्य रह चुके हैं, उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और आज की तारीख में वे बुजुर्ग लोग हैं

(श्री भीमराज)

और इतना महंगाई का जमाना है। जब आप मंत्री महोदय का बढ़ा रहे हैं तो उन माननीय सदस्यों की, जो वरिष्ठ सदस्य हैं, जो उम्र में बुजुर्ग भी हो चुके हैं, आपकी तरफ से और इस विधान सभा की तरफ से क्यों नहीं पेंशन को भी बढ़ाया जाए? 500 रुपये की जगह उनको भी कम से कम एक हजार किया जाए, यह मैं सरकार से निवेदन करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शैलेन्द्रजी जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल लाया गया है उसमें यह प्रावधान रखा गया है कि माननीय मंत्री महोदय जिनके पास कार है उनका दो हजार की जगह पांच हजार रुपये का भत्ता कर दिया जाए। मेरा निवेदन करना यह है कि राजस्थान में विधायकगण हैं उनको इस समय अपने निर्वाचन क्षेत्र में कहीं भी जाने-आने के लिये न तो विकास विभाग की कोई जीप मिलती है, न ही किसी तरह की कोई फेसेलिटी मिलती है। गत सत्र में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा ऐसी सम्भावना व्यक्त की जा रही थी कि चार परसेंट ब्याज पर प्रत्येक विधायक को एक वाहन जिसमें कि जीप लेने का प्रावधान था....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसी विषय पर बोलें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं इसी विषय पर बोल रहा हूं लेकिन मैं कम्पेरेटिव स्टडी की बात कर रहा हूं।

आज मंत्री वर्सेज विधायक की बात है, हम इसका विरोध नहीं कर रहे लेकिन हम यह कह रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि मंत्री को सुविधा जिस आवश्यकता और अनिवार्यता के लिये है उसी आवश्यकता और अनिवार्यता से भी ज्यादा अनिवार्यता एक विधायक की है जिसके पास सत्ता नहीं है, जिसके पास पी. ए. नहीं है, जिसके पास स्टेनोग्राफर नहीं है। वह अपनी जनता से सम्पर्क करे उसके लिये उसे रेतीले इलाके में जाना पड़ता है, और इलाकों में जाना पड़ता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री किशनगोपाल कोगटा : आपको क्या हो गया है?

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप बैठिये। आप तो मंत्रियों की+ + +करते हैं, आप तो बैठ जाइये। मैं समस्त विधायकों की बात कर रहा हूं, मैं सत्ताधारी विधायकों की बात कर रहा हूं, विपक्ष के विधायकों की बात भी कर रहा हूं।

तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि जब सुविधाओं

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

का प्रश्न है, जब महंगाई बढ़ रही है तो समस्त विधायकों के लिये भी बढ़ रही है। हमारा भी जाना-आना बड़ा दुष्कर हो गया है। आज हम हमारे निर्वाचन क्षेत्र में सम्पर्क ही नहीं कर पा रहे हैं। हमें वाहन की सुविधा के लिये माननीय मुख्य मंत्री द्वारा जो घोषणा की जाने वाली थी उसमें विलम्ब हो गया है। मेरा निवेदन करना है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी इसी सत्र के समाप्त होने से पहले चार प्रतिशत ब्याज पर प्रत्येक विधायक को बैंक से लोन मिले, इसकी भी घोषणा करें ताकि एक सतुलित और समकक्ष व्यवस्था हो सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माधवसिंह दीवान।

(अनुपस्थित)

प्रभारी मंत्री महोदय।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, इस बिल के माध्यम से कोई खर्चा नहीं हो रहा है, बचाव हो रहा है। इस वक्त एक मंत्री जो अपनी सरकारी कार काम में ले रहे हैं उस पर चालक का वेतन, पैट्रोल, रख-रखाव पर एक साल में 1.68 लाख रुपये खर्च होता है और अब इसके माध्यम से जो मंत्री अपनी कार काम में लेगा उस पर केवल 60 हजार रुपये साल का खर्च होगा। कुल एक लाख 8 हजार की बचत होगी। इसमें किसी को कोई विशेष ...

श्री भीमराज भाटी: आपने इसमें लिखा है कि "The proposed increase is estimated to involve an expenditure...."

श्री उपाध्यक्ष : कृपया वक्तव्य आने दीजिये। माननीय भाटी जी, आप बिराजें। वक्तव्य आने दीजिये।

श्री भीमराज भाटी : ये कह रहे हैं कि खर्चा नहीं होगा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : जो खर्चा होगा वह तो गवर्नर की रिकमंडेशन के लिये आपको बताया है कि इतना खर्चा इस पर होगा। लेकिन बचत बता रहा हूं मैं कि एक कार यदि मंत्री काम में लेगा तो उस पर साल में एक लाख 8 हजार रुपये का सरकारी खर्चा बचेगा। यह कह रहा हूं मैं। वह होगा तो अलग है, वह तो टोटल मंत्रियों को कर रहे हैं। सारे मंत्री ही यदि अपनी-अपनी कार काम में लेंगे तो उतना खर्चा होगा, मगर उससे बचत बहुत ज्यादा होगी, वह देख लीजिये। एक कार पर जब 1.08 लाख की बचत होती हो तो सारे मंत्रियों की कितनी बचत होगी? इसलिये यह कोई किसी तरह से भार नहीं बढ़ रहा है, यह तो केवल जो मंत्री अपनी कार को यूज करना चाहे तो उसको पांच हजार रुपये महीना मिलेगा जिसमें पैट्रोल भी उनका होगा, ड्राइवर भी उनका होगा, रख रखाव भी उनका होगा, सरकार का उसमें कोई खर्चा नहीं होगा। इसके अलावा इस तरह से हमारे यहां जो गाड़ीं गैरेज में बचेंगी हम उनका उपयोग दूसरा

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

करेंगे और धीरे-धीरे उसमें भी खर्चे पर कमी आयेगी। बचाव की दृष्टि से, खर्चे को बचाने की दृष्टि से यह बिल लाये हैं, यह कोई विशेष तौर पर आग्रहपूर्वक किसी ने....

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या सरकारी गाड़ी भी बिलकुल गैरेज से नहीं लेंगे मंत्री ?

श्री हरिशंकर भामड़ा : नहीं लेंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : दौरे के लिये भी नहीं लेंगे ?

श्री हरिशंकर भामड़ा : यह दौरे के लिए नहीं आया है।

श्री परसादीलाल मीणा : आप दौरा दिखाकर जयपुर में काम लेंगे। सरकार का दोहरा खर्चा होगा।

श्री हरिशंकर भामड़ा : दौरे के लिये गाड़ी अलग है। लोकल गाड़ी दौरे पर जा ही नहीं सकती। दौरे पर वह कार जो यहां चलती है वह नहीं जाती है इसलिये वह तो अलग ही है। दौरे के लिये भी मैं बताता हूं। दौरे के लिये भी व्यवस्था की है।

श्री परसादीलाल मीणा : उस गाड़ी को काम में लेते रहेंगे दौरे के बाद में। जैसे आप कांस्टीट्युएंसी में दौरे पर गये, पांच दिन आप दौरे पर रहे और पांच दिन उसको जयपुर में ले ली, पांच दिन बाद आप जमा कराओगे, और पांच दिन उसको फालतू रखोगे। इससे दोहरा भ्रष्टाचार बढ़ेगा, कई मंत्री अनियमितताएं करेंगे। माननीय मंत्रीजी, आप क्यों नहीं व्यवस्था कर देते ? सरकार की गाड़ी है सरकार की है....

श्री हरिशंकर भामड़ा : यदि दौरे पर कोई मंत्री अपनी कार लेकर जाएगा तो उसको 3 रुपये 75 पैसे प्रति किलोमीटर से मिलेगा। सरकारी गाड़ी का सवाल ही पैदा नहीं होगा।

श्री परसादीलाल मीणा : प्राइवेट गाड़ी कितने किलोमीटर, क्या-क्या भाव मिलेगी और प्राइवेट गाड़ी 3.75 रुपये से कम में मिलती है तो आप ज्यादा पैसा उठायेंगे उसका। प्राइवेट, मान लें, 2.50 रुपये में मिली या तीन रुपये में मिली, आप उसका 3.75 रुपये उठायेंगे।

श्री हरिशंकर भामड़ा : जो हमारे यहां से गाड़ी टूर पर जाती है उसमें जो खर्चा होता है उसकी तुलना में बता रहा हूं। आप प्राइवेट की बात मत करिये। हमारे यहां जो एक गाड़ी टूर पर जाती है और उस पर जो एवरेज खर्चा होता है उससे कम खर्चा तीन रुपये 75 पैसे प्रति किलोमीटर मंत्री को जब गाड़ी में जाने पर मिलेगा तो उसमें भी बचत होगी। जैसे इसमें एक साल में 1 लाख 8 हजार रुपये की बचत होगी वैसे उसमें भी बचत होगी, इसलिये यह अतिरिक्त भार नहीं है, यह खर्चा कम करने के लिये बिल लाया गया है।

श्री रामनारायण चौधरी : हमें तो कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : विधायकों को तो आपने दूसरी रेट कर रखी है और मंत्रियों को दूसरी रेट कर रखी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप विधायकों के लिये जो चार प्रतिशत ब्याज पर जीप के लिये कह रहे थे उसके लिये घोषणा कीजिये।

श्री रामकिशन वर्मा : माननीय मंत्री महोदय, जो गाड़ी जायेगी उसमें लाल बत्ती तो होगी न ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1995 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

श्री हरिशंकर भामड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मंत्री वेतन, (संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया गया।

भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1995 श्री हरिशंकर भामड़ा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाय।

सूचना प्राप्ति प्रश्न

वन पोल, टू पोल, नर्सरी योजना की समाप्ति सम्बन्धी मुख्य मंत्री की घोषणा

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आॅफ इन्फार्मेशन। आज एक दैनिक पत्र "राजस्थान पत्रिका" में जो समाचार माननीय मुख्य मंत्रीजी के कल के वक्तव्य के सन्दर्भ में आया है उससे बहुत बड़ा भ्रम

(श्रीमती कमला)

पैदा हुआ है। उसमें यह दे रखा है कि बहस के दौरान में ये बातें आयीं कि वन पोल, टू पोल और नर्सरी की योजनाओं को खतम कर दिया जाए जबकि न तो माननीय मन्त्रीजी ने ऐसी घोषणा की और न माननीय सदस्यों ने ऐसी मांग की। माननीय सदस्यों की दो ही मांगें थीं। एक तो यह कि जो नर्सरी ही सिर्फ एक चालू है उसके अलावा वन पोल, टू पोल और आर्डिनरी कैटेगरी की योजनाएं हैं उनके लिये भी लक्ष्य निर्धारित किया जाय और जिन योजनाओं के तहत में राशि जमा है उनको 15 नवम्बर तक कनेक्शन आवश्यक रूप से दे दिये जायं। लेकिन उस पत्र में जो छापा गया है माननीय मुख्य मंत्रीजी की घोषणा के रैफरेंस से, उससे यह जाहिर होता है कि जैसे इन दोनों योजनाओं को खतम कर दिया गया है। क्योंकि जब आपने यह कहा था कि क्या मैं चेयरमैन को कह दूं कि वह इन योजनाओं को बन्द कर दे तो हमने खड़े होकर कहा था कि आप योजना बन्द न करके जो पैसे जमा हैं उसके पेटे कनेक्शन दिलवाइये। आपने यह कहा कि आपके नेता महोदय से बात करके और इनका किस तरह से निपटारा किया जाए वह हम करेंगे। लेकिन पेपर में उसका बिलकुल गलत उद्धरण दिया हुआ है जिससे पूरे क्षेत्र में इसके बारे में काफी कन्फ्यूजन है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी, अगर इसको अपने भाषण के मुताबिक स्पष्ट कर सकें तो यह मैसेज सही पहुंच सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : मैसेज सही गया है, आप चिन्ता नहीं करो।

श्रीमती कमला : सही नहीं गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो मैंने कहा है वही गया है।

श्रीमती कमला : नहीं, आपने न तो ऐसा कहा है और न किसी मेम्बर्स ने ऐसी मांग की कि आप वन पोल, दो पोल भी खतम कर दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेम्बर्स की तो मांग थी (व्यवधान) पहले मुझे सुन लीजिये। मेम्बर्स की तो मांग यही थी कि नर्सरी स्कीम में लूट मच रही है। मैं सुनता-सुनता परेशान हो गया, उस सिस्टम को बन्द ही तो करना है।

श्रीमती कमला : नहीं लूट मच रही है किस कारण से? लूट मचने का कारण मेम्बर्स ने यह बताया कि साल-साल, छह-छह महीने से लाखों रुपये लोगों के जमा है लेकिन कनेक्शस नहीं मिल रहे हैं। एक तरफ तो यह लूट हो रही है और दूसरी तरफ अनाप-शनाप रेट कायम कर रखे हैं, वह भी किसानों की लूट है। तो नर्सरी की लूट को कम करने का और समयावधि में उनको कनेक्शस दिलाने का काम करिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका मतलब यह है कि नर्सरी स्कीम चालू रखी जाज और लूट बन्द की जाय?

श्रीमती कमला : हां, लूट बन्द की जाय और जो जमा हैं पैसे उसके पेटे

(११०)

(श्रीमती कमला)

कनेक्शन दिये जायं और एक पोल-दो पोल भी कायम रखे जायं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : स्कीम चालू रखा जाय.... (व्यवधान) पहले बात तो रखी सुनें आप। कल तो थीं नहीं आप। आपका मतलब यह है कि नर्सरी स्कीम को चालू रखा जाय ?

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : रखा जाए।

श्रीमती कमला : हां, जो काश्तकार उसके तहत लेना चाहता है, उसका कोटा भी निर्धारित करिये।

श्री रामनारायण चौधरी : जो लेना चाहता है वह नर्सरी की स्कीम में ले। इस नर्सरी की स्कीम को बन्द नहीं किया जाय, यह काश्तकार के लिये लाभदायक है। (व्यवधान) आप सुनिये, साहब। कमलाजी तो फिर कफ्यूज्ड बोल रही हैं....

श्रीमती कमला : नहीं बोल रही हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं स्पष्ट बोल रहा हूं कि नर्सरी स्कीम को चालू रखा जाए, जिसको जरूरत हो वह ले, जिसको बुरी लगती है वह नहीं ले।

श्रीमती कमला : लेकिन वन पोल टू पोल और आर्डिनरी कोटा बन्द नहीं किया जाए। आपने वन पोल टू पोल को भी खतम कर दिया, नर्सरी को भी खतम कर दिया।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, कहां खतम कर दी ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं किया, उपाध्यक्ष महोदय।

श्रीमती कमला : आया है, अखबार में आया है, पहली हैडिंग लग रही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमू) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है (व्यवधान) माननीय कमला जी, मुझे भी यही बात कहनी है आपकी। कल भाषण में मुख्य मंत्रीजी ने जवाब दिया, जवाब इस कारण से दिया कि यह रेफरेंस सदन में बार-बार आ रहा था कि जैसे आर्डिनरी स्कीम को बन्द कर दिया हो और वन पोल-टू पोल और नर्सरी की स्कीम को चालू किया जाय। वास्तविक बात यह थी कि बहुत लम्बी लिस्ट होने के कारण से जो किसान नर्सरी में कनेक्शन लेना चाहें वन पोल-टू पोल में लेना चाहें उनके लिये एक पोल-दो पोल और नर्सरी ऐच्छिक स्कीम थी और जो स्कीम सामान्य प्रायोरिटी की थी वह स्कीम अपने आप में कायम थी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कल यह जवाब दिया कि अगर माननीय सदस्य चाहें तो इसको बन्द कर सकते हैं लेकिन सदन में कल भी और आज भी जैसा कमलाजी और रामनारायणजी ने कहा और मेरी स्वय की भी यह मान्यता है कि जो बोर्ड ने स्कीम चालू की है वन पोल-टू-पोल की और नर्सरी की, वह स्कीम अच्छी है, किसान के हित में है और उस स्कीम को चालू रखा जाना चाहिये सारी स्कीम के साथ-साथ। और....

श्रीमती कमला : साथ-साथ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसके लिये जो कनेक्शन हैं, वे कनेक्शन समयावधि में किसानों को दे दिये जायं, यह सारे सदन की एक तरह से मांग है और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी यह कहा था। इसलिये माननीय मुख्य मंत्रीजी सदन की इच्छा के अनुसार अगर इसको थोड़ा संशोधित कर देंगे, कहा उन्होंने भी यही है लेकिन जो मैसेज गया है वह ढग से संशोधित होकर चला जाए तो सारे किसान के लिये लाभदायक होगा। मैं समझता हूं, सारे सदन की यही राय है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : और लूट का कारण सिर्फ दो बातें बतायी हैं। एक तो यह कि कनेक्शन के पैसे जमा होने के बाद भी कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं और दूसरा मण्डल ने यह कर दिया कि नर्सरी के अन्दर ही आप अपने आपको कन्वर्ट कर लो। आप वन पोल टू पोल वाले भी नर्सरी में एप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा और आर्डिनरी कोटा वाले भी वन पोल टू पोल के मुताबिक अपने आपको नर्सरी में कन्वर्ट करो तो मिलेगा। दोनों कोटा जो आर्डिनरी और वन पोल-टू पोल के हैं, उनको स्थगित करके सिर्फ नर्सरी में रखा, एक तो शोषण यह है। दूसरा, जो पैसे जमा हैं उनको कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। तीसरा, जो सामान ले रहे हैं वे बहुत पैसा ले रहे हैं। ये तीन बातें हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह भाषण किस बात पर हो रहा है? भाषण किस बात का है? यह क्या भाषण है? (व्यवधान) नहीं, मैं समझता हूं, कांग्रेस पार्टी की इच्छा है कि नर्सरी स्कीम चालू रखी जाए, यह मान लूं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सदन की भी है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हां

श्रीमती कमला : लेकिन दूसरी भी चालू रखी जाय। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मुख्य मंत्री महोदय, मेरी बात भी सुनें। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बात तो सुन लें, मैं सब समझ गया।

श्री रामनारायण चौधरी : मुख्य मंत्री महोदय, कफ्यूजन यह है कि आपकी सरकार और बिजली बोर्ड के बारे में लोगों की मान्यता यह हो गयी है कि आर्डिनरी कोर्स में प्रायोरिटी बेसिस पर जो अब तक कनेक्शन काश्तकारों को मिलते थे वे पूरी तरीके से बन्द हो गये। जिस किसी को लेना हो वे नर्सरी के अन्दर लें। नर्सरी के अलावा एक भी कनेक्शन काश्तकार को नहीं मिलेगा। यह धारणा लोगों में बन गयी, इससे भारी असन्तोष है। कल आपने घोषणा की है कि 25,000 कनेक्शन उस कैटेगरी में देंगे, उसके बाद से स्थिति स्पष्ट हुई है। 25,000 कनेक्शन उस कैटेगरी में प्रायोरिटी के आधार पर आप कर रहे हैं, यह आपकी घोषणा स्वागत योग्य है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कुल 25,000.

श्री रामनारायण चौधरी : ये दिये जाय और इसके बाद नर्सरी की स्कीम को चालू रखा जाए। जो काश्तकार सम्पन्न है, जिसकी हैसियत है, जो इकोनोमिक्स को समझता है, वह अपनी मर्जी से लेना चाहे तो लेता है। गुलाबसिंह जी को नहीं लेना हो तो नहीं लेंगे और रामनारायण को लेना है तो वह ले लेगा। यह है हमारी मान्यता। हमारी पार्टी की नहीं, मैं मेरी मान्यता बताता हूं। मैं पार्टी की गारंटी नहीं लेता हूं, यह मेरी दृढ़ मान्यता है। मेरी पर्सनल मान्यता है कि काश्तकारों को अगर आप जनरल कैटेगरी में देते हैं, उसके ओवर एण्ड एबव इसको आप चालू रखते हैं तो काश्तकार का इसमें बहुत बड़ा हित है। जितना खर्च लगता है वह एक साल की फसल के अन्दर पूरा हो जाता है। आगे के लिए जीवन भर उसका साधन बनता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, यह सही है।

श्री नरपतसिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, कल बिजली पर काफी व्यापक चर्चा हुई थी ...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बात नहीं करें। (व्यवधान)

श्री नरपतसिंह राजवी : मैं तो दो मिनट में संक्षेप में कहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल का अगर वर्बेटम पढ़ा जाए तो कांग्रेस के माननीय सदस्यों की राय इस प्रकार झलक रही थी कि यह नर्सरी स्कीम और वन पोल-टू पोल स्कीम बिलकुल खराब है। ... (व्यवधान) हम सब शुरू से ही इसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। (व्यवधान) मैं कह रहा हूं, वर्बेटम आप पढ़ लें।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, आपका यह इन्टरप्रिटेशन है....

श्री नरपतसिंह राजवी : हमारा आज भी यही मत है कि ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : वह आपने बिलकुल बन्द कर दी और वन पोल टू पोल और नर्सरी स्कीम को....

श्री नरपतसिंह राजवी : माननीय रामनारायण जी, आपने बोल दिया, हम भी समझ गये। भाषा थोड़ी हम भी समझते हैं, थोड़ा सुन तो लिया करें। ऐसी बात नहीं है। पुराने कनेक्शन.... (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी : नहीं, यह मामला था, कि 25,000 कनेक्शन क्यों ? सामान्य श्रेणी के अन्दर... (व्यवधान)

श्री नरपतसिंह राजवी : जनरल प्रायोरिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने न पूर्व में बन्द किया था, न आज बन्द किया हुआ है।

श्री रामनारायण चौधरी : वह दे तो रहे नहीं, इसलिए बन्द ही हैं। अब आप नहीं दे रहे हो तो बन्द ही है।

श्री नरपतसिंह राजवी : रामनारायण जी साहब, आपस में इयां सवाल-जवाब कर्यां तो पार पड़सी कोनी, आपणो जिको

(श्री नरपतसिंह राजवी)

फरमाणो हो बो फरमा दयो । मेरा इतना ही निवेदन है कि (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी : सामान्य श्रेणी के (व्यवधान)

श्री नरपतसिंह राजवी : एक मिनट आप मेरी बात सुन लें । (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय राजवी साहब, आप मेरी बात तो समझ नहीं रहे हैं... (व्यवधान) कनेक्शन आप दे नहीं रहे हैं । दे रहे हैं तो सामान्य श्रेणी में भी दे रहे हैं । (व्यवधान) कनेक्शन दे नहीं रहे हैं, इसका आप (व्यवधान)

श्री नरपतसिंह राजवी : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय कल जब बोल रहे थे, उस समय क्या हो गया था ? जब फरमाना था । उस समय तो यह हुआ कि जिन्होंने पैसा जमा कराये उनकी क्या हालत होगी। हमारा तो तब भी यह मानना था । अगर आप चाहते हैं कि यह स्कीम चालू रहनी चाहिये तो निश्चित रूप से जो प्रायोरिटी जम्प करके आते हैं या अतिरिक्त पैसा देते हैं तो गरीब के हित का नुकसान नहीं होगा, गरीब की प्रायोरिटी मेन्टेन रहेगी । उसकी प्रायोरिटी मेन्टेन रहती है तो मेरे ख्याल से माननीय सदस्यों की भावना का आदर करना चाहिये, मेरे ख्याल से करना चाहिये जो आपकी इच्छा है ।

श्रीमती कमला : हमने तो आंकड़े कोट करके बताया था (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं दे रहे हैं । दे कहां रहे हैं ? पहले नर्सरी कनेक्शन में दे रहे हैं, सामान्य श्रेणी में दे रहे हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये । इस पर आम चर्चा नहीं होगी । (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : वे एस. टी. के हैं इसलिये दबा रहे हो । वे एस. टी के हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आप दबा रहे हो । परसादी लाल जी को बोलने दो ।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य सचेतक जी, बिराजिये ।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्रीजी से यह बात कहना चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : यह आप प्रस्ताव कीजिये ।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : मुख्य मंत्रीजी भी एग्री करते हैं इस बात से । मुख्य मंत्रीजी बात सुनना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर साहब, बिराजिये । बहुत चर्चा हो गयी । कृपया बिराजिये ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, यह कौनसी प्रक्रिया है जब विधायी कार्य चल रहा हो ? मेरी

(114)

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

समक्ष में नहीं आया, जब विधायी कार्य चल रहे हो तो उस समय बीच के कार्य को स्थगित करके यह बहस किस विषय पर हो रही है ? यह कोई समझ में नहीं आया। (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी ने जब कह दिया कि आप बात कर लेना....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये । डाक्टर साहब, विराजिये। इस पर चर्चा ज्यादा नहीं होगी।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : जब बात का सन्दर्भ आ गया तो...

श्री उपाध्यक्ष : सरकार के ध्यान में बात आ गयी। कृपया आप विराजिये।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : यह एक बहुत अहम मुद्दा है, इस मुद्दे (व्यवधान) बहुत जरूरी है।

विधेयक पर विचार

भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1995

श्री हरिशंकर भामड़ा (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाय ?

सूचना प्राप्ति प्रश्न

वन पोल, टू पोल, नर्सरी योजना की समाप्ति सम्बन्धी मुख्य मंत्री की घोषणा

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : इसका मतलब आप इन सब बातों को दबाना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बात कह दूं, सारे विषय में विपक्ष के नेता से बात कर लेंगे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : नहीं नहीं, आपने बन्द कर दी है क्या यह योजना ?

श्री उपाध्यक्ष : सदस्य, विधान सभा, विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्तुत करेंगे। श्री लक्ष्मण सिंह। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं नहीं, बात कर लेंगे हम।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : नेताजी से क्या, कल मैंने साफ मांग की थी कि नर्सरी की स्कीम बन्द नहीं होनी चाहिये। मैंने यह कहा था कि नर्सरी बन्द नहीं होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माधव सिंह दीवान... (व्यवधान).... श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट सुनिये। कल मैंने नर्सरी स्कीम को बंद

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कर दिया था, आज आपकी इच्छा है तो मैं विपक्ष के नेता से बात करके उसको फिर....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हमने बंद करने का कहा नहीं है, आप प्रोसीडिंग्स मंगाकर देख लीजिये । हमने स्पष्ट मांग की है कि इसको भी चालू रखना चाहिये ।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : हमने कभी नहीं कहा था नर्सरी बंद करो, वन पोल, टू पोल बन्द करो । हमने यह कहा था आप कनेक्शन दीजिये, चाहे नर्सरी के उनको कनेक्शन दीजिये, वन पोल के कनेक्शन दीजिये....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये ।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : इसका आप राजनीतिकरण कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विश्नोई साहब, बिराजिये ।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि नर्सरी को बंद कीजिये या.... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह क्या बात है ? भूकम्प हो रहा है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको अपने नेता पर विश्वास है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी । शैलेन्द्रजी, आप बोलना चाहते हैं ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं बोल रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट बैठिये । आपको अपने नेता पर विश्वास है क्या ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : महत्वपूर्ण मुद्दा चल रहा है ।

डा. हरिसिंह : उपाध्यक्ष जी, + + +

श्री उपाध्यक्ष : आम चर्चा का विषय मत बनाइये, सरकार को इन्फार्मेशन मिल गयी । मुख्य मंत्रीजी विपक्ष के नेता महोदय से बातचीत कर लेंगे ।

डा. हरिसिंह : मुख्य मंत्रीजी सुनना चाहते हैं ।

श्रीमती कमला : भाषण में इनको बन्द करने का नहीं कहा था, उठा कर देख लीजिये अपना भाषण । आपने यह नहीं कहा कि मैं बन्द कर रहा हूं । ....(व्यवधान)... आपने यह कहा कि अगर लूट मच रही है तो मैं अध्यक्ष को कह दूं कि इसको बंद कर दिया जाय । तब हम खड़े हुए थे....

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मामला यह है कि पहले चुंगी लगायी चुंगी बन्द की। बिजली के कनेक्शन लगाये, भ्रष्टाचार हो गया। फिर भ्रष्टाचार हो गया तो हम अभी विथड्रा कर रहे हैं, और हमारी कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि हम नहीं चाहते।

डा. हरिसिंह : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पार्टी की जो मंशा है वह यह है कि आपने सामान्य स्कीम में, वन पोल में, टू पोल में जो दस हजार, बीस हजार के जो टारगेट दे रखे हैं वह तो आप कायम रखिये। इसके अलावा कोई नर्सरी स्कीम में स्वेच्छा से लेना चाहता है, हमें कोई एतराज नहीं है। हालत यह है कि दस पोल का कनेक्शन एक काश्तकार ने नर्सरी में ले लिया और एक-एक पोल में उसी दस पोल में जब कोई काश्तकार आता है तो उनसे भी नर्सरी का चार्ज कर लिया जाता है। सवाल यह है कि काश्तकार के साथ हालात यह पैदा हो रही है कि Christ carrying his own Cross आप इसका मतलब समझ गये होंगे, Christ carrying his own cross आज काश्तकार से आप एक-एक लाख रुपये ले रहे हैं, उस एक लाख रुपये के ब्याज की फसल पैदा नहीं होती। इसलिये काश्तकार के प्रति आप बनावटी और छलावे से जो सहानुभूति दिखा रहे थे, वह बिलकुल गलत है। जो टारगेट हैं उनको तो आप सामान्य में शिड्यूल्ड कास्ट में, शिड्यूल्ड ट्राइब में रखिये और उसके एक्स्ट्रा। क्योंकि आप तार के पैसे लेते हैं, खम्भे के पैसे लेते हैं, ...(व्यवधान).... जनरल कोटा के अलावा नर्सरी में दस हजार, बीस हजार जो जनरल कोटा है, अगर आप एक लाख कनेक्शन भी देते हैं नर्सरी में तो हमें कोई एतराज नहीं है और यह पार्टी की पालिसी साफ है। अब आप को क्या करना है, आप बताइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता देता हूं आपको। आज पहली बार और स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस पार्टी केवल पैसे वाले किसानों के पक्ष में है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : नहीं-नहीं, यह कभी नहीं कहा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बात तो सुनें।

श्रीमती कमला : कल भी मिसइंटरप्रिटेशन कर रहे थे, आज भी मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं।

डा. हरिसिंह : आप हर बात को टविस्ट करके कहते हैं, मैंने आपको पार्टी की तरफ से साफ नीति बतायी है।.... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बोलने तो दो।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन क्यों करना चाहते हैं?.... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : यह, मुख्य मंत्रीजी, आपके मुंह से शोभा नहीं देता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठिये।

श्री रामनारायण चौधरी : सारी दुनिया समझती है इस बात को कि कांग्रेस

(श्री रामनारायण चौधरी)

पार्टी पैसे वाले की है या गरीबों की है। किस की है, यह सारी दुनिया समझती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा छोड़िये, मैं बोल लेऊं ?

श्री रामनारायण चौधरी : इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बोल लेऊं।

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी मर्जी के हिसाब से आप मत निकालिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, इस सारे मामले को, नर्सरी स्कीम, वन पोल टू पोल स्कीम और जनरल कैटेगरी के कनेक्शन देने की बात, यह सारे मसले पर विपक्ष के नेता से बात करके फिर कोई फैसला कर लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी बात भी आ जाय, एक मिनट। कांग्रेस पार्टी की आयी। वह आप बात करें....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विधायी कार्य चल रहा है इसके बीच में मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक मिनट, खत्म कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप से भी बात करूंगा मैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, हमारी बात भी सुनी जाए कि, कांग्रेस पार्टी भी चाहती है और हम भी चाहते हैं कि नर्सरी स्कीम को साधारण कोटे के साथ साथ जारी रखा जाय।

श्री रामनारायण चौधरी : अब आपकी राय नहीं होगी, अब हमारे प्रतिपक्ष के नेता की जो राय होगी उसके हिसाब से ये काम करेंगे। आपकी राय की कोई वकत नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, हमारी राय भी होगी उसमें।

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी राय की कोई वकत नहीं है, आप हाथ खड़े करो पीछे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुनिये, रामनारायणजी, मैं इनकी राय से ही विपक्ष के नेता से बात करूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, इनकी काहे की राय है, ये तो हाथ खड़े करेंगे पीछे। इसकी क्या राय है ? ये तो सब आपके + + + हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी। शैलेन्द्रजी जोशी।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जन्मजात हैं, + + + नहीं हैं। + + + तो उधर से होती है, घर में नहीं होती।

श्री रामनारायण चौधरी : यह सब पूरा माल खरीदा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : देखो, यह तो है जन्मजात, + + + उधर से होती है। शेखावत कांग्रेस का हिस्सा कुछ उधर है।

एक माननीय सदस्य : कौन सी कांग्रेस ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : शेखावत कांग्रेस।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी, बोलिये। मैं दूसरा नाम पुकारूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह नया दल बन गया, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये।

विधायी कार्य; विधेयक पर विचार
भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1995

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 में जो सरकार 1995 में अमेंडमेंट लायी है उसके अनुसार कुछ टैरिफ बढ़ायी है। और उस टैरिफ के हिसाब से धारा 58 में सौ रुपये किये हैं, यह अत्यधिक है, इसकी जगह पचास रुपये होने चाहिये। साथ ही धारा 60 के अधीन.... (व्यवधान).... मंत्री वाला हो गया, आपको पता नहीं है।

मेरा निवेदन करना यह है, इसमें जो एम्स और आब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं कि किस एम और आब्जेक्ट के कारण यह टैरिफ बढ़ायी जा रही है इसमें यह वर्णित किया गया है कि फीस की धाराओं को युक्तिसंगत करने की दृष्टि से भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 से सलग्न प्रथम अनुसूची में राजस्थान राज्य में उसके लागू होने के सम्बन्ध में क्योंकि सेवाएं प्रदान करने में उपगत व्यय बहुत बढ़ गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सेवाएं यह पार्टनरशिप एक्ट के अन्तर्गत यह प्रोवीजन है जिसमें कापियां दी जाती हैं, इंसपेक्शन का राइट है, इसमें सेवाओं का चार्ज कितना गुना बढ़ गया है जिसके लिये युक्तिसंगत यह हो गया है कि अब वर्तमान में सरकार उसका टैरिफ बढ़ाए। जब तक यह युक्तिसंगत बात इस अमेण्डमेंट के एम्स और आब्जेक्ट्स में नहीं आती है तब तक इस तरह का अमेण्डमेंट पेश करना मैं नहीं समझता, किसी भी तरह जस्टिफाइड है। सरकार को चाहिये था कि इसके एम्स और आब्जेक्ट्स हैं उसमें यह इन्सर्ट किया जाता

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

कि अभी जो खर्च हो रहा है सरकार का, इन अलग-अलग मदों में, प्रति सौ शब्द पर या उसके भाग के लिये, प्रतियां लेने के लिए, पूरी जिल्द का निरीक्षण करने के लिये और अन्य विभिन्न मदों पर जो खर्च किया गया है, वह किस पर कितना पैसा सरकार का आता है, और अब उसको समायोजित करने के लिये कितना पैसा बढ़ना चाहिये। बगैर इस उल्लेख के एक साथ पैसे बढ़ा देना, मैं नहीं समझता, किसी भी तरह रीजनेबल होगा। इस तरह की रीजनेबलनैस के अभाव में इसको छह माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण मीणा, डा. उजला अरोड़ा, श्री विष्णु मोदी, श्री हरजीराम बुरड़क, श्री भीमसेन चौधरी.... बोल रहे हैं ?

श्री भीमसेन चौधरी : नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमाकांत, श्री रामस्वरूप।

श्री रमाकांत (थानागाजी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं, रीजंस में यह लिखा है कि चूंकि सर्विसेज में एक्सपेंडीचर कन्सीडरेबली बढ़ गया है इसलिये यह बढ़ाने की बात है। यह एक बड़ी जनरल-सी बात है कि कन्सीडरेबली बढ़ गया है। इसको हम किसी न किसी सूचकांक के साथ में सम्बन्धित कर देते--मूल्य के साथ में, जी. डी. सी. के साथ में, किसी के साथ में कि साहब, पन्द्रह वर्ष पहले जो हमने तय किया था पांच रुपये, अब पन्द्रह वर्ष के अन्दर हमारा एक्सपेंडीचर इतना प्रतिशत बढ़ गया, इस हिसाब से यह भी इतना प्रतिशत बढ़ जाना चाहिये। तो यह बात कुछ रीजनेबल-सी लगती है। अब यह एडहाक इसमें एक तरीके से किसी के पन्द्रह रुपये से हण्ड्रेड कर दिये। हण्ड्रेड क्यों, टू हण्ड्रेड क्यों नहीं कर दें ? या वन फिफ्टी क्यों नहीं करते ? या एट्टी क्यों नहीं कर दें ? इस चीज को हमको थोड़ा-सा किसी न किसी सूचकांक के साथ सम्बन्धित कर देना चाहिये। तो मैं समझता हूं किसी को भी कोई आब्जेक्शन होने की गुंजाइश ही नहीं है। समय-समय पर, दो-दो साल बढ़ सकता है, दो-दो साल में आ जाइये और दो-दो साल में मांग लीजियेगा कि इस समय हमारा आर्थिक सूचकांक इतना बढ़ गया या प्राइसेज इतनी बढ़ गयीं या हमारे सर्विस चार्ज के अन्दर तनख्वाह इतनी बढ़ गयी इसलिये इतना प्रतिशत बढ़ गया। उतना प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है तो एक तरीके से रैगुलर चीज होती है। अब यह एडहाकिज्म, मैं समझता हूं समाप्त कर देना चाहिये और कायदे के अन्दर, मैथेमेटिकल जो फार्मूला है वह लगना चाहिये इसमें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह कुम्हेर, सदस्य, विधान सभा विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अमेण्डमेंट तो मूव करूंगा मैं लेकिन मैं प्रवर समिति के इसको प्रेस नहीं करता हूं। अमेण्डमेंट के समय अपने विचार रख दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मन्त्री महोदय उत्तर दें।

श्री हरिशंकर भामड़ा (उद्योग मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत छोटा-सा बिल है। यदि इसकी पूरी भूमिका माननीय सदस्य देखकर आते तो शायद जो आपत्तियां उठायी गयी है वे आपत्तियां नहीं उठाते। सन 1971 में इस शिड्यूल का संशोधन किया गया था। इस टैरिक का मतलब यह नहीं है कि यह पैसा लागू हो गया। यह अधिकतम सीमा है। सन् 1971 में अधिकतम सीमा तय की थी और उस समय रुपये का मूल्य था 95 पैसे।

(14.00)

और आज रुपये का मूल्य है 13 पैसे, इसलिये अधिकतम सीमा तय करने के लिये किया गया है। अब इसमें कितना लगाना है, क्या लगाना है, सरकार समय-समय पर हिसाब देखकर लगायेगी। अभी हालत यह है कि अभी इसमें 50-60 हजार रुपये की टोटल आमदनी होती है और जो खर्चा सरकार कर रही है वह भी पूरा नहीं पड़ता है। वह तो हिसाब लगाया जाएगा लेकिन यह टैरिफ संशोधन की जा रही है यह अधिकतम सीमा है कि हम आगे बढ़ायेंगे तो इससे आगे नहीं बढ़ा सकते, इसके नीचे-नीचे ही बढ़ायेंगे। जब बढ़ायेंगे पुनः सारा हिसाब लगाकर बढ़ायेंगे। इसमें जनमत जानना इसलिये आवश्यक नहीं है कि कोई सामान्य जनता इसमें इण्ट्रेस्टेड नहीं है, यह तो पार्टनरशिप फर्म पर रहेगी। जो पैसे वाले काम करते हैं वे सीमित लोग हैं और इसलिये आम जनता पर इसका कोई भार नहीं पड़ेगा। बल्कि मैं तो यह कहूं, यह मैक्सिमम भी हम लगा दें, यह टोटल जो आज हमने मैक्सिमम लिमिट मांगी है यदि पूरी लगा दें तो भी मुश्किल से 2-3 लाख रुपये का टोटल भार इस पर पड़ने वाला है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अर्जेन्टली एक्सपेण्डीचर पर-आइटम कितना आता है, यह बात बताइये।

श्री हरिशंकर भामड़ा : आप बोलते तो जोर से हैं मगर सुना भी करो। मैंने कहा 50-60 हजार होती है। आप सुनते ही नहीं हो। मैंने पहले ही कहा है कि अभी टोटल इसमें 50-60 हजार रुपये की आमदनी होती है, इससे ज्यादा हमारा खर्चा हो रहा है और अब यदि हम टोटल लगा दें तो तीन लाख से ज्यादा नहीं होगा। मैं इस फिगर को बता चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1995 को जनमत जानने हेतु

(श्री उपाध्यक्ष)

परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

विधेयक पर खण्डश: विचार

श्री लक्ष्मणसिंह (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो यह बिल प्रस्तुत किया है और इसके माध्यम से यह जो मैक्सिमम फीस बढ़ाने का प्रस्ताव किया है इसका मैंने अमेण्डमेंट प्रस्तुत किया है । अभी मन्त्री जी ने फरमाया कि हम तो यह अधिकतम सीमा रख रहे हैं अपनी और अधिकतम सीमा के अन्दर-अन्दर ही करेंगे । जो आपका पहले वाला बिल है या ओरिजिनल बिल है उसमें भी माननीय मन्त्री जी अधिकतम की थी, तो अधिकतम पहले भी था और अधिकतम अभी भी है । इसमें आपने अपने जो स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स दिये हैं उसमें लिखा है, "With a view to rationalise the rates of fees," यानी कि आप इस फीस को युक्तिसंगत बनाना चाहते हैं । लेकिन जिस प्रकार के प्रस्ताव आपने यहां पर किये हैं, अलग-अलग सेक्शंस के अन्दर इसके डाक्यूमेंटस और एक्ट को देखने के लिये, वह यह दर्शाता नहीं है कि इन्होंने युक्तिसंगत बनाया है । शिड्यूल के अन्दर ऐसा प्रतीत होता है कि मन्त्री महोदय ने सोचा, अपनी कल्पना की उड़ान से कि किसका बढ़ाऊं, अच्छा, इसका इतना बढ़ा देता हूं, अच्छा, इसका इतना बढ़ा देता हूं । यानी बिना किसी आधार के, बिना किसी सोच के, समझ के, बिना किसी बेस के, इन्होंने इस दर को बढ़ा दिया है ।

मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि पहले जो पुरानी रेट्स थीं उसमें स्टेटमेंट अण्डर सेक्शन 58 में डाक्युमेंट से सम्बन्धित था वह 15 रुपये थी और 15 रुपये को इन्होंने सौ रुपये कर दिया । (व्यवधान) आपकी तरफ से तो कर दिया, अब सोच रहे है करें या नहीं करें । दूसरे में जो 5 रुपये था उसका 30 रुपये कर दिया ।

प्रपोर्शन क्या है ? आप किस प्रपोर्शन में बनाना चाहते हैं ? आप रेशनलाइज करना चाहते हैं तो अलग-अलग रेट्स के लिये बताइये कि अलग-अलग रेट्स को मैक्सिमम बढ़ाने के पीछे आपका रेशनेल क्या है । कहीं पर तो आप 15 रुपये से सौ कर देते हैं, फिर 5 से 30 कर दिये, तीसरे में भी 5 से 30 कर दिये, चौथी में भी 5 से 30

(श्री लक्ष्मण सिंह)

कर दिये, पांचवें में 5 से 30 कर दिये, छठे में 5 से 30 कर दिये।

और सातवां जो है इन्सपेक्शन आफ रजिस्टर आफ फर्म्स, इसमें तो, उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कमाल कर दिया, 2 रुपये से सिर्फ उस रजिस्टर के इन्सपेक्शन के लिये 20 रुपये कर दिये। कॉपी लेने के लिये तो कम पैसे और सिर्फ उसके इन्सपेक्शन के लिए आप कर रहे हैं और फिर मंत्री महोदय कहते हैं कि रेशनेल है। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा इर्रेशनलिटी वाला कोई मंत्री महोदय का बिल हो ही नहीं सकता।

इसके आगे इन्होंने Inspection of documents relating to a firm under sub-section (2) of Section 66. में भी 2 रुपये का 20 रुपये कर दिया। और नवें में कॉपीज फ्राम द रजिस्टर आफ फर्म्स में 2 रुपये से 6 रुपये, यानि कि डाक्यूमेंट के इन्सपेक्शन के लिये 2 रुपये से 20 रुपये और उसके रजिस्टर आफ फर्म्स की कॉपी लेने के लिये 2 रुपये से 6 रुपये। अब मुझे बतायें पहले जहां 2-2 रुपये थे तो वहां 2 से 20 कर दिये और एक जगह 2 से 6 कर दिये, इसको क्या रेशनलिटी है? अपने मन मुताबिक, बिना किसी विचार के, सोच समझ कर यह काम किया है इसलिए अमेण्डमेंट इसमें मेरा यह कि "At S. No. I the word "Hundred" be substituted by the word "Thirty". "At S. No. 2 to 6 the word "Thirty" be substituted by the word "Ten". "At S. No. 7 the word "Twenty" be substituted by the word "Five". "At S. No. 8 the word "Twenty" be substitnted by the word "Five". At. S. No. 9 the word "Six" be substituted by the word "Two".

मेरे इस प्रस्ताव के पीछे रेशनलिटी है, कोई समानता है, इसके अन्दर कुछ एकरूपता है। मंत्री महोदय इसको अपनी ईगो का प्रश्न नहीं बनायें बल्कि इसके अन्दर वास्तव में एकरूपता और समानता लाने के लिए कुछ आधार के अनुरूप किसी बेसिस के कारण से इसको करें और मेरे अमेण्डमेंट को स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माधव सिंह दीवान। श्री शिवनाथसिंह।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने कहा उसी लाइन पर मेरा भी संशोधन है। सर्विसेज की बढ़ोत्तरी हो गयी, खर्चा अधिक बढ़ गया इसलिए माननीय प्रभारी मंत्री जी ने यह बिल हमारे सामने रखा और उस रेट को बढ़ा रहे हैं। इस बिल के एण्ड आब्जेक्ट्स हैं, उपाध्यक्ष जी। यह हमको विदित होना चाहिए था कि आज जो प्रजेण्टेस रेट्स हैं इनके हिसाब से तो आमदनी कितनी हो रही है और जो रिवाइज रेट्स आप करना चाहते हैं उसके हिसाब से कितनी इनकम होगी। जिस वक्त आपने यह बिल पहले बनाया था, शिड्यूल बनाया था उस वक्त इसका प्रशासनिक खर्चा कितना था और आज वह प्रशासनिक खर्चा कितना बढ़

(श्री शिवनाथ सिंह)

गया है। यदि किसी बिल को पास करने के लिए जनता की जेब से हम रुपया खींच रहे हैं तो रुपया खींचने में हमको रेशनल होना पड़ेगा। यह एट-रेण्डम नहीं हो सकता कि एक ही जगह 50 कर दो और 50 की जगह 5 हजार कर दो। यह सदन जानना चाहता है कि पहले वाली रेट्स से कितनी आमदनी होती थी और नई रेट से आप कितनी आमदनी एस्पेक्ट करते हैं।

मैं, उपाध्यक्ष जी, एक उदाहरण देना चाहूंगा, जिस वक्त यह पुराना बिल बना था, शिड्यूल बना था, एक्ट बना था उस वक्त कॉपीज करने की जो रेट्स आपने इसमें रखी हैं वे हैं Copies from the register of firms, two for rupees each hundred words or part thereof. उस वक्त सौ शब्द के लिए 2 रुपये दिया करते थे तो आप उसके स्थान पर 6 रुपये करना चाहते हैं। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि कॉपी करने पर खर्चा उस वक्त अधिक हुआ करता था, आज कम हो रहा है। एक पेज के लिए फोटोस्टेट कापी होती है, सभी कॉपियां फोटोस्टेट हो जाती हैं। आज पूरे पेज का 50 पैसे और। रुपया देना पड़ता है और जिस वक्त आप यह कर रहे थे, पुराना बिल था उसमें 2 रुपये दिया करते थे। आज आवश्यकता इस बात की है, रेशनल यदि व्यू लेते आप, कि कॉपीज में खर्चा कम हुआ है, उसमें कमी आयी है इसलिए दो रुपये से भी हम। रुपया कर रहे हैं। वह बात तो आपने नहीं देखी। यह 2 के बजाय 6 रुपये रखने में कोई रेशनेल नहीं है।

इसी तरह से, माननीय उपाध्यक्ष जी, शिड्यूल के दूसरे भाग भी हैं उनमें मैंने हर आइटम पर अपने संशोधन दिये हैं। जहां अपने एक आइटम पर सौ रुपये रखे हैं, मेरा निवेदन है कि आज सब खर्चे बढ़े उन सब को दृष्टिगत रखते हुए 58 रुपये उसमें होना चाहियें, 30 की जगह 10, फिर 38 की जगह 10 और एक से लगाकर छः तक मैंने बता दिया। सातवें में इन्सपेक्शन करने के लिए कौन-सा खर्चा बढ़ गया, उपाध्यक्ष जी? इन्सपेक्शन करने वाले का टाइम खर्च होगा, वह देखेगा। इसमें आपका कोई खर्च नहीं बढ़ा है। इसलिये मैं, माननीय उपाध्यक्षजी, निवेदन करना चाहूंगा कि जो शिड्यूल में आपने परिवर्तन किया है, बहुत बड़ा है और सदन को अंधेरे में रखकर इस बिल को आप हमसे पास मत करवाइये। कम से कम हमको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि इससे हमें कितना अधिक खर्च बढ़ा है, कितना अधिक रुपया हमारे स्टेट एक्सचेकर में आएगा, कितना अधिक रुपया माननीय प्रभारी मंत्रीजी जनता की जेब से खींचना चाहते हैं और उसका क्या औचित्य है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन सब बातों का स्पष्टीकरण किया जाए और जो रेट्स एट रेण्डम बढ़ा दी गयी है उनमें रेशनेल किया जाए और जो हमने अमेण्डमेंट दिये है उस के अनुरूप उसमें कमी की जाए। धन्यवाद।

(124)

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह जी ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे दोनों लायक मित्रों ने, माननीय सदस्यों ने फीस में जो बढ़ोतरी की है उसके रेशनेल के बारे में अमेण्मेण्ट्स रखे हैं। मेरा अमेण्डमेण्ट थोड़ा इससे हटकर है । मैने इस शिड्यूल के एण्ट्री 7 के कालम नम्बर में जो शब्दावली है । "for inspection of one volume of register, twenty rupees"., इसकी जगह यह परिवर्तन चाहा है कि "Twenty rupees for inspection of one volume of register.", आप कहते हैं बात तो वही है। मेरा कहना यह है कि इसमें इस प्रकार से लिखने में लैजिस्लेटिव ड्राफिटिंग का दोष है और मैं यह नहीं चाहता कि हमारे विद्वान उप मुख्य मंत्री महोदय द्वारा पायलट किया हुआ बिल लैजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के दोष को लेकर आगे चले ।

आप कहेंगे, बैडली ड्राफ्टेड है । यह ऐसे नहीं है, ऐसे में तो आप कोई भी शब्द कहीं से कहीं रख दें लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी बिल की ड्राफ्टिंग में शब्दों का चयन, कौन-सा शब्द कहां रखा जाएगा, इसकी बड़ी इम्पोर्टेन्स होती है। अब आप यह देखें कि यह जो कॉलम नम्बर 3 है यह किसके लिये है । यह मैक्सिमम फीस के लिये है, यहां फीस की प्रधानता है। फीस क्या होगी, उसको आप पहले रखेंगे । उसमें अगर आप कहीं क्वालीफाई करना चाहते हैं तो उसको आप बाद में लिखेंगे, इसलिए आपको पहले लिखना चाहिये, 20 रुपये । उसको आप क्वालीफाई करना चाहते हैं, किसके लिये ? "for inspection of one velume of register." अब मैं इसकी सार्थकता बताने के लिये निवेदन करना चाहता हूं । हिन्दुस्तान की पार्लियामेण्ट ने इस एक्ट को पास किया है और इण्डियन पार्लियामेण्ट की जो एण्ट्री इस सम्बन्ध में है, वह इस प्रकार से रीड करती है " 8 annas for inspecting one volume of the register."

एट आना पहले प्रयोग कर रहे हैं वे और वन वोल्यूम ऑफ द रजिस्टर बाद में योग कर रहे हैं। यही नहीं, राजस्थान में भी जो पहले शिड्यूल है, जिसमें आप अमेण्डमेंट कर रहे हैं उसमें भी इस प्रकार से है :— "Two rupees for inspecting one volume of Register"

(14.13)

(श्री किशन मोटवानी, सभापति, पदासीन)

अब क्या आवश्यकता पड़ गयी, मैं यहां पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं, कि आप 2 रुपये की जगह 20 करना चाहते हैं ? करिये, लेकिन इसने लैजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के दोष को आप इसके अन्दर क्यों लेना चाहते हैं ? इसलिये मैंने पहला अमेंडमेंट यह मूव किया है, you put first 20 rupees. क्यों ? इसलिये रखना पड़ेगा कि जिस प्रकार से किसी आभूषण के अन्दर कहां कौन-सा नग जड़ित करना चाहिये, उसी प्रकार से बिल और एक्ट के अन्दर भी शब्दों का रखने का, शब्दों के चयनित करने का कोई स्थान हुआ करता है । इसलिये मैंने आपसे

(श्री हरिसिंह)

निवेदन किया क्योंकि क्लॉज की एण्ट्री थर्ड है इसमें फीस की प्रधानता है। इसलिए पहले आप 20 रुपये को रखें, सब्सटेंटिव पहले लाए आप और उसके बाद में क्वालीफाई के लिये जाएं।

इसके बाद में एण्ट्री नम्बर 8 के अन्दर श्रीमान् जो मैंने अमेंडमेंट मूव किया है: "Inspection of documents relating to a firm under sub-section (2) of section 66." आपने इसमें 20 रुपये रख दिया है। मैंने इसमें एड किया है 20 रुपये के साथ साथ "Twenty rupees for the inspection of all documentsr relating to one firm. इसके पहले आपका शिड्यूल जिसको कि अमेंड कर रहे हैं, वह इस प्रकार से रीड करता है 'Two rupees for the inspection of all documents relatitg to one firm. यानि सेक्शन 66 के अन्दर जितने भी डाक्यूमेंट्स हैं, उनके इन्सपेक्शन के लिये, सभी डाक्यूमेंट्स के इन्सपेक्शन के लिये दो रुपये की फीस है। आपकी इण्डियन पार्लियामेंट्स के अन्दर अब मुलाहिजा करें: "Inspection of documents relating to a firm uncer sub-section (2) of section 66, -8 annas for the inspection of all documents relating to one firm."

आपने राजस्थान के अन्दर भी यही रखा था, दो रुपये सभी डाक्यूमेंट्स जो सेक्शन 66 के अन्तर्गत हैं उनके इन्सपेक्शन के लिये यहां है। अब सेक्शन 66 के अन्दर कोई एक डाक्यूमेंट्स थोड़े ही है। सेक्शन 66 में लाया हूं आपको नजर कराने के लिये। सेक्शन 66 इस प्रकार से रीड करता है: "The Register of firms shall be opened to inspection of any person on payments of such fee, as may be prescribed, all statements, notices and intimations filed under this Chapter shall be opened to inspection subject to such conditions and on payment of such fee as may be prescribed."

कई डाक्यूमेंट्स हैं, नोटिसेज हैं उनका इन्सपेक्शन 65 के अन्तर्गत होता है। अब तक जो फीस थी वह इस सेक्शन 66 के अन्तर्गत जितने भी डाक्यूमेंट्स फाइल हुए हैं उनके इन्सपेक्शन की एक फीस थी। अब आपने उसको डिलीट कर दिया है। आपने जो रखा था "for inspection of all documents," उन शब्दों को आप डिलीट कर रहे हैं। किसी भी एक्ट के अन्तर्गत एडीशन एण्ड डिलीशन, इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। ऐसा नहीं है कि आप यह कह दो कि हमने सभी डाक्यूमेंट्स के इन्सपेक्शन के लिये 20 रुपये रखे हैं। यह नहीं कह सकेंगे आप। फिर लोग कहेंगे कि जब लैजिस्लेचर ने जानबूझकर के उन शब्दों को डिलीट किया है, तो उसका कोई मतलब होना चाहिये। फिर क्यों डिलीट किया है? एक डाक्यूमेंट्स के लिये आप रखना चाहते हैं 20 रुपये, तब तो अंधेर मच जाएगा। एट आने, इण्डियन पार्लियामेंट कहती है सभी डाक्यूमेंट्स के लिये आपके पहले 2 रुपया करते हैं और अब आप 20 रुपये कहते हैं। इसलिए मैंने यह कहा है कि इसको आप क्लीयर करें।

(श्री हरिसिंह)

"Twenty rupees for inspection of all documents." जो यह फीस आप बता रहे हैं यह इंस्पेक्शन की फीस है। सरकार की तरफ से कुछ नहीं जा रहा है। एक आदमी जाएगा देखने के लिए, उसका समय निर्धारित होता है। आपके इन्सपेक्शन के रूल्स हैं कि इतना समय होता है। 8 घण्टे होता है एक घण्टा होता है, दो घण्टा होता है, तीन घण्टे होता है। ये रूल्स बने हुए हैं, यह तो गुंजाइश है नहीं। सब डाक्यूमेण्ट्स को देखेगा तो क्या हो जाएगा? उस समय-अवधि के अन्दर आपने इस सैक्शन 66 के अन्दर 20 रुपये के बाद में जो शब्द डिलीट किये हैं उनको डिलीट नहीं करना चाहिये, उन्हें पुनः रखना चाहिये। यह इसलिये इसके अन्दर अमेण्डमेंट लाया हूं। मैं समझता हूं, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी यह लैजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेण्ट है। इसमें आपकी मंशा के खिलाफ कोई अमेण्डमेण्ट नहीं रखा है। सिर्फ मैं चाहता हूं कि आप इन अमेण्डमेण्ट्स को स्वीकार करेंगे, आपकी आमदनी में कोई मैं कमी नहीं कर रहा हूं। आप अगर मूव कर देते तो अच्छा होता। मूव मैंने किये हैं, अब अगर यह जिद हो जाए सरकार के लिये कि अपोजीशन से कोई अमेण्डमेंट आये उसको स्वीकार नहीं करें तो बात दूसरी है। अन्यथा this should be accepted, यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय सभापति महोदय, कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन क्लॉज 3 में रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : मैं मान लूंगा उसको।

श्री परसराम मदेरणा : अच्छी बात है। बात यह है कि ड्राफ्टिंग में बहुत होशियारी की है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : वह मैं समझ गया। वह तो उन्होंने एक बात बता दी कि नगीना अच्छी जगह होना चाहिये। यदि इस विधान सभा में कोई विचार आते हैं और अच्छा विचार आता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : If there is a wrong drafting in clause.

श्री हरिशंकर भाभड़ा : Correct. I tottally agree with you.

श्री परसराम मदेरणा : यह अपनी सोवेरेनिटी में कोई चेंज नहीं करेगा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : No. I totally agree with you.

श्री परसराम मदेरणा : He would be a laughing stock at a bar and at Bench also.

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आखिर माननीय सदस्य सुझाव देते हैं तो उनको भी

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

तौलने की जरूरत है। मैं चाहता हूं, अगर किसी ने सुझाव दे दिया, हमने जिद पकड़ ली नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है, उसको हम तोलेंगे और सही है तो मानेंगे। कोई बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : मैं जब आपकी जगह बैठता था तो मैंने 20 दफे अमेण्डमेंट्स एक्सेप्ट किये हैं।

श्री हरिशंकर भामड़ा : हां, तो मैं भी आपकी लाइन पर ही चल रहा हूं। सभापति महोदय, जहां तक इस फीस में अमेण्डमेंट का सवाल है मैं समझता हूं कि रेशनेल एक-एक आइटम पर है। अब आपने जो सुझाव दिये हैं तो उसका भी कोई एक रेशनेल नहीं है। दोगुना है, तिगुना किया है, यही तो किया है। यदि आप इसी को रेशनेल मानते हैं तब तो हमने कहीं पांच गुना किया है और कहीं सात गुना किया है। यदि गुणा को रेशनेल मानते हैं तो वह है। अदरवाइज इसका रेशनेल अलग-अलग आइटम्स का है कि किस आइटम में कितना काम आता है। नये इनकम टैक्स के आने के कारण अब जो पार्टनरशिप फर्मे हैं उनकी संख्या इतनी कम हो गयी है कि वे मुश्किल से 10 प्रतिशत भी नहीं रही हैं। एक-एक आइटम मे कितना काम आता है उस आधार पर हमने इसका व्यय बढ़ाया है कि इसमें इतना कम है, इतना बढ़ाएंगे तो इतना पैसा आएगा, इसमें इतना कम है इतना बढ़ाएंगे। तो जो ज्यादा है उसमें कम बढ़ा, जो कम होता है उसमें ज्याद बढ़ा दिया। यह रेयर होता है इसलिये इसमें जो यह रेशनेल है, अधिक रेशनेल नहीं है। गुणा रेशनेल नहीं है। अब आप गुणा को रेशनेल मानते हो। पांच गुना या सात गुना है, वह आप गिन लीजिये।

दूसरा यह पूछा गया कि इसमें आपका कितना खर्चा होता है, कितनी आमदनी होती है। मैंने पहले भी बताया था कि चूंकि इण्डस्ट्री विभाग के माध्यम से यह काम होता है इसलिये अलग से तो कोई इसके लिये खर्चा है नहीं लेकिन हमारे स्टाफ का भी वेतन बढ़ा है 1971 से लेकर आज तक। जैसा मैंने आपको पहले निवेदन किया कि 1971 में रुपये की कीमत 95 पैसे थी और आज 13 पैसे है। आज 13 पैसे हैं और 71 में 95 पैसे थी तो उस हिसाब से भी आप देख लेंगे कि रुपये की कीमत गिर गयी। उधर हमारे स्टाफ के वेतनमान बढ़ गये। फिर भी इसमें जो अब तक आमदनी हुई है वह पचास-साठ हजार रुपये से ज्यादा नहीं हुई है और अब भी हम करेंगे तो वह मार्जिनल ही होगी। उसमें कोई बहुत बड़ा जनता को लूट लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाईली टोटल यदि हमने यह जो मैक्सिमम लगायी है, यदि यही हम लगा देते हैं तो भी दो-तीन लाख से ज्यादा आमदनी नहीं होगी। आज जो हमने टोटल लगायी है वह भी। मगर हम तो यह मैक्सिमम बता रहे हैं। इतने लगाने की....

श्री रामनारायण चौधरी : दो-तीन लाख रुपये के लिये इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने की क्या आवश्यकता है? क्यों कर रहे हैं?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप करवा रहे हैं इसलिये कर रहा हूं। मैं तो करना नहीं चाहता था मगर....

श्री रामनारायण चौधरी : आपको यह लाने की आवश्यकता ही नहीं थी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अब आप करवा रहे हो तो....

श्री रामनारायण चौधरी : विधान सभा का सत्र बैठा है। खर्चा हो रहा है, आपकी मेहनत हो रही है और मिल जाएंगे आपको दो लाख... (व्यवधान) ...

श्री हरिशंकर भाभड़ा : ऐसा है, एक पैसे की इनकम के लिये या एक पैसे के खर्च के लिये भी यदि विधान सभा के माननीय सदस्य मेरे से जवाब-तलब करेंगे तो मुझे जवाब देना चाहिये और देना पड़ेगा, यह मेरी ड्यूटी है।

श्री रामनारायण चौधरी : तो सरकार लाख-लाख, दो-दो लाख रुपये की आमदनी के लिये बिल लाने लग गयी? अफसोस की बात यह है, चेयरमैन महोदय, कि सरकार की यह स्थिति हो गयी। इसका भी अवमूल्यन हो गया। रुपये का अवमूल्यन 13 पैसे है. अब आप सरकार का मूल्य कितना नीचे लाएंगे?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अब आप पोलिटिक्स चलाएंगे तो फिर मुझे और बोलना पड़ेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : आप बोलिये, लेकिन यह अफसोसनाक है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यह अवमूल्यन तो सारे देश का हो रहा है। सारे देश में अवमूल्यन हो रहा है, आप किस चीज की बात करते हो?... (व्यवधान)...

श्री रामनारायण चौधरी : एक छोटा-सा अमेंडमेंट दो लाख रुपये की आमदनी के लिये....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय रामनारायणजी, आप बिराजिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप जिस समाज से आ रहे हो, उसका अवमूल्यन हो रहा है। आपकी वैल्यू समाप्त हो रही है। किस चीज की बात कर रहे हो?

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो कहीं से भी सेविंग कर लेते दो लाख रुपये। कहीं से भी बचा लेते।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यह बहस का विषय नहीं है, रामनारायणजी। अब हो गया, बाकी यह ...

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, आप तो ...

श्री परसराम मदेरणा : आप, माननीय, दार्शनिक हो गये। अवमूल्यन यह जो है, यह वैल्यूज का है ...

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यह सत्य है।

श्री परसराम मदेरणा : कैरेक्टर का है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यदि दर्शन का

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है तो दर्शन बेकार है, फेंकने काबिल है। दर्शन का सम्बन्ध भी जीवन से है। हम उसको अलग करके नहीं चल सकते कि यह तो दर्शन है, यह तो अध्यात्म है। अध्यात्म का भी जीवन में सम्बन्ध नहीं है तो फिर किस लिये अध्यात्म करते हो ?

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय, यह पूरा भाषण आप दे ही डालो।

श्री हरिशंकर भामड़ा : दे दूंगा। मैं आपको जब चाहूंगा दे दूंगा। मेरे से पूछेंगे तो मैं जवाब दे दूंगा।

श्री सभापति : फिर कभी सुनेंगे You move the amendment.

श्री हरिशंकर भामड़ा : इसलिये मेरा निवेदन यह है कि...

श्री सभापति : अमेंडमेंट दे दें।

श्री हरिशंकर भामड़ा : जहां तक रेट का इन्होंने किया है, मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं, इसको रद्द किया जाए।

श्री सभापति : नहीं, आप स्वयं का तो जो अमेण्डमेंट देना है, वह....

श्री हरिशंकर भामड़ा : हां, वह पेश कर रहा हूं मैं। आपने जो अमेण्डमेंट, दोनों सुझाव दिये हैं ...

श्री सभापति : नहीं, मूल में आपने अभी संशोधन पेश ही नहीं किया है।

श्री हरिशंकर भामड़ा : पहले पेश कर देता हूं। क्लाज-दो में, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह अमेण्डमेंट करना चाहता हूं। Clause 2. "In serial number 7 of the schedule-I as sought to be amended by clause 2 of the Bill, after the expression "Inspections of the Register of Firms", the expression "under sub section (1) of section 66" be added. इसका क्लेरीफिकेशन किया है।

जहां तक आपके अमेण्डमेण्ट का प्रश्न है, उसमें यद्यपि अर्थ में कोई अन्तर नहीं पड़ता है, यह बात बिलकुल सही है लेकिन उसके अरेंजमेण्ट में फर्क पड़ता है। मैं इस बात को मानता हूं जिस तरह का अरेंजमेण्ट है, कि रकम पहले आनी चाहिये क्योंकि ऊपर के आइटमों में भी रकम पहले आयी है और वर्ड्स बाद में आये हैं। उसमें मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, उनका अमेण्डमेण्ट स्वीकार करता हूं।

जहां तक दूसरा अमेण्डमेण्ट जो आपने किया है, निश्चित रूप से या तो उसमें क्लेरिकल भूल रह गयी, वह होना चाहिये उसमें, ड्राप करने का कोई कारण नहीं है इसलिये आपका दूसरा अमेण्डमेण्ट भी मैं स्वीकार करता हूं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड दो में प्रभारी मंत्री ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय ?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड दो में श्री लक्ष्मण सिंह व श्री माधवसिंह दीवान ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाव ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड दो में श्री शिवनाथ सिंह ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड दो में श्री हरिसिंह (कुम्हेर) ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड दो संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड दो को संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अंग्रेजी में प्रस्तुत किया गया है, हिन्दी का कोई हवाला नहीं दिया गया है, उनको हिन्दी में भी करें।

श्री सभापति : खण्ड-एक अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड एक, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किये गये।

श्री हरिशंकरजी भामड़ा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1995 संशोधित रूप में पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

श्री हरिशंकर भामड़ा : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1995 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1995 को संशोधित रूप में पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1995 को संशोधित रूप से पारित किया गया।

(श्री सभापति)

परिनियत संकल्प

राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) अध्यादेश, 1995

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1995, श्री रामनारायणजी मीणा, सदस्य, विधानसभा परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे। मेरे ख्याल से विचारार्थ पूर्व में लिया जा चुका है। श्री रामनारायणजी।

श्री रामनारायण (नैनवां) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सहकारिता मंत्री द्वारा राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 1995 प्रस्तुत किया गया है। इसका जो अध्यादेश जारी किया गया, क्या इसकी आवश्यकता थी? माननीय सहकारिता मंत्रीजी, मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं, इस सरकार की निगाह का मुझे पता नहीं है लेकिन इतना जरूर पता है कि दिल में बेइमानी है। पंचायत में भी इसी तरह से अमेंडमेंट पेश किया गया था और अध्यादेश पर अध्यादेश जारी किये गये। चूंकि आपकी सरकार है इसलिये खर्चा आप करो लेकिन वह जनता का खर्चा है, आपका नहीं है। माननीय सहकारिता मंत्रीजी, आप तो एक+ + + हो इस पूरे मंत्रिमण्डल में इसलिये कृपा करके जो कह दिया वही कर दिया ...

एक माननीय सदस्य : + + + का मतलब क्या है? (व्यवधान)

श्री रामनारायण : परसादीलालजी को तकलीफ हो रही है, आप देखो। अजीब बात नजर आ रही है।

मैं इसलिये आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यह भावना शुद्ध नहीं है आपकी। आपकी हो सकती है, आपकी सरकार की शुद्ध नहीं है इसलिये आप निश्चित तौर पर वह करोगे। जुलाई में आपने अध्यादेश जारी किया है। उसके बाद में आपके कोई चुनाव नहीं हो रहे। आप छह महीने से पहले विधान सभा बुलाने की इच्छा रखते, शक्ति नहीं रखते। ऐसी स्थिति जब आपको पता है कि विधान सभा आ रही है, यह सारी की सारी बात विधान सभा में डिस्कस करनी है, विधान सभा के माध्यम से कोई बात होनी है। आपने जो अध्यादेश जारी किया है, पेश किया है, उसके बाद में कोई चुनाव हुए नहीं हैं। इसमें आप दुबारा से अध्यादेश लाने वाले हो बहुत जल्दी। एक्ट बन जाएगा उसके बाद भी आप अध्यादेश लाओगे। मैं कल भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूं। अब यह बच्चों वाला है, एक ही सरकार के मन में भावना है कि आज बच्चे ज्यादा पैदा गरीब करते हैं इसलिये उसको रोको। यह बात हम पहले भी कहते आये हैं, यह पूंजीपतियों की सरकार है। पहले तो माननीय मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी जब विपक्ष में थे उस टाइम तो गरीबों की बात करते थे और आज बड़े लोगों की बात करते हैं। गरीबों का भी सरकार ध्यान रखे, क्योंकि गरीबों

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री रामनारायण)

के पास मनोरंजन का तो कुछ है नहीं। माननीय मुख्य मंत्रीजी, वे इन सारी इन्स्टीट्यूशंस से अलग रहें, यह आपने इसमें भावना रखी है। इसलिये मैं इसमें विनम्र निवेदन करता हूं कि जो आपने यह अध्यादेश जारी किया है, उस अध्यादेश को बेझिझक, बेहिचक और थोड़ी मन में ईमानदारी रखकर, आप अपनी भावना अलग रखते हुए, जैसी आपकी भावना है, इसको वापस लेंगे। मैं इस सदन के माध्यम से इस अध्यादेश का पुरजोर शब्दों में विरोध करते हुए यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह सदन राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 3 जुलाई, 1995 को प्रख्यापित राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (1995 का अध्यादेश संख्या 2) को अस्वीकार करता है। धन्यवाद।

श्री समापति : माननीय मंत्रीजी, कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री रामनारायण (नैनवां) : हमें तो यह बता दो, इसमें दुबारा अमेंडमेंट नहीं करोगे।

श्री सुजानसिंह यादव (सहकारिता मंत्री) : समापति महोदय, यह दो बच्चों वाला प्रावधान नगरपालिकाओं और पंचायतों में किया गया है। इसके परिणाम जनता के सामने बहुत बढ़िया आये हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : क्या अच्छे हैं ?....(व्यवधान)....लागू किया ही नहीं, क्या परिणाम अच्छे आये हैं ? आये ही नहीं परिणाम तो। विथड्रा कर लिया यह एन टाइम पर, परिणाम नहीं आये। यह मत कहो परिणाम आये।... (व्यवधान)

श्री समापति : आर्डर प्लीज।.... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : सर, सप्लाई नहीं किया पंचायत चुनावों में, नगर पालिकाओं में।

श्री समापति : कृपया बैठें, माननीय सदस्य। प्लीज सिट डाउन।....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : That was not applicable.

श्री समापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री सुजानसिंह यादव : समापति महोदय, देश और प्रान्त के सब नागरिक जनसख्या से बहुत ज्यादा चिंतित हैं। देश का विकास और विकास की गति ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका खुद का क्या हाल है ?

श्री सुजानसिंह यादव : हमारा तो हो लिया हालचाल। (व्यवधान)... हमारा तो हालचाल हो लिया अब।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इसका प्रभाव राजस्थान के मंत्रिमण्डल पर तो नहीं पड़ता है ?....(व्यवधान)....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने इनसे पूछा, आपका खुद का क्या हाल है ?

श्री सुजानसिंह यादव : हम से तो गलतियां हो गयीं ।....(व्यवधान)....

सभापति महोदय, इस अध्यादेश से पहले हम से तो बहुत गलतियां हो चुकी हैं मगर आइन्दा के लिए हमारा उद्देश्य यह है कि भावी पीढ़ी इस तरह की गलती नहीं करें । इसी उद्देश्य से यह प्रावधान किया जा रहा है ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 3 जुलाई, 1995 को प्रख्यापित राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 1995, (1995 का अध्यादेश संख्या 2) को अस्वीकार करता है ?

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया ।

माननीय सुजानसिंहजी प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक 1995 को विचारार्थ लिया जाय ।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1995

श्री सुजानसिंह यादव (सहकारिता मंत्री) : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री सभापति : श्री जुबेर खान ।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : सभापति महोदय, जो बिल लाये हैं राजस्थान को-आपरेटिव सोसाइटी (अमेंडमेंट) बिल, 1995, इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह के बिल लाने की आज की तारीख में अत्यन्त आवश्यकता है । हमें तो बड़ी खुशी हुई थी जब माननीय मुख्य मंत्रीजी, 1991 में पहली बार पंचायती राज संस्थाओं के लिये संशोधन लेकर आये थे, लेकिन बाद में 73वां अमेंडमेंट होने के बाद में वह बर्वश कर दुबारा आया । मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कि जिस तरह से बिल लेकर आये थे....

श्री परसराम मदेरणा : 1991 में नहीं लाये थे 1992 में लाये थे ।

श्री जुबेर खान : 1992 ही बोला था मैंने ।

श्री परसराम मदेरणा : और 1992 में जब लाये थे ...

श्री जुबेर खान : जब पता चल गया था इनको पहले ।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, पता यों नहीं चला है । जॉइन्ट पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसमें, कल जिक्र चल रहा था कि कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट में कुछ लैकूना रह गया है । जब जोइन्ट सलैक्ट कमेटी की रिपोर्ट सदन में पेश हो गयी, इसकी प्रतिलिपि

(श्री परसराम मदेरणा)

जब मुख्य मंत्रीजी को मिल गयी और मुझे भी उसकी जानकारी मिली तो मुख्य मंत्रीजी से मैंने रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि मैं इसकी फोटो स्टेट आपके पास भेज रहा हूं और, मैं उनकी तारीफ करूंगा कि उन्होंने 15 मिनट में मेरे पास फोटो स्टेट प्रति भेज दी। जब इनको यह मालूम था कि यह अमेंडमेंट तो होने वाला है और फेट अकम्प्ली है तो ये तो पहले वाह-वाही लूट ले गये।

श्री जुबेर खान : लेकिन इसमें शंका, सभापति महोदय, यह है कि इस विधान सभा से तो इन विधेयकों को पास करा लिया जाता है लेकिन जब चुनाव प्रक्रिया चल जाती है तो किसी न किसी कार्नर से दबाव आता है और राजस्थान सरकार अध्यादेश जारी कर और भी अमेंडमेंट कर देती है। माननीय मंत्री महोदय ने स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्टस एण्ड रीजन्स में कहा है, The rapidly increasing population in the State has been a source of great anxiety. इसमें कोई शक नहीं है, सभापति महोदय, कि आज यह राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है। पर यह दुख की बात है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इसको राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाना चाह रही है। इस देश के सामने अगर कोई गम्भीर समस्या है तो यह बढ़ती हुई जनसंख्या है और यही कारण है कि हम गरीबी में नीचे ही जाते जा रहे हैं, पिछड़ते जा रहे हैं। मेरा इस मौके पर यह कहना है कि अगर सरकार यह मंशा सही रूप में रखती है कि जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगे तो इस तरह के विधेयक तो आप लाइये। जो लोग पढ़े-लिखे हैं, शहरों में रहते हैं वे तो इसका पालन करेंगे लेकिन अगर आप हमारे राजस्थान का ढांचा देखें तो, सभापति महोदय, ज्यादातर बच्चे गरीब परिवारों में, अनभिज्ञ परिवारों में, ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं। इस तरह के संशोधन लाकर आप उनको तो रोक देंगे लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर वाकई सरकार इस समस्या के प्रति चिंतित है तो आप इन्सेंटिव रखिये, प्रोत्साहन रखिये कि जिसके दो बच्चे हैं या उससे कम बच्चें होंगे तो उनको सरकार कहीं न कहीं प्रोत्साहन देगी।

इसी तरह से, सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आप जनप्रतिनिधियों पर तो ला रहे है, क्यों नहीं राजस्थान विधान सभा एक प्रस्ताव लाए और संसद के लिये भेजे। माननीय विधायकों और सांसदों के लिये भी यह लागू होना चाहिये कि जिनके दो से ज्यादा बच्चे है उनको चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया जाए। अगर आपकी सही मंशा है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार यह तय करे कि क्योंकि नियुक्ति तो नौजवानी की अवस्था में होती है, बहुत-सों की शादी नहीं होती लेकिन प्रमोशन के मामले में हमें यह रोक लगानी पड़ेगी कि जिसके दो से ज्यादा बच्चे होंगे उनको इंक्रीमेंट या प्रमोशन पर रोक लगायी जाएगी। हम जब तक समाज में यह व्यवस्था नहीं बना देंगे हर क्षेत्र में कि जनसंख्या पर रोक लगे, कम जनसंख्या हो तब तक

(श्री जुबेर खान)

इस ज्वलंत समस्या का कोई हल नहीं निकलेगा ।

मैं इस मौके पर यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप अध्यादेश लाकर रोक तो लगाइये लेकिन किसी तरह से ग्रामीण लोग इससे नहीं रूकेंगे क्योंकि भारत की क्या राजस्थान की 95 प्रतिशत जनसख्या को चुनाव में वोट देना है चुनाव लड़ना नहीं है । ये तो हम 5 प्रतिशत हैं जो को-आपरेटिव में भी लड़ लेते हैं, पंचायतों में भी लड़ लेते हैं, नगर पालिकाओं-परिषदों में भी लड़ लेते हैं और संसद और विधान सभा में भी लड़ लेते हैं । उनके बारे में सोचना होगा कि वहां कैसे रोक लगे । वहां तभी रोक लगेगी जब चाहे बिजली का मामला हो, चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे लगान का मामला हो, चाहे और कोई मामला हो, जब तक ग्रामीणों को, किसानों को वहां इन्सेटिव नहीं देंगे तब तक इसको कारगर रूप से प्रभावित नहीं कर पाएंगे ।

सभापति महोदय, मैं तो समझता हूं माननीय मंत्री महोदय को-आपरेटिव सोसाइटी में सिर्फ इसलिये जल्दी लाये हैं क्योंकि इनकी मंशा थी कि अलवर की को-आपरेटिव सोसाइटी को ठप्प किया जाए । एक व्यक्ति विशेष को कैसे आगे बढ़ने से रोका जाए । इन्होंने एक एम. डी. लगाया, हालात बिगड़ गयी क्योंकि वह भी माहिर है जो को-आपरेटिव मूवमेंट का अध्यक्ष है उसके और एम. डी. के इतना झगड़ा चला कि जब कानूनी पेचीदगियां नहीं तो लठ बजाना पड़ गया । उसके बाद में भी इन्होंने भंग कर दिया तो मालूम चला कि वे हाई-कोर्ट से जीत कर फिर बैठ गये । माननीय मंत्री महोदय ने सोचा कि जनसंख्या तो जाए चूल्हे-भाड़ में, इसको कैसे रोका जाए । तो इन्होंने एक ऐसा अमेंडमेंट ला दिया कि अब तो मोहर लग गयी, अब तो लड़ने का प्रश्न ही नहीं तो कहां से माहिर खिलाड़ी चुनाव लड़ेंगे, कहां से जीतेंगे और कहां से इनके लिए सर दर्द बनेंगे ? मैं यह मानता हूं कि माननीय मंत्री महोदय का उद्देश्य सिर्फ यह है, और मैं बधाई दूंगा आपको क्योंकि आप जिस दिन से मंत्री बने उसी दिन से आपका अलवर जिले में एक ही उद्देश्य था कि इस व्यक्ति विशेष को रोका जाए । वही कारण है, कि अलवर जिले में आज भी को-आपरेटिव बैंक से लोगों को लोन नहीं मिल रहे हैं क्योंकि चेयरमैन और मैनेजिंग डाइरेक्टर के बीच वहां विवाद है और इसी वजह से आज को-आपरेटिव मूवमेंट बुरी तरह से पिछड़ रहा है । मेरा निवेदन है कि इसको लागू किया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद लेकिन सरकार और भी आगे इस तरह से विधेयक लाए, कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करें कि जनसंख्या पर सही मायने में रोक लगा सके । धन्यवाद । जय हिन्द ।

श्री सभापति : श्री हरिसिंहजी महुआ ।

(अनुपस्थित) श्री शैलेन्द्र जोशी ।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : सभापति महोदय, राजस्थान सहकारी सोसाइटी

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

अधिनियम, 65 की धारा 34 के "ख" के बाद "ग" धारा जोड़ी गयी है और यह अमेंडमेंट लाया गया है कि आने वाले को-आपरेटिव सोसायटी के चुनावों में वे व्यक्ति इस कमेंसमेंट के बाद एक साल के अन्दर यदि उनके दो पुत्र हैं और यदि तीन संतान उनकी होती हैं तो उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

मेरा निवेदन करना यह है कि राजस्थान सरकार की दोहरी मानसिकता है, इस दोहरी मानसिकता से राजस्थान सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ग्रसित है। इसका नंगा सबूत यह है, सभापति महोदय, कि पूर्व में भी राजस्थान विधान सभा में सदस्यों के लिये बढ़ती जनसंख्या विषय पर एक कार्यशाला 1994 में आयोजित की गयी थी। जब माननीय भाभड़ा साहब अध्यक्ष थे। राजस्थान विधान सभा में बहुत वाहवाही लूटी गयी थी। दो दिवसीय कार्यशाला में लोक सभा के अध्यक्ष, श्री शिवराज जी, पाटिल साहब आये थे और रवीन्द्र मंच पर प्रोग्राम किया गया था। वहां पर राजस्थान सरकार और माननीय मुख्य मंत्री महोदय को सब लोगों के द्वारा महिमा मण्डित किया गया, अभिशंसित किया गया, विभूषित किया गया और यह बताया गया कि भारत में यह पहला कदम है जहां पर कि पंचायत चुनावों में जिला परिषद के चुनावों में, जो होने वाले थे राजस्थान में उस समय, राजस्थान सरकार ने एक नया आदर्शवादी कानून हाथ में लिया कि दो बच्चे वालों से ज्यादा जनसंख्या का आधिक्य रखते हैं उनको चुनावों में लड़ने का अधिकार नहीं होगा। समस्त भारत में एक गलत वाहवाही लूटी गयी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा। और फिर परिणाम क्या रहा? जब देखा कि राजनैतिक लाभ नहीं मिलेगा, इससे तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि न तो पंचायत समिति में आ सकेंगे न जिला परिषद में आ सकेंगे तो, माननीय सभापति महोदय, हुई यह कार्यशाला, जिसमें विधायकों को पढाया गया, जिसमें विधायकों के छः-छः सेमीनार आयोजित किये गये और जिसमें विधायकों को अटैची दी गयी। उस अटैची पर लिखा गया.... (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, जो प्रचार की थोथी नीति है वह मैं बताता हूं "राजस्थान विधान सभा, बढ़ती हुई जनसंख्या पर कार्यशाला, 1994" यह दे दी गयी 300-300 रुपये, 400-400 रुपये की, लेकिन वास्तव में आपके मंसूबे का क्या हुआ? आपका मंसूबा धूल-धूसरित हुआ, नेस्तनाबूद हुआ। आपने वास्तव में करोड़ों-अरबों रुपये खर्च कराकर पूरे राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया। आप प्रगतिवादी हैं ही नहीं। आप कोई प्रगतिशील कदम उठाना ही नहीं चाहते। आपने उनको भी अधिकार दिया जिनके 10 बच्चे है, 8 बच्चे हैं क्योंकि आपके लोग दकियानूसी थे, प्रतिक्रियावादी थे, राइट रिएक्शनरी थे, कंजरवेटिव थे और उनके जबरदस्त संताने थीं, आधी दर्जन से भी ज्यादा आपने देखा कि आपकी पार्टी के लोग उम्मीदवार के

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

रूप में कोई हैसियत यहां नहीं रख सकेंगे इसीलिये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको हटा दिया । (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) मेरा, माननीय सभापति महोदय, अब यह कहना है कि पहला धोखा हो गया जो तो हो गया, क्या दूसरा धोखा भी हम सहन करे इस संशोधन के द्वारा ? आने वाले चुनावों में, जब को-आपरेटिव सोसायटी के चुनाव होंगे तब भी राजस्थान सरकार वही अपनी पुरानी नीति अपना सकती है किन्तु, परन्तु के दायरे में, कि हम उचित नहीं समझते । यह जनसंख्या का जो, आविषय है इसके खिलाफ कर सकते हैं । भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो वास्तव में मूलतः नीति है वह इन संशोधनों के द्वारा समय समय पर अपनी स्थिति को उजागर करने की है न कि वास्तविक ध्येय प्राप्त करने की है । मेरा यह कहना है कि दूसरी बार भुलावे में नहीं रखा जाए । (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) इसके लिये मुझे यह भी कहना है कि ... (व्यवधान)

श्री सभापति : समाप्त करें । आप तो अपना संशोधन रखिये ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सभापति महोदय, मुझे अन्त में यही कहना है कि यह नियम है इसका सख्ती से पालन किया जाए । और जैसाकि पूर्व में मेरे भाई जुबेर खान ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वास्तव में प्रगतिशील है तो निश्चित तौर पर वह बिल लाए और विधायकों के लिये, 'सांसदों के लिए जो भी प्रक्रिया है, उसमें खुद का रुझान, खुद की सोच और समझ डाले । न केवल नीचे के तबके पर यह डेमोक्रेटिक सैट-अप हो, हर जनप्रतिनिधि पर लागू हो ।

इसी तरह सरकार की सेवाओं में आप आकर्षक सुझाव दीजिए, आकर्षक व्यवस्था कीजिये ताकि जो कम संतान रखे उसको पदोन्नति में, पेमेंट में, ग्रेच्युटी में, रिटायर होने में हर तरह के बेनीफिट हों । आप किसी लुभावने आकर्षक नारे से, इसे सुसज्जित कीजिये तो निश्चित तौर पर ग्रामीण व्यक्ति भी प्रभावित होगा ।

ग्रामीण तबको के लिये, माननीय सभापति महोदय, मेरा अन्तिम सुझाव है कि उनको जो बैंक से लोन मिलते हैं उसमें जिसने जनसख्या को सीमित करने में सरकारी सहयोग की नीति की अनुपालना की है, अनुसरण किया है, उसका अनुगामी है उसको वास्तव में प्रायोरिटी पर लोन दिलवाया जाए । इस तरीके की व्यवस्था की, जाय । काश ! भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे सही हों, असत्य नहीं हों ।

श्री सभापति : श्री रामस्वरूप जी ।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, सहकारी सोसाइटी में संशोधन का यह विधेयक जो माननीय मंत्री महोदय ने पेश किया है, मेरा आप के माध्यम से निवेदन करना है कि इस प्रकार के हम कई बार और भी संशोधन लाये हैं लेकिन क्या उनकी पालना हुई आज तक कभी ? कई बार उनमें परिवर्तन किया गया ।

(श्री रामस्वरूप)

मेरा एक सुझाव है, माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय से कि आप संशोधन लाने के बजाय एक काम करें। जब हमारे देश में शिक्षा नहीं थी, लोग पढ़े-लिखे नहीं थे, बुजुर्गों का जमाना था वे लोग ऐसे थे जिनके ज्यादातर एक या दो सन्तानें हुआ करती थीं। जैसे ही हमारा युग बदला है, पढ़े-लिखे लोग आने लगे हैं बड़े-बड़े अफसर बनने लगे हैं उसके बाद सरकार को परिवार नियोजन की आवश्यकता पड़ी है। हमारे शास्त्रों का प्रमाण है राम राज्य में श्री रामजी के, लक्ष्मण जी, के भरत जी, के शत्रुघ्न जी के सबके दो-दो लड़के थे। दोई-दोई सुत सब भाई र केरे। सारे भाइयों के दो-दो सुत थे उस समय, शास्त्रों का प्रमाण है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके कितने हैं ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दो ही हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। रामस्वरूपजी, आप बोलें।

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, शास्त्रों का भी यही प्रमाण है। क्यों यह सरकार को आवश्यकता पड़ी कि परिवार नियोजन की पाबन्दी लगायी जाए, इसकी ओर हमको ध्यान देना है। इसका मूल कारण, माननीय....(व्यवधान)

(14.45)

(श्री समर्थ लाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इस प्रकार के संशोधन की क्या आवश्यकता पड़ी ? ये सारी आवश्यकतायें हमारी कमजोरी के कारण पड़ी। पहले के लोगों के नियम और संयम थे, उन लोगों के अन्दर नैतिकता थी, वे चरित्रवान थे पर हमारे चरित्र में गिरावट आयी और हम पशु से भी नीचे आ गए। उसी का परिणाम है कि आज हमको परिवार नियोजन में इतनी सख्तियां, इतना पैसा कुर्बान करना पड़ रहा है। यह सारा पैसा बचाकर अगर हमारी विकास योजनाओं में लगाया जाए तो हमारा कितना विकास हो सकता है ?

आज हम विधायकों के लिये अभी एक संशोधन आया, विधायकों को भी ऐसा करना चाहिये, जो परिवार नियोजन को अपनाएं उन्हीं को चुनाव में लेना चाहिये। मेरा आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि आज हमको यह घोषणा करनी चाहिये, नियम बनें या नहीं बनें लेकिन हम आज यह घोषणा करें, सदन में जो भी बैठे हैं, घोषणा करें कि हम सब परिवार नियोजन का पालन करेंगे। आज तक गलतियां हुईं जो हुईं, आगे गलती नहीं करेंगे। (व्यवधान) सर्वसम्मति से घोषणा करो आप सब। (व्यवधान) बहुत खुशी की बात है। सोसाइटी मंत्रीजी से निवेदन है, मेरा आप संशोधन ला रहे हैं आप भी अपना हाथ ऊंचा करें (व्यवधान) बहुत अच्छी बात है। सारे सदन ने अपनी इच्छा व्यक्त की है, हम कोई भी आगे बच्चा पैदा नहीं करेंगे। सारे राजस्थान और हिन्दुस्तान में यह खबर जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री रामस्वरूप : एक मिनट, उपाध्यक्ष महोदय। हिन्दुस्तान में यह खबर जाएगी कि सदन में इस प्रकार लोगों ने अपनी व्यक्त कर दी है कि हम अब बच्चे पैदा नहीं करेंगे। इस कानून की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सख्ती की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। इसलिये आप नैतिकता पर ध्यान दें और इस प्रकार के आदर्श पेश करें। चाहे आई. ए. एस. आफिसर हो, चाहे आई. पी. एस. आफिसर हो, चाहे वह विधायक हो, चाहे मंत्रीगण हों, चाहे एम. पीज. हों, सबको मिलकर इस प्रकार की घोषणा करके आदर्श रखना चाहिये। हमारा बुजुर्ग जमाना जो था, उस जमाने में इस प्रकार की कार्यवाही हुई थी।

अन्त में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक ही निवेदन करूंगा, आप इसमें जो संशोधन ला रहे हैं कृपया संशोधन के बजाय रोकें और इस प्रकार की प्रवृत्ति लोगों में लाएं ताकि यह भावना लोगों में कायम हो। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बिल लाये हैं संशोधन का। (व्यवधान) मान्यवर, इस राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम....(व्यवधान) 1965 की धारा 34 में नयी उप धारा अर्थात् 7 ग जोड़ने का विनिश्चय किया गया है। मंत्री महोदय इतने संशोधन लाये हैं, ऐसा लगता है कि एक दूसरा नया एक्ट आ जाता तो अच्छा था। लेकिन नहीं लाये।

यहां पर बढ़ती जनसंख्या पर चर्चा की बात की गयी, माननीय मामड़ा साहब ने जिस समय बुलाया था मैंने तब भी एक बात कही थी कि जब तक हमारी सारी योजनाएं जनसंख्यापरक रहेंगी तब तक जनसंख्या कम किये जाने का क्या अर्थ हो सकता है? स्कूल खुलेंगे तो इतनी जनसंख्या पर हैण्ड, पम्प लगाये जायेंगे तो इतनी जनसंख्या पर और सड़क बनायी जायेगी तो 1500 तक इतनी और पांच हजार तक इतनी। इस तरह के जनसंख्यापरक आंकड़े। केन्द्र सरकार से यहां पर जो राशि आती है वह आंकड़ों के हिसाब से आती है, जनसंख्या के आंकड़ों के हिसाब से आती है।

मान्यवर, राशन भी उठाया जाता है तो पर-कैपीटा के हिसाब से। आप जब मदद देते हैं तब भी पर-कैपीटा के हिसाब से आप राशि उपलब्ध कराते हैं, तो मैं फिर गावों में जाकर क्या कहूं? जनसंख्या बढ़ाओ कि घटाओ? तो मेरे इलाके में कोई काम होगा कि नहीं होगा? आप यह जनसंख्या की पाबन्दी हटा दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, माननीय मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसके परिप्रेक्ष्य में बोलें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं इस प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में जो दुष्परिणाम,

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

सुपरिणाम होने वाले हैं उन पर बात कर रही हूं। और जनमत जानने का अर्थ क्या होता है? अर्थ यही होता है कि लोग जानें कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, उनका भी अभिमत हमें प्राप्त हो। इस परिप्रेक्ष्य में जब हम यहां बैठे हैं तब हमें सही बात का चिन्तन करना चाहिये। जनसख्या कम हो तो बहुत अच्छी बात है। सब चीजों में हमें कहीं से ज्यादा मांगना नहीं पड़ेगा। आप पिछली बार चुनाव के टाइम में संशोधन ले आये थे, क्या जरूरत थी संशोधन लाने की? अभी क्या भरोसा है कि आप फिर सोसाइटीज में, जब चुनाव होंगे, संशोधन नहीं ले आएंगे? कई बातें हैं। मुझे इस बारे में शंका है, मेरा समाधान करें मंत्री महोदय तो मैं इसमें सहयोग करूंगी। पर एक कानून सारे वर्गों पर लागू जब तक नहीं होगा हिन्दुस्तान में या राजस्थान में तब तक हम क्या सोच सकते हैं? इन सभी बातों को सोचकर मंत्री महोदय मुझे जवाब दें कि आप क्या करने वाले हैं। तब मेरा कोई अभिमत वापस लिये जाने का या प्रस्तुत करने का रह सकेगा, मैं अभी तो आपको प्रस्तुत करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिव किशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। श्री भीमराज भाटी।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन के माननीय सदस्य जो मेरे से पूर्व में बोले हैं, उनकी मंशा है, मैं राजस्थान की सरकार से और विशेषकर राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री जी से एक आश्वासन चाहूंगा। आज यह संशोधन ला रहे हैं कि दो बच्चों से अधिक जो लोग हैं उनको कोआपरेटिव सोसाइटी में किसी भी तरह पार्टीसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। कि उसका हश्र वही नहीं होगा जो पहले पंचायत समिति, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव में हुआ है। अब आप इतनी छोटी-सी बात के लिये इतना संशोधन ला रहे हैं। मेरा यह निवेदन है कि राजस्थान कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट, 1965 में आलरेडी प्रोवीजन है 34(7) ए और उसमें 34(7) बी और 34(7) सी आप एड कर रहे हैं। तो जो आपका पुराना एक्ट है 34(7) ए, सही मायने में उसका भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। 34(7) ए, में कुछ नोटिसेज निकलते हैं कुछ लोगों को डिसक्वालिफाई किया जाता है। जो वर्तमान एक्ट है आप उस वर्तमान एक्ट को भी सही ढग से इम्प्लीमेंट नहीं करा पाते हैं। मुझे खुशी है कि पूर्व में भी हमारे पाली जिले में ऐसा कुछ हुआ था इसमें कोआपरेटिव सोसाइटी के नियमों के अनुसार ही माननीय सहकारिता मन्त्रीजी ने भी किया और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी उसमें सहयोग दिया। लेकिन अभी 34(7) ए का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका नोटिस

(श्री भीमराज भार्टी)

हमारी पाली सैण्ट्रल कोग्रापरेटिव बैंक से निकल चुका, उस 37(ए) का, जो एग्जिस्टिंग एक्ट में है, भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है और आप 37 ए, बी, सी, सेवन सी का और एक नया संशोधन कर रहे हैं।

मेरा इस सदन में राजस्थान के सहकारिता मंत्री जी से यह निवेदन है कि इस एक्ट को लाने की आपकी जो मंशा है वह तो सही है। उसमें तो कोई दो राय नहीं हैं, लेकिन उस मंशा पर आप जब कोग्रापरेटिव सोसाइटीज के इलेक्शन होंगे तब कायम रहेंगे या नहीं रहेंगे ? इस बात की सदन में दृढ़तापूर्वक घोषणा करें। कहीं ऐसा नहीं हो कि पंचायत समिति में और नगर परिषदों में जैसे थिथड़ा किया—पहले दिन छपा कि राजस्थान सरकार की वाहवाही, राजस्थान सरकार पूरे देश में प्रथम और फिर एन समय पर जब चुनाव हुआ, तब एक-दो दिन पहले दूसरी घोषणा कर दी गयी। तो एक तो यह आश्वासन मैं चाहता हूं इस सदन में।

दूसरा, वर्तमान एक्ट जिस भावना से बना हुआ है उस भावना को सही रूप में इम्प्लीमेंट किया जाए। वर्तमान एक्ट की तो छीछालेदार होती जाए और उस एक्ट को आगे से आगे संशोधित करते जाएं ? यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण मीणा।

श्री रामनारायण (नैनवां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो जयपुर ग्रामीण से आने वाली माननीय सदस्या ने जो भावना व्यक्त की है उसका समर्थन करता हूं। आपका मन साफ नहीं है। आप निश्चित तौर पर अमेंडमेंट करोगे इसलिये इसकी घोषणा आप करो कि हम नहीं करेंगे, हम दृढ़चित्त हैं। फिर यह अमेंडमेंट लाये हो, आपको तो अधिकार है और आप ऐसे लोगों में बैठे हो जिन्होंने इसका विरोध किया है। स्वर्गीय संजय गांधी ने चार सूत्र दिये थे, उनमें जनसंख्या वृद्धि पर रोक की बात की थी। ऐसे भी लोग इस सदन में बैठे हुए हैं जिन्होंने उसका विरोध किया। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी, आपको तो पता होगा, जिन्होंने नसबन्दी का विरोध किया शासन में आ गये। ऐसे लोग तो बहुत हैं। इसलिये जयपुर ग्रामीण से आने वाली सदस्या ने बहुत ही अच्छे ढंग से सही बात कही है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन में घोषित होना चाहिये, आप सदन को आश्वस्त कीजिये कि हम यह अमेंडमेंट नहीं लाएंगे। उस दुर्भावना पर नहीं चलेंगे जैसा पचायतों में और नगर पालिकाओं में किया है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, देर आये दुरुस्त आये। बात तो सही है। इसमें एक बात और कही है जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने कि आप एक्ट को अमेंड कीजिये। एक चीज अमेंड कर दी, फिर अमेंडमेंट ला दोगे, फिर अमेंडमेंट ला दोगे। 34 का 7-ग (सी), इतने सब सेक्शंस आपके हैं। इसलिये आप कृपा करके इस बारे में सोचें। मुझे धन्यवाद तो देना ही पड़ेगा। माननीय

(श्री रामनारायण)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि स्वर्गीय संजय गांधी के सिद्धांतों पर, आदर्शों पर चलने वाली यह सरकार बनती जा रही है। आपको, मुख्य मन्त्री जी, तहेदिल से धन्यवाद। वे मन्त्री जी तो चले गये जिन्होंने विरोध किया।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1995 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करें। कोई जल्दी नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, आप भी थोड़ा सजेस्ट कीजिये सरकार को।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री जी तैयार हैं आपका उत्तर देने के लिये।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट आपकी अनुमति से निवेदन करना चाहता हूं। पापुलेशन कण्ट्रोल करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन कण्ट्री में हो रहा है। 9·50 मिलियन हम हो गये हैं। मुख्य मन्त्री जी, मैं निवेदन कर रहा था कि इस देश की अभी जनसंख्या 95 करोड़ से ऊपर हो गयी है। आप इसमें पायोनियर रहे हैं, पंचायतों के अन्दर इसी प्रकार का अमेंडमेंट दिया था और सिमिलर अमेंडमेंट आप कोआपरेटिव एक्ट में लाना चाहते हैं। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, आपने सिविल सर्विस कण्डक्ट रूल में भी इसकी कोई व्यवस्था की है या नहीं की है। यह करने की बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कर रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : आई. ए. एस. और आई. पी. एस. तो कटोरी की कटोरी और चमचे का चमचा रखते हुए चले जाएं, मैं निवेदन करूंगा, मुझे इस बात का बहुत दुख है। आपसे रिक्वेस्ट की, इसमें एक एनोमोली खड़ी हो जाएगी। आपने म्यूनिसिपैलिटी में कर दिया है और पंचायतों के अन्दर अगर यों ही किया है तो जो एक्ट पास हुआ है वह तो अप्रेल, 1994 का है और लोगों में पब्लिसिटी हुई नहीं। इमीजिएट इलेक्शन हो जाते तो बात और थी। तो आपने कहा कि यह बात मैं नहीं करने वाला हूं, इस बात को मैं नहीं मानूंगा। उसी वक्त मैंने टेलीफोन रख दिया। मैंने कहा, चीफ मिनिस्टर जिद्दी हैं और जिद्द करने से क्या मतलब। लेकिन उसके दस-बारह दिन के बाद अमेंडमेंट दे दिया। क्योंकि आपने बाद में सोचा होगा कि यह एनोमोली खड़ी कहा हो जाएगी। म्यूनिसिपैलिटी में तो आपने कि कारण था कि कुछ म्यूनिसिपैलिटीज का टर्म खतम नहीं हुआ है। लेकिन इसमें टर्म तो खतम हो गया है, लोगों को पता नहीं था। अब यह आर्डिनेंस जो आपने निकाल दिया। जब इलेक्टेड बाडी में निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों के सम्बन्ध में कानून का प्रावधान रखने जा रहे हैं तो आपको इसकी पब्लिसिटी पूरे राजस्थान में कर एक अवसर देना चाहिये सभी लोगों को। कोआपरेटिव सोसाइटी का, ग्राम सहकारी समिति का जो सदस्य है, उसको इसकी जानकारी होनी चाहिये जब यह आर्डिनेंस आया, हाउस की टेबल पर रखा पहले रोज 26 तारीख को और फिर इण्ट्रोड्यूज

(श्री परसराम मदेरणा)

भी कर दिया लेकिन पास नहीं किया तो मैंने आपके सचिवालय को टेलीफोन किया कि आपने आर्डिनेंस तो रख दिया है इंट्रोड्यूस भी कर दिया है और रीजन्स भी रख दिये हैं। इस सम्बन्ध में यह कानून कब पास हो गया? मुझे तो जानकारी इस आर्डिनेंस के पढ़ने से ही मिली।

(15.00)

मेरा सुझाव यह है, उपाध्यक्ष महोदय, the consent well I don't think that it will go for the subsequent assent to the President गवर्नर की स्वीकृति मिलने के बाद यह अधिनियम बनता है और फोर्स में आता है, उस दिन से यह पीरियड लागू किया जाना चाहिये। आर्डिनेंस का तो किसी को पता नही है, आर्डिनेंस को तो कई महीने हो गये। उसके बीच में अगर कोई बच्चा किसी को हो गया नौ महीने का पहले और जब आप इतना बड़ा स्ट्रिंजेंट मेजर रखने जा रहे हैं तो मैं समझता था कि इसकी जरूरत से ज्यादा पब्लिसिटी होनी चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि अब यह अवसर है कि एलिसिट पब्लिक ओपीनियन के लिये इसको भेजा जाए लेकिन इस सदन में जब चर्चा हो रही है तो निश्चत तौर पर इसकी पब्लिसिटी हो गयी। आर्डिनेंस की पब्लिसिटी, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ी कि इस प्रकार का कोई आर्डिनेंस निकला है मेरा ऐसा मानना है। यह बात तो मैंने अखबार में पढ़ी है, माननीय मुख्य मंत्रीजी, कि आप नया एक्ट ला रहे हैं। आपका खुद का ही स्टेटमेंट मैंने पढ़ा है कि आप गुजरात और एक और स्टेट के एक्ट को मॉडल मानते हैं और वहां के कोआपरेटिव मूवमेंट से आप बहुत प्रभावित हैं। तो जब आप दूसरा नया एक्ट ला रहे हैं पूरा, तो आर्डिनेंस निकालने की इस परपज के लिये कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं समझता हूं कि इसको फोर्स में एक्ट बनने के बाद में लाया जाना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता ने और कई माननीय सदस्यों ने इस पर जो विचार व्यक्त किये हैं, मोटे रूप से किसी ने इसका विरोध नहीं किया। सिद्धान्ततः सब स्वीकार करते हैं कि जनसंख्या पर नियन्त्रण होना चाहिये। अभी एक माननीय सदस्य रामनारायणजी कह रहे थे कि संजय गांधी ने यह योजना चालू की थी लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं, मैं कई बार सार्वजनिक सभाओं में भी यह कह चुका हूं कि संजय गांधी ने जो योजना बनायी थी अगर उसको लागू करने में सख्ती नहीं बरती जाती तो हिन्दुस्तान के सामने चार जो उन्होंने कार्यक्रम लिये थे, वे चारों कार्यक्रम जनता के हित में थे उनसे आज हिन्दुस्तान की कई समस्याओं का समाधान होता। मैं आज ही नहीं कह रहा हूं, बहुत वर्षों से मैं कहता आ रहा हूं। आज उस आधार पर.... (व्यवधान).... 1977 में मुझे जनसंख्या पर भाषण देने की जरूरत ही नहीं पड़ी आप लोग खुद ही देते रहे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : भाषण नहीं देते थे, ग्राप तो चलते ही कहते थे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, अभी प्रतिपक्ष के नेता ने जो बात कही है, मैं ऐसा समझता हूं कि इस कानून पर इस बात के कारण तो कोई कमी नहीं रहती कि म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत के एक्ट में अमेंडमेंट करने के बाद फिर उसमें सशोधन किया गया था। वह सशोधन इसलिये किया गया था कि जिस समय यह कानून बना, विधान सभा के सामने सरकार का यह कमिटमेंट था कि चुनाव जल्दी से जल्दी हो जाएंगे और जो अवधि दी गयी है उस अवधि के अन्तर्गत ही चुनाव हों। चुनाव देरी से हुए, कोर्ट के कारण से देरी से हो पाये तो जो अवधि पहले के कानून में थी वह अवधि निकल चुकी थी। इसलिये उस आधार के ऊपर वे संशोधन किये गये। यहां एक प्रश्न दूसरा है, मैंने अभी मंत्रीजी से भी कहा है, इस कानून में यह व्यवस्था है कि दो बच्चे हैं वे चुनाव नहीं लड़ सकते। मैं ऐसा समझता हूं कि इसमें थोड़ा विचार करना पड़ेगा कि इसकी नालेज लोगों को है या नहीं है, एक तो यह प्रश्न। दो बच्चे, कानून के पहले चार बच्चे हो गये या पांच हो गये, वे फिर उसके कारण से चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि इस मामले को आज स्थगित किया जाए और स्थगित करने के बाद जो भी माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, उनके साथ बैठ कर रात को या शाम को विचार कर लें और कल संशोधन के साथ इस विधेयक को पेश कर दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर विचार। श्री कैलाश मेघवाल, गृह मंत्री राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि शाम को आठ बजे तक ही सदन की कार्यवाही अपने को स्थगित करनी है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले आवश्यक यह है कि हम अकाल के बारे में चर्चा कर लें। वह इसलिये चर्चा कर लें कि सरकार को भी अकाल राहत के कार्य खोलने हैं। क्या सदन का मार्गदर्शन मिलता है, कोई नई बात आती है उस आधार पर अकाल के ऊपर आज चर्चा कर ली जाए और पुलिस के ऊपर भी यदि समय रह गया तो आज चर्चा कर लेंगे वरना कल ले लेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने व्यक्तिशः आज शाम को डिनर दिया है उस डिनर में जाना है। कोई असेम्बली की तरफ से नहीं है उन्होंने व्यक्तिशः डिनर दिया है, इसलिये लॉ एण्ड आर्डर को अगर समय रह गया तो पार्शली ले लेंगे और काफी बच जाएगा तो कल ले लेंगे। यों नहीं आप डेफिनिट डेट कर दीजिये, लॉ एण्ड आर्डर को कल ले लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सांवर लाल जाट, सहायता राज्य मंत्री राज्य में अकाल की स्थिति पर वक्तव्य देंगे।

राज्य में अकाल की स्थिति पर चर्चा

श्री सांवरलाल (राज्य मंत्री, सहायता): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति बड़ी विचित्र है। कल हम अतिवृष्टि और बाढ़ पर चर्चा कर रहे थे, आज अकाल पर चर्चा कर रहे हैं। यानि एक तरफ प्रदेश में बाढ़ से लोग प्रभावित हुए, दूसरी तरफ अनावृष्टि और अकाल से प्रभावित हुए।.... (व्यवधान) राजस्थान के कुछ भागों में इस बार वर्षा देर से आयी जल्दी चली गयी इसलिये अकाल पढ़ने की सम्भावनाएं नजर आ रही हैं। उदयपुर सम्भाग, जोधपुर सम्भाग और अजमेर सम्भाग के कुछ जिलों में ऐसी स्थिति होने की सम्भावना है। फसल सामान्य न होने का एक कारण यह भी है कि मानसून राज्य में डेढ़ माह ही सक्रिय रहा जबकि कम से कम दो महीने सक्रिय होना फसल पकने के लिये आवश्यक होता है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि राज्य के दक्षिणी व पश्चिमी भागों में अकाल की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अक्टूबर माह में सभी जिलों में फसलों की गिरदावरी की जायेगी, इसके आधार पर सभी कलेक्टर्स को, राज्य सरकार को 15 नवम्बर के पश्चात् रिपोर्ट प्राप्त होने की सम्भावना है। जिला कलक्टर से रिपोर्ट आने पर ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जब भी अकाल पड़ता है, सबसे बड़ी आवश्यकता लोगों को रोजगार, पीने का पानी, चारे की व्यवस्था, पशुओं के लिये पशु आहार की व्यवस्था करने की होती है। राज्य सरकार की यह मंशा है कि लोगों को समय पर सहायता उपलब्ध हो। जितना सम्भव हो सके अकाल पड़ने की विभीषिका को कम से कम किया जा सके, लोगों को राहत प्रदान की जा सके।

राज्य के 172 विकास खण्डों में सुनिश्चित रोजगार योजना चालू है जिसके अन्तर्गत एक करोड़ रुपया प्रति खण्ड के अन्तर्गत उपलब्ध है जिसके माध्यम से भी रोजगार उपलब्ध करवाये जायेंगे। वित्तीय वर्ष 1995-96 के बचे महीनों के लिये प्रदेश के विभिन्न जिला ग्रामीण अधिकरणों में ढाई सौ करोड़ रुपये उपलब्ध हैं। इसके साथ ही जनवरी से मार्च तक, मार्च से जून तक के लिये 6 करोड़ रुपये हमें अतिरिक्त उपलब्ध होंगे। अतः इस वर्ष में अकाल में लोगों को रोजगार देने के लिये साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये ग्रामीण विकास अधिकरण के पास रहेंगे। पीने के पानी हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को अभी से ही कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दिया गया है ताकि ऐसे स्थानों पर जहां समस्या है या सम्भावित हो, वहां पर पेयजल उपलब्ध करवाने के लिये आवश्यक योजनाएं समय रहते तैयार की जा सकें।

राज्य में सम्भावित अकाल की स्थिति से निपटने के लिये राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा कोष से 377 करोड़ रुपये की राज्य सरकार ने मांग की है-चारे की व्यवस्था हेतु 20, जल परिवहन हेतु 20 रोजगार उपलब्ध कराने के लिये 296 और पीने के पानी की व्यवस्था हेतु 41 करोड़ रुपये। इस वर्ष सी. आर. एफ. में 169 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे जिसमें से हमें बाढ़ और अकाल दोनों स्थितियों के लिये व्यवस्था

(146)

(श्री सांवरलाल)

करने की आवश्यकता होगी। यह राज्य सरकार का यह प्रयत्न होगा कि भारत सरकार से राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा कोष से अकाल से निपटने में धनराशि उपलब्ध हो। अकाल के सम्भावित जिलों में चारे की कमी की समस्या हो सकती है। राज्य सरकार पिछले वर्षों की भांति ग्राम पंचायतों, स्वयंसेवी संस्थाओं को ब्याज पर ऋण देकर चारा उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर भी विचार रखती है। साथ ही इन जिलों में वन विभाग के पास उपलब्ध चारे का भी कमी वाले क्षेत्रों के उपभोग के लिये वन विभाग को कहा गया। यानि राज्य सरकार अपने स्तर पर पूर्णतः संवेदनशील है और आने वाले समय में लोगों को रोजगार, पीने का पानी चारे आदि की व्यवस्था करने के लिये सम्भव प्रयास करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमाकान्त शर्मा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की भी स्थिति बहुत खराब है। पहले मैं बोल लूं ? केवल 30 प्रतिशत वर्षा हुई है जितनी होनी चाहिए उसकी....

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मै रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि राजस्थान में 211 तहसील हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप जागरुक नहीं हैं, अकाल की परवाह ही नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : प्लीज टेक योर सीट।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (वल्लभनगर) : अकाल का अभी लिया है, पहले ला एण्ड आर्डर पर योजना था। माननीय चीफ व्हिप महोदय, यह अभी अभी बदला हैं इसलिये लिस्ट अभी पेश की जा रही है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर 211 रेवेन्यू....

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता महोदय बोल रहे हैं, आप कृपया बिराजें।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 211 रेवेन्यू तहसील हैं। राहत मंत्रीजी को इस बात की जानकारी दी होगी हाइड्रोलाजी डिवीजन ने जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का है, कि मानसून में कहां पर कितनी बरसात किस तहसील मे हुई। आज बरसात की पांच कैटेगरी बनायी जाती हैं- abnormal rains, excess rains, normal rains, deficit rains and scanty rains, 211 में से एक तहसील स्कैंटी रेंस है की कैटेगरी में है और वह माननीय सदस्य की फलौदी तहसील। इसलिये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, शर्मा जी से ही करूंगा कि यह एक तहसील स्कैंटी तहसील है...

श्री रमाकान्त : मेरे यहां पर भी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। उतनी ही खराब है जितनी कि आप वर्णन कर रहे

(श्री रमाकान्त)

हैं और मैं पांच मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री परसराम मदेरणा . खराब हो सकती है लेकिन मैं बरसात के हिसाब से कह रहा हूं कि इससे वर्स्ट तहसील कोई नहीं है।

श्री रमाकान्त : कई जगह ऐसी होती हैं जहां बरसात पड़ने से भी अकाल पड़ता है और वह है थानागाजी।

श्री परसराम मदेरणा . इनके बाद आप बोल लेना।

श्री रमाकान्त : जैसे बांसवाड़ा के अन्दर बरसात पड़ती रहती है बहुत ज्यादा, तो भी अकाल वहां पर पड़ जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रमाकान्तजी, कृपया आप विराजें। माननीय पूनम चन्दजी बोल रहे हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के विपक्ष के नेता को और मन्त्रीजी को इस बात के लिये बधाई दूंगा कि आपने राजस्थान में जो वर्षा हुई है और उसका जो नक्शा बना है, उसका अध्ययन करके सही स्थिति बतायी। मैं अटपटा महसूस कर रहा था, जगह-जगह बाढ़ का हल्ला बहुत ज्यादा था और अकाल के बारे में सोच ही रहे हैं, तो मैंने कहा बुरा लगेगा कि इनके यहां अकाल कैसे है। लेकिन बधाई दूंगा कि उन्होंने सही स्थिति को समझा है। आज की विचित्र स्थिति यह रही है कि वर्षा बड़ी प्रीकिश रही है। जहां पर कम होनी चाहिये वहां तो हुई अत्यधिक और दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा का कुछ हिस्सा, डूंगरपुर, उदयपुर, झालावाड़ के कुछ हिस्से, भीलवाड़ा, चित्तौड़ जहां पर हम लोग माइग्रेट करके अकाल में जाते हैं वे स्वयं भी कम वर्षा के अन्दर हैं।

आप जानते हैं कि भारत के कृषि प्रधान देश में खरीफ की फसल के लिये नक्षत्रों का बादशाह होता है जिसको आद्रा नक्षत्र कहते हैं। यदि आद्रा नक्षत्र में बरसात नहीं होती फसल सोलह आना उगने की सम्भावना हो ही नहीं सकती, कुछ न कुछ कमी रहती है। आद्रा नक्षत्र आम तौर से करीब 20 जून से शुरू होता है और 4 जुलाई तक रहता है। इसमें अगर वर्षा नहीं होती है तो बाद में रैगुलर मानसून शुरू हो जाता है और वह बन्द होता नहीं है महीने-डेढ़ महीने। नतीजा यह होता है कि फसलें रोड होती रहती है। रोड़ के बारे में राजस्थान के दूसरे हिस्से वाले नहीं जानते हैं, उसके बारे में मैं आपको समझाउंगा। जहां तक फलौदी का सवाल है, आप नक्शा देखेंगे तो राजस्थान की कुल 211 में से यह एक तहसील है जहां पर 30 पर्सेंट से भी कम वर्षा हुई। पशुधन बाहुल्य क्षेत्र है, तालाब सब खाली पड़े हैं, फसल में जिसको कहते हैं फली फटी नहीं, घास हुई नहीं। रेगिस्तानी इलाका है और रेगिस्तानी इलाके में पुरानी कहावत है अकाल के बारे में "पग पूगल, धड़ कोटड़ा, बाहा बाड़मेर। मतलब अकाल सोता रहता है जिसके पैर तो हैं पूगल में वह तो आ गया राजस्थान

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

कैनाल में पड़ है, माननीय सदस्य बैठे हैं, कोटड़े में, शिव में और बाड़ां बाड़मेर, बाड़मेर में हाथ पसारे हुए हैं। "जोयों लाधां जोधपुर, सदा ही जैसलमेर।" यह जो सोया हुआ है, इसका अगर आप नक्शा देखें....

श्री परसराम मदेरणा : बरसात भी आपके फलौदी में काफी हुई है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आधी फलौदी तहसील जैसलमेर में है और सोये हुए अकाल का पुगल यहां आया हुआ है। वहां से नक्शा लेते हो तो पेट जो अकाल का है वह फलौदी में है।

श्री परसराम मदेरणा : यह पेट ही फलौदी में सो रहा है। आपकी जानकारी के लिये कहूं मैं उस तहसील का रहने वाला हूं, मैं निवासी फलौदी तहसील का हूं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इस बार हुआ क्या कि 17-18 जुलाई और 20 और कहीं-कहीं 25-26 जुलाई को, करीब एक महीने बाद में बरसात हुई है। बरसात शुरू होने के बाद रोड में, कितने लोग समझते हैं या नहीं समझते हैं—रोड वह है कि आज फसल बोयी तो हमारे पश्चिम राजस्थान में 10 दिन तक दुबारा बरसात नहीं होनी चाहिये। नहीं तो फसल डपट जाती है, उगती नहीं है और उगती है तो पीला पौधा रहता है और वह कभी बढ़ती नहीं है। तो हुआ क्या कि वर्षा जब शुरू हुई तब मेरे खुद के खेत में चार दफा फसल बोयी और चार दफा के बाद में जब जरूरत रही तो उसके बाद में बरसात ही नहीं हुई। यह लूणी तहसील की बात है। तो वर्षा तो वहां ज्यादा हुई है लेकिन भोजन तो दिन में तीन टाइम मिलना चाहिये। सात दिन का एक दिन में खिला दो तो कोई सात दिन की भोजन की पूर्ति थोड़े ही हो जाती है। तो बरसात हुई तो अनाप-शनाप हो गयी। उसके बाद में एक समस्या और है जिसको झोले.... अब कितने लोग समझते हैं खेती करने वाले ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सब समझते हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सब समझते हैं तो ठीक है। लेकिन बहुत से समझते हैं। इसका मतलब यह है, कायदा यह है....

श्री परसराम मदेरणा : झोले का मतलब क्या है, घनश्यामजी, आप बता दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हवा चल जाती है पश्चिम की तो वह फसल नहीं उगती है।

श्री परसराम मदेरणा : यह आदमी किसान है, ये एम. एल. ए. साहब किसान दिखते हैं कभी-कभी।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : "सावण बाजे सूरियो, भादरवा परवाई, आसोजों दिखणी बाजे, त्यों-त्यों साख सवाई"। तो क्या है कि दक्षिणी हवा चलनी चाहिये लेकिन यदि हवा

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

परवाई भी चली। परवाई अगर बेटाइम में चलती है तो कहावत यह है कि वह सवा हाथ जमीन में चलती है, मतलब सवा हाथ गहरी, डेढ़ फीट गहरी नमी है तो उसको भी एक दिन में खींच लेती है। उसके बाद में चले झोले, मतलब जैसे झूला, एक दफा इधर से हवा आयी और दूसरी दफा उधर से हवा आयी। तीन दिन के अन्दर पश्चिमी राजस्थान के अन्दर चाहे बरसात कम हुई थी और चाहे बरसात ज्यादा हुई थी सब की सब, ज्यादा बरसात वाले की भी चौपट हो गयी। हम तो बच गये फलौदी में खेती में ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं रही।

एक दफा बोया उसके बाद न बरसात हुई न दुबारा बोया। पश्चिमी राजस्थान और खास तौर से फलौदी का क्षेत्र ऐसा है जिसमें दो ही व्यवसाय हैं—एक कृषि और दूसरा पशुपालन न आपने कोई फैक्टरी का नाम सुना होगा न। कोई छोटे मोटे दूसरे कारखानों का। अन्य तरीके का कोई व्यवसाय नहीं। कस्बा भी एक फलौदी है। बरसात होती है तो नमक जरूर होता है लेकिन वह भी वर्षा पर निर्भर करता है। अगर वर्षा नहीं हुई तो बाप और पोकरण के रन में पानी ही नहीं आएगा और जब पानी नहीं आयेगा तो नमक भी पैदा नहीं होगा। तो अब त्रिकाल जिसको बोलते हैं, अनाज का अकाल, चारे का अकाल, पानी का अकाल। अनाप-शनाप पशुधन है। अगर आप देखेंगे तो बड़ी विचित्र स्थिति है कि पशु माते नहीं हैं और नलकूप से और हैण्ड पम्प से सो दिन भर खपो तो भी दो ऊंट को भी पानी नहीं पिला सकते। तालाबों से सब होता था पूरा लेकिन तालाब पूरे खाली रह गये। इसलिये, मंत्री महोदय, हमारे यहां पर समस्या बहुत ही विकट है लोग निष्क्रमण करके जा रहे हैं। खैर अब वह स्थिति तो नहीं है जो प्राचीन समय में अकाल में होती थी। हमारे वर्षा एक तिहाई ही हुई है। सौ किलोमीटर भी नहीं, कलक्टर से बात की थी, 80 मिलीमीटर हुई है। बाढ़ से बहुत नुकसान होता है, यह सही बात है लेकिन कल मैंने एक दोहा पढ़ा था—बाढ़ के कई फायदे हैं।

"सौ साड़ियां, सौ किरसला,
पूत निपूति होय,
मेहसड़ला बूढ़ा भला,
चाहे मैं दुःखयारण होय।"

यानि विधवा के एक ही पुत्र, 100 ऊंटनी, 100 ऊंटनियों के बच्चे, बाढ़ आयी बह गये। जाकर के इत्तिला दी कि बरसात हो गयी, बहुत बुरा हुआ। तुम्हारा बच्चा ही बह गया, सब धन ही खतम हो गया, सारे सांडे ऊंटनियां खतम हो गये और बच्चे भी खतम हो गये ऊंटनियों के तो उसने कहा कि फिर भी यह नहीं कहूंगी कि बरसात खराब है, क्योंकि बरसात के दूसरे लाभ है, वे अधिक हैं। अकाल की विभीषिका है उसके बारे में भी लोगों ने बहुत लम्बे अनुभव से कहा है,

"माई छोड़े पूत नैं,
सैंजण छोड़े नेह,

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

मारण री थने लाख विध,

पण मेह बिन मत मारेह"

हे ईश्वर! अकाल एक ऐसी भीषण परिस्थिति होती है जिसमें मां किसी कीमत पर बच्चे को नहीं छोड़ती लेकिन छप्पना काल में बच्चों को छोड़कर मां-बाप भाग गये, 6-6 महीने के बच्चों को। सैणों के घर जावे तो भाई, खाना कहां से खिलाएंगे, दरवाजे बन्द कर दिया करते थे। इसलिये ईश्वर से प्रार्थना की है कि तेरे पास लाख विधि हैं मृत्यु देने की तेरे पास लाख तरीके हैं इन्सान और जीवधारियों को मारने के लेकिन बरसात के अभाव में मत मारना।

वह स्थिति आज नहीं है। आज अनाज पहुंचाया जा सकता है, चारा पहुंचाया जा सकता है लेकिन फिर भी अकाल की जो विभीषिका है वह बहुत भयंकर होती है। हमारे वहां अकाल की स्थिति है, वह बिलकुल खराब है। एक बात पढ़ी होगी, आज से महीना पहले अण्डरग्राउण्ड वाटर के बारे में एक रिपोर्ट आयी थी। उसमें एक बात कही थी—क्योंकि दूसरी जगह तो आपने ट्यूबवैल और कुएं लगाये इसलिये पानी नीचे चला गया पर फलौदी में अभी 10 साल से ही पानी निकला है, सर्वाधिक भूजल फलौदी के अन्दर है। लेकिन वह है 125-150 मीटर की गहराई पर। पम्प लगता है 20 से लेकर 32 हॉर्स पावर का तब अनाप-शनाप पानी निकलता है। तो पास में तो सिंचाई 25 रुपये एकड़ और हमारे यहां यह आती है 15 सौ रुपये एकड़। और कुएं हम खोद नहीं सकते। इनके दादाजी ने कुआं खुदवाया था, उसके फलस्वरूप ही ये मिनिस्टर और सब पदों पर हैं। क्योंकि उस वक्त चौतीना कुआं खुदवाना एक बहुत भारी उपलब्धि माना जाता था। चौतीना गांव के रहने वाले हैं। वे कारीगर ही मर गये,

"जो संचे सोरठ घड़ी, घड़िया राव खंगार

कै तो वै सांचो गलवाण के लदबुहा लुहार।"

तो उन कुओं के निर्माण करने वाले ही चले गये। नब्बे पुरुष के कुएं आजकल खोद नहीं सकते। ट्यूबवैल सस्ता साधन है लेकिन ट्यूबवैल को चलायें कैसे? इस भाव के अन्दर घास पैदा करें, वह सम्भव नहीं है। इसलिये मैं सरकार से बहुत अर्से से प्रार्थना करता आ रहा हूं कि कम से कम अकाल के अन्दर और वैसे भी जहां इस मुश्किल परिस्थितियों में हम खेती करते हैं, पशु पालन का धन्धा करते हैं, पेयजल सप्लाई करते हैं, वहां यह नियम बनाना चाहिये कि जो काश्तकार 50 मीटर से ज्यादा गहराई से पानी निकालते हैं उनको रियायत देनी चाहिये बिजली के अन्दर।

अन्त में मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि वहां पर हालत बहुत खराब है। बिजली टेल एण्ड पे आयी हुई, बरसात में हम टेल एण्ड पर, कोई रोजगार नहीं, वोल्टेज बराबर नहीं आता है इसलिये एंश्योर कीजिये कि हमको पूरा वोल्टेज मिले। बहुत से ट्यूबवैल खुदे हैं 10-12 घण्टे हमको बिजली मिले और सस्ती रेट पर, क्योंकि छोटे से छोटा पम्प भी लगता है तो 17 हॉर्स पावर से कम तो लग ही

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

नहीं सकता। दूसरी जगह 5 और 3 हॉर्स पावर में इतनी ही सिंचाई कर देते हैं। हम 17 से 32 हॉर्स पावर पर वह सिंचाई करते हैं। रोजगार के लिये जल्दी से जल्दी कोई न कोई तालाब खुदवाएं। तालाब बहुत काम के हैं। अब इंजीनियर तो जितनी भी जानकारी दें उस पर कह देते हैं कि तालावों से तो मिनीवार्म होता है, वाटर बोर्न डिजीज होती हैं। वाटर हारवेस्टिंग की अब न्यूएस्ट टेक्नॉलाजी है और वाटर हारवेस्टिंग का सिस्टम जैसा मारवाड़ और बीकानेर में है, संसार को हमसे सीखना पड़ेगा, वह हमारे पास टेक्नॉलाजी है। तालावों की खुदाई का काम आप बड़े पैमाने पर हाथ में लीजिये क्योंकि कई-कई जगह हैं जहां 10-15 हजार पशु इकटठे हो जाते हैं आकर के, ट्यूबवैल से कहां पिलाओगे? इतनी बड़ी खेलियां कहां हैं? तो तालावों के ऊपर जोर दें। यही मुझे कहना था। धन्यवाद देता हूं आपको और रमाकांतजी को कि मुझे अवसर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : रमाकांतजी।

श्री रमाकांत (थानागाजी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सामान्य मान्यता है कि पश्चिमी राजस्थान के अन्दर अकाल पड़ता है इसलिये पश्चिमी राजस्थान को पहले बोलने का मौका दिया जाता है और पूर्वी राजस्थान हरा-भरा है, पूर्वी राजस्थान के अन्दर बांध हैं। परन्तु कभी-कभी इन मान्यताओं में अपवाद भी होते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, तमिलनाडू के अन्दर 4 महीने, 5 महीने बारिश होती है और वहां चांवल बोया जाता है। बड़ी-बड़ी नदियां बहती हैं, चावल की बहुत अच्छी फसल दिखाई देती है पर वहां भी एक रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट है जिसमें प्रति वर्ष अकाल पड़ता है। इसी प्रकार की कुछ ऐसी चीज है थानागाजी इलाका, इतना पिछड़ा हुआ है, इतना गरीब है, सारे के सारे संसाधनों का अभाव है वहां पर और उसके ऊपर वहां पर अकाल पड़ जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, न तो वहां पर किसी प्रकार का कोई व्यवसाय है, जैसे उन्होंने कहा कि फलोदी में नहीं है, न ही किसी प्रकार की कोई फैक्टरी है पूरे के पूरे इलाके में। कुएं सारे एक दम सूखे पड़े हुए हैं। लोग कहते हैं कि इस बार की बरसात से कुओं के अन्दर 20-20, 25-25 फीट पानी ऊंचा आ गया पर हमारे यहां सारा का सारा इलाका पथरीला है। ऊपर का पानी नीचे जाता ही नहीं, सारा बह जाता है यूं का यूं। स्थिति यह है कि हमारे कुओं के अन्दर जो पानी है वह भी नहीं बढा।

शिक्षा और स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था तो है ही नहीं परन्तु बिजली भी नहीं आती है। इसके साथ-साथ वहां की को-आपरेटिव सोसायटी से, को-आपरेटिव बैंक से, अकाल का टाइम था, बाढ़ का टाइम था, वहां कुछ ऋण मिलना चाहिये था, वह भी इस बार नहीं मिला। कुल मिलाकर वहां ऐसी परिस्थिति है जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। वहां इस समय

(152)

(श्री रमाकांत)

तूड़ा 90 रुपये, 95 रुपये प्रति मन बिक रहा है। बाहर के लोग जाने कहां-कहां के लोग हैं, राजस्थान के बाहर के लोग वहां आकर तूड़ा बेच रहे है, यह स्थिति बाकायदा वहां मोटर स्टैन्ड पर बनी हुई है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बाण गंगा और रूपारेल नदी, दोनों थानागाजी जाती हैं और वे जाकर भरतपुर के अन्दर बाढ़ का बहुत भीषण दृश्य उत्पन्न कर देती हैं। करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं बाढ़ प्रभावित लोगों के लिये। जहां पानी बरसता है, जहां से नदियां जाती हैं चूंकि वहां पर पानी रोका हुआ नहीं है इसलिये वहां सूखा रह जाता है। मैंने राज्य सरकार को सुझाव दिया था कि आप इस प्रकार का वहां बांध बना दीजिये जिसमें गेट लगा दीजिये। पानी पहले जितना भरतपुर को आवश्यक है, उतना भेज दीजिये। और फिर भरतपुर के लोग कहें कि अब तो बाढ़ आने वाली है तो वहां रोक दीजिये–थानागाजी का भी लाभ हो जाएगा और भरतपुर वालों का भी लाभ हो जाएगा। करोड़ों रुपये जो प्रति वर्ष भरतपुर की बाढ़ से रक्षा में खर्च करने पड़ते हैं वह सारा का सारा बच जाएगा। एक साल जितने रुपये आप भरतपुर में खर्च करते हैं उतने रुपयों में वहां अगर बांध बना देंगे जिसमें गेट लगा देंगे तो आपके दोनों इलाके सरसब्ज हो जाएंगे, दोनों इलाकों के अन्दर लाभ हो जाएगा।

मैं 2-3 सुझाव देना चाहता हूं। मुझे ताज्जुब है, दोनों जिलों को एकदम बराबर जनसंख्या है और दोनों जिलों के अन्दर उतने ही आदमी प्रभावित होते हैं अकाल से और जब अकाल के अन्दर कहा जाता है कि कितने आदमियों को रोजगार दिया जाए तो उस दूसरे जिले में एक लाख की सीमा रख दी जाती है और अलवर की सीमा 5 हजार। दोनों बराबर प्रभावित हैं तो फिर इस तरह का भेदभाव क्यों बरता जा रहा है ? इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जितनी जनसंख्या प्रभावित हो, उसी के अनुपात में, जो संख्या तय हो मजदूरों की वह बराबर-बराबर तय होनी चाहिये। कम से कम थानागाजी के अन्दर मैं पिछले तीन अकाल देख चुका हूं, दुर्भाग्य है, अन्यथा थानागाजी क्षेत्र में पहले तो अकाल नहीं पड़ता था। परन्तु अब तो वहां पर बराबर पथरीली जमीन होने के कारण और सारा का सारा उसके ऊपर से सोइल कवर हट जाने के कारण से और दूसरी सारी अव्यवस्थाएं होने के नाते, जो स्थिति है उस स्थिति का मैं निवेदन करना चाहता हूं। इस बात को ध्यान में रखा जाए, आप जो लिमिट तय करें, उस लिमिट में जितनी प्रभावित जनसंख्या है, उस प्रभावित जनसंख्या के आधार पर इसको रखना चाहिये।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि अकाल के अन्दर हमने नार्म्स बना रखे हैं 60-40 के। 60 प्रतिशत मैटेरियलटी पर खर्च होना चाहिये और 40 प्रतिशत लेबर पर खर्च होना चाहिये। दूसरी ओर हम यह चाहते हैं, हमारी मंशा है, हमारी इच्छा है कि

(श्री रमाकांत)

जितने भी काम अकाल के अन्दर हों वे परमानेंट नेचर के हों, वे आइन्दा सारे के सारे लाभकारी हों। ऐसे हों जिससे कि व्यवसाय बढ़े, ऐसे हों कि जिससे लोगों को जाने पर मजदूरी मिलती रहे। ये दोनों के दोनों बड़े विरोधाभासी हैं। आखिरकार क्या काम करना चाहते हैं? हम स्कूल के भवन बनाना चाहते हैं, सड़कें बनाना चाहते हैं, एनीकट बनाना चाहते है? चाहे आप एनीकट बनाएं, चाहे आप स्कूल भवन बनाएं, 60-40 का रेशो मेन्टैन नहीं हो सकता 60-40 का रेशो तो तभी मेन्टेन हो सकता है कि जब सड़क पर हम धूल डलवा दें और बाद में जाकर वह उड़ जाए। जैसा कि हुआ करता था 60 और 70 के अन्दर वह स्थिति कर दें। इस बात पर गम्भीरता से राज्य सरकार को विचार करना पड़ेगा कि 60-40 के रेशो से कोई मतलब नहीं है। काम वे तय करें जिसे आप प्राथमिकता दे दें कि प्राथमिकता में ये काम आवश्यक हैं। उस प्राथमिकता के अन्दर आप स्कूल नहीं चाहते तो मत बनवाइये। स्कूलों की चारदीवारी आप नहीं करना चाहते हैं तो मत करवाइये परन्तु अगर आप एनीकट भी बनवाना चाहेंगे जिससे कि वहां पर अकाल की समस्या का समाधान हो तो एनीकट के अन्दर भी 60-40 के रेशो से काम नहीं चलता है। इसलिये एक तरफ तो आप परमानेन्ट नेचर के, अच्छी नेचर के और आगे लाभ देने वाले काम स्वीकृत करना चाहते हैं और दूसरी तरफ मैटेरियल और लैबर का रेशो तय करना चाहते हैं। नतीजा यह होता है कि वे काम खराब होते हैं और सारे के सारे काम बाद में अकाल के अन्दर बरबाद हो जाते हैं या पूरे बनते ही नहीं हैं। अकाल के अन्दर अक्सर कर आदत होती कि खुरें बना दीजिएगा और उसके अन्दर वे पत्थर जमा देते हैं, सोलिंग कर देते हैं और फिर कहते हैं कि ठीक है, इसके ऊपर सीमेन्ट कान्क्रीट नहीं होना चाहिये वरना फिर रेशो बिगड़ जायेगा। ऐसे जो खुरें बनाये जाते हैं उनके ऊपर आदमी तो क्या जानवर भी नहीं चल सकते। तो जिस गांव में वे बनाये जाते हैं वे काम तो यों के यों छूट जाते हैं और दूसरे रास्ते बन जाते हैं। लोग दूसरे रास्ते से जाने लग जाते हैं और वह खुरें और वह पत्थर बिलकुल बेकार हो गये। यदि कहीं पर भी इस तरह के पत्थरों की सड़क बनायी जाए तो उसके ऊपर 2 इंच, 2½ इंच या 3 इंच सीमेन्ट कान्क्रीट का कवर होना ही चाहिये। हमने पिछली बार इस तरह के काम करवाये जिसमें सरकार बहुत नाराज हो गयी, हमारा जिला प्रशासन बहुत नाराज हो गया। जहां-जहां इस तरह की सड़कें बनीं, वे स्थाई है, उनके ऊपर अच्छा काम चल रहा है और लोगों के द्वारा उनकी तारीफ हुई है। इसलिये आगे इस बात का ध्यान रखा जाय।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो अकाल के कार्य हैं इसके अन्दर भूसंरक्षण विभाग और सिंचाई विभाग को ज्यादा काम करना चाहिये। दोनों विभागों के अन्दर कुछ इस प्रकार की मान्यता बनी हुई है, दोनों विभागों के अन्दर कुछ इस

(श्री रमाकांत)

तरह की स्थिति बनी हुई है, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कई सालों से कि सिंचाई विभाग तो बिलकुल दूर चला जाता है। उनको कहा भी जाता है कि आप अपनी केनाल बना लीजिये या एनीकट बना लीजिये लेकिन उनके पास में सारी व्यवस्था होते हुए भी, उनके इन्जीनियर्स वहां होते भी भी और उनके विभाग के पास दूसरा और काम भी नहीं है फिर भी अकाल के काम नहीं करते हैं वे। इसी तरह से भू-संरक्षण विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने तो अपने हाथ पूरी तरह से खींच लिये हैं, काम करते ही नहीं हैं जब कि अकाल के जो अच्छे काम हैं और जिन कामों से अकाल कम पड़ सकता है आइन्दा, ये जो दो विभाग हैं इन दो विभागों को ज्यादा मुस्तैद किया जाए और इन दो विभागों से ज्यादा काम लिया जाए तो मैं समझता हूं कि जो अकाल के काम हैं वे अच्छी तरह से भी हो सकेंगे और आगे आने वाले समय में अकाल से बच सकेंगे।

एक और मेरा सुझाव है, जैसा अभी वक्तव्य दिया था माननीय मंत्री जी ने उसके अन्दर भी उन्होंने कहा था कि जे. आर. वाई. का इतना पैसा है, सुनिश्चत रोजगार योजना का इतना पैसा है। काम प्रारम्भ किये जाते हैं उस समय सुनिश्चित रोजगार योजना और जे. आर. वाई. प्रारम्भ किये जाते हैं और उसके बाद में फिर अकाल का पैसा आता है। सुनिश्चित रोजगार योजना और जे. आर. वाई. इन सब में हमने योजनाबद्ध काम रख रखे हैं कि ये काम होने चाहिये। और वे काम चल रहे हैं, बन ही रहे हैं। अब भी हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। नतीजा क्या होता है कि अकाल के अन्दर हम कोई दूसरे काम दे देते हैं क्योंकि हमको अकाल के अन्दर विकास की ज्यादा दृष्टि नहीं है, हमको रोजगार देने की ज्यादा दृष्टि है। वहां पर यह तय करना है हमको कि जहां-कहां भी अफैक्टेड लोग हैं उनको ज्यादा रोजगार मिले। अब वहां पर जे आर. वाई. और सुनिश्चित रोजगार योजना के तो काम कोई हैं नहीं तो फिर इसमें से पैसा लेकर वहां काम शुरू किये जाते हैं। वे पहले वाले काम जो योजनाबद्ध थे वे काम अधूरे रह गये वे बेकार हो गये। वे सारे के सारे हवा में उड़ जायेंगे। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) एक मिनट में खतम करता हूं।

और जो अकाल के काम बाद में शुरू किये जाएंगे वह भी जून, जुलाई और जुलाई भी 15 जुलाई तक महीने-डेढ़ महीने होते हैं वे भी अधूरे रह जाते हैं। तो गर्ज यह है कि दोनों के दोनों काम अधूरे रह गये। दोनों काम बिगड़ गये। इसलिये मेरा सुझाव है कि प्रारम्भ में ही जो हमारा कैलेमिटी फण्ड है उससे अकाल में काम करना चाहिये और जिस समय यह बात तय हो जाए कि अब अकाल समाप्त हो गया उस समय सुनिश्चित रोजगार योजना और जे. आर. वाई. से उन कामों को पूरा करा देना चाहिये। तो यदि उससे उन कामों को पूरा करा देंगे तो हम सुनिश्चित रोजगार योजना और जे. आर. वाई. का जो पैसा है और अकाल का जो पैसा है उसका

(श्री रमाकान्त)

पूरे तरीके से सही तरीके से उपयोग कर सकेंगे।

एक और स्थिति पैदा होती है। काम शुरू करवा दिये जाते हैं और फिर उसके बाद में ऊपर से कोई बात आती है एस. एस. ओ. से कि आपकी तो लिमिट 500 आदमियों की रखी गयी थी, आपके थानागाजी में तो हमने लिमिट 500 आदमियों की दी थी, अब 700 हो गये तो 4 काम बन्द कर दीजिएगा। यहां पर वही दिमाग के अन्दर बात आती हैं कि जैसे कोई विकास का काम हो रहे हों। अकाल के कामों के अन्दर, बाकयदा नार्म्स में है कि अकाल के काम वहीं पर शुरू करते हैं जहां लेबर आ जाती है। तो जो अकाल के काम कहीं पर भी टैस्ट रूप में शुरू हो जाएं गलती से या सही, और लोग आने लग गये तो उन कामों को बन्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। पिछली बार ऐसा हुआ कि 10-5 काम शुरू हमने करवाये थानागाजी के अन्दर और वे बाद में एक जो लिमिट थी लेबर की उस लिमिट से कुछ ऊपर चले गये तो उनको टेलीफोन से बन्द कर दिया गया। फिर उसके बाद में हमने कहा कि कैसे बन्द कर दिये गये, वहां तो लोग मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं तो काम चालू करा दिये गये। जिन लोगों ने काम किया उन लोगों को चार्जशीट दे दी। मेरा निवेदन यह है कि काम जहां पर शुरू हो जाए, और जहां लेबर आने लग जाए तो उसे बन्द करने का प्रश्न किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिये।

अन्त में आखरी बात यह निवेदन करना चाहूंगा कि सारे के सारे अलवर जिले के अन्दर पानी का बहुत भारी अभाव है। थानागाजी के अन्दर तो इतना अभाव है कि पीने का पानी ही उपलब्ध नहीं है किसी भी तरीके से। यह डार्कजोन बना रखा है इसलिये वहां पर किसी प्रकार की राजकीय धनराशि नहीं मिलती है और फिर कुएं जो खुदते हैं। वे नहीं खुद पाते हैं। अव्वल तो हमारे यहां कुएं खुदना ही बहुत मुश्किल की बात है। हमारे यहां तो लाख डेढ़ लाख रुपये में भी सारा पापड़ा ही पाड़ा और पत्थर ही पत्थर है, कुआ खोदना ही बहुत महंगा पड़ता है। हम तो जलधारा योजना का भी लाभ नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि उसके अन्दर 28 हजार या 92 हजार रुपया दिया जाता है। उस 28 या 29 के अन्दर वहां कुआं बनता नहीं हैं और किसी गरीब आदमी को उससे लाभ मिला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अब विराजें।

श्री रमाकान्त : विराज रहा हूं। एक मिनट के अन्दर बात तो पूरी कह दूं। मेरा निवेदन यह है कि जो डार्कजोन है इसके बारे में दुबारा सर्वे कराकर इसको फिर से देखें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फतेहसिंह।

श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज अकाल के ऊपर चर्चा हो रही है। मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर बाढ़ से तबाही आयी और पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान में बरसात की कमी के

(श्री फतेहसिंह)

कारण भयंकर दुष्काल पड़ा, वहां पर भी तबाही आयी । अभी विपक्ष के नेता महोदय भी कह रहे थे कि जैसेलमेर, बाड़मेर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी भयंकर अकाल है मैं बांसवाड़ा क्षेत्र में ही रहता हूं और इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर बांसवाड़ा डूंगरपुर, उदयपुर का कुछ हिस्सा और प्रतापगढ़ में अधिकतर खेतीहर मजदूर, किसान जो आदिवासी समाज के हैं, वे निवास करते हैं और उस इलाके में लोग सिर्फ खेती के ऊपर निर्भर हैं । इस साल बरसात एक महीने लेट आयी । एक महीने लेट आने के बाद में भी जल्दी बरसात चली गयी और जितनी बरसात होनी चाहिये थी उतनी बरसात नहीं हुई । लोगों ने फसलें बोयीं लेकिन बारिश की कमी के कारण उस इलाके में सारी की सारी फसल चौपट हो गयी । फसल चौपट होने के बाद में वहां के लोग अक्सर गुजरात की तरफ मजदूरी के लिये जाते हैं । दीपावली के त्यौहार पर भी लोग घर पर नहीं रहे क्यों कि खाने के लिये कुछ रहा ही नहीं ।

मैं यह कहना चाहूंगा कि उस इलाके में कई मंत्री आये थे, उन्होंने देखा है कि वहां पर बरसात की कमी से सारी फसलें खतम हो गयीं । लोग त्यौहार करने के लिये भी घरों पर नहीं रहे, एक-दो बूढ़े कोई इन्सान थे, उनको छोड़ कर मजदूरी के लिये चले गये । मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि राजस्थान में अकाल है, बाढ़ से भी तबाही है लेकिन जितनी तबाही तबाही बांसवाड़ा, डूंगरपुर के अन्दर है उतनी तबाही मेरे ख्याल से दूसरी जगह नहीं हो सकती क्योंकि वहां पर कोई दूसरा धंधा नहीं है, लोग सिर्फ खेती पर निर्भर हैं । पूर्व में बांसवाड़ा जिला एक ऐसा जिला था कि जहां वन भयानक थे और इतनी बरसात पड़ती थी उस इलाके में कि हद से ज्यादा । पूरे-पूरे राजस्थान से भी अधिक बरसात बांसवाड़ा जिले में पड़ती थी । पीपलखूंट, और कुशलगढ़ के दानपुर इलाके में भारी बरसात होती थी । उस साल के बाद में एक-दो साल हुए होंगे, बाँसवाड़ा जिले के अन्दर जो बरसात इतनी मात्रा में होती थी वह कम हो गयी । जितने जंगल थे वे जगल बरबाद हुए । जंगलों की बरबादी से बरसात कम हुई या किन कारणों से कम रही, यह नहीं कह सकता लेकिन आज की स्थिति वहां पर काफी भयानक है । मैं मंत्री महोदय से और मुख्य मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि उस इलाके में वास्तव में यदि लोगों को जिन्दा रखना है तो राहत कार्य समय रहते शुरू करने पड़ेंगे । अब होगा यह कि कलक्टर से आप रिपोर्ट मंगवायेंगे, रिपोर्ट मंगवाने के बाद में उसका अध्ययन करेंगे, कोई अध्ययन दल भेजगे, उसकी जांच करायेंगे । काफी समय निकलने के बाद जब बरसात नजदीक आने लगेगी तब आप मजदूरी खोलेंगे तो उससे तो काम जमेगा नहीं । मैं इस मौके पर यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां के लोगों को यदि जिन्दा रखना है तो आपको जल्दी ही रिपोर्ट मंगवानी पड़ेगी और रिपोर्ट मंगवाने के बाद में उस इलाके में राहत कार्य खोलने पड़ेंगे ।

मैं दूसरा यह कहने जा रहा था कि

(श्री फतेहसिंह)

लोगों को अगर वास्तव में रोजगार देना है, तो वहां के सिंचाई के तालाब बहुत सारे अधूरे हैं, पंचायत समितियों के माध्यम से छोटे तालाब शुरू किये थे वे अधूरे हैं उनको भी आप शुरू कर सकते हैं। अकाल राहत में पिछली बार कुएं खुदवाये गये थे, वे कुएं भी अधूरे हैं उनको भी आप गहरा करवा सकते हैं। सड़कें अधूरी हैं उनको भी पूरा करवाने के लिये मजदूरी खोल सकते हैं। इस तरह से लेबर लगाने की दृष्टि से अगर आप काम शुरू करेंगे तो तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा वरना यदि आप पक्के वर्क्स देना चाहेंगे-एनीकट देंगे, या कोई बिल्डिंग वर्क देंगे तो वहां पर लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। मजदूर जहां पर लगेंगे, वहां पर झगड़े होंगे। आपका सीलिंग रहेगा कि इस जिले में इतने मजदूर लगायें जायेंगे उसके अनुपात में जितने लोगों को मजदूरी मिलनी चाहिये वह मजदूरी नहीं मिल पायेगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि वहां के लोगों को वास्तव में जिन्दा रखना है तो आदिवासी बेल्ट के अन्दर लोगों को रोजगार दिलाने के लिये जनसंख्या के अनुपात में आप सीलिंग तय करें ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल मिल सके।

अब दूसरी बात मैं यह कह रहा था कि उस जिले के अन्दर बरसात की कमी के कारण पानी की भी कमी है। अब लोगों को पानी पीने के लिये भी, महीना-डेढ़ महीना चलेगा उसके बाद पानी का भी हाहाकार मचेगा। उसके लिये मैं चाहूंगा कि कुएं गहरे कराये जाएं और हैण्ड पम्प खोदने पड़ें तो आपको हैण्ड पम्प खुदवाने पड़ेंगे। हैण्ड पम्प खोदने के लिये आपको ड्रिलिंग मशीन यदि समय पर नहीं तो हैण्ड पम्प खुदेंगे नहीं और लोग पानी के लिए तरसते रहेंगे। बांसवाड़ा जिले में तो करीब दो-तीन मशीनें हैं और पूरे जिले का अगर हैण्ड पम्प खोदने का कार्यक्रम शुरू होगा दो-तीन महीने लग जाएंगे तब तक हैण्ड पम्प खुदेंगे नहीं। तो मैं यह उम्मीद करूंगा, जहां पानी की व्यवस्था करनी है, हैण्ड पम्प खुदवाने हैं तो ड्रिलिंग मशीन की भी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। मवेशियों के पानी पीने के लिये भी परेशानी आएगी, घास की परेशानी आएगी।

मैं इस मौके पर यह कहूंगा कि वहां पर घास की कमी है। बरसात की कमी के कारण जंगलों में घास नहीं हुई है। जब कि उस इलाके में घास सबसे अधिक होती है लेकिन बरसात कम थी घास सूख गयी। मवेशियों को जिन्दा रखने के लिये सरकार को घास की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। जंगलों में कुछ थोड़ी बहुत घास है उसके ठेके विभाग द्वारा दिये गये हैं, मैं यह कहना चाहूंगा कि ठेके निरस्त करके सरकार उस घास को कटवाकर इकट्ठा करे, डिपो कायम करें और लोगों को जहां जरूरत है उस हिसाब से पंचायतवाइज यह घास दें। पिछली बार भी घास की कमी थी। राज्य सरकार ने कुछ पैसा दिया, कलक्टरों ने वह पैसा पंचायतों को दिया। एक पंचायत को दिया और उसमें दस पंचायतें

(श्री फतेह सिंह)

शामिल की (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) दो-दो हजार रुपया दिया, घास समय पर ला नहीं पाये । इस तरह की व्यवस्था करेंगे तो चलेगा नहीं । मैं यह चाहूंगा कि सरकार खुद, विभाग खुद यह व्यवस्था करे । घास तहसील लेवल पर इकट्ठा हो, पटवारी सर्कलवाइज दिया जाय ताकि उस इलाके के किसानों को मवेशी जिन्दा रखने के लिए घास मिले तब तो मवेशी जिन्दा रहेंगे वरना मवेशी भी मर जायेंगे । वहां के लोग बैलों से खेती करते है । अगर बैल नहीं रहता है, मवेशी नहीं रहता है तो अगली खेती किसान नहीं कर पायेगा । मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उस इलाके में मवेशी जिन्दा रखने के लिये घास की व्यवस्था की जाय, इनसान के पानी पीने के लिये पानी की पुख्ता व्यवस्था की जाए और उसके बाद लोगों को जिन्दा रखने के लिये रोजगार मुहैया किया जाय, इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उगमराज मेहता । (अनुपस्थित) । श्री दयाराम जी ।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, इधर का टर्न, है दूसरा नम्बर हमारा आना चाहिये ।

एक माननीय सदस्य : मैडम, रिलेक्सेशन, ही इज ए ट्राइबल ।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

एक माननीय सदस्य :उगमराज जी आ गये है ।

श्री उगमराज मेहता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकारा गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : अब आपका लास्ट में आएगा ।

श्री दयाराम परमार : अकाल की स्थिति पर चर्चा हो रही है । हर दूसरे साल राजस्थान में किसी ने किसी संभाग में अकाल पड़ता है और इस वर्ष उदयपुर सम्भाग, बीकानेर सम्भाग और अजमेर सम्भाग के कुछ जिले अकाल से प्रभावित हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब कभी कहीं भी अकाल पड़ता है अगर दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर सम्भाग अकाल की चपेट में आता है तो सबसे ज्यादा वही एरिया प्रभावित होता है । वह एरिया इसलिये प्रभावित होता है कि ट्राइबल एरिया में रहने वाले सभी लोगों का धन्धा खेती है । खेती बरसात से होती है । बरसात की जब कमी आती है तो उनका अनाज नहीं पकता है । वहां के काश्तकार अधिकतर लघु और सीमांत काश्तकार हैं । उनके छोटे-छोटे खेत हैं । अगर बढ़िया फसल पक जाए तो 40 प्रतिशत तो काश्तकार ऐसे हैं जो 6 महीने अनाज खा सकते है और 60 प्रतिशत ऐसे है जिनका अनाज 10-11 महीने चल सकता है, अगर खेती अच्छी होती है । अगर बिलकुल अनाज नहीं पका तो सभी काश्तकार 80 प्रतिशत ट्राइबल पापुलेशन है उन सबके पास खाने को दाना नहीं होता है । इस बार 7-8-9 जुलाई के आस-पास पूरे एरिया में बरसात

(श्री दयाराम परमार)

हुई और 2 सितम्बर के बाद वह बरसात चली गयी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां चावल और मक्का दो तरह का अनाज पैदा होता है। चावल के लिये जब खेतों में पानी भरता है तब जाकर वहां चावल की बुवाई करते है। इस साल किसी भी खेत में एक बूंद पानी नहीं आया तो चावल के खेत तो हमारे बिलकुल, खाली पड़े हुए है, जैसे थे वैसे के वैसे अभी तक है। मक्का हमने बोया, आप जानते है है कि हमारे यहां पर सिंचाई के साधन नहीं है, कहीं कहीं इने-गिने कुए है। पहाड़ी एरिया में हम मक्का बोते है। समतल क्षेत्र में चावल बोते हैं वह तो वैसे ही पड़े रहे। मक्का बोया, वह मक्का बिलकुल, सूख कर खत्म हो गयी। अब स्थिति यह है सारे ट्राइबल एरिया में कि किसी के पास खाने के लिये कोई दाना इस साल पैदा नहीं हुआ है। गुजरात में कपास की खेती होती है। सब लोग, अपने खेतों पर कुछ नहीं हुआ इसलिये छोड़कर गुजरात में काम पर आज वे चले गये। कपास की डोडियां बांध करके कुछ पैसा कमा करके अपना गुजारा कर रहे है लेकिन अब गुजरात से भी अब काम खत्म हो गया, अब वे वापस अपने घर को लौट रहे हैं। घर लौटने के बाद में हम जैसे नेताओं को ढूंढने और कहेंगे कि काम का क्या हुआ। हम कहेंगे कि सरकार अभी कुछ नहीं कर रही है, अभी कर रही है धीरे-धीरे आदिवासियों की पुरानी परिपाटी चली आ रही है, जब कभी भी अकाल की स्थिति होती है तो पहले एक मुखी व्यवस्था चली। एक मुखी कहता कि तैयार हो जाओ, तो तीर-कमान, धनुष-बाण बनाने सितम्बर में शुरू कर देते हैं। यह कार्यक्रम बना लेते हैं कि यदि सरकार ने हमारी व्यवस्था नहीं की तो अपना लूटपाट करने का काम शुरू कर देंगे। मैं यह दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर सरकार ने एक महीने, दो महीने के अन्दर-अन्दर काम चलाकर उनको नहीं संभाला तो माननीय मुख्य मंत्रीजी वैसे ही उनके ऊपर छाप लगा चुके है कि मीणा और भील ये तो चोरी के माहिर हैं तो हमारी छाप को मिटाना भी नहीं चाहते हैं, यह छाप हमारी बनी रहे।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आप भी पुष्टि कर रहे हैं।

श्री दयाराम परमार : बिलकुल पुष्टि कर रहा हूं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम जिन्दा नहीं रहेंगे, मजबूरी में हमको यह कुछ करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूं, हम नहीं चाहते हैं कि ऐसी परिस्थितियां बनें और उस एरिये में अशांति फैले। इसलिये सरकार को चाहिये कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, अकाल राहत कार्य चलाये। जिस परिवार में एक से पांच आदमी तक है उसमें एक को रोजगार मिले, जिस परिवार में पांच से 10 आदमी तक हैं उसमें दो आदमी को काम मिले। उस आदमी को इस तरह से काम मिलेगा। आपको काम देना है, दाम देना है और दाना भी देना है। अगर आपने यह व्यवस्था नहीं की तो लोगों में

(श्री दयाराम परमार)

निश्चित रूप से परेशानी खड़ी होगी और अशांति फैलेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग अधिकतर मक्का खाते हैं। 1994-95 के बजट में सरकार ने मक्के पर जो बिक्री कर था उसको हटा दिया जब बिक्री कर हटा दिया तो सारा मक्का गुजरात में चला गया। जब गुजरात में चला गया। तो हमको जो मक्का तीन रुपये प्रति किलो के भाव से मिलता था, जैसे ही वह कर हटा हमको 6 रुपये प्रति किलो के भाव से मिलने लग गया। मैं सरकार को कहूंगा कि यदि सरकार हमको जिन्दा रखना चाहती है तो वह मक्के को गुजरात में जाने से रोक दे। हमको वहां पर सस्ता मिल जायेगा और सस्ता मिलेगा तो हमारे आदमी उसको खाकर जिन्दा रहेंगे। सरकार ने पता नहीं उसमें क्या सोचा होगा, उसमें व्यापारियों को फायदा हुआ। गरीब काश्तकारों का नाम लिया कि गरीब मक्का खाते हैं इसलिये उस पर से बिक्री कर हटा दो जिससे उनको मक्का सस्ती मिलेगी लेकिन उसका उलटा हुआ। उसका व्यापारियों को तो फायदा हो गया पर हम लोगों को उसका नुकसान हो गया, इसको भी सरकार ध्यान में रखें।

माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, माननीय अकाल राहत मंत्री जी अकाल राहत कार्य शुरू करेंगे लेकिन शुरू करने में उनको कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी। यदि आपने परिवार परिचय पत्र जारी नहीं किया तो जो लोए सक्षम है और मेरे जैसे नेता हैं वे सब अपने परिवार के लोगों को वहां भर देंगे। आपकी जो मजदूरों की संख्या होगी उसकी गणपूर्ति तो हो जाएगी पर वास्तव में जो लोग कमजोर हैं, जिनको काम पर लगाना चाहिये और जिनको जिन्दा रखने की जरूरत है उनको काम पर कोई नहीं पूछेगा। इसलिये परिवार परिचय पत्र जारी करने होंगे। और उसके साथ में अगर भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं कि अकाल राहत में भ्रष्टाचार भी नहीं हो तो उसके साथ में एक हाजरी का कार्ड भी लगाना चाहिये। मस्टरोल की हाजरी और परिचय पत्र पर मस्टरोल की जो हाजरी लगी हुई है उन दोनों को मिलाकर पेमेण्ट करें तो भ्रष्टाचार रुकेगा। नहीं तो आज तक जो भी अकाल राहत कार्य चले हैं उसके अन्तर्गत जो अधिकारी सम्बन्धित विभाग के होते हैं उस काम को चलाने वाले और कुछ लोग होते हैं, उनकी ज्यादा सहायता हो जाती है और वास्तव में जिनको हम अकाल राहत में सहायता देने के लिये काम चलाते है उन लोगों को को मौका नहीं मिलता है। इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है उसको सरकार रोके। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने घंटी तो बजायी लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर सम्भाग की चाहे वह प्रतापगढ़ तहसील हो, चाहे बांसवाड़ा की कोई भी तहसील हो, डूंगरपुर की कोई भी तहसील हो और चाहे उदयपुर और आबू रोड की तहसील हो, जहां पर भी ट्राइबल के लोग रहते हैं उन सब के

(श्री दयाराम परमार)

लिये सरकार को माकूल व्यवस्था करनी है और उनको काम देना है, अनाज देना है, उनको जिन्दा रखना है।

पीने के पानी की समस्या के बारे में निवेदन है कि आज हमारे पूरे एरिया में तालाब कहीं न कहीं बने हुए हैं लेकिन सारे तालाब खाली पड़े हुए है। किसी में एक बूंद पानी नहीं आया। मेरे खैरवाड़ा की पेयजल व्यवस्था गोदावरी बांध से होती है, उसमें एक मटका पानी भी नहीं आया। पता नहीं जून के आते-आते कहां से पानी लाकर लोगों को पिलायेंगे। यह सरकार को सोचना है, हम तो हमारी मांग करते रहेंगे। लेकिन जहां पर भी पानी की समस्या है उस समस्या की भी व्यवस्था करे और जल्दी से जल्दी अकाल राहत कार्य शुरु कराने की व्यवस्था करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भवानी जोशी।

श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान बांसवाड़ा की ओर आकर्षित करना चाहता हू। बांसवाड़ा जिले की 11 लाख 52 हजार की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आदिवासी बन्धुओं का है। आदिवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। पिछली एक बारिश की वजह से वहां 75 प्रतिशत फसलें चौपट होने की स्थिति में हैं। सरकारी आंकड़े आये हैं, गिरदावरी रिपोर्ट हुई है कि असिंचित क्षेत्रों में 75 प्रतिशत फसलें चौपट हो गयी हैं और सिंचित क्षेत्र में 65 प्रतिशत से अधिक की फसल खराब हो गयी है। इस प्रकार बांसवाड़ा जिले के सभी 1465 गांव इस वर्ष बिलकुल अभावग्रस्त स्थिति में हैं। अभी कुछ दिनों पहले "राजस्थान पत्रिका" एक समाचार लगा था कि आदिवासी बन्धुओं का गुजरात की ओर पलायन तेज हो गया है। वे अभी अपने रोजगार के लिये भटक रहे हैं और एक लाख से अधिक लोग बांसवाड़ा जिले को छोड़कर गुजरात और मध्य प्रदेश की ओर रोजगार पाने के लिये चले गये है। पशुओं की हालत भी ठीक नहीं है, चारे की व्यवस्था नहीं है। जिले में ढाई सौ हैण्ड पम्प पड़े हैं वे भी बिलकुल बन्द की स्थिति में पड़े हैं। कभी-कभी कलक्टर साहब को हम कहते है तो वे कहते हैं कि हमारे पास कोई फण्ड नहीं है, किस फण्ड के तहत उन हैण्ड पम्पों को चालू करवाया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि अकाल में कांग्रेस शासन में जिस तरह से काम होते थे वैसे नहीं करवाये जायं। पक्के कार्य करवाये जायं और प्राथमिकता के साथ में अकाल को विकास के साथ जोड़ा जाय। मेरा यह निवेदन है कि बांसवाड़ा क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्रों में सरकार ने अभी जो रोजगार के साधन सुलभ करवायें हैं वे बहुत कम है, उससे अधिक सुलभ करवायें जायं और जो लोग गुजरात की ओर रोजगार के लिये जा रहे हैं उनको रोका जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माधव सिंह जी।

श्री परसराम मदेरणा : गुजरात के लिये रोकने वाला कोई है नहीं। कांग्रेस की तरह से काम करो तो गुजरात जाने से रूकेंगे। जे. आर. वाई. और एश्योर्ड एम्प्लायमेंट वह चली, झुनझुना, झुनझुना, झुनझुना....

श्री नाथूसिह : यह झुनझुना दिल्ली के द्वारा पकड़ा गया है। ऐसा झुनझुना पकडा है कि जो बजता नहीं है और झुनझुना लगता है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आश्वासित रोजगार योजना और जवाहर रोजगार योजना, यह सब दिल्ली की मेहरबानी से जिन्दा है।....(व्यवधान)

श्री नाथूसिह : आपको मालूम है कि एक नया झुनझुना....

श्री किशनगोपाल कोगटा : यह सब केन्द्र की योजना है, माननीय विपक्ष के नेता, इसको झुनझुना कैसे बता रहे हो? केन्द्र की योजना है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो एरिया है वहां बहुत कीमती खानें हैं और खानों के मालिक भी हो आप इसलिये मजबूरी की आपको चिन्ता नहीं है। यह तो गरीबी की रेखा के नीचे वाले के जीने का सवाल है।

श्री नाथूसिह : उन्हीं से भी एक नया झुनझुना दिल्ली से और पकड़ा गया हैं, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। नया झुनझुना पकडा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया। अकाल पर बहस हो रही है।

श्री नाथूसिह : पांच हजार रुपये लेने हों तो 60 साल से पहले मरो। अब कौन लागू करवायेगा इसको?

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी अकाल राहत मंत्रीजी का स्टेटमेंट आया, सुनकर बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने कहा कि अकाल पड़ने की सम्भावना है, चारा कम होने की सम्भावना है। जैसे कि ये कोई सरकार में बैठे ही नहीं है। फेमिनकोड़ अगर इन्होंने पढा हो, काफी साल हो गये इनको अकाल मंत्री रहते हुए, बडा क्लीयर दिया हुआ है—"The S. D. O. will submit to the Collector and Relief Commissioner a report every week." हर हफ्ते इनके पास रिपोर्ट आनी चाहिये। आ रही है या नहीं आ रही है?

"The Collector will Submit a consolidated weekly report received from tehsils in respect of district to the Relief Commissioner The final report will come to them on 31st October." जब ये रिपोर्ट आ रही हैं, ये कह रहे हैं सम्भावना है। क्या रिपोर्ट आयी, क्या नहीं आयी? क्या ये पढ़कर भी आये है? 31 अक्टूबर निकल चुका है, फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है और अभी कह रहे हैं कि सम्भावना है। मतलब यह सरकार जग रही है या सो रही है? इनको अकाल के प्रति चिन्ता है या नहीं है,

(श्री माधवसिंह दीवान)

यह इनके खुद के स्टेटमेंट से मालूम पड़ जायेगा।

(16.00)

दूसरा, यह फेमिन कोड 1962 में बना था और इसके अन्दर उसके बाद सैंकड़ों आदेश निकल गये। आदेश निकलने से कई-कई बातें उसमें आउटडेटेड हो गयी। एक कन्सोलिडेटेड फेमिन कोड बनाने की बात बार-बार आयी है। जब अकाल राहत मेरे पास था, उस टाइम के अन्दर जब यह फेमिन कोड बनाने की बात आयी तो अलग से अफसर नियुक्त किया। फाइनेंस डिपार्टमेंट से उसको रुपये 5,000/- स्पेशल ग्रेच्युटी दिलवायी कि वह अपने अलग टाइम में बैठकर फेमिन कोड बनाए। उस बात को आज छह साल हो गये। कहां गया फेमिन कोड ? और वे रुपये 5,000/- स्वीकृत हुए, उसका क्या हुआ ? उस फेमिन कांड का अता-पता ही नहीं। सारी टीम गयी, गुजरात गयी, मद्रास गयी, वहां से डेटाज लेकर आयी कि वहां फेमिन कोड कैसा है। पिछली बार सवाल पूछा तब लिखा कि फेमिन के साथ अन्य जो हैं फायर का है, इसको भी शामिल करना चाहिये।

अगर 8-8 साल में शामिल नहीं कर पाएंगे और इस भाजपा गवर्नमेंट को आये हुए भी 5 साल हो गये, ये अगर अकाल कोड को ही नहीं सुधार पाये तो ये अकाल राहत में क्या काम कर पायेंगे ? गिरदावरी अभी पटवारी कर रहे हैं, फसल कट चुकी, चारे घर में पहुंच चुके। मतलब कलक्टर को यह भी नहीं कहा गया है कि हालत खराब है, आप इमरजेंन्सी गिरदावरी करवाइये, टैस्ट रिलीफ वर्क शुरू कराकर देखिये कि कहां-कहां पर क्या-क्या कमी है। परन्तु तब ये वेट कर रहे थे कि विधान सभा आए, इसमें अकाल पर लोग + + + और करें। आठ...

श्री सांवरलाल : फेमिन कोड अगर आपने पढ़ा हो तो टैस्ट रिलीफ वर्क के लिये गवर्नमेन्ट की परमिशन की जरूरत नहीं है।

श्री माधवसिंह दीवान : ऐसा कौनसा कलक्टर है जो बिना गवर्नमेंट की परमिशन के टैस्ट रिलीफ वर्क शुरू करा देगा ?

श्री सांवरलाल : आपने पढ़ा होगा न फेमिन कोड ?

श्री माधवसिंह दीवान : हां जी।

श्री सांवरलाल : यह चीज तो है न कि वह कर सकता है कलक्टर ?

श्री माधवसिंह दीवान : यह चीज फेमिन कोड में है, श्रीमान्, 1962 के फेमिन कोड में है और उसके बाद 1976 में सरकार के आदेश निकले है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का कोई भी प्रावधान राजस्थान के फेमिन कोड में नहीं है।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री परसराम मदेरणा)

अगर इस प्रकार का प्रावधान है, हमें पता नहीं है। बाद में आपने कोई अमेण्ड किया हो तो मुझे मालूम नहीं। सोजत से आने वाले माननीय सदस्यों को यह बड़ी गलतफहमी है। मैं भी 6-7 साल तक रिलीफ मिनिस्टर रहा था। मेरे वक्त में भी एक डिप्टी सैक्रेटरी, आई ए. एस. बहुत होशियार थे, वे फेमिन कोड में अमेण्डमेण्ट करके लाये थे, सी. एस. गुप्ता के वक्त में अमेण्डमेंट हुआ था। It is a bundle of Government circulars. यह कोई आपका लैण्ड रेवेन्यू कोड तो है नहीं। लैण्ड रेवेन्यू कोड भी रूल्स हैं, वर्ड कोड लेकिन they are rule making delegated power with the Government under the Land Revenue Act. लेकिन ये तो इंसट्रक्शस हैं। हमने नहीं पढ़ा, मैं स्वीकार करता हूं, हम इग्नोरेंट हैं। आप फेमिन कोड लाकर के मुझे बता दीजिये प्रोविजन अभी।

श्री सांवरलाल : मैं अभी बता देता हूं।

श्री माधवसिंह दीवान : यह मेरे पास अभी तैयार पड़ी है।

श्री परसराम मदेरणा : ले आइये थोड़ी देर में। (व्यवधान)

श्री माधवसिंह दीवान : आप इसमें से देख लें। (व्यवधान) अब आप ले आओ। दूसरी बात, ये फेमिन डिपार्टमेंट में जितने डिपार्टमेंट में जितने इंसट्रक्शंस गये हुए हैं, सारे के सारे इंग्लिश में गये हुए हैं जो कलक्टर के सिवाय कोई भी अधीनस्थ अधिकारी समझ नहीं पाता है। परन्तु कलक्टर भी एज इट एस. डी. ओ. और तहसीलदार और आगे से आगे उनको भेज देते हैं। कम से कम अब तो इंस-ट्रक्शंस हिन्दी में जाना शुरू हो जाएं ताकि नीचे के पटवारी, जे. ईएन. उनको समझ पाए और उनके अनुसार काम कर पाएं। मेरा अनुरोध यह है कि आप टैस्ट रिलीफ वर्क इमीजिएटली शुरू करवाइये देर से शुरू कर-वाने में टूटे हुए एनीकट्स और खडीन नुकसान पहुंचाते हैं। खडीन नहीं बनें एनीकट्स नहीं बनें तो फिर भी उतना नुकसान नहीं होता, पर बनने के बाद वे टूट जाते हैं उसके बाद वहां नाला बन जाता है, खेत के अन्दर नाला हो जाता। तो ये टैस्ट वर्क सबसे पहले, जो टूटे हुए एनीकट्स और खडीन हैं, जो टूटे हुए बांध हैं, उनको आप टोप प्रायोरिटी से ठीक कराने की बात करें।

तीसरा, वाटर शेड डवलपमेंट स्कीम आयी है। अच्छी स्कीम है परन्तु जो सोइल कन्जर्वेशन या भू-संरक्षण विभाग है वह कहता है हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, स्टाफ नहीं है काम कराने के लिये। मेरा सुझाव यह है, बाकी काम आप करें तो अच्छी बात है पर वाटर शेड डवलप-मेंट के काम में 90 प्रतिशत लेबर है, सिर्फ 10 प्रतिशत मैटेरियल की उसमें आवश्यकता है। वाटर शेड के लिये सारे नक्शे बने हुए हैं। पूरे राजस्थान के अन्दर टोपोग्राफिकल सर्वे हुआ है, सारे डिजाइन तैयार हैं। उस काम को टोप प्रायोरिटी पर लेकर व फेमिन के अन्दर इस काम को ही लिया जाए तो फेमिन के अन्दर

(श्री माधवसिंह दीवान)

मी और लोंग टर्म में मी इसका फायदा होगा।

भ्रष्टाचार की बात हमारे माननीय सदस्य भाई ने कही, वाकई सही बात है उसमें सबसे बड़ा यह होता है कि मस्टर-रोल के अन्दर तो 50 आदमी का नाम होता है और काम 25 आदमी कर रहे होते हैं, 10 आमी फालतू बैठे होते हैं। उसका रिजल्ट यह होता है कि मजदूरी कम आती है। जहां 32 रुपये रेट है वहां कहीं तो 10 रुपये आती है, कहीं 15 रुपये आती है। अगर आप इस बात को ही इंश्योर कर ले कि मजदूरी पूरी आये तो मजदूर पूरा काम करना चाहता है पर जब वह देखता है कि 10 आदमी बैठे हुए खा रहे हैं तो वह जो काम कर रहा है वह मी पूरा काम नहीं करता। अगर आप यह एंश्योर करें, जहां पर मजदूरी कम आ रही है वहां जाकर चैक करें तो आप पाएंगे कि वहां फर्जी हाजरी चल रही है। उसको रोक लें तो अपने आप काम इसमें खतम हो जाएगा। आज जो 32 रुपये मिनिमम वेज वह हमारे कई गांवों में काफी हाई है। आज आप फेमिन वर्क खोल रहे हैं, 50 आदमी अलाऊ करते हैं, वहां 500 आदमी इकट्ठे होते हैं मजदूरी लगने के लिये। आप ऐसा प्रोविजन करिये। एक बार जो मजदूर लग गया, फिर वह कंटीन्युअस छह माह लगा रहता है। 15 दिन बाद वह मजदूर चेंज हो जाए, एक बार जो 15 दिन लग गया। नेक्स्ट मस्टररोल जब आए तो जो नेक्स्ट आदमी रह गये हैं, उनको मजदूरी दे दें तो उनको काफी सहूलियत हो सकती है। हमारे मामड़ा साहब ने जब वे जोधपुर गये थे, एनाउन्स मी किया कि औसत से आधी वर्षा मी नहीं हुई कई स्थानों पर, इस कारण राहत कार्य नवम्बर में शरू किये जाएंगे। नवम्बर आ गया, एनाउन्स आपके उप मुख्य मंत्रीजी ने किया, आप उनकी बात मानते हैं या नहीं मानते हैं, पता नहीं पर उप मुख्य मंत्री अपने उप मुख्य मंत्री पद का इस्तेमाल करते हुए एनाउन्समेंट करके आये कि नवम्बर में काम शुरू हो जाएंगे। आज तक तो कहीं एक मजदूर मी नहीं लगा (व्यवधान) मंत्री महोदय, आपके क्षेत्र में शुरू आपने करवा दिये हो तो पता नहीं या मामड़ा साहब के क्षेत्र शुरू करवा दिये....

श्री रामनारायण चौधरी : मंत्री महोदय, आपके क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा था अजमेर के अन्दर, आपने कुछ टैस्ट वर्क खुलवाये हैं क्या ? (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : अभी नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन 1993 में अकाल था और यही राहत मंत्री थे। हमारे उधर मारवाड़ी में कहावत है "आध में और आघ में उसकी पूंछ" लोकी की पूंछ और लोका का शरीर बराबर होता होता है। इस पूरे राजस्थान में, कल जिसका पूनमचन्दजी जिक्र कर रहे थे और मामड़ाजी, उप मुख्य मंत्री मी। हिन्दुस्तान के विधान में तो कहीं नहीं है डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कुछ मी नहीं, लेकिन वे बन गये। उस समय वे अध्यक्ष थे, बड़ी गौरवमान पोस्ट पर बैठे थे। मैं दिन में

(166)

(श्री परसराम मदेरणा)

पांच दफे शीश नवाता था और अब मैं उनको कठघरे में खड़ा करता हूं (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : डीग्रेड हो गये हैं।

श्री परसराम मदेरणा : ऐसा है बिलकुल, उसी जगह बैठा हुआ हूं। In order of precedent, I remained number two for more than seven years.

एक माननीय सदस्य : अब भी आ जाओ।

श्री परसराम मदेरणा : अब तो नहीं आने दोगे। वह सफाई वाली बात में गलतफहमी में मत रहना, मैं सफाई चखा दूंगा। हमको चेता दिया है उन्होंने, एक वार्निंग दी है, आप याद रखना। हम आपको लम्बे करेंगे चुनाव में, आने दीजिये 1996 के चुनाव। हम चुपचाप सुन रहे थे। आप इसको यूं मत समझिये यह जो पार्टी के अन्दर झगड़ा है, सफाई कहकर, अभी आपका दिमाग साफ किया है कि आप मेरे पीछे हो जाओ। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : वहां पर भी संकट आ जाएगा।

श्री परसराम मदेरणा : आप बैठिये। आपकी तो बहुत तारीफ की थी आपकी तो हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने जिन+++को यहां पर पेश किया था, मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैं मंत्री महोदय के बारे में (व्यवधान)

श्री किशनगोपाल कोगटा : आपको ध्यान है कि नहीं, कुछ लोग इधर आने वाले हैं आपके।

श्री परसराम मदेरणा : आपके भी एरिया ब्यावर में अक्सर अकाल में रहता है ...

श्री किशनगोपाल कोगटा : इसलिये तो बोलना है।

श्री परसराम मदेरणा : और उधर देवगढ़ में रहता है, यह वर्स्ट एरिया रहता है। वहां 5-6 एरिये ऐसे हैं, कोलायत तहसील, रायट तहसील, जहां पानी कड़वा है जवाजा तहसील, देवगढ़ तहसील-भीम और देवगढ़ दोनों शामिल हैं, इसलिये फेमिन का काम चल रहा था, आधे तालाब तो थे अजमेर में और आधे से कम थे पूरे राजस्थान में। आप कह रहे हैं, आपके वहां भी है। आपके वहां तो सब इन्तजाम कर लो।

श्री किशनगोपाल कोगटा : नहीं आधे इधर आने वाले हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि सरकार अकाल के मामले में कतई गम्भीर नहीं है

+++शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामनारायण चौधरी)

आप समय देकर माननीय सदस्यों से इतनी एक्सरसाइज करवा रहे हैं, आफिसर्स की गैलरी आज के दिन, अकाल चल रहा है, अकाल पर बहस चल रही है, पूरे राजस्थान से हर जिले का कलेक्टर यहां मौजूद रहना चाहिये था, चीफ सेक्रेटरी यहां मौजूद होने चाहिये थे, रिलीफ कमिश्नर यहां मौजूद होने चाहिये थे, चीफ मिनिस्टर को यहां बैठना चाहिये था। आज क्या + + + हो क्या रहा है ? यह तो + + + बात हो रही है, किस को सुना रहे हैं हम ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री माधवसिंहजी पूरा करें।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय माधव सिंहजी इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, इतना पेन्स टेक कर रहे हैं, किस को सुना रहे हैं ? माननीय मंत्रीजी कहते हैं कि टेस्ट वर्क तो कलक्टर करवा सकता है। मैं चुनौती देता हूं, माननीय मंत्री महोदय, आप तो टेस्ट वर्क चालू करके दिखाओ। आपने आदेश से टेस्ट वर्क चालू करके दिखाओ कल से, तब मैं मान लूंगा कि आप करवा सकते हैं।

श्री किशनगोपाल कोगटा : समय आ रहा है, दिखायेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : आप कलक्टरों की बात कहते हैं, कलक्टर क्या कर सकता है ? सारे पैसे, पैसों की चाबी भैरोंसिंहजी ने अपने पास रख ली, सारे खजाने की चाबी भैरोंसिंहजी ने अपने पास रख रखी है, आप क्या कर रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सुनिये पहले। पहले राहत मंत्रीजी मुझे सुनने की कृपा करें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कलक्टर आज नहीं आये हैं, कलक्टर को गवर्नमेंट इन्सट्रक्शन देती है। रेवेन्यू कोड में डेट मुकर्रर है गिरदावरी की, पर गवर्नमेंट एट इट्स ओन कोई भी डेट चेंज कर सकती है पन्द्रह दिन, बीस दिन पहले, एक। वह शायद इन्होंने इन्सट्रक्शंस कलक्टर्स को दिये नहीं। कलक्टर तो असेसमेंट भेजेगा लेकिन मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ध्यान रखते हैं कि राजस्थान का रिलीफ मिनिस्टर जब बोलने खड़ा होता है तो जिस टैरिफिक और सुपर सोनिक स्पीड से उसकी अभिव्यक्ति रहती है...

श्री नाथूसिंह : पढ़े-लिखे हैं साहब, प्रोफेसर हैं।

श्री परसराम मदेरणा : उसमें दूसरी प्रोफेसरी की जरूरत ही नहीं है, ये खुद ही खटाखट। अभी देखो न आप, नासिक की मिन्ट में। जिस तरह से पुराने जमाने में वह मोडिये बादशाह का रुपया चलता था खटाखट, खटाखट....

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री नाथू सिंह : प्रोफेसर हैं साहब, प्रोफेसर हैं।

श्री किशनगोपाल कोगटा : पीएचडी भी हैं, डाक्ट्रेट भी है।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिये सांपों की शादी के अन्दर जीमों की लपालप। मैं यह कह रहा हूं कि Otherwise also, in officers' gallery, I never refer to the/officers. उस तरफ बैठता था मैं, आफिसर्स की तरफ देखता नहीं था। उसको यह गलतफहमी नहीं हो पाए कि मिनिस्टर कम्पीटेंट नहीं है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : आपको इधर बैठने वाली बहुत याद आ रही है।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे याद नहीं आ रही है, मैं तो बीस साल तक रह गया और फिर रहूंगा पन्द्रह साल।

श्री मदन दिलावर : अब कदापि नहीं आने देंगे।

श्री परसराम मदेरणा : आप बहुत गलतफहमी में है, बैठ जाओ, बैठ जाओ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आजकल तो आप यहां तक भी आ जाते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आपको तो मैंने कई दफा उत्तर दिये हैं यहां पर।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं उत्तर भी दिये है....

श्री परसराम मदेरणा : आप भी जानते हैं, बहुत सेटिसफैक्टरी उत्तर दिये हैं आपको।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपके साथ भी गया हूं मैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माधव सिंह जी।

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज रिलीफ सेक्रेटरी हैं यहां पर....

श्री रामनारायण चौधरी : आज की बहस की कोई गम्भीरता नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : पी. एच. ई. डी. के सेक्रेटरी यहां पर बैठे हुए हैं, and both the officers, according to my assessment are very able and competent officers in the gallery. लेकिन बात तो मिनिस्टर की है, He is answerable to this House. Those who are sitting-दो और एक बैठे हैं, तीन बैठे हैं, they are not answerable to this House. इसलिये मिनिस्टर के लिए यह तो गम्भीरता से विचार करने की बात है। एक बर्ड ने ही मेरे तूफान खड़ा कर दिया, सम्भावना है, सम्भावना है। मुझे तो इस सम्भावना ने ही मार दिया। आप जरा इसको सीरियस लीजिये। अकाल है, जबरदस्त अकाल है। और जैसा कि मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं, आपको वायरलैस से आज के आज इन्सट्रक्शस देने चाहिये कि कल रात तक आपके पास गिरदावरी आनी चाहिये। कोर्ट के अन्दर गिरदावरी खतम हो गयी है।

(श्री परसराम मदेरणा)

पन्द्रह दिन, बीस दिन पहले आपको मालूम था कि अकाल पड़ गया है, गिरदावरी आपको पहले करानी चाहिये थी । आज कुछ न कुछ इन्सट्रक्शंस दीजिये । नेचुरल केलेमिटी रिलीफ फण्ड और डी. आर. डी. ए., इसमें उलझा कर आप हमको डालना चाहते हैं और फिर स्पीड, स्पीड, कोरी जबानी स्पीड से काम नहीं चलेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माधव सिंहजी, बोलिये । (व्यवधान)

श्री माधवसिंह दीवान : मैं मन्त्री महोदय से सिर्फ दो ही सवाल पूछना चाहूंगा, यह आप बाद में सब एक साथ ही जवाब दे दें, कि आप फेमिन कब तक डिक्लेयर कर देंगे ? क्योंकि फेमिन डिक्लेयर होने के बाद ही वसूली रुकेगी ? वसूली वाले पहुंच गये हैं बैंक वाले और वहां जूते मार-मार कर लोगों से वसूली करने पर उतारू हैं । कम से कम यह अपने जवाब में आप आश्वासन दें ।दूसरा जो वाटर शेड वाली मैंने बात कही, सोइल कंजर्वेशन के पास स्टाफ नहीं है । अगर आप इरिगेशन और पी. डब्ल्यू. डी. के स्टाफ को वाटर शेड का काम देंगे तभी यह वाटर शेड का काम पूरा हो सकेगा । लास्ट में मैं पानी के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि हैण्ड पम्प पंचायत/पंचायत समितियों को दिये हुए हैं रिपेयर करने के लिये लेकिन कोई सिस्टम अभी तक पंचायत समितियों में डवलप नहीं हुआ, सारे हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं । कम से कम इस अकाल राहत के दौरान तो फिर पी. एच. ई. डी. अगर हैण्ड पम्प रिपेयर का अभियान नहीं करेगी तो ये हैण्ड पम्प सारे के सारे खराब पड़े रहेंगे और उसमें कोई सुधार की सम्भावना नहीं है । बहुत-बहुत धन्यवाद आपको ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल धाकड़ ।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष बरसात देरी से आयी, इस वजह से फसलें देरी से बोयी गयीं । जल्दी ही रुक जाने की वजह से जब पकने का टाइम आया तो और बरसात नहीं होने की वजह से जहां सिंचाई के साधन नहीं थे, जो बारानी फसल थी उनमें बहुत अधिक खराबा हुआ है, 75 प्रतिशत से लेकर शत प्रतिशत तक खराबा उनमें हुआ है । जहां सिंचाई के साधन थे वहां भी क्योंकि बरसात की सिंचाई में और कुओं द्वारा या पम्प सेट द्वारा या बैल द्वारा सिंचाई में बड़ा अन्तर पड़ता है, फसल जितनी होनी चाहिये उतनी नहीं बैठ कर पचास से पिचहत्तर प्रतिशत तक उनमें भी खराबा है । इस तरह से उदयपुर सम्भाग में और विशेष तौर पर मेरे चित्तौड़गढ़ जिले के अन्दर बांध बरसात पूरी नहीं बरसने से रीते पड़े हैं । हमारे बेगूं क्षेत्र में ओराई बांध, बस्सी बांध, डोराई बांध अधूरे ही रह गये, पूरे भरे नहीं । अभी मीटिंग हुई सिंचाई की, उसमें किसानों को सिर्फ यह आश्वासन दिया गया कि मात्र एक रेलनी हो पाएगी इसकी वजह से आप ऐसी फसल बोएं । मात्र रेलनी का मतलब यह है कि केवल चने की फसल बोयी जा सकती है । जो भी अगर कोई मावठा हो गया, बीच में कोई बरसात हो गयी तो ठीक पक जाएगी अन्यथा उसमें भी बीज पैदा होना

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

मुश्किल रहेगा। जो कुछ कुओं में पानी था, मक्का की, मूंगफली की आधी फसल को पिलाने में, तीन-तीन, चार-चार बार पिलाया गया और वह पानी भी कुओं में कम पड़ गया। इस तरह काश्तकार इस रबी की फसल की ओर से बहुत चिंतित है। मेरे क्षेत्र बेगूं में जो एनीकट या छोटे-छोटे बांध आदि के प्रस्ताव भेजे गये हैं, बीसलपुर का बहाना लेकर उनको नहीं बनने दिया जाता है या उनकी स्वीकृति नहीं होती है। 125–150 किलोमीटर दूर बीसलपुर से उन छोटे-छोटे बांधों पर क्या फर्क पड़ेगा? जो बांध बीसलपुर बांध में आने वाली मिट्टी को रोकने का काम करते हैं उन पर भी यह बंदिश कि वहां के पानी को वहां नहीं रोक सकते। ऐसा पानी नहीं रुकने से, एनीकट नहीं बनने से कुओं का सैजा नहीं रहता, पानी बहुत नीचे चला जाता है। इसका नतीजा यह है कि सारे इलाके में पानी की कमी की वजह से अकाल जैसी स्थिति है। अकाल राहत के कार्यों में मेरा अनुरोध है कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी से और राहत मन्त्रीजी से कि इन छोटे-छोटे एनीकट्स को पहले लिया जाए ताकि थोड़ा-थोड़ा पानी भरा रहे तो कम से कम कुओं का सैंजा ऊपर रहे। अधिकतर ये काम लिये जाएं। जहां ऐसी सम्भावना नहीं है वहां सम्पर्क सड़कों के काम लिये जाएं ताकि गांव वालों को मजदूरी मिल सके। और उसका फायदा मिल सके। घास की भी इस साल बहुत कमी रही है और घास की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था हमें विशेष तौर से करनी होगी गांवों में। ये हैण्ड पम्प जवाब देने लगेंगे। कई गांवों में अभी भी कुओं का पानी बहुत नीचे चला गया और हैण्ड पम्प की यह सम्भावना है कि महीने, डेढ़ महीने के अन्दर जवाब दे देंगे। ऐसी स्थिति में इस विषय पर विशेष ध्यान दिया जाए, यही मेरा अनुरोध है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम जी (धोद)।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल पर चर्चा की जा रही है। अकाल राहत मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है। सीकर जिला तीन चौथाई अकाल में है जहां लेट बरसात हुई, बरसात हुई तो इतनी जबरदस्त हुई तो किसान को तीन-तीन, चार-चार दफा अपने खेत में बुवाई करनी पड़ी। और बुवाई करने के बाद लगातार एक महीने तक जो बरसात हुई, निश्चित रूप से बरसात भले ही ज्यादा हुई हो लेकिन फसल का जहां तक सवाल है तीन चौथाई जिला अभी अकाल में है और एक चौथाई फसल हुई है। उसमें भी हालात यह है कि अधिक बरसात के कारण जो बाजरा यहां पैदा होता है बारानी फसल में, उसमें गूंद पैदा हो गया। जितना बाजरा पैदा हुआ है उसमें आधे से ज्यादा खाने लायक नहीं रहा। कृषि विभाग के अधिकारियों से इस बारे में बात करते हैं तो उसका समाधान अभी तक नहीं है। जहां जहां अकाल होता है-चाहे वह सीकर हो, चाहे वह आदिवासी इलाका हो और चाहे पश्चिमी राजस्थान हो, सबसे पहले वे कार्य लिये जाने चाहिये जो स्थाई अकाल का समाधान करने वाले हों, जैसे वाटरशेड के हैं और कोई कार्य हैं। इस कार्य को लेने के

(श्री अमराराम)

बाद तमाम उन पैसों को जो अकाल राहत में हैं और अन्य योजनाओं में हैं-चाहे वह सुनिश्चित रोजगार योजना में है, चाहे जवाहर रोजगार योजना में, उस सब पैसे को इकट्ठा करके एक ऐसे जिले में लगाया जाए जहां आवश्यकता है तो सड़क निर्मित की जा सकती है। ऐसा जिला मैं समझता हूं, सीकर जिले को घोषित किया जा सकता है जहां तमाम गांव सड़क से जुड़ सकते हैं, डामर को छोड़कर ग्रेवल तक, डब्ल्यू. बी. एम. तक पूरी सड़क बनायी जा सकती है। वाटरशेड के कार्य के बाद ये कार्य किये जा सकते हैं।

दूसरा जो बचाव का कार्य है उसमें राशनिंग व्यवस्था की जानी चाहिये। आज भी वह पूरी तरह से नहीं है और अकाल में एक वरदान साबित हो सकती है। राशन की जितनी भी 14 वस्तुएं हैं उनको सही मात्रा मे हर गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था अगर हमारी सरकार कर सके तो उन अकाल पीड़ित लोगों के लिये, पूरे राज्य के लोगों के लिये बहुत बड़ी व्यवस्था हो सकती है। उस व्यवस्था की मानिटरिंग की जाए। होता क्या है, उपाध्यक्ष महोदय, जो डीलर नियुक्त किये जाते हैं-को-आपरेटिव सोसाइटीज या प्राइवेट डीलर, समय पर वे सामान उठाते नहीं है, सामान समय पर वितरित करते नहीं और अकाल जैसी, विभीषिका में मुनाफाखोर लोग उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। तो राहत कार्य शुरू करनें के साथ ही राशनिंग व्यवस्था सुचारु रूप से की जाय और उसको पूर्ण मात्रा में, जितनी आवश्यकता हो उस तक पहुंचायी जाए।

विशेष तौर से मेरा अनुरोध है कि ट्राइबल बेल्ट में मजदूरों की जो सीलिंग लगायी जाती है, कम से कम राजस्थान में ट्राइबल बेल्ट उदयपुर डिवीजन में यह सीलिंग किसी भी सूरत में लागू नहीं होनी चाहिये। सरकार शुरु करे जब से बरसात नहीं हो तब तक यह सीलिंग किसी भी रूप में लागू नहीं होनी चाहिये इसमें जो कास्ट बेस है यह भी निश्चित रूप से दूर किया जाना चाहिये। मजदूर को हम रिलीफ की बात करते हैं उनकी नपती के आधार पर, लेकिन कमी हमारे प्रशासनिक स्तर पर रहती है और उसका खामियाजा उस अकाल राहत की मजदूरी पर आने वाले मजदूर को उठाना पड़ता है। वह व्यवस्था की जाए और उसमें कास्ट बेस नहीं लगाया जाए ये मेरे सुझाव हैं। आपने समय दिया इसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महावीर भगोरा।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी अकाल पर चर्चा चल रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक अक्टूबर से राज्य सरकार ने जिन्सवारी के आदेश दिये जिला कलेक्टरों को और आज तक हमारे अकाल राहत मंत्री जी के पास कितना खरावा प्रदेश में हुआ इसकी रिपोर्ट नहीं आयी। यह वास्तव में चिन्तनीय प्रश्न है। हमने हमारे स्तर पर जो उदयपुर जिले की रिपोर्ट मंगायी है, वह मैं यहां पढ़कर निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर जिले में बल्लभनगर में 70 से 75 प्रतिशत

(श्री महावीर भगोरा)

खराबा हुआ है, सराड़ा में 60 से 75, सलूम्बर में 60 से 75, मावली में 60 से 70 कोटड़ा में 60 से 75, खैरवाड़ा में 60 से 75, झाडोल में 60 से 75, गोगुन्दा में 70 से 75, गिरवाड़ा में 50 से 75, धरियावद में 40 से 60 प्रतिशत खराबा हुआ है।

इसी तरह से डूंगरपुर जिला, बांसवाड़ा जिला, चित्तौड़ जिला और मुझे अभी पिछले दिनों जोधपुर सम्भाग का भी दौरा करने का अवसर मिला, तो पूरा ही क्षेत्र अकाल की चपेट में है। मेरा अकाल राहत मंत्री जी से निवेदन है, जैसे आपने अभी फेमिन रिलीफ कोड की बात कही, टेस्ट वर्क्स चालू करने की बात की परन्तु हम यह चाहते हैं कि जितनी जल्दी सम्भव हो, जैसी हमारे सम्भाग के माननीय सदस्यों ने इच्छा जाहिर की है। आदिवासी लोगों के पास अपनी जीविकोपार्जन का एक मात्र साधन खेती है और खेती के लिये जो औसत लैण्ड होल्डिंग है, वह दो ढाई से बीघा है। वर्षा के अभाव में फसलें चौपट हो गयी हैं, यहां तक कि चारा भी पककर तैयार नहीं हुआ है। आज स्थिति यह है कि आदिवासियों को मजबूर होकर पास-पड़ौस के राज्यों में रोजी-रोटी के लिये पलायन करना पड़ रहा है। जैसा अभी फतेह सिंह जी ने कहा, दीपावली के रोज भी लोग अपने घरों पर नहीं थे, यह वास्तव में हकीकत है। मेरे क्षेत्र में तो आज चोरी का धंधा जोरों से शुरू हो गया है। भूखा आदमी क्या नहीं करता है। यह स्थिति हो गयी है तो मेरा आपसे निवेदन है कि जितनी जल्दी सम्भव हो, अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करें।

दूसरी स्थिति पेयजल की है। अभी पी. एच. ई. डी. के माननीय मंत्री महोदय नहीं दिख रहे है, न अधिकारीगण हैं।

एक माननीय सदस्य : अधिकारी बिराजे हैं।

श्री महावीर भगोरा : हां, बिराजे हैं। मेरा निवेदन है कि जब जब भी कंटिन्जेंसी प्लान बने हैं, हमारे उदयपुर डिवीजन में जितनी राशि आबंटित की, 20 प्रतिशत भी राशि पी. एच. ई. डी. डिपार्टमेंट ने उपलब्ध नहीं की। जो सोर्स हम विकसित करना चाहते थे वे सोर्स विकसित नहीं हुए, आज भी स्थिति वैसी की वैसी है। हमने गत सेशन में 30 जिले 30 काम में पेयजल की सुविधा के लिये हैण्ड पम्प को कहा जो जो उनको स्वीकृत किये हैं उनमें से 20 प्रतिशत भी हैण्ड-पम्प नहीं लग पाये तो यह व्यवस्था कैसे सुधर सकती है? दूसरा, जैसा अभी भारत सरकार की गाइड-लाइन है, अब जो भी कार्य विकास के किये जाएंगे उनमें 50 प्रतिशत काम सोइल कंजर्वेशन के होंगे। मैं मानता हूं कि सोइल कंजर्वेशन के काम की मांग की गयी है परन्तु वाटरशेड अलाटमेंट के अलावा जल ससाधन के विकास की कोई योजना इसमें सम्मिलित नहीं की गयी है। जब तक पानी को रोककर उसकी सुरक्षा नहीं की जाएगी, अकाल से कैसे निपटेंगे? मेरी मान्यता है कि 50 प्रतिशत काम पानी रोकने के लिये किये जाने चाहिये-चाहे छोटी छोटी नाड़िया बनाओ, छोटे तालाब

(श्री महावीर भगोरा)

बनाओ या एनीकट बनाओ । बड़ी बड़ी परियोजनाओं की हमें जरूरत नहीं है, न हमारे आदिवासी इलाकों में बड़ी परियोजना सक्सेसफुल हैं। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि कम से कम आज पानी रोकने का कोई प्रबन्ध करें इस योजना में।

दूसरा निवेदन तो मैं करना चाह रहा था कि अभी अकाल के दिनों में पशुधन क्योंकि आदिवासियों को दूसरा व्यवसाय है, पशुओं के लिये अगर चारे का प्रबन्ध नहीं हुआ, पानी का प्रबन्ध नहीं हुआ तो वह पशुधन समाप्त हो जायेगा। हमारे यहां जैसा हमारे साथियों ने कहा कि खेती पशुओं से होती है, बैलों से होती है तो पशु नहीं होगा तो खेती करने की स्थिति में भी हम नहीं रहेंगे। 1993 में ऐसी स्थिति आयी थी कि आदमियों को जोतकर हल से खेती की थी, तो पशुधन को बचाने के लिये भी प्रबन्ध होना चाहिये। चारे के प्रबन्ध की बात है वह भी निश्चित रूप से होनी चाहिये, की जानी चाहिये। पशु बीमार योजना पर भी हमको चिन्तन करना चाहिये अगर प्राकृतिक विपदा आए और फिर फसल बीमा योजना लागू हो जाए तो किसानों को निश्चित रूप से राहत मिल सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई आदिवासी क्षेत्र जहां पहले से ही अकाल की स्थिति भयंकर इस दृष्टि से रहती है, जैसा अभी दयाराम जी परमार ने कहा कि वहां लैण्ड होल्डिंग इतनी छोटी है कि उसमें साल भर में 4 या 6 महीने की रोजी का प्रबन्ध ही होता है। इस वर्ष तो वह प्रबन्ध भी नहीं हुआ है और आज स्थिति यह हो गयी है कि लोग भूखें मरने की स्थिति में आ गये हैं। मेरी आपके माध्यम से शासन से और प्रशासन से यह मांग है कि जितनी जल्दी सम्भव हो स्थायी रोजगार के कार्य का प्रबन्ध किया जाए। मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतन लाल जी ताम्बी। श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष राजस्थान में प्रकृति ने अपने अलग-अलग तेवर ही बताये हैं (व्यवधान) प्रकृति के तेवर से जो खड्डे पड़े हैं उसमें पेवर मंत्रीजी करेंगे। मेरा कहना यह था कि एक तरफ तो बहुत भारी बरसात से हनुमानगढ़, अलवर, और भरतपुर में तबाही मची और दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान और उदयपुर सम्भाग में कई जिलों में बरसात कम आने से अकाल के हालात पैदा हो गये। बरसात थोड़ी बहुत आयी भी तो समय पर नहीं आयी। जब फसलें जलकर खाक हो गयीं उसके बाद बरसात आयी। लोगों ने जो बिजाई की थी, जो खाद डाली थी, वह खाद और बीज भी चला गया, चारा भी नहीं हुआ। और तो और, उसके बाद भी अब जब रबी की बिजाई हुई तो भी असमय बारिश आने से करीब दो बार सिरोही जिले में रायड़े को तोड़कर वापस बोना पड़ा। रायड़े की फसल बोयी,

(श्रीमती तारा भण्डारी)

बरसात आ गयी उसको तोड़ना पड़ा। फिर रायड़ा बोया, फिर बरसात आयी।

इस प्रकार से जो बरसात का अनियमित आना जारी रहा इससे आज सिरोही जिले में अकाल के हालात पैदा हो गये। सिरोही जिले में जो गिरदावरी हुई है उसमें भी 75 प्रतिशत खराबा आया है। उपाध्यक्ष महोदय, आने वाले समय के लिये समय रहते अगर हमने विचार नहीं किया तो बहुत मुश्किल आने वाली है। मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने पिछले सत्र में राजस्थान के गौ-वंश को बचाने के लिये गौ-वंश हत्या निरोधक कानून बनवाया और आज हम इस बात को गर्वपूर्वक कह सकते हैं कि हमारे यहां से, राजस्थान से गायों की कत्ल के लिये निकासी नहीं होती है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग इन गायों को या गौ-वंश को चोरी-छिपे भेजते हैं, ट्रकों में डालकर ले जाते हैं उनको यदि पुलिस छुडवाती है या कोई नागरिक छुड़वाता है तो उनको रहने की समस्या पैदा हो जाती है कि उनको कहां रखा जाए। मेरा इस बात में यही कहना है कि आने वाले समय से पशुओं को पर्याप्त मात्रा में चारा मिले और पानी मिले। पेयजल की समस्या नहीं आए इसके लिये भी आज चिन्ता करनी होगी। कन्टिजैंसी प्लान जिलों में से नहीं आये उसके लिये भी मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करूंगी कि गर्मी में होने वाली पेयजल कमी से निपटने के लिये अभी से योजना बना ली जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, सोजत से आने वाले माननीय सदस्य बड़ी चिन्ता कर रहे थे कि अकाल में भ्रष्टाचार न हो। उनकी चिन्ता भी बहुत वाजिब है। माननीय सदस्य भुक्तभोगी हैं, अनुभवी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के कार्यकाल में अकाल भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया था। लोग चाहते थे कि अकाल आए और हमारे घर भरें, हमारी कमाई का साधन हो। यह करने के लिये वे माला फेरते थे माला कि राजस्थान में कब अकाल पड़े और कब हमारी स्थिति सुदृढ़ हो। ये तो माला फेरते थे।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अब तो कोई सीमा ही नहीं है भ्रष्टाचार की। आपने सारी सीमाएं भ्रष्टाचार की लांघ दी हैं।

श्रीमती तारा भण्डारी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय भ्रष्टाचार की सीमाएं किसने लांघी और किसने नहीं लांघी, मात्र 3-4 महीनों में जनता के सामने जाना है। हम भी जाने वाले हैं, आप भी जाने वाले हैं। नाई जी केश कितने, सामने आ जाएंगे। चिन्ता इस बात की करो। भ्रष्टाचार के ऐसे ऐसे नमूने, माननीय सदस्य जिसका जिक्र कर रहे थे कि मस्टर रोल में नाम तो 25 का होता था और मौके पर काम 8 लोग ही करते थे।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, नाई के सामने जो केश आएंगे वे तो आदमियों के और बच्चों के आयेंगे लेकिन महिलाओं के केश नाई थोड़े ही काटता है?

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी कह रहे हैं, क्योंकि अनुभव उनको भी है, अकाल के समय में पधारे थे (व्यवधान) पी. एच. ई. डी. मिनिस्टर थे तब। उन्हें ध्यान है, बड़ा जबरदस्त अनुभव है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस विषय पर किशनारामजी प्रकाश डाल सकते हैं कि महिलाओं के भी कटते हैं कि नहीं कटते हैं।

श्री किशनाराम नाई : पंचायती राज मंत्रीजी वहां जाकर क्यों बैठ गये, फिक्र हो रही है। नाई होने की वजह से आपको जिम्मेदारी ठाकुर साहब ने मुझे दे रखी है। इसलिये विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है।

श्री परसराम मदेरणा : चौमू से आने वाले माननीय सदस्य, मुझे इस बात की जानकारी है कि प्रतिदिन की रेन्स कहां होती है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ता हूं, आज से नहीं 20 साल से। मुझे मालूम है किसान का भविष्य खरीफ का और रबी का प्रतिदिन की रेन पर डिपेण्ड करता है। मुझे इस बात की भी जानकारी है, मैं आपको फिगर दे सकता हूं कि भाखड़ा में कितना पानी आया है पिछले साल के मुकाबले में पोंग की क्या पोजीशन है, माही की क्या पोजीशन है, जवाहर सागर की क्या पोजीशन है और गांधी सागर की क्या पोजीशन है जहां पर बिजली पैदा होती है। मुझे इस बात की जानकारी है सिरोही जिले में इस साल जो बरसात हुई है। जैसे बूंदी का एक बांध थोड़ा-सा खाली रह गया है। सवाई माधोपुर में सब के सब ओवर फ्लो हो गये हैं। पहले बरसात अलवर में हुई तो अलवर में ओवर फ्लो हो गये। इनके बंधे खाली हैं इस साल बनास वगैरह खाली पड़ी। जो बरसात हुई है वह करीब-करीब नोर्मल रेन तो है लेकिन औसत से कम हुई है। यह दयनीय स्थिति सिरोही की है। इसलिये नाई की बात तो जाने दो वह तो अपन देख लेंगे मैदान में। घोड़े आने दो मैदान में। अपने तो फेमिन का इंतजाम करो गरीबों का, जो मर रहे हैं उसमें।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने सही बात कही कि नाई की बात छोड़ दो। मैं भी छोड़ देती हूं लेकिन एक नमूना तो जरूर बताऊंगी। 1986 का अकाल था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1986 और 87 का वर्ष, आदिवासी एरिया प्रभूरामजी गरासिया का, 4 महीने उस एरिये में मैं घूमी थी। उपाध्यक्ष महोदय, 6 महीने तक वहां के आदिवासियों को मजदूरी नहीं मिली। लोगों को पूछते कि भाई खाते क्या हो, एक आदिवासी कहता कि देवला से मुट्ठी भर अनाज लाए थे, दो रोटी बनायी, टुकड़ा-टुकड़ा आठ जनों ने खायी। दूसरा आदिवासी कहता, मेरी बीबी पीहर गयी थी, वहां से कुछ लायी। इस बुरी हालत में वह अकाल निकला है 1986 और 87 का। और उस समय रेट आयी थी—उपाध्यक्ष महोदय, आप सुनें तसल्ली से तो रोंगटे खड़े हो जायेंगे। मैं नहीं चाहती कि वह सब रिपीट हो...... (व्यवधान) मैं सदन को आगाह करना चाहती हूं।

श्री रघुवीरसिंह (सराड़ा) : खुद के हाथ लगाकर देखो, पता चल जाएगा ।

श्री परसराम मदेरणा : अगर रोंगटे खड़े हो गये तो मेरी तो टोपी उड़ जाएगी रोंगटों के साथ में ।........(व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को आगाह करना चाहती हूं कि आने वाले अकाल को........ (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो राजस्थान की पंक्चुअल पोजीशन है कि 1986 और 87 में सबसे ज्यादा पैसा खर्च हुआ है । अकाल में अगर कभी ज्यादा पैसा खर्च हुआ है (व्यवधान) राजस्थान में तो 1986-87 के अकाल में ही पक्के काम हुए हैं । राजस्थान में जितना पैसा खर्च हुआ उतना कभी नहीं हुआ ।

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, विष्णुजी का अकाल से क्या लेना-देना है ?

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो एक साधारण बात कहना चाहती हूं, हम सभी (व्यवधान) बिराजिये आप भी मेरी बात में, आप सभी लोग समय ले लेते हैं, वे घण्टी बजा देंगे ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय यदि आपकी यह स्थिति है रोंगटे खड़े होने में, तो हमारा क्या होगा ?

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको 1986-87 के अकाल की बात बता........

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप अकाल पर बोलिये, अकाल पर ।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मेरी बात कोई कहने ही नहीं देता । विपक्ष के नेता फिर खड़े हो गये ।

श्री उपाध्यक्ष : ये आपका समय बर्बाद कर रहे हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्या, मैं आपको नहीं, उन्होंने कहा मेरे बारे में । बात यह है कि इस आयु में रोंगटे खड़े नहीं होते । आप यंग आदमी हो । मैं आपकी आयु का था तब मेरे इतने घने बाल थे कि मुझे रूमाल से बांधना पड़ता था । नहीं तो लालू प्रसाद यादव की तरह मेरे मुंह पर आ जाते । आपमें और मेरे में एज में फर्क है । मैं डाई करता नहीं हूं । आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ? नहीं अभी शुरू नहीं किया है तो थोड़े दिनों में हो जाएगा ।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 1986-87 की बात केवल इसलिये कर रही थी कि हम सब इस पवित्र सदन के सदस्य हैं । जागरूक रहें

(श्रीमती तारा भण्डारी)

श्रौर श्राने वाले अकाल कार्यों में इस प्रकार के घोटाले नहीं हों। मैंने डांगा ढाणी जो मोरस के पास में है, उसका सर्वे किया था। ....(व्यवधान)........

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहें।

श्रीमती तारा भण्डारी : उस समय के अकाल में प्रति व्यक्ति दो रुपये 32 पैसे रेट आयी थी। सर्वे करके मैंने वह रिपोर्ट कलक्टर को दी, क्योंकि मैं अकाल राहत सतर्कता समिति की सदस्य थी। दूसरे दिन कांग्रेस के पूर्व मन्त्री सिरोही पधारे श्रौर उन्होंने डाक बंगले में एक मीटिंग ली। जब मैंने यह बताया कि हमारे जिले की यह स्थिति है, इस प्रकार को रेट श्रा रही है, लोग भूखे मर रहे हैं तो कांग्रेस के पूर्व माननीय मन्त्री जी ने मेरे को उस समिति से निकाल दिया। यह उन्होंने काम किया। मेरा तो श्रापसे श्रौर सदन से यही निवेदन है कि अकाल के नाम पर लोग मोपेड के नम्बर देकर सब्सिडी नहीं उठा लें। अकाल के नाम पर 25 लोगों का मस्टर-रोल चले, आठ लोग काम करें, तो बाकी लोगों के पेट पर लात नहीं पड़े। उपाध्यक्ष महोदय, श्रापके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगी। अकाल के समय में टास्क बेसिस पर काम होता है। अकाल का भूखा व्यक्ति गर्मी में काम करे, भूख-प्यास से बेहाल हो, फिर श्राप उससे टास्क बेसिस पर काम लेते हैं। यदि उसने काम किया है तब तो श्राप उसको 32 रुपया पूरा देंगे श्रौर काम कम किया है तो 32 रुपया नहीं देंगे। मैं श्रापको विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहती हूं कि यह कल्याणकारी सरकार है, लोगों के भले के लिये है। अकाल राहत में अगर श्राप रोजगार देना चाहते हैं तो टास्क बेसिस पर रोजगार नहीं होना चाहिए। (व्यवधान) श्रापके कांग्रेस के पूर्व मन्त्री मेरे सामने बिराजे हुए हैं। ....(व्यवधान)........

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात समाप्ति पर है। मेरा इतना ही निवेदन है कि राजस्थान में वे दिन कभी भी नहीं आए जब 1985 से लगाकर 1987–88 तक लगातार अकाल चले। लोगों के घरों में अनाज नहीं था। श्रौर तो श्रौर, लोगों को जो कूपन जारी किए थे कि आपको इस कूपन के श्राधार पर इतना अनाज मिलेगा, वह अनाज मिला नहीं, कूपन लोगों के फट गये। अकाल में हम इस बात पर ध्यान दें कि जो भी काम हो वह श्राने वाले अकाल से निपटने वाला हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन चौधरी।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट। पहली बार बोली हूं, मेरा सारा समय तो इन लोगों ने ले लिया। दो ही मिनट, ज्यादा नहीं लूंगी। उपाध्यक्ष महोदय, पहली बार बोली हूं मैं सदन में।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

उपाध्यक्ष महोदय, सिरोही जिला हमारा पहाड़ी क्षेत्र है। जब भी बरसात आती है, कम से कम छह--सात हजार एम. सी. एफ. टी. पानी निरर्थक बह कर बेकार चला जाता है। मैं इसका सुझाव यह देना चाहती हूं कि जब भी अकाल में काम हों पक्के काम हों। चैक डेम बनाये जाएं, छोटे बांध बनाये जाएं। नहरों की मरम्मत हो, जो बांध टूटे पड़े हैं उनकी मरम्मत हो।

उपाध्यक्ष महोदय, 1990 में सिरोही का कमेरी बांध टूटा था। सन् 1990 में कमेरी बांध आधा ही भरा था और टूट गया। मैं लगातार सरकार से सम्पर्क कर रही हूं कि वह कमेरी बांध ठीक हो जाए लेकिन कभी तो सरकार कहती है कि हम इसके भ्रष्टाचार की जांच करवा रहे हैं और कभी कहती है कि हम थोड़े दिन में बना रहे हैं। 1990 में टूटा हुआ बांध, 1995 में आ गया, मेरी इस सदन के माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि आने वाले........

श्री राजेन्द्र पारीक : आप तो कल्याणकारी सरकार की बात कर रही हैं, 1990 से 1995 तक आपकी ही सरकार थी।

श्रीमती तारा भण्डारी : आपके भ्रष्टाचार की जांच हो रही है कि वह 1990 में बना और टूटा कैसे। वह जांच हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आने वाले अकाल राहत कार्यों में गांवों में छोटे-छोटे तालाब बनाये जाएं। तालाब बनने से पेयजल समस्या भी मिटेगी, पशुओं की समस्या भी मिटेगी। कम से कम अकाल रिपीट नहीं हो इसके लिये हम इस प्रकार के कार्य करें कि राजस्थान पर अकाल की जो छाया है वह राजस्थान से हमेशा के लिये चली जाए। पिछले वर्ष हमने जो अकाल का काम किया, अच्छे काम हुए। पुराने जो काम हुए थे उनका भी वापस नवीनीकरण हुआ, पक्के काम हुए। जो सड़कें अकाल में बनती हैं, मिट्टी डाल देते हैं कि मिट्टी डालकर सड़क बन गयी। जब अकाल समाप्त हो जाता है तो न उस पंचायत की स्थिति होती है, न पी. डब्ल्यू. डी. का जिम्मा है। जो अकाल में सड़कें बनीं और जो मिट्टी डालकर बनायी गयीं, आज वे सड़कें टूटी-फूटी हैं। नाम तो लिखा हुआ है कि रूखाड़ा और चूली जोड़ा हुआ है पर मौके पर जाएंगे तो बड़े-बड़े खड्डे, क्योंकि उस पर किसी की जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए अकाल में जो भी काम हों उनको किसी न किसी विभाग पर जिम्मेदारी डाली जाए ताकि भविष्य में होने वाली टूट-फूट की मरम्मत हो। आपने मुझे समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री रतनलाल ताम्बी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकारें। मैं........

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपका नाम

(श्री उपाध्यक्ष)

पुकारा था। फिर आते-आते इनका नाम पुकारा है। अब आपका लास्ट में गया नम्बर।

श्री रतनलाल ताम्बी : + + +

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष बीकानेर जिले में वर्षा देर से प्रारम्भ हुई। वर्षा के नापने के जो यन्त्र हैं वे केवल तहसील मुख्यालयों पर हैं। हमारा जो इलाका है वह करीब 28,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बहुत लम्बा-चौड़ा क्षेत्र है। इस वर्ष जो आखरी बरसात होनी चाहिये थी वह नहीं हुई, उस कारण से हमारी फसल बरबाद हो गयी। इस तरह से वहां पर चारे की भी समस्या पैदा हो गयी, चारे का बड़ा अभाव रहेगा। लोगों को अकाल के कारण रोजगार की समस्या रहेगी। इसके लिए मैं सरकार का खास तौर से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उस इलाके में केवल सड़कों का काम ही लिया जा सकता है, बारानी इलाका है। और जहां पर तालाब हैं उनका भी काम लिया जा सकता है। लेकिन रोजगार के लिये सड़कों का काम ही लिया जाना उचित होगा। हमारे यहां पर पीने के पानी की जो व्यवस्था है, नहरी क्षेत्र के जल-प्रदाय योजनाएं बनी हुई हैं। वे, मान्यवर, दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह गांवों के लिये योजनाएं बनी हुई हैं। जहां सोर्स है, शुरू में तो पानी उपलब्ध हो जाता है लेकिन बाकी के जो गांव हैं उनके सामने हमेशा कठिनाई रहती है। यह डिफैक्टिव योजना बनी हुई है। इन योजनाओं में सुधार किया जाना आवश्यक है, जिससे लोगों को पर्याप्त पानी मिल सके। मैं इन्हीं बातों पर ध्यान आकर्षित करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रभूराम गरासिया।

श्री प्रभूराम गरासिया (पिंडवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिरोही जिले में इस बार अकाल की स्थिति है। हमारे इस बार एक भी नदी-नाला नहीं चला। पानी की भी समस्या रहेगी, चारे की भी समस्या रहेगी। लोगों के पास में खाने तक को कोई दाना नहीं है। हमारे सिरोही जिले में अधिकतर मक्के की फसल पकती है। लेकिन इस साल तो दुर्भाग्य ऐसा रहा है कि अकाल में आ गये और अब भूखे मरने की नौबत आ रही है। सिरोही जिले को भी अकाल राहत से जोड़ा जाए। वैसे गिरदावरी के लिये 75 प्रतिशत नुकसान यहां भेजा गया है। हमारे यहां सिरोही जिले में टोटल ही आदिवासी हैं। आदिवासियों के लिये अगर वहां अकाल राहत कार्य चालू नहीं किया तो उनका बाहर जाने का प्लान रहेगा। वहां यह नहीं है कि लिमिट से, घर से एक आदमी को भी लगाया जाए तो अच्छा रहेगा। छोट-छोटे काम यदि चालू किये गये तो वहां झगड़े होने की सम्भावना रहेगी क्योंकि हमारे

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार, अपलोपित की गयी।

(श्री प्रभूराम गरासिया)

वहां आदिवासियों की जनसंख्या ज्यादा है। वे कहेंगे हमको लगाया नहीं। मैं तो इस हिसाब से आपसे निवेदन करूंगा कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा मजदूरी के कार्य खोले जाएं। जो भी अकाल राहत में पहले कार्य हुए हैं उनको पक्का किया जाएं। गांव-गांव तक और जो हमारे आदिवासियों की ढाणियां हैं, उनको सड़कों से जोड़ा जाए तो उनको आने-जाने में सुविधा रहेगी। चिकित्सा सुविधा भी रहेगी और अकाल राहत में उनका काम भी हो जाएगा। इसलिये रोड हो सकती हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पहले के जो रोड बने हैं, एनीकट बने हैं, बांध बने हैं, जो पहले अधूरे पड़े हैं, अकाल राहत में वैसे के वैसे पड़े हैं, उनको भी चालू किया जाए जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। इतना ही कहकर, आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम राजस्थान में आने वाले समय में अकाल की गम्भीर समस्या की ओर........

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय अकाल के वाद-विवाद और माननीय मन्त्रीजी के उत्तर देने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की राय से सदन का समय बढ़ाया जाता है।

श्री परसराम मदेरणा : इसमें टाइम फिक्स होना चाहिये था 7·30। इसलिये होना चाहिये ....

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप 7 बजे बोल लेना और उसके बाद जवाब दे देंगे।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ने शाम को भोजन रखा है 8 बजे का, तो आधे घण्टे पहले या पौने आठ बजे कर दो। .... (व्यवधान)........ यहीं पर होगा, यों तो आप 12 बजे तक समय ले लो। इसीलिये पौने आठ बजे रख दो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप 7 बजे बोल लें, 6.30 बजे बोल लें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जो बोलना चाहें बोलते रहेंगे, पौने आठ बजे कर दीजिये। यहीं से डिनर लेने चले जायेंगे, जो, पहले जाना चाहें अपने घर से वापस आ जाएंगे। .... (व्यवधान).......

श्री महावीर प्रसाद जैन : 7·30 बजे तक समय........

श्री खेतसिंह राठौड़ : पौने आठ बजे तक।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पौने आठ बजे तक सदन का समय बढ़ाया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की राय से पौने आठ बजे तक सदन का समय बढ़ाया जाता है ।

राज्य में अकाल की स्थिति पर चर्चा

श्री रतनलाल ताम्बी : उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष प्रकृति की अजीब स्थिति रही है । जुलाई के महीने में प्रदेश में, और भीलवाड़ा जिले में भी, एक साथ इतनी बरसात हुई जिससे फसलें बोने के साथ ही उन पर जो मार पड़ी है उससे उन का उठना, उत्पादन वगैरह का काम निश्चित रूप से प्रभावित हुआ है । और 10-12 अगस्त के बाद वर्षा बिलकुल नहीं हुई उससे जो फसलें थीं रही-सही, वे भी लगभग समाप्त हो गयी ।

बहुत चर्चा हो रही थी कि बरसात का औसत राजस्थान में इन जिलों में कहीं 40 प्रतिशत, कहीं 50 प्रतिशत रहा और कहीं 70 प्रतिशत बरसात हो गयी । मेरा यह मानना है कि इस बार वर्षा का होना न होना, दोनों दृष्टि से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा । बहुत वर्षा होने से फसलें पिट गयीं और उसके बाद वर्षा न होने से फसलें पिट गयीं । आपके आंकड़ों का मायाजाल जो बरसात बतायेगा मिलीमीटर एवरेज बरसात जो बतायेगा उसके अनुसार राजस्थान के भाग्य का फैसला किया जाएगा तो बहुत बड़ा अन्याय होगा ।

मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले की औसत बरसात जुलाई में लगभग 60 प्रतिशत हो गयी, उसके बाद अगस्त में नदारद, कहीं-कहीं छिटपुट हुई । सितम्बर में जब पानी की आवश्यकता थी, पीक टाइम था उस समय पानी नदारद था । इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस परिप्रेक्ष्य में सोचें और औसत बरसात का आधार नहीं बल्कि फसल की स्थिति के आधार को आधार बनाया जाना चाहिए ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने पहले गिरदावरी करवाने में कुछ विशेष ऐसे निर्देश दिये बताए कि जिनके आधार पर समय पर गिरदावरी सही ढंग से नहीं हो पायी । काफी समय बाद प्रारम्भ की गयी और उसके बाद अभी तक यह मालूम नहीं है कि जिलों से क्या रिपोर्ट आयी, क्या स्थिति है । जन-प्रतिनिधियों को, हम को सूचना जरूर दी गयी थी कि इस गिरदावरी में आप भी जगह-जगह चलें । उन्हीं दिनों विधान सभा आहूत होने से हम लोग यहां हैं । मैं समझता हूं कि बकाया जन-प्रतिनिधि गांवों में जाकर स्थिति का आंकलन करवा रहे होंगे उसके आधार पर रिपोर्ट आएगी ।

मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल राजस्थान के साथ जुड़ा हुआ है, अकाल और राजस्थान पर्याय हैं । इस लिहाज से राजस्थान में अकाल के जो कानून-कायदे हैं वे बहुत पुराने हैं । उन हालात के आधार पर आज इसमें परिवर्तन बहुत आवश्यक है । अकाल राहत

(श्री रतनलाल ताम्बी)

का पैसा, आम तौर से यह माना जाता है भारत सरकार से आता है और राजस्थान की सरकार उस पैसे को नीचे भेज देती है। फिर उसका कितना किस तरह का उपयोग होता है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे सामने लगा हुआ है।

मै हर बार यह मांग करता रहा हू कि आपका कामों का मास्टर प्लान बनना चाहिए। अकाल की जो सम्भावना है उसके पहले सारी योजनाएं तैयार होनी चाहिए। वह नहीं होता है और कहां किस तरह की आवश्यकता है, उसके आधार पर समय पर काम प्रारम्भ नहीं होते हैं। कहीं सड़के आप लम्बी-लम्बी शुरू कर देंगे वे जुलाई में बरसात आने वाली है, मई, अप्रेल, जून में सेवशन होंगी। अब उनकी पुलियाएं बनती नहीं, मिट्टी डालते हैं जो बरसात में बह कर चली जाती है। इसलिए मेरा इस मामले में यह सुझाव है कि आप जो भी काम शुरू करें, पक्के काम हों। पुलियाओं के, कल्वर्ट के, सड़कों के, तालाबों के जो स्लूज गेट बनने हैं वेस्ट वीयर बनना है, कहां नहरें पक्की बननी चाहिए वह काम साथ-साथ होना चाहिए। मैंने यह देखा है, पता नहीं यह कहां की व्यवस्था है कि जब बरसात आने की सम्भावना होती है तब मैटीरियल आता है, तब स्वीकृतियां, टेण्डर होते हैं और तब काम प्रारम्भ होता है। इससे उसकी उपादेयता समाप्त हो जाती है और इतना पैसे लगने के बाद भी गुणात्मक परिणाम जो सामने आने चाहिए वे नहीं आ पाते हैं। इस लिहाज से मेरा राजस्थान सरकार से यह निवेदन है कि अभी से अकाल का मास्टर प्लान बनवाया जाए। कौन-कौनसे काम लिये जाएं उसके लिए अभी से योजनाएं तैयार की जाए और मैटीरियल वगैरह की सारी व्यवस्था पहले कर दी जाए बजाए इसके कि अन्तिम समय में की जाती है बरसात आने की सम्भावना होती है और इससे इतने लगे हुए पैसे का सदुपयोग नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय, एस. सी./एस टी. और जो दूसरे गरीब तबके के लोग हैं उनको काम की अब आवश्यकता प्रारम्भ हो गयी है क्योंकि गांवों में तालाबों में पानी नहीं, कुओं में पानी नहीं। उसके बाद गांवों में कोई रोजगार उपलब्ध नहीं है इसलिए टेस्ट वर्क मैं समझता हूं एक नवम्बर से प्रारम्भ होने चाहिए थे। मगर अभी राज्य सरकार के पास रिपोर्ट आयी या नहीं और उस पर क्या निर्णय किया गया, यह जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो अधूरे काम अकाल राहत के हैं, अभी सिरोही से आने वाली माननीय सदस्या यह बता रही थीं कि 1986-87 में काम बहुत खराब हुए हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी से मेरा आग्रह है, उस समय मुख्य मंत्री हरदेवजी जोशी थे और उस समय जो काम चले, पक्के कामों की दृष्टि से राजस्थान में उस समय सबसे पहली बार गांव-गांव में स्कूल बने थे, पंचायत घर बने थे, उपस्वास्थ्य केन्द्र और प्राइमरी हैल्थ सेण्टर्स बने थे। वह एक अच्छी शुरूआत का वर्ष था।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

उसके आधार पर राज्य सरकार ने बाद में भी गत दो वर्षों में आपने भी अकाल में उसी प्रकार काम प्रारम्भ किये। इसलिए उस वर्ष को खराब बता कर, मैं समझता हूं राजस्थान में अच्छे कामों की जो शुरूआत हुई थी उसको आप नकार रहे हैं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप स्वयं इस बात को मानते हैं कि राजस्थान में अकाल निरन्तर बढ़ता रहा है और हर साल इन पर काफी रुपया भारत सरकार से और राजस्थान के खजाने से लगता है। लगने के बाद अगले वर्ष हम देखते हैं तो काम सारे टूट फूट कर बेकार जाते हैं। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि आप जो भी काम करें, बाद में उसकी मेन्टिनेंस की व्यवस्था हो और पक्के कामों को आप हाथ में लें। पुलियाएं या कल्वर्ट भी हों। सड़के चाहें वह फेयर वेदर रोड बनें या किसी प्रकार की रोड बनें, उसकी पुलियाएं नहीं हों तो उस रोड की कोई उपयोगिता नहीं है। इसी तरह सिंचाई के बांध, एनीकट बहुत-बड़ी तादाद में अधूरे हैं। मैं अकाल राहत मंत्रीजी, आपसे अनुरोध करता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं बस दो मिनट में खतम कर रहा हूं।

जिला प्रशासन से अभी भी आप अकाल राहत के पिछले कामों की सूची प्राप्त करें और सबसे पहले उन्हीं कामों को स्वीकार करें जो कि अधूरे हैं। अब उसके बारे में आप निर्देश देंगे, मेरा यह भी निवेदन है।

इसके साथ-साथ भू—संरक्षण के काम हों। दूसरी आपकी कई योजनाएं हैं उन सब का प्रत्येक क्षेत्र का मास्टर प्लान तैयार करवा दें। उसी योजनाबद्ध तरीके से काम हो, इस तरह की व्यवस्था करें। साथ में मेरा यह भी निवेदन है कि अकाल राहत में टास्क बेसिस पर काम होता है और टास्क बेसिस पर काम होने पर विभागों की कहीं प्रभावी भूमिका अदा नहीं होने से या पर्यवेक्षण न होने से बड़ी तादाद में लोगों को बहुत मामूली पैसा मिल पाता है। इसलिए सरकारी तकनीकी व्यवस्थाएं और उनकी देखरेख इस तरह से हो जिससे मजदूर को पूरा पैसा मिले, काम अच्छा हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि आप अकाल राहत कार्य तत्काल परीक्षण के तौर पर शुरू कराएं ताकि आज जो गावों में हालात खराब हैं वहां लोगों को जीवन-यापन के लिये सुविधा सुलभ हो सके। धन्यवाद।

(17.00)

श्री उपाध्यक्ष : श्री भगराज चौधरी।

श्री भगराज चौधरी (आहोर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जैसा कि अभी कहा गया, अकाल आम तौर पर पड़ते रहते हैं। जब-जब भी अकाल पड़ते है, सदन में बैठकर हम लोग चर्चा कर लेते हैं और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि अकाल की स्थिति से निपटने के लिये कुछ न कुछ अकाल राहत के कार्य शुरू किये जाएं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें निवेदन यह है कि जब राजस्थान में अकाल

(श्री भगराज चौधरी)

पड़ते रहते हैं तो अकाल का परमानेंट हल करने के लिये क्यों नहीं मुकम्मल किसी प्रकार की व्यवस्था की जाय ? इसके लिये लघु कालिक, तात्कालिक और दीर्घकालिक हमारे उपाय होने चाहिये।

राजस्थान की जैसी टोपोग्राफी है, जिस प्रकार की जलवायु है, जिस प्रकार की बरसात है उन सारी बातों का अध्ययन करने के बाद हमें यह मानकर चलना चाहिये कि जब तक हम अकाल की स्थिति से निपटने के लिये किसी प्रकार के प्राकृतिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए स्थायी प्रकृति से इसका समाधान नहीं ढूंढेंगे तब तक आम तौर से अकाल पड़ते रहेंगे।

अकाल से निपटने के लिये हमें एक बात तो समझनी पड़ेगी कि हमारे यहां जो भी बरसात का पानी बरसता है उसमें से एक-एक बूंद का उपयोग किया जाय। आज मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि एक साथ राजस्थान के ग्यारह जिलों में बाढ़ आयी पर पानी का उपयोग हम कर नहीं पाये। जो पानी बरसा, सतह से अपने जिलों को छोड़कर दूसरे जिलों में जाता गया, भूमि का कटाव करता गया, फसलों की बर्बादी करता गया और तबाही मचाता गया। जन-धन की अपार हानि हुई। दूसरी तरफ 14-15 जिले जो राजस्थान के पश्चिमी जिले हैं उनमें 10 साल में से 4-5 साल तो अकाल पड़ ही जाता है। जब-जब भी अकाल पड़ता है इनके कारणों के बारे में हमें पता लगाकर जो भी वहां पर अकाल से निपटने के कार्य हो सकते हैं, उन कार्यों के बारे में विचार करना चाहिये जिससे अकाल पड़ने की स्थिति में अकाल की विभीषिका का ज्यादा असर नहीं हो और लोग अकाल पड़ने की स्थिति में भी साधारण तौर से जीवन-यापन कर सकें, ज्यादा अकाल से प्रभावित नहीं हो। अकाल से निपटने के लिये जैसा कि मैंने निवेदन किया, तीन प्रकार के कार्य हो सकते हैं शार्ट टर्म मैजर्स, लघु टर्म मैजर्स और दीर्घ टर्म मैजर्स, दीर्घ टर्म के बारे में सर्वे करने के पश्चात् पूरे राजस्थान को इकाई मानकर के जहां भी बेशी पानी है, जहां एक्सट्रा पानी है, जहां आम तौर से ज्यादा पानी बरसता रहता है उस पानी का स्थानिक क्षेत्रों में उपयोग करने के बाद पानी बचता है तो उस पानी को नहरों के जरिये, बांधों के जरिये चैनलाइज करके उन स्थानों पर भेजने की व्यवस्था की जानी चाहिये जहां पर आम तौर से पानी की जरूरत होती है।

शार्ट टर्म मैजर्स में भी मैं समझता हूं, ज्यादा समय नहीं लगे और अकाल की स्थिति से निपटने के लिये कुछ ऐसे कार्य ढूंढे जाने चाहिये जिससे अकाल पड़ने पर लोगों को जो दिक्कत होती है वे उसका मुकाबला कर सकें। उसके लिये मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आज से 7-8 साल पहले कांग्रेस शासन में पश्चिमी राजस्थान से आने वाले विधायकों ने मांग की थी कि हमारे वहां धरती के नीचे मीठा पानी है। जब-जब भी अकाल पड़ता है, कुएं न होने के कारण से हम लोग बिलकुल ही कुओं से महरूम रह जाते हैं और पशुओं के लिये चारे की समस्या पैदा हो जाती है,

(श्री भगराज चौधरी)

पानी की समस्या पैदा हो जाती है और मजदूरों को पलायन भी करना पड़ता है तो क्यों नहीं धरती के नीचे हजारों कुएं सरकारी सहायता से बनवाने के कार्यक्रम हाथ में लिए जाएं जिससे कि अकाल का असर कम हो सके। मुझे आज यह कहते हुए खुशी होती है कि उस समय जब अकाल था, भयंकर अकाल था और जोशी जी मुख्य मंत्री थे, उस प्रोग्राम के दौरान राजस्थान में करीब 7-8 हजार कुओं का निर्माण किया गया चूरू जिले में, सीकर जिले में, बाड़मेर के अन्दर, जालौर में और काफी जगह जहां धरती के अन्दर पानी है और जहां डार्क जोन नहीं है। डार्क जोन की बात तो मैं बिलकुल गलत मानता हूं। डार्क जोन पता नहीं कब सर्वे हुआ तब आता है उसके बाद तो जमीन में पानी का स्तर बदल गया। कहीं बरसात ज्यादा पड़ गयी, कहीं बाढ़ आ गयी, कहीं कुछ हो गया। जालौर जिले के अन्दर एक सायला पंचायत समिति है जिसके बीच में 4-5 बड़ी नदियां निकलती हैं- जवाई निकलती है, आकोल नदी निकलती है, बांडी निकलती है। दुर्भाग्य से पता नहीं किस कारण से उस समिति को डार्क जोन में शामिल कर रखा है जबकि वहां धरती के नीचे समुद्र का अथाह पानी है। पुराने जमाने में किसी कारण से मान लो जियोलोजिकल सर्वे के कारण से या हुईल्स के द्वारा अगर सर्वे करके उसको डार्क जोन में कर दिया है तो वह डार्क जोन वाली स्थिति तो बदल जाती है, बल्कि बदल गयी है। और बदल गयी है इसलिये ऐसे स्थानों पर कुएं बनाये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। और कुओं के निर्माण के साथ-साथ मवेशियों और मनुष्यों के लिये पानी की एक-एक बूंद पीने के लिये (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) तालाब भी जैसा कि पहले विश्नोई साहब ने कहा था और आप भी जानते हैं कि पश्चिमी राजस्थान के अन्दर पेयजल की योजना हमने आज बनायी है, पिछले 20-25 साल के अन्दर जब यह नहीं थी अकाल तो पड़ते रहते थे। फिर लोग पानी कहां से पीते थे, मवेशी कहां से पीते थे? इसलिये उस समय के हमारे तालाब बने हुए हैं, बावड़ियां बनी हुई हैं उनका संरक्षण करने की जरूरत है, उनकी मरम्मत करने की जरूरत है, उनको सुधारने की जरूरत है, उनको ठीक करने की जरूरत है।

जब से पेयजल योजनाएं बनायी गयीं उसके पश्चात् वे सारे तालाब और बावड़ियां या तो टूट गयीं या फूट गयी और गंदे पानी के गड्ढे के रूप में बदल गयीं। उनका पुनः सुधार किया जाना चाहिये, उनका संरक्षण किया जाना चाहिये जिससे पीने के पानी की समस्या का जब अकाल पड़ते है तब हम मुकाबला कर सकें क्योंकि अकाल पड़ने पर नल योजनाओं के जरिये मवेशियों को हम पानी पिला सकें, मनुष्यों को पानी पिला सकें, मैं समझता हूं यह सम्भव नहीं।

पिछले साल भी अकाल था। भाभड़ा साहब भी आये थे, सदन में चर्चा भी हुई थी और हमने कहा था कि कन्टिजेंसी प्लान बनाइये, सरकार की ओर से कहा गया कन्टिजेंसी प्लान बनाएंगे। मगर,

(श्री मगराज चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि एक पैसा भी कन्टिंजेंसी प्लान के नाम पर जालौर जिले में खर्च नहीं किया गया और लोग और मवेशी प्यासे मरते 4-5 किलोमीटर पानी की तलाश में भटकते फिरे। उप मुख्य मंत्रीजी भामड़ा साहब आये थे, मंत्री महोदय ने भी कहा था मगर कन्टिंजेंसी प्लान न तो बना, न पैसा स्वीकृत हुआ और लोग प्यासे मरते रहे।

मेरा आपसे निवेदन है कि अकाल की समस्या का समाधान ढूंढने के लिये एक तो आप शीघ्र अकाल राहत कार्य खोलिये। अकाल राहत कार्यों में जैसा कहा गया कि पूर्व में जितने भी हमारे अकाल राहत के कार्य हुए जो स्थायी प्रकृति के हैं, जो उपयोगी कार्य हैं पर अधूरे पड़े हैं या टूट गये हैं, फूट गये हैं- चाहे वह स्कूल भवनों का मामला हो, चाहे नहरों के निर्माण का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे बांधों के निर्माण का मामला हो, चाहे दूसरे कार्य हों, जिनसे कुछ न कुछ आने वाले समय के अन्दर हमें लाभ मिल सकता है उस प्रकार के कार्यों को दुबारा हाथ में लेना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये।

श्री मगराज चौधरी : दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, जो पानी की समस्या का मैंने निवेदन किया कि पानी की समस्या का समाधान ढूंढना चाहिये, उसके लिये शीघ्र ही जिला स्तर पर जिला कलक्टर्स और पेयजल विभाग के अधिकारियों को हम लोगों के साथ बैठकर जिन-जिन इलाकों में पानी की आने वाली गर्मियों के दिनों में ज्यादा समस्या आने वाली है उनके बारे में कन्टिंजेंसी प्लान बनाना चाहिये, शीघ्र बनाना चाहिये। बनाने के पश्चात् कन्टिंजेंसी प्लान के तहत कुछ राशि स्वीकृत करके जो हमारी मौजूदा जल योजनाएं हैं उन जल योजनाओं के द्वारा पानी की आपूर्ति सुधारने के लिये आगमेंटेशन स्कीम्स बनाकर उनको स्वीकृत करना चाहिये। पानी की योजनाएं वहां बनी हुई हैं लेकिन बहुत लम्बी-लम्बी हैं, 20-20 गांव जुड़े हुए हैं इसलिये टेल में पानी पहुंचता नहीं। थोड़ा बहुत पानी पहुंचता है मगर गर्मियों के दिनों में जब अकाल पड़ जाता है तो उसकी आपूर्ति बढ़ाने की जरूरत होती है क्योंकि मवेशी पानी मांगता है।

आज तालाब कहीं भरे हुए हैं, कहीं बावड़ियों में पानी है तो मवेशी पानी नहीं पीता मगर गर्मियों के दिनों में जब सारे तालाब, बावड़ी सूख जाते हैं तो मवेशी भी सरकार द्वारा जो योजनाएं बनायी गयी हैं उन योजनाओं पर पानी पीने के लिये निर्भर है। इसलिये कम से कम जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनको आगमेंट करने के लिये, नये, पानी के स्रोत ढूंढने के लिये कन्टिंजेंसी प्लान द्वारा कुछ प्रावधान करके कार्य शीघ्र शुरू कराएं जिससे कि आने वाले समय में जो पानी की समस्या बनने वाली है उसका निपटारा कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करिये।

श्री मगराज चौधरी : मैं कर रहा हूं ।

इस समय कुछ इलाकों में अकाल है, जैसा कि पहले कहा गया बरसात बहुत लेट आयी । बरसात लेट आने के बाद करीब 14-15 दिन तक लगातार बरसात होती रही तो काश्तकार ने चार-चार बार, पांच-पांच बार जमीन को जोता, बीज बोया, खुदाई की, मजदूरी की । जिस काश्तकार ने ज्यादा खड़ाई की और ज्यादा बीज बोया वह ज्यादा आर्थिक घाटे में पहुंच गया । उसकी पैदा तो मारी ही गयी, आय तो उसकी मारी ही गयी बल्कि उसके खुद के पास जो थोड़ा बहुत धन था उस धन में से उसने फिर खर्च कर दिया और आज वह बिल्कुल निर्धन हो गया । ऐसी स्थिति के अन्दर चारे की समस्या हमारे यहां पैदा हो गयी । कुछ इलाकों में तो चारे की व्यवस्था के बारे में सरकार को इंतजाम करना चाहिये । किस-किस जिले में कहां-कहां चारे की समस्या पैदा हो सकती है उसके लिये जिला स्तर पर ही शीघ्र इस बारे में जांच पड़ताल करायी जानी चाहिये और व्यवस्था करवायी जानी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शम्भूदयाल जी बड़गूजर ।

श्री मगराज चौधरी : एक थोड़ा और निवेदन करना चाहूंगा संक्षेप में ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक हैण्ड पम्प का सवाल है, हैण्ड पम्प सारे राजस्थान में काफी मात्रा में खोदे गये । यह बात सही है कि हैण्ड पम्पों की रिपेयरिंग के बारे में, रख रखाव के बारे में सरकार द्वारा, मुख्य मंत्रीजी द्वारा, पेयजल विभाग के मंत्री द्वारा कई बार सदन में कहा गया कि इनकी मरम्मत करवायी गयी मगर मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हैण्ड पम्पों का कोई धणीधोरी नहीं है । पंचायत कहती है हमारे पास सुपर टेक्निकल हैण्ड्स नहीं है, न कोई सामान है । पंचायत समिति कहती है हमारे पास कोई आदमी नहीं है । विभाग कहता है कि सारे पंचायत समिति क्षेत्रों में, पूरे जिले में जो हैण्ड पम्प खुदे हुए हैं उनके लिये हमारे पास कोई स्टाफ नहीं है । आखिर हैण्ड पम्प किसने बनाये हैं ? मेरे ख्याल से हैण्ड पम्प विभाग ने बनाये हैं इसलिये विभाग को ही जिले के स्तर पर या पंचायत समिति के स्तर पर कोई न कोई....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें । कृपया समाप्त करें ।

श्री मगराज चौधरी : आदमी परमानेंटली लगाने की व्यवस्था करनी चाहिये । जिससे कि जो भी हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं उनकी समय पर मरम्मत हो सके । ठीक करने के बाद बराबर खराब भी होते रहते हैं तो लगातार इनकी मोनिटरिंग करने की भी जरूरत है । मुझे आशा है सरकार इस पर ध्यान देगी शीघ्र अकाल राहत के कार्य शुरू करेगी और स्थायी प्रकृति के कार्य जो आने वाले समय में उपयोगी सिद्ध हो सकें, उन कार्यों को आप चालू करवायेंगे । धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शम्भूदयाल बड़गूजर ।

(188)

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में आकल की चर्चा माननीय सदस्यों द्वारा की जा रही है। मैं भी अपने क्षेत्र के विषय में अकाल से सम्बन्धित जानकारी सदन में रखना चाहता हूं। अजमेर जिले में एक केकड़ी उपखण्ड ही ऐसा है जहां सबसे कम बरसात हुई है। केकड़ी और भिनाय विधान सभा क्षेत्र दोनों ही अकाल की चपेट में आये हुए हैं। जहां से अकाल राहत मंत्री चुनकर आते हैं उनका क्षेत्र भी अकाल की चपेट में आ गया है।

मैं सदन में माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने वर्ष 1993-94 में स्थायी और पुख्ता कार्यों को प्राथमिकता देकर अकाल राहत कार्यों में ऐसे कार्यों को किया है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी स्कूलों की चार दीवारी, विद्यालय भवन निर्माण, अधूरे एनीकट्स का निर्माण, बंधे और तालाबों का निर्माण, यह पहली बार राजस्थान सरकार ने अकाल राहत कार्यों में किया है। अभी माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस के जमाने में, कच्ची मिट्टी को इधर से उधर डाल देना ही होता था और अकाल राहत कार्य भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका था। उस स्थिति को माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत ने दूर किया और स्थिति को यहां तक ला दिया। जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर अकाल राहत सतर्कता समितियों का निर्माण किया। उसकी वजह से कहीं पर भी राजस्थान में माननीय भैरोंसिंह जी के राज में कहीं मोपेड का या जो वाहन अस्तित्व में ही नहीं है, ऐसे वाहनों का कोई जिक्र ही नहीं आया जिन्होंने चारे का लदान किया हो। फर्जी मस्टर-रोल लिख देना, भर देना या फर्जी कार्य कराना....

श्री परसादीलाल मीणा : सांवरलाल जी का जवाब दे रहे हो या आपका ?

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : मैं तो मेरा ही दे रहा हूं। सांवरलाल जी अलग से देंगे।

लेकिन ऐसी स्थिति किसी माननीय सदस्य ने अभी तक यहां विधान सभा में नहीं रखी है। हमें गर्व है कि माननीय भैरोंसिंह जी के राज में अकाल राहत में जो भी स्थायी और पुख्ता कार्य हुए हैं वे बड़ी ईमानदारी के साथ और सतर्कता के साथ हुए हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक अभावग्रस्त गांवों की सूची राज्य सरकार के पास आ जानी चाहिये थी। 31 अक्टूबर अभी समाप्त ही हुआ है और आज दो नवम्बर है। मुझे अभी जानकारी मिली है कि इस सप्ताह में राज्य सरकार को जिला कलक्टर्स के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त होंगी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से राजस्थान के अभावग्रस्त गांवों में शीघ्र ही अकाल राहत कार्य खोलने के लिये विनम्र निवेदन करूंगा जहां अकाल से ग्रसित लोग रोजगार प्राप्त कर सकें। लोगों को रोजगार के साथ-साथ पशुधन के सामने जो चारे की विकट समस्या है उसका भी समाधान किया जा सके।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान मुख्य मंत्री जी के काल में, जैसा मैंने कल ही कहा था कि बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसा भयंकर अकाल पड़ा ही नहीं कि पचीसा छाइसा जैसा अकाल पड़ जाए, 63-64 जैसी लगातार रात पर रात पड़ जाए, नाइट ब्लाइन्डनेस हो जाए 60 से 70 पर्सेन्ट पापुलेशन को और 90 पर्सेन्ट बोवाइन एण्ड कैटल पापुलेशन को नाइट ब्लाइन्डनेस हो जाए। उस वक्त काम कराते कि नहीं कराते, 1993 में अकाल पड़ा था, कुछ काम चला था। लेकिन दो तो ये और फिर फेमिन, उस वक्त लोगों की हालत बिगड़ती है। ये बहुत भाग्यशाली हैं। बरसात ज्यादा होने से लोग मरे हैं। बाकी नरसिंह राव और ये, मैं दोनों को ही कह रहा हूं, देश में पिछले पांच-छह साल बहुत बढ़िया रहे हैं इसलिये कोई मौका ही नहीं मिला। और कांग्रेस वाली आप बात कर रहे हो, कांग्रेस में भ्रष्टाचार हो गया। मैं पूनमचन्द जी से एक बात पूछ रहा हूं। पूनमचन्द जी और हम साथ राजनीति में आये थे। ये 1952 में लोक सभा के उम्मीदवार थे और मैं विधान सभा का था। दोनों ही हार गये वह बात अलग है, भैरोंसिंह जी जीतकर यहां आ गये। उस वक्त ये साफा बांधते थे, अब इन्होंने साफा उतार दिया। इन्होंने दस साल तक साफा रखा था। सुखाड़िया के वक्त भी मैं आपसे कह रहा हूं एक शेरगढ़ में पड़ा था अकाल कोई 1962 में। बाकी तो गोल्डन पीरियड आया है वह। लोगों का कर्जा वर्जा सब उतर गया। एक पीरियड आता है और उस पीरियड में डिफिकल्टी सामने आती है, उस वक्त टैस्ट होता है। यों ही बैठे-बैठे भैरोंसिंह जी को + + +

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता की इस बात से सहमत हूं कि माननीय भैरोंसिंह जी बहुत सौभाग्यशाली हैं और इसी का नतीजा है कि राजस्थान की जनता ने इनको तीसरी बार मुख्य मंत्री बना दिया।

श्री परसराम मदेरणा : अभी पूनम चन्द जी मैप बता रहे थे, जो मैप दिया है 15 सितम्बर को डिप्टी हाइड्रोलोजिस्ट ने, उसमें निश्चित तौर पर सबसे कम बरसात आपकी तहसील केकड़ी में हुई।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता ने, जैसा प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं माननीय भैरोंसिंह जी को तीसरी बार मुख्य मंत्री बनने का मौका दिया। ऐसी राजस्थान की जनता की मंशा को ध्यान में रखते हुए मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि स्थायी और पुख्ता निर्माण कार्यों में जहां कुओं का जल स्तर कम हो गया है वहां कुएं गहरे कराने को प्राथमिकता दी जाए, अपूर्ण एनीकट्स को पूरा कराया जाए। बंधे और तालाब जो

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री शम्भूदयाल बड़गूजर)

क्षतिग्रस्त हो गये हैं उनकी मरम्मत का कार्य करवाया जाए, क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाए। एप्रोच रोड जो एक-दो किलोमीटर की हैं जो किसी नीति में नहीं आतीं, न निर्माण विभाग की नीति में आती हैं न मण्डी समिति की नीति में आतीं, ऐसी एप्रोच रोड को प्राथमिकता दी जाए। विद्यालयों की चारदीवारी और भवन निर्माण का कार्य हाथ में लिया जाए। इसी निवेदन के साथ मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उदयलाल जी।

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अकाल की चर्चा में अपने आपको शामिल करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है फिर भी इसको बरसात का जुआ कहा जाता है। भारत की कृषि बरसात का जुआ है। अगर मानसून हो गया तो खेती होती है अन्यथा काश्तकार मारा-मारा फिरता है। इस बार भी अपने प्रदेश में ऐसा ही हुआ है। राजस्थान में कहीं बहुत ज्यादा बरसात हुई है तो कहीं कमी रह गयी है। उदयपुर संभाग में औसत से भी कम बरसात हुई है। जहां पूरे राजस्थान में अकाल पड़ा है विशेषकर उदयपुर में अकाल की दोहरी मार पड़ी है। कारण एक ही है। पहले की बरसात तो अच्छी हुई, काश्तकार ने अपनी मेहनत, खाद और बीज पूरा लगा दिया लेकिन अन्तिम बरसात नहीं होने से जो फसल तैयार होनी थी वह भी सूख गयी। इससे काश्तकार को इस बार दोहरी मार पड़ी है। इसलिये इसका जल्दी से सर्वे करवाएं, हालांकि पूर्व के सभी सदस्यों ने यह मांग कर ली है कि तुरन्त इसकी गिरदावरी होनी चाहिये। सरकार ने शुरू भी करवायी है, लेकिन कहीं-कहीं अभी तक शुरू नहीं हुई है। तो इसकी गिरदावरी तुरन्त होनी चाहिये और काश्तकारों को जो दोहरी मार अकाल की पड़ी है उससे उबारना चाहिये।

मेरा निवेदन इस सम्बन्ध में यही है कि बरसात हर साल आती है कभी ज्यादा तो कभी कम, इससे निपटने के लिये जो स्थायी काम हैं उन्हें हाथ में लेना चाहिये। हर गांव या पंचायत स्तर पर सर्वे करवाकर छोटे-छोटे तालाब या एनीकट बनाने चाहिये ताकि अकस्मात कभी भी ज्यादा बरसात हो जाए तो तालाबों में पानी रूक सके और कभी कम बरसात हो तो ऐसे मौके पर उसी तालाब के पानी से काश्तकार अपनी सिंचाई कर सके। आशा है इस प्रकार के काम सरकार हाथ में लेगी।

इस साल निम्बाहेड़ा क्षेत्र में काफी कम बरसात हुई है। समय पर बिजली उपलब्ध नहीं होने से काफी ज्यादा नुकसान काश्तकारों को हुआ है। मैं मांग करता हूं कि वहां तुरन्त राहत कार्य खोले जाएं, काम जल्दी शुरू कराये जाएं। साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता

(श्री उदयलाल आंजना)

हूं कि निम्बाहेड़ा, व छोटी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र को काफी अरसे से डार्क जोन घोषित कर रखा है। डार्क जोन घोषित करने की वजह से वहां किसी प्रकार का लोन काश्तकार को नहीं मिल रहा है और जल स्तर काफी नीचे चला गया है। जल स्तर को ऊपर लाने के लिये जब तक पर्याप्त साधन नहीं जुटाये जाएंगे तब तक कोई स्थायी समाधान हम नहीं कर पाएंगे। इस साल सरकार ने एक नयी योजना बनायी है कि हर कुएं के पास में एक खड्डा करके उस खड्डे को भरा जाए और उससे एक पाइप कुएं में डालकर रीचार्ज किया जाए। उसके लिये ढाई सौ रुपये सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। जब सरकार को यह मालूम है कि इस तरह का डार्क जोन हो गया है और जल स्तर गिर रहा है तो क्यों नहीं स्थाई काम के लिये योजना बनाती ? ढाई सौ रुपये के अनुदान से तो काश्तकार को कोई लाभ होगा नहीं। क्षेत्र में सब तरफ सर्वे करवा कर ज्यादा से ज्यादा एनीकट और तालाब बनाये जाने चाहिये। इस वर्ष सबसे ज्यादा मार पड़ेगी पेयजल की। पेयजल की समस्या बहुत ही भयंकर आने वाली है इस क्षेत्र में। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी से सर्वे करवाएं। कोई-कोई गांव तो अभी से इतने परेशान हैं कि वहां पीने के पानी की समस्या विकट हो गयी है। जल स्तर इतना नीचे चला गया है कि चाहे आज आप ट्यूबवैल आरम्भ भी कर दें, हैण्ड पम्प रिपेयर भी करवा दें लेकिन पानी काफी निकल जाने की वजह से हैण्ड पम्प रिपेयर होने के बाद भी वे सूखे ही हैं। जिन गांवों में भयंकर समस्या है पानी की वहां पर ट्यूबवैल के मालिकों से बात करके, अनुबन्ध करके उन ट्यूबवैल्स को सुरक्षित रख देना चाहिये ताकि गर्मी आराम से निकाली जा सके। अन्यथा गर्मी के दिनों में पेयजल की काफी समस्या आएगी। काम तो फिर भी मिल जाएगा लेकिन पानी के बिना आदमी क्या करेगा ? इसलिये ऐसे ट्यूबवैलों को सुरक्षित कर देना चाहिये ताकि पेयजल की समस्या नहीं आए।

अभी सिरोही से आने वाली माननीय सदस्या से निवेदन किया था कि टास्क बेसिस पर काम नहीं होने चाहिये, पर मेरी मांग यह है कि टास्क बेसिस पर ही काम होने चाहिये। अगर टास्क बेसिस पर काम नहीं होंगे तो फर्जीवाड़ा ज्यादा होगा। इसलिये टास्क बेसिस पर काम शुरू करके जो सम्बन्धित अधिकारी है उसको जवाबदेह बनाना चाहिये। गरीब मजदूर अपना काम पूरा करता है लेकिन फर्जी मस्टर-रोल और फर्जी आदमियों को लगाने की वजह से पूरा टास्क बैठता नहीं है और उन गरीबों को मार पड़ती है। इसलिये सम्बन्धित अधिकारी, चाहे जे. ईएन. हो या ए. ईएन. उनको जवाबदेह बनना चाहिये और टास्क बेसिस पर ही काम शुरु करवाना चाहिये, इससे भ्रष्टाचार भी नहीं होगा और पूरे क्षेत्र में काम पूरा हो सकेगा। मुझे समय दिया इसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम रिछपाल नुवाल।

श्री राम रिछपाल नुवाल (भीलवाड़ा) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा, मुझे पहली बार बोलने का अवसर

(श्री राम रिछपाल नुवाल)

मिला इसलिये सारे सदस्यों को धन्यवाद। मैं धन्यवाद देऊगा·+ + + मैं धन्यवाद देऊगा +++ वह अपने बीच में बिराजमान है। मेरा विशेष निवेदन इस बात से हैं। मेरा विषय है अकाल राहत कार्य पर।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया हाउस का प्रयोग हाउस के लिये करिये।

श्री राम रिछपाल नुवाल : मैं पहली बार आया, मैं हाउस, से क्षमा मांग लेता हूं कोई दिक्कत नहीं है। मेरा निवेदन है उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से कि अकाल राहत का कार्यक्रम चलना चाहिये। मेरे भीलवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के अन्दर गुआबड़ी बांध है जो 1994 में टूट गया था, वह पिछले वर्ष भी वह नहीं बन पाया है। वहां पर उसके माध्यम से कोई पिलाई नहीं हो पायी है। पानी उसमें आया नहीं है, बरसात की कमी रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं ---

(17.24)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

कि उसका कार्य जल्दी से जल्दी प्रारम्भ किया जाय क्योंकि वह ऐसा क्षेत्र है जहां पर काफी बड़ी जमीन की पिलाई होती है और इस माध्यम से किसानों को काफी राहत मिलती है। अबकी बार मेजा बांध के अन्दर भी पानी की बड़ी कमी रही है। पहली एक पिलाई केवल दी जा रही है। उसके अन्दर 22 फीट पानी आया है। केवल एक पिलाई के आधार पर 28 हजार एकड़ जमीन उससे पिलाई जायेगी पहले 3 पिलाई हुई थीं अबकी बार केवल एक पिलाई हो रही है। अकाल के माध्यम से इसके अन्दर किसानों को काफी बड़ा नुकसान होगा। मेरा सदन के माध्यम से, अध्यक्षजी के माध्यम से निवेदन है कि मेजा बांध की नहर से जहां हमको तीन पिलाई मिलने वाली थीं एक पिलाई मिलेगी। पानी की अव्यवस्था और बरसात की कमी होने के कारण इसके अन्दर भराव काफी हो गया है। इस भराव को अगर अकाल के काम के माध्यम से थोड़ा-सा निकाला जाए तो इसकी पानी की क्षमता ज्यादा बढ़ सकती है। मेरी 24 पंचायतें हैं वहां पर अबकी बार बरसात की बहुत कमी रही है, किसान बन्धुओं को आपत्ति का सामना करना पड़ रहा है। अकाल राहत के माध्यम से अगर यह सारा कार्यक्रम किया जाए तो उसके अन्दर इनको बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। मैं अध्यक्षजी से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी गिरदावरी की रिपोर्ट आयी नहीं है, गिरदावरी की रिपोर्ट आ जायेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है, हमारे सक्षम मुख्य मंत्रीजी हैं, इस अकाल राहत के कार्यक्रम में बजट की कोई कमी नहीं आने देंगे। बजट की कमी नहीं आएगी तो जिस जिस विधान सभा क्षेत्र के अन्दर अधिक अकाल पड़ा है वहां उसके हिसाब से पैसा लगाया जाये। वहां सारी राहत मिलेगी तो इसका काफी बढ़ा लाभ मिलेगा। जैसा तारा भण्डारी जी

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपंलोपित की गयी।

(श्री राम रिछपाल नुवाल)

ने कहा था कि पिछले समय के अन्दर गड़बड़ हुई है, उस गड़बड़ी को नहीं होने देने के लिये मेरा एक सुझाव है माननीय मंत्री महोदय से, मुख्य मंत्री जी से विधायक के क्षेत्र में, विधान सभा क्षेत्र के अन्दर गुणवत्ता के आधार पर कम्पीटीशन करवाया जाए। यह कम्पीटीशन करवाया जाए कि विधायक के क्षेत्र के अन्दर कौनसा काम गुणवत्ता के आधार पर अच्छा हो रहा है तो इस बात का पता लग जाएगा कि कौन आदमी ईमानदार है, कौन आदमी बेइमान है। सदन के माध्यम से मैं अध्यक्षजी को निवेदन करना चाह रहा हूं कि गुणवत्ता के माध्यम से हर विधायक के साथ में इस अकाल राहत के कार्यक्रम के अन्दर काम हो, चाहे जे.आर.वाई. में हो चाहे अनटाइड फण्ड के अन्दर हो। कौनसा विधायक है, कौनसा प्रधान है, कौन जिला प्रमुख है इसके माध्यम से कम्पीटीशन करवाया जाय। जैसा कई यह बोलते हैं कि हम ईमानदार है, मुझे बहुत बड़ा ताज्जुब लगता है। यह लिखा है "सत्यमेव जयते" बड़ा अचम्मा लगता है, असत्यमेव जयते का काम करने वाले सत्यमेव जयते पर कैसे विश्वास करेंगे, थोड़ा-सा विचार करना चाहिये। मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं। भीलवाड़ा के अन्दर 11 पंचायत प्रधान हैं उसमें, हमारा एक भी प्रधान नहीं था। अबकी बार पहली बार 9 प्रधान भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आये हैं यह हमारे लिये बहुत बडे गर्व का विषय है। पहली बार हमारा जिला प्रमुख बना है। पिछले समय के अन्दर भीलवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के अन्दर कांग्रेस का एक प्रधान था। पांच रोज तक मस्टर-रोल नहीं भरा गया था। मैं गया चैकिंग पर तो मस्टर-रोल खाली थे। उसकी चैकिंग हुई, सचिव को सस्पेण्ड किया गया था और बी. डी. ओ. को चार्जशीट दी गयी। और ये कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, हमारे यहां भ्रष्टाचार का कार्यक्रम नहीं है। मैं इस माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ये ईमानदारी का +++ तो गुणवत्ता के आधार पर आएं कम्पीटीशन कर लें। आज जब हम भ्रष्टाचार का नाम लेते हैं तो ना पक्ष वाले बड़े परेशान होते हैं, घबराते हैं, क्यों ? +++ मुझे पता है इस बात का। मुझे पता है भीलवाड़ा के अन्दर पहली बार, पहली बार आठ एम. एल. ए. में से सात एम. एल. ए. जीते है, एक कांग्रेस का जीता है। जैसे कल हमारे विरोधी पक्ष के नेता-जी बता रहे थे कि अबकी बार हम सफाई कर देंगे और भैरोंसिंह शेखावत मुख्य मंत्री ने कहा था कि आगे दो लोक सभा के चुनाव। मैं सी. एम. साहब को निवेदन करना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले के अन्दर लोक सभा के अन्दर भी इनका सफाया कर देंगे। अभी भी हमने सफाया किया है, नगर परिषद के चुनावों में भी हमने सफाया किया है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें। विराजें आप।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राम रिछपाल नुवाल : मेरा विशेष निवेदन है इस सदन के माध्यम से कि अगर ये विधान सभा के माध्यम से कम्पीटीशन कराएं... (व्यवधान).... इस बात का पता लगेगा कि कौन ईमानदार है, कौन ईमानदार नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : सफाई ? अपने कमरे की सफाई करो झाडू लेकर के।

श्री राम रिछपाल नुवाल : इस बात स्पष्टता का पता लगेगा।

मैं और निवेदन करू आपको, परसों के रोज हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने कहा था घनश्यामजी तिवाड़ी को कि मैं आपकी+ + +यह+ + +स्थान नहीं है।+ + + हमारे शिवचरण जी माथुर, आप उनकी खोदिये।+ + +स्थान तो+ + +में है। यह+ + +स्थान नहीं है। यह तो सदन के अन्दर "सत्यमेव जयते" का नारा दे कर इस काम को करना चाहिये। हमारे भैरोंसिह जी शेखावत आज चैलेंज करते है, पूरे राष्ट्र के अन्दर आज तक कोई भी इनके ऊपर लांछन नहीं लगा सकता। हमारे जो भी मुख्य मंत्री हैं, उप मुख्य मंत्री हैं, ललितजी हैं, हमारे मंत्रियों पर कोई भी चैलेंज करके बताए। हम उनका अनुसरण कर रहे हैं, उनके मार्ग चिन्हों पर चल रहे हैं। जैसी राजा वैसी प्रजा। संस्कार का कार्य ऊपर से प्रारम्भ होता है, निर्माण कार्य नीचे से प्रारम्भ होता है। संस्कार का कार्य करिये....(व्यवधान)... आज राष्ट्र में भयंकर....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करिये।

श्री राम रिछपाल नुवाल : ....संकट है। इस संकट को मिटाने के लिये मेरा विधायकों से निवेदन है कि गुणवत्ता के आधार पर कमपीटीशन करवाइये। कौन बुद्धिमान है, कौन चोर है, कौन भ्रष्टाचार करता है... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये।

श्री राम रिछपाल नुवाल : मैं चैलेंज करता हू।...(व्यवधान)... मैं अकाल राहत के माध्यम से....

श्री अध्यक्ष : नाथू रामजी।

श्री राम रिछपाल नुवाल : अध्यक्ष महोदय, अगर ये+ + +ईमानदारी का तो मैं जानता हूं कि भीलवाड़ा जिले के अन्दर इन्होंने क्या-क्या किया। हमारे निर्दलीय उम्मीदवार रतनलालजी ताम्बी पंचायत के चुनाव के अन्दर गाड़ी से आ रहे थे तो उन्होंने रास्ता रोक लिया। मेरी गाड़ी के कांच फोड़ दिये। ये लोकतन्त्र की दुहाई देते हैं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री उदयलाल आंजना : माननीय सदस्य जो आरोप लगा रहे हैं वह सही बात नहीं है। भाजपा के चेयरमैन ने ही इनका बैनर पकड़ कर... (व्यवधान)

श्री राम रिछपाल नुवाल : भीलवाड़ा जिले के अन्दर उनका घर था। भीलवाड़ा

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राम रिछपाल नुवाल)

जिले के रहने वाले कांग्रेसी थे वे सारे धराशायी हो गये। हमने इनको पंचायत में हरा दिया, जिला प्रमुख के चुनाव में हरा दिया। हमने इनको नगर पालिका में हरा दिया, एक भी नगर पालिका में कब्जा नहीं कर सके। लोक सभा के लिए हम चैलेंज कर रहे हैं, लोक सभा में भी हमारे आदमी ही जीत कर आएंगे।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री राम रिछपाल नवाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर दिया मैं इसके लिये हार्दिक धन्यवाद देता हूं। जय भारत, जय श्रीराम।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अकाल के बारे में चर्चा हो रही है, मैं भी अपने विचार रखूंगा। महोदयजी, डूंगरपुर जिले में इस बार ऐसी परिस्थिति आयी है कि गत वर्षों में जो स्थिति थी उससे भी बहुत भयंकर है। वैसे डूंगरपुर में बरसात लास्ट जून में आयी थी और सितम्बर में चली गयी। लेकिन क्या हुआ कि जब बरसात शुरू हुई तो लोग फसल बोते गये और कम से कम 7-8 दिन बरसात हुई। उसके बाद में पानी के बिना जो दो-दो, तीन-तीन बार बोयी वह सारी की सारी चौपट हो गयी और एक दाना भी पैदा नहीं हुआ। वहां पर खास करके मक्का और चावल पैदा होता है लेकिन इस वक्त में पूजा करने के लिए भी चावल नहीं है, यह हालत हो रही है। मक्का की स्थिति तो बिलकुल इस तरह से है कि जहां-जहां भी पहाड़ों में इस तरह के खेत थे उन खेतों में कुछ भी नहीं उगा है।

एरिया के करीब-करीब सारे तालाब खाली पड़े हैं। मेरे डूंगरपुर एरिया में पगारा का तालाब, फलोद का तालाब, रणसागर का तालाब, सिसोदिया का तालाब, ये सारे के सारे तालाब बिलकुल खाली पड़े हैं। मैं कहता हूं कि कुओं का जल स्तर इतना गहरा चला गया कि बरसात के टाइम भी पशुओं को नीचे कुओं से निकाल कर, हैण्ड पम्प से पानी पिलाया जाता है। आज तो हालत और भी खराब हो गयी है कि किसी भी तालाब में या नाले में पानी नहीं है। लोग मजदूरी के लिये मारे-मारे घूम रहे हैं और गुजरात की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ पलायन कर रहे हैं। श्रीमान्, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि लगातार तीन साल कांग्रेस के शासन में अकाल पड़ा था लेकिन लोगों को पता ही नहीं लगा कि अकाल कैसे निकल गया। अब तो मुश्किल से एक आध अकाल ही पड़े हैं तो भी माननीय सदस्य ऐसे-ऐसे गुण गाते हैं कि हमने यह कर दिया, हमने यह कर दिया। इनसे कुछ होने वाला नहीं है। गांवों में अकाल पड़े हैं, जैसे खेड़ा में पड़ा तो अकाल के काम फलोद में शुरू करवा दिये। इस तरह के काम हुए तो लोग बड़े परेशान हुए। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि कृपा करके इस अकाल के काम में राजनीति नहीं लाएं। जिन जिन क्षेत्रों में जरूरत है वहां पर काम करवाएंगे तभी जाकर के इस अकाल का सामना कर सकेंगे वरना लोग परेशान हो जाएंगे।

(श्री नाथूराम अहारी)

इस महीने के बीच में लोगों ने एक गांव को लूट लिया । थाने के दो-तीन-चार लोग वहां पर पहुचे हैं, ठीक है पर मेरे कहने का मतलब यह है कि हालत यह हो गयी कि अनाज के लिये, घास के लिये, पानी के लिये त्राहि-त्राहि हो रही है । मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी अकाल राहत के काम शुरू करें । अभी टैस्ट वर्क भी शुरू नहीं किये हैं । मैं समझता हूं कि हमारे अकाल राहत मंत्रीजी शायद इस बारे जानते भी हैं और एरिया भी देखा है, भौगोलिक परि-स्थिति भी देखी है .. (व्यवधान) दो मंत्री हैं तो शायद ज्यादा काम करवाएंगे, ऐसा मेरा ख्याल है । इसलिये ज्यादा से ज्यादा काम करवाएं और जल्दी से जल्दी शुरू करवाएं ।

अकाल राहत के अन्तर्गत मजदूर लगाने चाहिये । कांग्रेस राज में जितने मजदूर लगाये थे अगर उतने ही लगा लें—अभी तो संख्या भी बढ़ गयी है, मजदूर भी बढ़ गये हैं पर कांग्रेस शासन में जितने मजदूर लगाये थे उनका रिकार्ड देख कर उसी संख्या में लगा दें तो भी मैं गनीमत समझूंगा । इस अकाल में सीलिंग नहीं लगनी चाहिये, जितनी जरूरत है उतने मजदूर लगें ।

अकाल राहत के अन्तर्गत इस तरह के काम लेने चाहिये जैसे पचायत के अधूरे तालाब, एप्रोच रोड, सार्वजनिक कुए थे उनमें से मिट्टी निकालने का काम अकाल राहत के तहत करवाया गया था, उससे काफी फायदा हुआ था । मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि पुराने सार्वजनिक कुएं हैं उनमें सफाई करवायी जाए, उससे भी लोगों को फायदा होगा । प्राइवेट कुएं ऐसे हैं जिनमें गहराई में पानी है, उनमें ब्लास्टिंग का काम अकाल राहत के मजदूरों को लगा कर करवाना चाहिये जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा काम मिल सके ।

एक बात और है, जहां भी अकाल राहत के काम हो रहे हैं वहां पर अधिकांश यह देखा जाता है कि राजनैतिक भेदभाव किया जाता है और लोग मारे-मारे फिरते रहते हैं । तो कृपया यह आप दया करें कि राजनैतिक दृष्टि से नहीं सोचें । मजदूरों को बिना भेदभाव के लगाया जाए तभी जाकर इसका फायदा हो सकेगा ।

हैण्ड पम्प बिलकुल सूख गये हैं, हैण्ड पम्पों में पानी नहीं है । हैण्ड पम्प युद्ध स्तर पर चालू करवाने चाहिये नहीं तो और भी हालत खराब हो जाएगी ।

इस साल के अकाल को देखते हुए घास की भी व्यवस्था करनी चाहिये । एक बार तीन साल तक लगातार अकाल पड़ा था, आठ आना किलो गन्ना लाकर दिया गया था । इस तरह की व्यवस्था होगी तो मैं समझता हूं कि लोगों को फायदा मिल सकेगा । इस साल कम से कम अनाज की व्यवस्था भी पूरी हो—शक्कर ग्रामीणों को मिले नहीं, कोई बात नहीं पर अनाज की व्यवस्था की जाए ।

(श्री नाथूराम अहारी)

काम ज्यादा से ज्यादा खोले जाएं और समय पर खोले जाएं। जयहिन्द। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री दलीचन्द जी।

श्री दलीचन्द (दानपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज अकाल पर चर्चा हो रही है। मैं जहां तक मानता हूं, जिन सदस्यों को अकाल की पीड़ा है इनको समय नहीं दिया जा रहा है। उनको भी समय दें। मैं अनुरोध करूंगा कि उदयपुर, सम्भाग, जोधपुर सम्भाग और कोटा सम्भाग के कुछ जिले हैं वहां पर इस भयंकर अकाल की स्थिति है। अध्यक्ष महोदय बांसवाड़ा राजस्थान में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। मेरे क्षेत्र में 89 पर्सेंट आदिवासी निवास करते हैं जबकि बांसवाड़ा में 80 पर्सेंट आदिवासी निवास करते हैं। वे सब खेतों पर निर्भर हैं। इस साल एक महीने विलम्ब से 15 जुलाई को बरसात हुई और अगस्त के लास्ट में बरसात चली गयी जिससे सारी फसलें चौपट हो गयीं और किसान आज भटक रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बांसवाड़ा से रतलाम रूट, बांसवाड़ा से सूरत रूट, अहमदाबाद की गाड़ियों पर जाकर देखें, लोग रोड पर ऐसे पड़े हैं कि तीन-तीन दिन तक उनको गाड़ियां नहीं मिलती हैं। उनको रोड पर ही सोना पड़ता है जो मजदूरी के लिये बाहर प्रदेशों में जाने के लिये इन्तजार करते हैं। वहां पर बसों की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में बांसवाड़ा जिले के आदिवासी लोग आज दर-दर भटक रहे हैं। सदन के माध्यम से मैं अकाल राहत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जहां हमारा पहाड़ी इलाका है वहां पानी की इतनी कमी है कि दूर दराज तक कुएं खोदने की स्थिति भी नहीं है। लोगों को पांच-पांच किलोमीटर पानी के लिये जाना पड़ रहा है इस साल पानी के अभाव की वजह से। पानी की समस्या है। इस मामले में मैं पानी की समुचित व्यवस्था करने की मांग करता हूं। इसके साथ ही बांसवाड़ा जिले में पानी के अभाव के कारण घास सुख गयी। घास की इतनी कमी है कि पशु धन को बचाना मुश्किल हो गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जहां-जहां भी वन विभाग के डिपो है, जहां-जहां घास की बाउण्ड्री की वजह से रोक रखा है, अगर घास को कटवा करके डिपोजिट करके घास की व्यवस्था की जाय समय पर तभी पशु धन को बचाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे बांसवाड़ा जिले में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं। 14 से 35 साल के लड़के-लड़कियों, स्त्री-पुरुषों को पढ़ाने की जो योजना है, राष्ट्रीय सरकार ने यह योजना चलायी है, मेरा यह मानना है कि अगर अकाल की ऐसी स्थिति रही और अकाल के कारण दूसरे राज्यों में जो लोग पलायन कर चुके हैं, अगर वे वहीं रहेंगे तो आपका यह साक्षरता कार्यक्रम जहां है वहां धरा रह जाएगा और करोड़ों

(श्री दलीचन्द)

रुपये उस पर बरबाद होंगे। इसके लिये मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि बांसवाडा के जितने लोग मजदूरी पर हैं, उनको अविलम्ब बांसवाडा बुलाकर राहत कार्य खोल कर मजदूरी पर लगाया जाए, ताकि वह राष्ट्रीय कार्यक्रम भी सफल हो जाए और लोगों को मजदूरी भी समय पर मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा निवेदन था कि जे. आर. वाई. में जिला परिषद् के माध्यम से जीवनधारा कुओं की, इन्दिरा आवास की योजना चल रही है उसकी भी समय पर स्वीकृतियां निकाली जाए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। दूसरा, पंचायत समितियों के मार्फत जितने काम हो रहे हैं, अभी चर्चा हो रही थी कि मैजरमैंट के माध्यम से पेमेंट किया जाता है लेकिन पंचायत समितियों के माध्यम से, ऐसा कोई कुछ नहीं है। फिर भी आज वहां पंचायत समिति या किसी भी माध्यम से काम हो रहा है तो वहां लेबर को 15 रुपये से लेकर 20 रुपये तक पेमेंट दिया जा रहा है। आज कहीं पर भी 32 रुपये का पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। वन विभाग और भू-संरक्षण विभाग केवल इन दोनों डिपार्टमेंटों में 32 रुपये का पेमेंट किया जा रहा है बाकी कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो 32 रुपये की रेट दे रहा हो। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस 32 रुपये की रेट का भी खुलासा करें। मजदूर दिन भर प्यासा, तरसा, भूखा मजदूरी करता है, गर्मी में फिर भी उसको सही भुगतान नहीं मिलता है जिससे वह अपने परिवार को निभा नहीं पाता है। इस तरह की मजदूरी खोलने से भी कोई मतलब नहीं निकलता है।

अध्यक्ष महोदय, पहले अकाल राहत कार्यों के माध्यम से बने जितने अधूरे तालाब पड़े हैं, एनीकट्स पड़े हैं, कुए पड़े हैं, उनमें अगर कुछ पैसा लगाया जाए और उन तालाबों, कुओं और एनीकट्स को पूरा किया तो एक पंथ दो काज होंगे, इसमें मजदूरी भी मिलेगी और उन तालाब, एनीकट्स और कुओं का निर्माण भी हो जाएगा। आगे के सालों के लिये यह समस्या हल हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिये आपका बहुत आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री उगमराज जी।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, आज अकाल पर चर्चा हो रही है, मैं भी उसमें अपने आपको शामिल करता हूं। मेरे ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में इस बार दो बार वर्षा हुई और एवरेज के अनुसार बराबर हुई। किसानों ने बीज बोया, फसल खड़ी हुई पर उसके बाद में आखिर में जाकर के बारिश नहीं हुई और फसल नष्ट हो गयी। मेरा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, लोगों के पास 1-1, 2-2 बीघा, 5 बीघा जमीन है। अकाल राहत कार्य जिस प्रकार से 93 में चालू किये गये, पक्के काम किये, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मंत्री महोदय को और राज्य सरकार को कि 93 में इतने बड़े काम, बहुत ज्यादा काम कराये गये। उसी प्रकार से मेरे क्षेत्र में भी काम कराये जाएं।

(श्री उगमराज मेहता)

इसी प्रकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बार वाटर शेड के काम हाथ में लिये जा रहे हैं। मेरे क्षेत्र में पहाड़ों से जो पानी इकट्ठा होता है वह बेकार जाता है। मैंने कई बार निवेदन किया और पी. एच. ई. डी. के एक्स. ईएन को साथ ले जाकर के मैंने एक्जामिन कराया, कि बरांकड के आगे कोठों का नाका है, उसको इस प्रकार से जोड़ा जाए ताकि पांच पंचायतों में पीने की पानी की व्यवस्था हो जाए। मेरा पूरा एरिया फ्लोराइड का एरिया है, इस प्रकार से उन सारे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या का समाधान हो सकता है।

इसी प्रकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दूदालेश्वर महादेव एक बहुत बड़ा पिकनिक स्थान है। वहां आने-जाने का रास्ता नहीं है, बार-बार वहां बारिश में रास्ता कट जाता है। वहां भी इस प्रकार का वाटर शेड बनाया जाय जो टारगढ़ के एरिये की जनता को पीने का पानी पहुंचाया जा सकता है।

डी. पी. ए. पी. के मार्फत जो काम कराये जाते हैं, डी. पी. ए. पी. के पास कोई टेक्निशियन नहीं हैं, मशीनरी नहीं हैं, आदमी नहीं हैं। कई बार जिला परिषद् मीटिंगों में यह बात सामने आयी। गांवों में लोगों में यह बैठ गया कि डी. पी. ए. पी. का मतलब "दारू पीओ और पिलाओ।" डी. पी. ए. पी. के हमारे एरिये में एक करोड़ रुपये खर्च होने हैं, मै माननीय मंत्री महोदय से और उप मुख्य मंत्रीजी से जो यहां बिराजे हैं, निवेदन करना चाहूंगा कि उसका पैसा भले ही दूसरे कामों में लगाए पर डी. पी. ए. पी. के द्वारा एक प्रतिशत भी नहीं। सड़कों में लगाया जाए, पक्के भवनों में लगाया जाए ताकि वह पैसा काम आए। गत साल भी डी. पी. ए. पी. का पैसा लेप्स हो गया। गत वर्ष जिलाधीश महोदय से मैंने निवेदन किया था, मंत्री महोदय भी वहां बैठे थे, इन्होंने भी कहा था कि राज्य सरकार की डी. पी. ए. पी. में जो पैसा है उसका 40-50 प्रतिशत दूसरे कामों में लगाया जाय। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि डी. पी. ए. पी. के पास मशीनरी नहीं है, इसलिये यह पैसा दूसरे कामों में लगाया जाय, विकास के कामों में लगाया जाय। मैं पी. एच. ई. डी. के मिनिस्टर को धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने जिस प्रकार से ब्यावर शहर में पीने के पानी के लिये बड़ी पाइप लाइन बिछाने का काम चालू किया है....

श्री अध्यक्ष : आप थोड़ा अकाल पर ही बात करें।

श्री उगमराज मेहता : अकाल में पीने का पानी भी आ गया।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उसको युद्ध स्तर पर किया जाय और जो 40 लाख गैलन पानी ब्यावर को मिलना है वह जनवरी, 96 में दिया जाए।

हैण्डपम्प के बारे में बात की गयी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने गत वर्ष जिस प्रकार से मार्च महीने में ही हैण्ड पम्प ठीक करने की एक मशीन मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भेज दी थी, उसी

(२००)

(श्री उगमराज मेहता)

प्रकार से इस बार भी पहले ही मशीन भेज दी जाए ताकि हैण्ड पम्प ठीक करने का काम वक्त पर हो जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री जितेन्द्रजी। थोड़ा स्पेसीफिक और शोर्ट करके कहें तो और माननीय सदस्य आ सकेंगे। (व्यवधान).... वह तो सब आ जायेगा, जो लिस्ट दी हुई है पूरी एग्जास्ट करता हूं।

श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में अकाल पर चर्चा हो रही है। राजस्थान में अकाल की स्थिति है। राजस्थान में कहीं दाढ़ है तो कहीं कम वर्षा है, अकाल से राजस्थान की जनता पीड़ित है।

अध्यक्ष महोदय मैं सदन के मार्फत बांसवाड़ा जिले की अकाल की समस्या के बारे में ध्यान आकर्षित करूंगा। बांसवाडा जिला सम्पूर्ण आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी बहुल है और उनका प्रमुख धन्धा खेती है। खेती उनके पास छोटी-छोटी है और इस वर्ष मानसून बहुत देर से आया। काश्तकारों ने खाद, बीज, हर प्रकार से तैयार होकर के खेती की लेकिन मानसून बाद में चला गया जिससे वहां की जनता की सभी फसलें चौपट हो गयीं। स्थिति यह आयी, अध्यक्ष महोदय, कि दीपावली के बाद हर रोज "राजस्थान पत्रिका" या और पत्रिका में खबर थी कि बांसवाड़ा जिले के आदिवासी लोग गुजरात और मन्दसौर पलायन कर रहे हैं और लगातार पलायन में जा रहे हैं। मेरा, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी बांसवाड़ा जिले के आदिवासियों के प्रति उदार होकर राहत कार्य यदि आपने नहीं खोले तो वहां की जनता में असन्तोष फैलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी ध्यान दिलाऊं कि वहां की जनता पर दोहरी मार पडी है। एक तो अकाल की मार है और दूसरी तरफ खाद-बीज जो बोया उसका ऋण भी काश्तकारों के ऊपर है। ऐसी स्थिति में वहां का काश्तकार बहुत पीड़ित है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत इस सरकार पर और इसके अधिकारियों पर आरोप लगाता हूं कि बांसवाडा जिले की जनता को जानबूझकर अकाल में झोंका गया है। धकेल दिया। माही डैम पूरा भरा हुआ था लेकिन वहां के अधिकारियों ने और सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अगर एक भी पानी काश्तकार को मिल जाता तो काश्तकार की सभी फसलें पक जातीं। करीब-करीब आधे जिले की जनता तो सुखी हो जाती और यहां आपके आगे + + + नहीं पड़ता।

अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न चिन्ह हमारे सामने और सदन के सामने है। हालांकि मंत्री महोदय ने कहा कि अकाल पड़ने की सम्भावना है लेकिन अध्यक्ष महोदय, वास्तव में राजस्थान की सरकार

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जीतेन्द्र नीनामा)

अभी तक सोयी हुई है। जनता को भय है कि गये साल हमारे बांसवाडा जिले में अतिवृष्टि से अकाल पड़ा था और सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की थी, कहीं इसी प्रकार की व्यवस्था नहीं करेगी तो हमारा क्या हाल होगा। अध्यक्ष महोदय, वहां अकाल की स्थिति में चारे की भी बहुत कमी है। पशुधन काश्तकार का दूसरा धन है। पुराने जमाने में हमारे बांसवाडा जिले में वन बहुत होते थे और लकडी बेचकर आदिवासी अपना धंधा कमाते थे लेकिन अब न तो पशु हैं और न वन हैं, सिर्फ खेती का धंधा रह गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गत वर्ष ओलावृष्टि भी हुई थी और उसमें भी सरकार ने काश्तकारों को कोई सहायता नहीं दी थी। इसी प्रकार इस अकाल में हुआ तो मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्थान की जनता आपको नहीं बख्शेगी और इसका बदला आने वाले चुनाव में आपको देकर बता देगी।

श्री अध्यक्ष : बिराजें,

श्री जीतेन्द्र नीनामा : अध्यक्ष महोदय, पहली बार खड़ा हुआ हूं। मेरे कुछ सुझाव हैं....

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम,

श्री जीतेन्द्र नीनामा : अध्यक्ष महोदय, सुझाव देने हैं....

श्री अध्यक्ष : और है क्या ?

श्री जीतेन्द्र नीनामा : हां।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, एक मिनट। मुझे पता नहीं। मैं समझा कि बैठ रहे हैं आप। बोलें

श्री जीतेन्द्र नीनामा : इसके साथ ही साथ, अध्यक्ष महोदय, खाद-बीज के बारे में मेरा निवेदन है कि काश्तकार को इस अकाल में दोहरी मार पड़ी है। पहले वाला ऋण अभी तक काश्तकार के ऊपर है, अभी ऋण की वसूली नहीं हुई है। तो मेरा अनुरोध है कि इस अकाल में चालू खाते खर्च में काश्तकारों को खाद-बीज दिया जाए और वसूली बन्द की जाए। दूसरा मेरा निवेदन है कि बांसवाड़ा जिले में माही की और केनाल हैं और वे सर्वेशुदा हैं, उनके एस्टीमेंट्स भी बन गये हैं, इस अकाल राहत में उनको भी चालू किया जाए ताकि वहां के मजदूरों को मजदूरी मिल सके। इसी के साथ समय रहते अकाल की व्यवस्था करें। धन्यवाद,

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम,

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष जी, अभी हमारे वयोवृद्ध नेता श्री पूनमचन्द जी विश्नोई साहब ने फरमाया था कि अगर काश्तकारों को एक आदरा का दिन भी मिल जाए तो हम यह समझते हैं कि फसल अच्छी हो गयी। कहावत है कि 'आदरा पडिया वाह, झौंपड़ी झोला खा। इस साल बरसात बहुत देरी से हुई और आदरा में हुई नहीं। किसी को कहीं एक आदरा कोई मिल गया तो उससे कहीं थोड़ी बहुत हो गयी होगी राजस्थान में।

श्री अध्यक्ष : आपके यहां तो खूब हुई है।

श्री अमराराम : मगर हमारे यहां तो ऐसा हुआ...

श्री अध्यक्ष : 10 दिन तक मैंने देखा है।

श्री अमराराम चौधरी : वही बात कह रहा हूं। और उसके बाद में आदरा जाने के बाद में बरसात हुई। कहा भी है 'बैलारा बायोड़ा मोती निपजे, यदि समय पर कोई फसल की बुवाई होती है तो मोती पैदा होंगे, अच्छी फसल होगी। बालोतरा में एक बरसात, खास तौर से बालोतरा के इर्दगिर्द 14 इंच बरसात हुई एक दिन में, यहां तक कि 75 मकान अभी पड़े हुए हैं। वह बात सही है लेकिन हमारा जो एरिया है, मेरे यहां तो भौगोलिक स्थिति अलग-अलग है। हमारे यहां कभी हजारों मन गन्ना होता था और आपके यहां हम गुड़ भेजते थे। अब भौगोलिक स्थिति चेंज हो गयी। हमारी 20 पंचायतें जरूर समतल हैं लेकिन कुल 68 पंचायतों में से आधे से ज्यादा रेगिस्तानी क्षेत्र है। अभी माननीय श्री पूनमचन्द जी ने फरमाया कि बारबार बोने से समतल एरिया में तो रोड़ हो गयी और रेगिस्तानी एरिया के अन्दर दो चार दिन ऐसी हवा चली जिससे रूख हो गयी। याने उगती बाजरी पर रेत आ गयी। धोरे हैं वे जल्दी सूखते हैं और उसमें कितनी ही बरसात हो असर नहीं होता है, दो-तीन दिन के अन्दर ही वे सूख जाते हैं। तो ऐसी हवा चली कि जिसके कारण बाजरी के ऊपर रेत आ गयी। अब उसके बाद में एक बरसात पूरे क्षेत्र में अच्छी होने के बाद में एक खेत में बरसात हो रही है तो दूसरे में नहीं और दूसरे में हो रही है तो तीसरे में नहीं। यानी कहीं बरसात हो गयी तो एक-दो खेत ठीक हो गये। लेकिन आज मेरे 90 पर्सेंट गांवों की कहता हूं, मैंने तहसीलदार से गिरदावर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि 90 प्रतिशत गांव ऐसे हैं अपने क्षेत्र में कि जहां अकाल है, आप अपने प्रस्ताव दो। तो अब यहां से सरकार के आदेश भी मंजूर होंगे लेकिन, माननीय अध्यक्ष जी, बालोतरा क्षेत्र के अन्दर इस साल भयंकर अकाल है। बालोतरा में उरली तरफ और उसके बाद में बायत् का क्षेत्र है और मेरा जो क्षेत्र पचपदरा है, बालोतरा के आसपास ठीक है। रोड पर आप पधारे होंगे मैंने सुना है कि आप पधारे थे, आपने नदी भी देखी होगी। लूनी नदी में पानी आया है, उससे आसपास के जो कुएं किनारे पर हैं उनमें पानी थोड़ा ठीक हुआ है, पोल्यूशन थोड़ा खतम हुआ है, यह बात सही है लेकिन बाद में एक बरसात नहीं होने के कारण अब ग्वार के अन्दर दो फलियां लगी हैं सिर्फ। अब क्या किसान खाये? चार-चार दफा तो उसने खड़ाई कर दी। खड़ाई कितनी महगी है। 100 रुपया टैक्टर का एक घंटे का लगता है। डीजल कितना महगा है यह भी आप देख रहे हैं। काश्त जो करते हैं उनको पता है कि बहुत मंहगीवाड़ा है। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक गांव मेरा खोकसर है उसके एरिया में तो कुछ नहीं है, सफाचट ही है।

(18.00)

एक बार थोड़ी-सी बरसात हुई उसके बाद

(श्री अमराराम चौधरी)

हुई ही नहीं। कई ऐसे छोटे-छोटे गांव है जहां बरसात हुई ही नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप फेमिन वर्क्स खोलें। मेरा निवेदन फर्स्ट यह है कि कई गांव अभी तक सड़क से नहीं जुड़े हैं, ग्रेवल सड़क से नहीं जुड़े हैं, जहां अपने दैनिक जीवनयापन का सामान नहीं ले जा सकते, हमारी बसें नहीं जा सकती जबकि आज हैलीकाप्टर है, हवाई जहाज है, गाड़ियां हैं सब कुछ है। ऐसे रेगिस्तान क्षेत्र में ग्रेवल सड़क बनायी जाए। ग्रेवल सड़क भी कैसी? आपको फेमिन में अन-स्किल्ड लेबर होते है, वह क्या करते है थोड़ा-सा हुड़ डाल दिया, वह तो रेत के अन्दर, धोरों के अन्दर ही रह जाता है। फिर दुबारा स्वीकृति लेनी पड़ती है। 2025 के अन्दर जो हमारी सड़कें बनी हैं, धोरे के अन्दर एक फुट ग्रेवल डाला गया था आज दिन तक कायम है, मरम्मत भी नहीं करनी पड़ी। ऐसी सड़के बनाओ। कोई भी एक फुट से कम डालेगा उस इन्जीनियर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, यह आप कुछ करिये। आज 48 साल, 50 साल हो गये आजादी के बाद में, अभी गांवों में सड़क से जा ही नहीं सकते। मेरा गांव तरनी है वह डापुण्डा से 8 किलो-मीटर है, चार दफा अर्थ वर्क हो चुका है लेकिन अभी तक ग्रेवल नहीं डाला। ठेकेदार कह रहा है कि, साहब, कैसे डालूं, वहां तो रेत इतनी है कि मेरी ट्रक जाती नहीं है। यह की यह सोडा का हाल है। मिडिल स्कूल में हमें पग जाना पड़ता। ठेकेदार क्या करते हैं, एक मुठ गाड़ी पहले डाला उसको बिछाकरके फिर आगे बढ़ते हैं। यह हालत हमारे रेगिस्तान क्षेत्र की है।

मेर ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां तालाब हैं, बड़े बड़े तालाब हैं –गंगावास का तालाब पूनमचन्द जी को पता है दो साल का पानी रहता है। रेवाड़े का तालाब जहां दो साल का पानी रहता है। ऐसे तालाबों की मर-म्मत कराना भी जरूरी है। इस फेमिन के अन्दर बहुत-से ऐसे समतल एरिया है वहां पर तालाबों को भी आप लें। जो गांव नहीं जुड़े है, जो ढाणियां नहीं जुडी हैं उनको जोड़ने के लिये आप सडकों का काम कराएं, इससे फेमिन के अन्दर लोगों का राहत मिलेगी और कम से कम एक पंचायत के अन्दर आप एक कार्य जरूर खोलें।

मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि कार्ड बना दीजिए और जो गरीब से गरीब लोग हैं उनको पहले लगाइये। मेरे यहां तो सारे ही नीडी है, गांव में सारे बेरोज-गार हैं। उनके यहां कोई डबल क्राप एरिया नहीं जहां कुछ काम करें। मैं यह कह रहा हूं कि जो डबल क्राप एरिया है, जहां कुआं हैं उनको आप मत लगाइये काम पर, हम नहीं जाएंगे। हम तो उन गरीबों को देना चाहते हैं काम जो वाकई में आवश्यकता रखते हैं। इसलिये बाड़मेर क्षेत्र के अन्दर जो अभी श्रीमान पधारें, पहले भी मैंने निवेदन किया कि आप पधारें। बालोतरा के आस पास जो बरसात हुई थी कच्चे मकान थे गिर गये थे। पैसे मिले भी हैं लेकिन आप खुद पधार करके देखें कि बाड़मेर में किस प्रकार का फेमिन है और वहां लोग किस तरह से रहते हैं ढाणियों

(श्री अमराराम चौधरी)

के अन्दर। इसलिये मेरा निवेदन है बाड़मेर क्षेत्र में अकाल राहत के काम खोलें। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री शांतिलाल खोईवाल।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में अकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की स्थिति बड़ी विचित्र है। राजस्थान में एक ही वर्ष में कहीं ओलावृष्टि होती है, कहीं अनावृष्टि और कहीं अतिवृष्टि यह स्थिति अन्य छोटी स्टेट्स में नहीं है। उदाहरण के लिये केरल में देखिये, अदि ओलावृष्टि होगी तो पूरी स्टेट अफैक्टेड होगी। हिमाचल प्रदेश की स्थिति देखिये कही अनावृष्टि है तो पूरे स्टेट पर इफैक्ट होगा। राजस्थान में एक ही वर्ष में तीनों स्थितियां पैदा हो जाती हैं। तीनों ही वृष्टियां हमारे लिये अच्छी नहीं हैं और तीनों ही वृष्टियों में हमें राहत की जरूरत है। जहां तक अतिवृष्टि का प्रश्न है कल विस्तृत रूप से सदन में चर्चा हुई और माननीय मंत्री महोदय ने इसका निस्तारण और निदान करने के लिये बड़े अच्छे ढंग से प्रत्युत्तर दिया लेकिन अकाल की विभीषिका इन सबसे ज्यादा है और ऐसी स्थिति में अकाल राहत कार्य यथाशीघ्र चलना नितान्त आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग स्थिति पैदा हो गयी है। मेवाड़ में विशेष तौर से राजसमन्द और चित्तौड़ और कुछ अंश में भीलवाड़ा में भी बरसात इस कदर कम हुई है कि जो स्थिति आज है वह स्थिति सामान्यतया अकाल के समय में अप्रेल-मई और जून में होती है। आज की तारीख में वहां पर हैण्डपम्प में पानी नहीं है, कुओं में पानी नहीं है। घास पैदा हुआ नहीं है, फसल बिलकुल चौपट हो चुकी हैं और जो लेटेस्ट गिरदावरी हुई है उसकी रिपोर्ट के हिसाब से 75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत फसलों का खराबा हुआ है। यह खराबा इतना हुआ है कि अतिशीघ्र अकाल राहत कार्य शुरू नहीं किये गये तो मेवाड़ के इन जिलों की स्थिति काफी खराब हो जाएगी। क्षेत्र राजसमन्द और चित्तौड़, इसकी स्थिति विशेष तौर से दयनीय है।

श्री अध्यक्ष : उदयपुर को बार-बार क्यों छोड़ रहे हैं आप, दो बार में आपने नाम नहीं लिया।

श्री शांतिलाल खोईवाल : मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, कि चार तथ्य ऐसे हैं जिनके चलते इस वर्ष अकाल की स्थिति है। बरसात अच्छी होने के बावजूद भी चार तथ्यों के कारण वहां अकाल की स्थिति प्रायः बनी रहती है और इसको स्थायी अकाल जैसा क्षेत्र घोषित किया जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वे चार तथ्य--एक तो बीसलपुर परियोजना है, एक घोसुन्दा बांध है, एक हिन्दुस्तान जिंक का प्रतिष्ठान और दरीबा माइन्स है।

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

मैं बीसलपुर परियोजना के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि मूल रूप से बीसलपुर बांध की योजना उस समय इसलिये बनी कि वहां पर पेयजल का सकट था, पेयजल के संकट के निवारण के लिये बीसलपुर परियोजना बनी लेकिन इसके साथ-साथ भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमन्द और उदयपुर क्षेत्र में कैचमैंट एरिया समझ कर यह घोषणा कर दी कि इस क्षेत्र मे किसी तरह के नये बांध नहीं बनेंगे, कोई एनीकट्स नहीं बनेंगे। पिछली बार सदन में चर्चा हुई और चर्चा निष्कर्ष में माननीय मंत्री महोदय ने यह घोषणा की थी कि दो मीटर तक एनीकट्स का निर्माण करा दिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बीसलपुर परियोजना के बारे में कुछ तथ्य निवेदन करना चाहूंगा। जहां तक पेयजल का प्रश्न है बिलकुल ठीक है, पेयजल के सकट के निवारण के लिये कैचमैंट एरिया में बहुत बड़े बांध नहीं बनने चाहिये मैं भी सहमत हूं, लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि बीसलपुर बांध से सिचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिये नहरों का निर्माण किया जा रहा है। एक तरफ आप बीसलपुर परियोजना में नहरों का निर्माण कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमें यह कह रहे है कि आपके यहां काई बड़े बांधों का निर्माण नहीं हो सकता क्योंकि फिर बीसलपुर परियोजना में पानी नहीं जाएगा। तो हमारा पानी बीसलपुर बांध में भेजकर वहां पर नहरों से सिचाई करने के लिये जो आप अनुमति दे रहे हैं और हमें बड़े बांध बनाने के लिए अनुमति नहीं दे रहे हैं, क्या यह राजसमन्द, चित्तौड़, भीलवाड़ा जिलों के प्रति अत्याचार नहीं है? ऐसी स्थिति में मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे यहां कैचमैंट एरिया जो आपने घोषित कर रखा है उस कैचमैंट एरिया के लिये कुछ शिथिलताएं करती जाएं, वहां पर भी छोटे-छोटे बांध बनाये जाएं। हमारे यहां स्थिति यह है कि बनास नदी बह रही है, बनास नदी के दोनों किनारों पर मेरा विधान सभा क्षेत्र है--एक तरफ राजसन्द तहसील दूसरी तरफ रेलमगरा तहसील। दोनों तहसीलों के जो निवासी हैं वे देख रहे हैं कि पानी बह कर जा रहा है लेकिन वहां पर रोकने का कोई साधन नहीं है कोई एनीकट नहीं है, कोई बांध नहीं है। इसके कारण वहां पर पेयजल के लिये कृषि के लिये पानी का जबरदस्त संकट पैदा हो गया है। इस संकट के लिये कौन जिम्मेदार है? यह बीसलपुर परियोजना जो बनी है क्या वह जिम्मेदार है? मैं निवेदन करूंगा, जिस तरह घोसुन्डा बांध बना है, घोसुन्दा बांध का सारा का सारा पानी हिन्दुस्तान जिंक परियोजना जो चंदेरिया में स्थित है उसके लिये उपलब्ध कराया जाता है। इससे उस क्षेत्र में पानी का संकट पैदा हो गया है क्योंकि सारा का सारा पानी वहां उपभोग हो रहा है। बांध के नीचे जहां पहले पानी की बहुतायत थी, पानी की कोई किसी तरह की कमी नहीं थी, आज स्थिति यह है कि वहां के कुएं सूख गये हैं। वहां पर कोई एनीकट्स नहीं हैं उस पानी को रोकने के लिये। वहां पर

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

लिफ्ट स्कीम बनी हुई है, उस लिफ्ट स्कीम से जो सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही थीं वे भी समाप्त हो गयीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि बीसलपुर के नाम पर हमारे पर अत्याचार नहीं किया जाए और हमें भी उस क्षेत्र के लिये छोटे-छोटे बांध निर्माण करने की राज्य सरकार स्वीकृति प्रदान करे।

श्री अध्यक्ष : संक्षिप्त करें।

श्री शांतिलाल खोईवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षिप्त करने की कोशिश कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, जिस विधान सभा क्षेत्र से आप आते हैं, मावली से, मावली की स्थिति भी यह की यह है। मावली में इस बार बिलकुल बरसात नहीं हुई है, पेयजल नहीं है, वहां पर सिंचाई के साधन नहीं है और वहां पर आप अकाल राहत के कार्य तत्काल नहीं खोलेंगे तो उस क्षेत्र की जनता का आखिर क्या होगा? इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अकाल राहत के कार्य खोलें और उस क्षेत्र की जनता को राहत पहुंचाएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन जी।

श्री रामकिशन वर्मा, (रामगंजमंडी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अकाल चर्चा में राजस्थान के साथ-साथ मेरे चुनाव क्षेत्र रामगंजमंडी और कोटा को भी शामिल करने के लिये आपसे निवेदन करूंगा। मैं खास तौर से यह बात कहना चाहता हूं कि पश्चिम राजस्थान में बहुत अधिक अकाल है, बरसात बहुत कम हुई है लेकिन हमेशा जो पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में बहुतायत से बरसात होती थी, इस दफा पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान में शुरू में तो बरसात हो गयी लेकिन बाद में कई दिनों तक वह बरसात हमको तरसाती रही। नतीजा यह हुआ कि पहले दिन बाढ़ आ गयी जिसके अन्दर अमजार नदी में एक गांव का काश्तकार बह गया, उसकी मौत हो गयी। बाद में किसान अपनी हल-पुली को लेकर के सोचते रहे कि हम हमारी जमीन में हल चलावें, पुली चलावें, अनाज करें, पैदावार करें लेकिन बरसात के दर्शन करने को भी तरस गये। जिस इलाके के अन्दर 36 इंच से 40 इंच वर्षा होती थी वहां 12 से 16 इंच बरसात हुई है। क्या हाल होगा उस इलाके का? मेरा खास तौर से निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि वह गरीब इलाका है--रामगंजमंडी का क्षेत्र, चेचट क्षेत्र, कुण्डाल का इलाका। वहां के जो गांव हैं उन गांवों में सिंचाई के आज तक कोई साधन उपलब्ध नहीं हैं, बिजली हम दे नहीं सकते। कुओं में पानी नहीं, उनका स्तर इतना नीचे गिर गया और बरसात ने हमको हमेशा के लिये तरसा दिया। आज उन लोगों की ऐसी दुर्दशा है कि वे अपना पेट भरने के लिये एक दूसरे को निहारने लगे हैं। मेरा

(श्री रामकिशन वर्मा)

सीधा राज्य सरकार से एक आग्रह है कि जल्दी से जल्दी वहां पर गिरदावरी करावें। जो लोग वास्तव में 80 फीसदी तक अकाल की चपेट में हैं उनको तो तत्काल राहत दिलावें और बाकी लोगों को राहत दिलावें, वसूलियां रोककर सहकारिता से उनको ज्यादा से ज्यादा ऋण दिलावें ताकि वे अपना जीवन यापन कर सकें। मैं उस क्षेत्र की बात कर रहा हूं जो रामगंजमण्डी क्षेत्र हाई-वे से लगा हुआ है कोटा से चालू होता है। कोटा से चालू होने के बाद कछार का इलाका, मण्डाना क्षेत्र, रांवताका स्टेशन, इन इलाकों के अन्दर खास तौर से मण्डरगढ़, गोपालपुरा, घोबरा में पीने के पानी का अभाव है, हैंडपम्प खराब हैं। रामगजमण्डी की बात आपसे निवेदन करूंगा, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी यहां पर विराजमान हैं। येजब आपकी जगह पर बिराजमान थे, अध्यक्ष थे तो इन्होंने दौरा किया था। जिस रामगंजमण्डी में पूरे राजस्थान में नाप-तौल कर, आपके मापदण्ड के अनुसार 50 प्रतिशत पीने का पानी मिलना चाहिये था वहां 23 प्रतिशत पानी मिलता था। आपने भी सिफारिश की, उसके बावजूद लोगों ने उसको उस तत्परता से नहीं लिया। इसलिये मैं इस बात के लिये आपसे आग्रह करूंगा कि पीने के पानी की व्यवस्था के लिये अभी से चाहे पंचायत समितियों को विशेष अधिकार दें या पी. एच. ई. डी. को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दें ताकि पीने के पानी की व्यवस्था तो पूरे इलाके में हो सके और जो स्टेट पीरियड के तालाब थे उन तालाबों के लिये अलग से पंचायत समितियों के माध्यम से, डी. आर. डी. ए. के माध्यम से या अनुदान के माध्यम से पैसा दें ताकि उन तालाबों का रख रखाव, उनकी खुदाई ढंग से हो सके और आने वाले समय में जब उधर से बरसात होती है तो उस बरसात के पानी को हम इकट्ठा कर सकें, रोक सकें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : रामगंजमण्डी में खदानों में पानी है या नहीं?

श्री रामकिशन वर्मा : उप मुख्य मंत्री महोदय, मैं आपकी बात से असहमति नहीं रखता, पानी है लेकिन उस पानी के बावजूद भी वह पानी पीने लायक नहीं है। पी. एच. ई. डी. वालों ने ऐसा कोई यन्त्र वहां नहीं लगाया जो पानी को फिल्टर करके या फिल्टर प्लाण्ट लगाकर के लोगों को उपयोग में पानी दे सके। मैंने पिछली बार आग्रह किया था, निवेदन किया था हमारे पी. एच. ई. डी. मंत्री जी से भी, आपसे भी और राज्य सरकार से भी कि अगर खदानों का पानी नहाने के लिये, जानवरों को पिलाने के लिये अलग से पाइप लाईन डाल कर दे दिया जाए तो जो पानी है वह हमको ज्यादा पीने के उपयोग में मिलेगा।

इसी क्रम में मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा कि कोपर डैम, जिसकी बार-बार मैंने आपने शिकायत की थी उसके अभी तक गेट नहीं रूके। अगर आज भी पानी नहीं रूका तो इस दफा मार्च के महीने में ही पानी के लिये त्राहि-त्राहि हो जाएगी। तो मेरा आपसे आग्रह है, मैं राज्य सरकार से यह उम्मीद करूंगा

(श्री रामकिशन वर्मा)

कि संवेदनशील बनकर इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत दिलावें। अकाल कोटा में, बारां में, मण्डी में, पूरे झालावाड़ में, सांगोद में, सब जगह है। अटरू, बारां और हमारे छबड़ा-छीपाबड़ोद में भी है, शाहबाद में भी है और आपसे निवेदन है कि इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देकर आम जनता को, गरीबों को राहत दिलाने का कष्ट करें। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

डा. शंकर मानुदा (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि चर्चा में आया है, दक्षिणी राजस्थान में भयंकर अकाल है। अकाल की स्थिति से निपटने के लिये सरकार निश्चित रूप से तत्पर है, ऐसा आभास जिला स्तर पर और निचले स्तर पर प्रवास के दौरान मैंने महसूस किया और मैंने पाया कि गिरदावरी समुचित तरीके से सम्पन्न की गयी है और उसको आगे भेजा गया। उसकी स्थिति यहां पर राज्य सरकार के लेवल पर प्रोसेस हो रही होगी और मुझे विश्वास है कि अकाल की स्थिति को देखते हुए जल्दी से जल्दी राहत कार्य खुलवाने का प्रयास किया जायगा।

अकाल से निपटने का सरकारी मशीनरी का अनुभव राजस्थान में पुराना है और धीरे-धीरे परिष्कृत होते-होते आज निश्चित रूप से उसमें सुधार आया है। पहले जो स्थिति कामों की थी वैसी आज नहीं है। आज लोग भी जागरूक हैं और काम की गुणवत्ता भी पहले से बेहतर है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। यह ग्रामीण स्तर पर जाकर और जहां काम हो रहा है वहां मौके पर जाकर देखा जा सकता है और समझा जा सकता है। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि प्राकृतिक प्रकोप से तो हम अच्छी तरह से निपट रहे हैं और निपटेंगे लेकिन जो मैन मेड कैलेमिटीज है, जैसे कि हमारे राजसमन्द से आने वाले माननीय विधायक ने फरमाया था कि Chronic famine was caused by human interferences. हमारे मेवाड़ क्षेत्र में, दक्षिणी राजस्थान में, विशेष कर उदयपुर सम्भाग में जो क्रोनिक फेमिन क्रिएट किया गया फाल्टी डिसीजन, फाल्टी प्लानिंग की वजह से उसमें हम लोग ज्यादा त्रस्त हैं। अकाल हर साल नहीं पड़ता लेकिन उस समस्या से हम हर साल और हमेशा पीछा करते आ रहे हैं और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी जूझना पड़ेगा। उसमें मैं चाहूंगा कि माननीय सिंचाई मंत्री महोदय मेरा जो निवेदन है उसकी तरफ विशेष ध्यान देंगे।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो ह्यूमन इंटरफियरेंस हो रही है वह दो तरह की है। वृहत स्तर पर हम कह सकते हैं बीसलपुर डैम, मेजा फीडर, मेजा डैम और घोसुण्डा डैम। जैसा फरमाया, ये डैम तो बने हैं लेकिन इनके कैचमैंट एरिया के डवलपमेंट का प्लान कोई ढंग से नहीं बनाया गया। इस वजह से डैम के नीचे की स्थिति सुधरने वाली है या सुधरेगी या सुधर रही है, लेकिन डैम का जो कैचमेंट एरिया है वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ रही

(डॉ. शंकर मानुदा)

है दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। उसका एक उदाहरण....

श्री देवीसिंह भाटी : मैं आपकी बात से सहमत हूं। कृपया आप अपने थोड़े सुझाव भी दें तो निश्चित रुप से इसमें प्रयास किया जाएगा। (व्यवधान)

डा. शंकर मानुदा : सुझाव जरूर निवेदन करूंगा।

पहले मैं मातृकुण्डिया डैम के मामले में निवेदन करूंगा कि इस डैम से एक फीडर कपासन की तरफ खोल दिया जाए, इसमें कोई टैक्नीकल प्रॉब्लम भी नहीं है। जो गेट खुलते हैं, जो मातृकुण्डिया डैम के खेड खुलते हैं उसी लेवल पर फिल्टर बनायी जा सकती है। फिल्टर पहले बनी हुई है लेकिन नदी के करीब कुछ फासले पर वह बनी हुई है। नदी और उसके बीच में कुछ एरिया खुदा हुआ नहीं है, इस वजह से फीडर में आगे का बहाव का पानी जाता है, नदी का पानी नहीं जाता है। उस फीडर को डैम से जोड़ दिया जाए। जोड़ने के बाद में भी डैम में से हम पानी नहीं लेंगे अगर आपके मेजा डैम की भराव क्षमता पर असर आएगा। ऐसी उसमें कोई बात नहीं होगी क्योंकि जो ओवरफ्लो का पानी है वहीं हम लेना चाहते हैं। अगर इस प्लान को एग्जीक्यूट कर दें तो जैसे हमारे राशमी का तालाब है, गंगरार विधान सभा क्षेत्र में हिडोली, कपासन, दमाना, भोपालसागर, यह सारा एरिया जिसमें करीब 100 गांव हैं, वे एक तरह से तिर जाएंगे। खाली बहाव का पानी लेना चाहते हैं, मंत्री महोदय, इसमें विशेष तौर से आप ध्यान दें। एक तो यह सुझाव है।

दूसरा, हमारा एक चंगेड़ी नाला है बड़गांव डैम पर, बड़गांव डैम माननीय स्पीकर महोदय के क्षेत्र में आता है। बड़गांव डैम से आपके सात गांव सिंचित होते हैं और कपासन विधान सभा के करीब 40 गांव सिंचित होते हैं। वह तालाब अक्सर खाली रहता है। उसका कारण है, उसके ऊपर एक और बांध बनाया गया बल्लभनगर, इस वजह से उस बांध की भराव क्षमता पूरी नहीं हो पाती और अनयूज्ड कैपेसिटी उसकी पड़ी हुई है। उस अनयूज्ड कैपेसिटी को अगर यूजफुल बनाया जाए। एक नाला उसके पास से निकलता है, वह उसी का है। (व्यवधान) उसमें बाधा वही आ रही है, आज अल्टीमेटली हर जगह बाधा वह आ रही है, उसका इलाज लास्ट में बताऊंगा। I am proceeding point by point. जैसा कि स्पीकर महोदय भी एग्रीड होंगे मेरे से, चगेड़ी नाले को थोड़ा-सा काटकर इधर मोड़ना है, उसको अगर नदी में डाल दिया जाए तो यह कैचमैंट एरिया में आ जाएगा। मामूली खर्चा है, कुछ लाख का खर्चा है, ज्यादा लम्बा-चौड़ा काम नहीं है, तो यह अनयूज्ड कैपेसिटी है तालाब की, वह काम में आएगी और उससे मेरे करीब 40 और आपके सात गांवों की सिंचाई होगी।

इसी तरह से मेरा निवेदन है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है तालाब का उसके

210

(डा शंकर मानुदा)

सम्बन्ध में। इस साल हमारे यहां अकाल दो तरह से पड़ा है। एक तो फेमिन में बरसात कम हुई और एक उस तालाब से पानी जब छोड़ना चाहिए था, जब फसलें सूख रही थीं उस वक्त बिना बात का झगड़ा पैदा किया गया। अवांछित लोगों ने वहां पर जाकर कहा कि पानी नहीं छोड़ने देंगे, यह नहीं करने देंगे, वह नहीं करने देंगे। मात्र सात गांव है, सात में से भी एक गांव है जो ज्यादा बदमाशी करता है हालांकि उनको इंस्टीगेट किया गया, इस वजह से वे इस तरह से हुए। और अल्टीमेटली हुआ यह कि जिला प्रशासन बीच में आ गया और जिला प्रशासन के बीच में आने के बाद तो होना ही था। उनका किसानों की प्रोब्लम से रैपो हो नहीं सकता, वे समझ नहीं सकते और बीच-बीच में दुनिया भर के घोंचेबाजी डालकर हमारी सारी फसलें सुखा दीं—भगवान ने सुखायीं वह अलग और 40 गांव इस डैम से पानी नहीं मिलने की वजह से सूख गये तालाब में पानी होते हुए भी। यह बड़ी दुःख की बात है, मेरे मन में बहुत पीडा है इसकी इस लिये मैं राजनीतिज्ञों से और विशेष रूप से जिला अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि भविष्य में किसानों के मामले में इस तरह का हस्तक्षेप नहीं करें। कोई उसका नहीं है कोई मेरा नहीं है, सब अपने किसान हैं। सबको बराबर पानी मिले, ऐसा भाव मिले, ऐसा मेरा विनम्र निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। समय मेरे पास लिमिटेड है।

डा. शंकर मानुदा : मुझे पूरा करने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : अभी काफी बोलने वाले हैं, थोडा-सा जल्दी। मैं नहीं मना कर रहा कि अच्छा नहीं बोल रहे।

डा. शंकर मानुदा : इसके अलावा एक योजना, आपके फायदे की बात बोल रहा हूं, महोदय।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मेरे फायदे की नहीं, समय की बात हो रही है। आप जल्दी करें।

डा. शंकर मानुदा : आप इसको अन्यथा नहीं लें। मैं किसानों के हित में बोल रहा हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : कॉमनइंट्रेस्ट है।

डा. शंकर मानुदा : कुछ कामन और कुछ अनकामन, दोनों तरह के हैं।

इसके अलावा एक डैम और है सेण्ड्याड़ा नेन्याडी का तालाब, छोटा-सा डेबरा, उसके पास में कुएं आप अगर देखें। मैं बचपन में छोटा था तब कुएं में झांक जाओ तो चक्कर आये और नीचे गिरे, इतने गहरे कुएं थे। मारवाड़ में होते होंगे कुएं ऐसे लेकिन मेवाड़ में कुएं 25 हाथ पर, 20 हाथ पर होते थे। 60-70- हाथ, 80-80 हाथ तक गहरे कुएं थे वहां उस गांव में, उस गांव में तालाब बनाने की योजना बनायी। उस योजना पर काम चालू हो गया, मिट्टी डल गयी। लाखों रुपया खर्च हो गया। हर फेमिन में पैसा खर्च होता था, पिछले फेमिन में भी 5 लाख रुपया उस पर खर्च हुआ। लेकिन उस बांध के

(डा. शंकर मानुदा)

लिये जब आपसे निवेदन करते हैं कि आप बना दीजिये तो आप कहते हैं बीसलपुर डैम । महोदय, जहां इतना गहरा पानी, पीने का पानी नहीं, खेती के मामले में गांव बिलकुल सूखे, शादियां नहीं होती थीं उस गांव में, फिर भी हम यह कहें कि बीसलपुर को तो पानी देना है, आपके यहां तालाब नहीं बनेगा तो मैं किस मुंह से उनके पास जाऊं ? आप मुझे यह समझा दें । इस बीसलपुर पर कुछ लगाम लगाओ । बीसलपुर के खुद के लोग दुखी हैं, वे खुद उसको तोड़ रहे हैं, फोड रहे हैं, फिर क्यों पैसा वहां पर बर्बाद करना चाहते हैं, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कुछ इसमें करिये, अब आप सक्षम है । आप डैमिंग मिनिस्टर है, you can definitely do it. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ।

इसी तरह एक डैम है मेहरदा । मेहरदा डैम बहुत अच्छा बना हुआ है, खाली उसको एक फीट ऊंचा कर दिया जाए । दो फीट भी हो सकता है, तीन फीट भी हो सकता है । उसकी कैपेसिटी ऐसी है, खाली उसको रेज कर दिया जाए । पाले रेज करने की बात है उसकी ओवरफ्लो को रेज करना है उससे उसकी कैपेसिटी काफी बढ़ जाएगी । उसके नीचे पूरा सूखा एरिया है । अभी पीने के पानी की, हर तरह की प्राब्लम है लेकिन उसमें भी कहते हैं बीसलपुर, तीन फीट ऊंचा नहीं कर सकते । अब यह विकट समस्या है, मेरे लिये एकदम से डिफेन्सिव पोजिशन है । गांव वालों के सामने मैं बड़ा सकुचाकर पेश आता हूं और एकदम से नाजुक स्थिति मेरी बन जाती है । आप मेरी कोई रेमेडी सुझाएंगे, मुझे कोई संदेह नहीं है ।

इसी तरह संगेसरा डैम है हमारा अगर संगेसरा डैम बन गया कपासन के पास-वैसे बड़ी सादड़ी एरिया में बनेगा उसका डैम लेकिन जो पिलाई होगी उससे वाटर टेबल ऊंचा होगा । पूरा कपासन विधान सभा क्षेत्र और चित्तौड़गढ़ विधान सभा का कुछ एरिया उसमें आएगा जो कि क्रोनिक फेमिन से पीड़ित एरिया है । उसमें क्या दिक्कत है, बीसलपुर तो बीच में है ही, उसके अलावा घोसुण्डा डैम बना तब भी कहने लगे, नीचे बन गया फिर ऊपर क्या जरूरत है । यह भी हुआ, हालांकि उसको तो फिर बाद में अमान्य कर दिया लेकिन नये तरीके से पेश किया उस तालाब को । मैं क्रोनिक फेमिन की बात कर रहा हूं । उस फेमिन पर काफी चर्चा हो चुकी है, उस पर ज्यादा बोलने से कोई लाभ नहीं । जिससे लाभ हो सकता है वह निर्वहन कर रहा हूं । अगर यह संगेसरा डैम बन गया तो मेरा जो पूरा सूखा एरिया है, कपासन में जो सूखा एरिया है वह सारा का सारा एलिमिनेट हो जाएगा । हजारों एकड़ में अनाज पैदा होगा, एरिये में खुशहाली आएगी । लोगों के पास पैसा होगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी । बच्चों की पढ़ाई होगी, सब कुछ आगे बढ़ेंगे । संगेसरा डैम से एक और फायदा है, इस बात पर विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा आपका । संगेसरा डैम अगर बन गया तो, जैसा कि गंगरार से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, चित्तौड़

(डा. शंकर मानुदा)

में बार-बार फ्लड आती है। इस डैम का प्लान भेजा इंजीनियर्स ने उसमें यह बात खास तौर से लिखी कि चित्तौड़ में फ्लड कन्ट्रोल में इसका रोल होगा। फ्लड इससे कन्ट्रोल होगा, फ्लड कन्ट्रोल करने में यह डैम हमारी मदद करेगा। इसी बहाने इसको बना दीजिये। कोई भी बहाना लीजिये लेकिन इस तालाब को बनवा दीजिये ताकि मेरे क्षेत्र में लोगों को राहत मिले।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

डा. शंकर मानुदा : यह तो हुई बीसलपुर डैम की बात। एक टैक्नीकल एडवाइस जो मैं कम्पीटेंट नहीं हूं लेकिन मैं जानकारी करके आपको निवेदन करना चाहता हूं। जैसा कि हमारे एक्स. ईएन. ने मीटिंग हुई थी पिछली विधान सभा के दौरान तब कहा था कि अगर बीस प्रतिशत पानी बीसलपुर डैम के कैचमेंट एरिया के लोकल यूज के लिये रख दिया जाए, तो जितने भी प्लान प्रोजेक्ट्स है एक्जिस्टिंग, वे सारे क्लीयर हो सकते हैं। यह कैबिनेट में ले जाएं। कैसे होगा, क्या होगा, यह आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर इसको कर दें। यह पालिसी डिसीजन लेना पड़ेगा, महोदय। दो मीटर एनीकट बनाने से, हैफहैजर्ड डिसीजन से, उससे काम नहीं चलेगा, इसमें कनकरीट पालिसी डिसीजन लेना पड़ेगा। बीस प्रतिशत कैचमैंट एरिया का पानी लोकल यूज के लिये उनको दे दिया जाए तो यह सारा एरिया सरसब्ज हो जाएगा सारे प्रोजेक्ट्स क्लीयर हो जाएंगे। अपनी पार्टी का, विशेष तौर से आपका नाम होगा, मेवाड़ के लोग आपको सदियों तक याद रखेंगे।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, कृपया बिराजें।

डा. शंकर मानुदा : एक निवेदन और है। अन्तिम निवेदन है, आपसे सम्बन्धित भी है थोड़ा। मैंने निवेदन किया कि क्रोनिक फेमिन का कारण एक तो वृहत स्तर पर था, एक लोकल लेवल पर भी बिकाज आफ ह्यूमन इन्टरफियरेंस वह हो रहा है। हमारे जिला कलक्टर महोदय ने एक निर्णय लिया उसके तहत सब तालाबों में कहीं पांच फीट, कहीं छह फीट, कहीं पूरा तालाब रोक दिया। पानी नहीं जा सकता। किसलिये? पीने के पानी की समस्या। अब पूरा का पूरा गांव वहां पीने के लिये जाएगा। गांव वालों को पशु समझ रखा है? हम वहां से पानी पियेंगे? उनके पास कोई सिस्टम तो है नहीं पानी उठाने का। अगर वहां से पानी ड्रा करते हों-घोसुण्डा डैम से, कपसान डैम से, डिण्डोली डैम से या किसी डैम से पानी लेते हों, और ड्रा करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हों, जैसा पिछोला से होता है उदयपुर में तो तो बात समझ में आती है कि इस तरह से उनके पानी को रोका जाए। लेकिन महोदय, यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि खाली पानी को भरा रखने के लिए छोड़ देना कहां की बुद्धिमत्ता है। मेरा निवेदन है कि पुराने लोग, मेरे पिताजी खास तौर से कहा करते थे कि जब तक सेंक्च्यों बरसात नहीं होती, सेंक्च्यों का मतलब वाइड रेन नहीं होती तब तक वाटर टेबल ऊंचा नहीं आयेगा। रेतीली जमीन का अलग से हिसाब है, जैसे नदी किनारे जमीन का अलग से हिसाब है लेकिन हमारे पहाड़ी जमीन

(डा. शंकर मानुदा)

का यह हिसाब है कि जब तक वाइड रेनफाल नहीं होगा तब तक वाटर टेबल ऊंचा नहीं आयेगा । भले ही तालाब में कितना ही आप पानी रख दो, तालाब के नीचे के कुंए का पानी टूट जाता है । खुद कपासन तालाब में वाटर वर्क्स का कुआं है, वह तालाब भरा रहता है तब भी उसमें पानी टूटता है यह हकीकत है । वाइड रेनफाल से जो पोर्च है लैण्ड के, उससे पानी सब जगह से जाएगा, जब कि थोड़े से एरिया से कितना पानी चला जाएगा ? जितना छेद है उतना ही जाएगा । उसके अलावा नीचे एरिया कैसा है, जमीन कैसी है । मल्हा है वहां, मल्डे की जमीन में पानी नीचे नहीं उतरता, चौकड़े भरे रहते हैं । यह पानी खाली उड़ता है, वेस्ट होता है । इस तरह से नॉन सांइटिफिक डिसीजन ब्यूरोक्रैसी के द्वारा लिये जाते हैं खाली हीयर-से के आधार पर या फाल्स टैक्नीकल ऐडवाइज जैसा उन्होंने कहा कि पी. एच. ई. डी. वालों ने कहा । पी. एच. ई. डी. वालों से पैसे लीजिये इसके कि पानी कितना क्या जायेगा, क्या होगा । उनके पास कोई डेटा है, उनके पास कोई रेकार्ड है जिसके आधार पर कह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें ।

डा. शंकर मानुदा : इस तरह के फाल्स नोशन्स की वजह से, क्या नुकसान होगा, मैं बताता हू । महोदय, मैंने इरिगेशन इंजीनियर को बुलाकर एस्टीमेंट कराया है, तीस लाख का नुकसान कपासन, में तीस लाख का नुकसान गंगरार में, दो करोड़ का नुकसान भूपालसागर में और पांच करोड़ का नुकसान मोकन डैम पर । खाली मेरे विधान सभा क्षेत्र में साढ़े सात करोड़ का नुकसान करने पर तुले हुए हैं । मेरा निवेदन है कि पिछले साल फेमिन में हमने काम चलाये, साढ़े सात करोड़ के काम चलाये । साढ़े सात करोड़ हम छीन लेंगे किसानों से ? साढ़े सात करोड़ के काम आगे जैसे काम चलते हैं आपन जानते हैं, उनको ड्रेन में बहा देंगे । उससे क्या फायदा होगा उस पर विचार करें और इस तरह के फाल्टी डिसीजन नहीं लेने दें, ऐसा मेरा आपसे विनम्र निवेदन है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण जी ।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आज बहुत ही संवेदनशील विषय अकाल पर जो बोलने में ही भय लगता है, चर्चा हो रही है । जोधपुर जिले में एवरेज बरसात, यदि हम नक्शे में देखें तो इस साल बहुत ज्यादा हुई फिर भी अध्यक्ष महोदय, जो पहली बरसात हुई वह खारी बरसात थी । लोगों ने पहली बरसात में बुवाई की । हमने देखा तीन रोज के बाद में घाव उग जाते हैं, घाब नहीं उगा । चौथी बार के अन्दर बरसात हुई और तीन-चार बार बुवाई के बाद बाजरा, मोठ, ग्वार वगैरह उन्होंने बोयी अमूमन जेठ और आषाढ के महीने में मारवाड़ के अन्दर यदि बुवाई हो जाती है तो उस वक्त में बाजरा होता है, सावन के महीने में बोया हुआ बाजरा पीला पड़ गया । पीला पड़ने के बाद में अध्यक्ष महोदय, अभी सितम्बर के लास्ट के अन्दर झोला चला । झोला, जैसा कि आदरणीय हमारे वयोवृद्ध

(श्री रामनारायण डूडी)

पूनमचन्द जी साहब ने फरमाया है, वह सवा हाथ जमीन के अन्दर चलता है। पानी में भी पशु को सुखा देता है, इतना उसका असर होता है। तो उस पूरे के पूरे मारवाड़ के अन्दर और जोधपुर जिले में हमारे काश्तकारों की जो फसल थी- वह चाहे बाजरा हो, चाहे मोठ हो, ग्वार हो, वह चौपट हो गयी। उसके बाद अभी और बरसात हो गयी, जैसा कि किसी ने कहा है - होई साख बिगाड़ दे, कातिक-फाल्गुन मेह। कातिक के दिनों के अन्दर बरसात हुई तो जो भी था वह काफी नष्ट हो गया। ऐसी हालत में, अध्यक्ष महोदय, आज लोगों के सामने बहुत ही विषय स्थिति है। लोग दीवाली के बाद मजदूरी के लिये दूसरी जगह निष्क्रमण कर रहे हैं। बरसात ज्यादा होने पर भी नाडी, तालाब वगैरह में पानी जितना आना चाहिये था, क्या पता किस प्रकार से, आज हमारे वाटर लेवल नीचे चला गया, ओपन कुओं के अन्दर पानी नहीं। लोग आज भी ट्रैक्टर पर, ट्रैंकरों से सप्लाई कर रहे हैं, और एक-एक टैंकर के दो-दो सौ रुपये लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसी हालत में अति लाजमी हो जाता है इस संवेदनशील सरकार के लिये। हमारे युवा अकाल राहत मंत्रीजी जिनके हाथ में यह पोर्टफोलियो है, उनका पहले का हम अनुभव देखते हैं तो ये शताब्दी रेल की भांति दौड़ते तो खूब हैं। लास्ट ईयर जहां-जहां फेमिन था, अपने एरिया में इन्होंने क्या कुछ कर दिया होगा, हमें मालूम नहीं मगर हमारे पश्चिमी राजस्थान में जिस प्रकार के काम लेने चाहिये थे कंस्ट्रक्टिव, पक्के, नाड़ियां, तालाब और सड़कों के, उन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा।

मैं, मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर अकाल थोड़ा बहुत पड़ता ही रहता है। पच्चीसे-छब्बीसे के अकाल का थोड़ा-सा पीछे जाकर मुआयना कर लें, आज कितनी सड़कें वगैरह बनी हैं? हमारे चतुर्वेदी जी सड़क नीति बनाकर आपको सड़कों के अन्दर घुसने नहीं देंगे। आप गांव में कोई काम खोल नहीं पाओगे। एनीकट का, देवीसिंह जी भाटी सिंचाई डिपार्टमेंट वाले बिराजमान हैं, पीछे से कह देंगे कि हम बंधे लेंगे नहीं। आखिर आप कौन-सा तरीका अपनाकर उन लोगों को मजदूरी देना चाहते हैं? आप पक्के काम खोल देंगे कि स्कूल का एक कमरा बन गया, जे. आर. वाई. के अन्दर बना रहे हैं 15 मजदूर, 10 मजदूर और 4 मजदूर। वह भी सरपच की एक परमानेंट लेबर होती है जहां कोई दूसरा किसी प्रकार का मजदूर नहीं लगता है। तो मेरा निवेदन है कि आप विस्तृत रूप से सड़कों के काम खोलिये। आज, चतुर्वेदी जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कि आपने न तो कोई लेबर लगायी हैं और जो बारहमासी काम होते थे वे भी बन्द कर दिये। सड़कों की पटरियां टूटी हुई पड़ी हैं और बहुत ही भयावह स्थिति सड़कों के मामलों में पैदा हो रही है। सड़क और पटरी का लेवल इतना ऊंचा होता है कि थोड़ी-सी गाड़ी डिगी और एक्सीडेण्ट। मुझे बताइये आप, कितने एक्सीडेण्ट इस तरह से होते हैं? सड़कों की आप क्यों नहीं रिपेयर कराते हो? आपने जनसंख्या

(श्री रामनारायण डूडी)

का सेंसर लगा दिया कि इतनी जनसंख्या हो तो उन गांवों को सड़कों से जोड़ेंगे। कई गांव सड़कों से वंचित रह जायेंगे। इस फेमिन के अन्दर, मंत्री महोदय, गांवों को जोड़िये। पहले सौ-सौ किलोमीटर की सड़कें हुआ करती थीं छप्पनिया में। डिगरना से लगाकर कवरजी की खेजड़ी 135 किलोमीटर, इतनी लम्बी सड़कें होती थीं जब जनता लगती थी कामों पर और जब जनता लगती थी तो कन्स्ट्रक्टिव वर्क होते थे, पचासों गांव उस सड़क के बीच में आ जाते थे और आज आप एक किलोमीटर अप्रोच रोड भी नहीं दे सकते। आप खुद खेती करते हैं जिस काश्तकार ने अपने खेत की माठ बांध ली और जिसका पानी रुक गया उसका भाग्य बदल गया और जिसका तोड़-फूट गया उसका करम फूट गया यानी उसके अन्दर फसल नहीं होगी। यह स्थिति है। छोटे छोटे एनीकट बनाइये और गांव के अन्दर नये तालाब बनाइये। इस प्रकार से यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से फेमिन का मुकाबला होगा।

दूसरा, आपके पास पशुधन बहुत कम रहा है और उनको भी आप बचा नहीं पायेंगे। पिछले साल में आपने किसी प्रकार की पशुओं की चोरी के लिये व्यवस्था नहीं की। कांग्रेस राज की अभी बात कर रहे थे कि कांग्रेस राज में कुछ नहीं हुआ, हमने तो पशुओं को गुड़दाल खिलायी चारे के बदले, चारा नहीं मिला तो हमारी गवर्नमेंट में हमने पशुओं को गुड़ दाल खिलायी। उनको कोटा या बाहर कहीं भेजने के लिये गाडियों और रेलों का उपयोग किया। आपने एक ट्रक भी कहीं से भराकर भेजा हो तो। जैसलमेर भादरिया ही भेज दिया हो जोधपुर से तो भी हम समझते कि आपने पशुओं को चारे के अन्दर पहुचा दिया है। तो, अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही सवेदनशील मामला है। और आप जो कंटिजेंसी प्लान बनाते हैं वह आपका बहुत ही फेल्योर प्लान रहता है। कंटिजेंसी प्लान जो पानी वगैरह का है, आप उसको दिसम्बर के महीने में क्यों नहीं बनाते है? मार्च, अप्रेल और मई में बनाते है, काम आपका होता नहीं तो पैसा पूरा लैप्स होता है। कई लोग मनमानी करके उस पैसे को डेस्ट्राय करते है, सामान खरीद लेते हैं और वह सामान ऐसे ही पड़ा रहता है। इस प्रकार आपको समय रहते कंटिजेंसी प्लान का पैसा काम में लेना चाहिये और लोगों को राहत देनी चाहिये, यही मेरा निवेदन है। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह सोढ़ा।

श्री हरिसिंह सोढ़ा (शिव) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां कम से कम हर तीसरे साल अकाल पड़ता ही है। अकाल की स्थिति में इस साल हमारे यहां सबसे बड़ी समस्या पानी की हो गयी जिसका समय रहते अगर बन्दोबस्त नहीं किया गया तो वहां बुरे हाल होंगे। हमारे यहां पशुधन ज्यादा है, पशु ज्यादा है और पानी की कमी है। पानी की भयंकर समस्या होगी इसके लिये पहले निवेदन किया है। आज से पहले मार्च और अप्रेल में जो बन्दोबस्त किया जाता था वह अगर इसी महीने करके शुरू नहीं किया गया तो

(श्री हरिसिंह सोढ़ा)

आप मार्च और अप्रैल में कण्ट्रोल नहीं कर सकेंगे । अभी से बन्दोबस्त करें। हमारे यहां स्थिति यह है कि तीन सौ फीट पर पानी आज भी लोग खींचकर निकालते हैं। कम से कम 15 हजार रुपये एक आदमी के पास होंगे तो वह अपने आप पानी पी सकता है नहीं तो पानी नहीं पी सकता है । दो ऊंट चाहिये, 40 पुरुषों का लाव चाहिये, और कम से कम 15 हजार रुपये चाहिये तब वह पानी पी सकता है। ऐसे जैसलमेर और शिव में कई गांव हैं। श्रीमान भंवरलालजी को मैं नोरियां का तला गांव लेकर गया था जिसमें गधों से तीन सौ फीट से पानी निकाल कर पीते हैं और वैसी ही स्थिति यहां पर कई जगह है । गवर्नमेंट सर्वे करवाकर ऐसे गांवों को फेमिन प्लान में पानी पिलाने के लिये सबसे पहले बन्दोबस्त करे।

दूसरा, पशुओं के लिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे यहां पशु गर्मियों में नहीं मरते । हमारे यहाँ पशु सर्दियों में कमजोर होते हैं, सर्दियों में अगर पशुओं को चारा सही ढंग से नहीं दिया गया तो । गर्मियों में आप दोगे तो वह कोई काम नहीं आएगा इसलिये हमें पशुओं के लिये चारा और दाना सर्दियों में शुरू करना चाहिये, तो गर्मियों में वे पशु अच्छी तरह से निभ सकेंगे।

इसी तरह अकाल राहत क्षेत्रों में अभी तक वसूली हो रही है, कुर्कियां हो रही हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ये वसूलियां तत्काल बन्द की जाएं और पब्लिक को राहत दी जाए। मैं सरकार से एक और निवेदन करूंगा कि जो मार्च और अप्रैल में मन्त्रियों को वहां पर प्रभारी बनाकर भेजा जाता है और बाद में काम दिया जाता है वह इसी माह में प्रभारी बनाकर हर जिले में हर महीने के अन्दर कम से कम दो दिन रुक कर और वहां पर जायजा लेकर अकाल राहत कार्य शुरू करें और उसकी निगरानी रखें। भ्रष्टाचार के लिये मैं निवेदन करूंगा कि यह पहले भी होता था और अब भी हो रहा है लेकिन कम से कम पैरों के अंगूठे और ऊंट के मींगणों से मस्टर-रोल पर जो निशान करते थे वह बन्द करने की व्यवस्था करवाएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह। संक्षेप में बात कहें, अब समय बहुत कम है।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल पर चर्चा चल रही है, मैं आपके माध्यम से उदयपुर डिवीजन की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा। गोगुन्दा से आने वाले माननीय सदस्य ने विस्तार से आंकड़े बताकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है कि 60 से 75 प्रतिशत तक खराबा हुआ है परन्तु मेरा ऐसा मानना है कि पूरे डिवीजन में 75 से 100 प्रतिशत तक खराबा है। और यह सर्वविदित है । अकाल के सम्बन्ध में

(श्री रघुवीर सिंह)

सरकार भी चिन्तित होगी किन्तु अब सवाल इस बात का है कि अकाल के कार्य खोले जाएंगे तो किस तरह से खोले जाएंगे, किस तरह के काम कराये जाएंगे। इस बात पर भी थोड़ा सुझाव देना चाहूंगा। सिंचाई के एनीकट विभाग के अधिकारी बांधते नहीं हैं। सरकार की तरफ से यह घोषणा कर दी जाती है कि दो-तीन मीटर छोटे-मोटे या अधूरे जो भी एनीकट हैं पूरे किये जाएंगे परन्तु अधिकारियों से जब हम सम्पर्क करते हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं एक्स. ईएन. से मिला था तो उन्होंने यह कहा था कि 8 फरवरी, 1994 को सरकार ने आदेश भेजा है जिसके अन्तर्गत कोई नये एनीकट उस एरिये में नहीं बांधे जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको यह विदित ही है कि उदयपुर का क्षेत्र पहाड़ी है। वर्षा का पानी बहकर सीधा समुद्र की तरफ चला जाता है। अगर उस पानी को छोटे-छोटे एनीकट बांधकर के रोक दिया जाए तो मैं सोचता हूं कि कुओं का स्तर भी ऊपर आएगा और मवेशियों के पीने का पानी और पर्यावरण सम्बन्धी कई सारी लाभदायक चीजें हो सकती हैं। मन्त्री महोदय तो उपस्थित ही नहीं हैं, किसके ध्यान में लाऊं? (व्यवधान) इरिगेशन मिनिस्टर की कह रहा हूं, अकाल राहत मन्त्री तो हैं।

अगर अकाल राहत मन्त्री सक्षम हैं तो उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप यह कन्फर्म करें कि सरकार ने वास्तव में कोई आदेश निकाला है या आपके अधिकारी राठौड़ी में जनप्रतिनिधियों को यह कहकर निकाल देते हैं कि सरकार ने बैन लगा रखा है और कोई एनीकट नहीं बांधने हैं जबकि पानी व्यर्थ ही जाता है। यह दुर्भाग्य है कि हमारे यहां का पानी बहकर के सीधा समुद्र में नष्ट चला जाए और हम खाली देखते रहें यह सुनकर कि सरकार के निर्देशानुसार हमें कोई नये एनीकट नहीं बनाने हैं।

दूसरा, मान्यवर, मेरा निवेदन था, शायद सन् 1975 और 80 के बीच में फेमिन के अन्तर्गत भू-संरक्षण के माध्यम से उदयपुर जिले में कोई काम हुआ था जिसे हमारी देशी भाषा में मेड़बन्दी कहते हैं। सोइल कंजर्वेशन के अण्डर में काम चलता है। सोइल कंजर्वेशन के काम, यह देखा गया है कि स्टाफ नहीं है. इस तरह से कहकर टाल दिये जाते हैं लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप को अच्छी तरह से विदित ही है, आप भी भलीभांति परिचित हैं कि मेड़बन्दी से कितना फायदा होता है। काश्तकारों की जमीनें कितने सालों से कट गयी हैं, पालियां खत्म हो गयी हैं, मिट्टी बह गयी है। काश्तकार इतना सक्षम तो होता ही नहीं है कि वह खुद ही मेहनत करके अपने खेतों की पालियों को मजबूत कर सके। फेमिन में अगर मेड़बन्दी को प्राथमिकता दी जाएगी तो मैं सोचता हूं कि दोनों परपज साल्व हो जाएंगे। रोजगार भी मिलेगा इसके साथ-साथ किसानों की खेती का काम भी होगा। मेहरबानी करके इस साल अकाल राहत कार्य खोलें और उसमें मेड़बंदी को

(श्री रघुवीर सिंह)

प्राथमिकता दी जाए तो अपना परपज दोनों साइड से पूरा होगा। (व्यवधान)

इसके साथ ही टास्क बेसिस के बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। वास्तव में टास्क बेसिस का सिस्टम हटा दिया जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा में होते हुए भी मजदूरों का इतना शोषण हो रहा है तो फेमिन में तो इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती कि उनको पेमेण्ट बराबर मिलेगा। न्यूनतम भुगतान जो भी है उनको दिलाना चाहिये।

अधूरे कुएं की जहां तक बात है, अधूरे कुएं कई कारणों से अधूरे रह जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जीवनधारा में खोदे जाने वाले कुएं कई सारे ऐसे नार्म्स होते हैं। उनकी वजह से पूरे नहीं खोदे जाते हैं। वे पैसों के लिए अधूरे रह जाते हैं--5 हजार, 6 हजार और ज्यादा से ज्यादा 10 हजार तक। मेरा यह सुझाव है कि अकाल राहत के माध्यम से 6 हजार, 10हजार या जो भी आप नियत करें वह अभी से ही घोषणा कर दें कि किनके पहले कुएं करने हैं ताकि उनको पर्याप्त समय भी मिल जाएगा और उस आधार पर वे कुएं गहरे कर पायेंगे। अधूरे कुएं पूर्ण करने के लिये भी यह योजना लागू की जाए।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : आखिरी बात कहूंगा। पीने के पानी की समस्या विकट होती जा रही है। आज की स्थिति यह है, अपन सब यह कहते हैं कि हैण्ड पम्प सूख गये हैं, हैण्ड पम्प खराब हैं। वास्तव में कई हैण्ड पम्प खराब भी हैं पर उसके पीछे क्या कारण है वहां तक अपन नहीं जाते हैं। हैण्ड पम्प खोदा, एक बार पाइप उतारे जब तक वह हैण्ड पम्प ड्राई घोषित नहीं होता तब तक वहीं के वहीं पाइप रहते हैं। अन्दर पाइप में छेद हो जाते हैं, वाशर खराब हो जाते हैं तो उन कारणों से ज्यादा से ज्यादा हैण्ड पम्पों को खुलवाकर के उनके पाइप सही किये जाएं।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनलाल जीनगर। बिराजें आप। पाइप ठीक होने चाहिये, अच्छा सुझाव है। सड़ गये पाइप, फ्लोराइड का पानी है।

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल की चर्चा में मैं राहत एवं पुनर्वास मंत्रीजी का ध्यान मेरे क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, भारत की कृषि मानसून का एक जुआ है।

श्री अध्यक्ष : अब आप इस तरीके से भूमिका बनाएंगे तो मानसून का जुआ हो जाएगा अभी। दो-दो मिनट में बात करो आप।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : जिस क्षेत्र में अच्छी वर्षा हो जाए वहां पर किसानों और काश्तकारों पर अच्छा प्रभाव हो

(श्री अर्जुनलाल जीनगर)

जाएगा और जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होगी तो....

श्री अध्यक्ष : आप तो कंस्ट्रक्टिव सुझाव दो, मानसून का जुआ है और मानसून है।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : मजदूरों और किसानों को मुंह ताकना पड़ेगा। मेरे क्षेत्र में विशेष अकाल पड़ा है। एक तरफ बाढ़ की स्थिति बनी है, दूसरी तरफ सूखा पड़ा है। काश ! इन्द्र देवता राजस्थान पर प्रसन्न होकर समान रूप से वर्षा करते तो आज हमें इस सदन में यह चर्चा करने का मौका नहीं मिलता। अध्यक्ष महोदय, गिरदावरी के आंकड़ों के अनुसार गंगरार विधान सभा क्षेत्र में 70 से 75 और 80 से 90 प्रतिशत तक फसलों का खराबा हुआ है। मेरे क्षेत्र में इस वर्ष के मौसम में मात्र 15 दिन बरसात हुई और जो भी बरसात हुई वह सारा का सारा पानी नदियों और नालियों के माध्यम से बहकर आगे चला गया क्योंकि उस क्षेत्र के अन्दर छोटे-छोटे एनीकट और तालाब नहीं हैं। एनीकट और तालाब नहीं हैं इसका कारण यह है कि मेरा पूरा जिला और राजसमन्द, चित्तौड़, भीलवाड़ा ये बीसलपुर की बीमारी के मरीज हैं। मैं चाहूंगा कि एक पॉलिसी मैटर बनाकर के मेरे क्षेत्र को जो बीसलपुर के कैचमैंट एरिया में ले रखा है, क्षेत्र को उस कैचमैंट एरिये से बाहर निकाला जाए। यदि इसी प्रकार से यह कैचमैंट के एरिये में रहा तो भविष्य में कोई तालाब वगैरह नहीं बनेंगे। एनीकट नहीं बनेंगे तो कुओं का जल स्तर दिन-पर-दिन नीचे गिरता जाएगा। जैसा कि कपासन से आने वाले माननीय सदस्य और राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया था कि बीसलपुर के कारण हमारा पूरा एरिया सूखा पड़ा हुआ है, वहां पर हम एनीकट नहीं बना सकते हैं, कोई तालाब नहीं बना सकते हैं। कोई छोटा तालाब बना हुआ है तो उसकी भराव क्षमता बढ़ा नहीं सकते। सिंचाई मंत्री महोदय से, सरकार से मैं चाहूंगा कि बीसलपुर के कैचमैंट एरिये से हमारे क्षेत्र को बाहर निकाला जाए और सौ एम. सी. एफ. टी. या दो सौ एम. सी. एफ. टी. के छोटे-छोटे तालाब बनाने की स्वीकृति दे दी जाए। जिस तरह से पिछली विधान सभा में दो मीटर के एनीकट बनाने की स्वीकृति दी थी इसी प्रकार से दो सौ एम. सी. एफ. टी. के तालाब बनाने की स्वीकृति प्रदान की जाए। मेरे छोटे-छोटे तालाब हैं जैसे ओडवाड़िया, यह बीसलपुर की योजना से पहले का है। बीसलपुर की योजना बाद में आयी और ओडवाड़िया बांध उससे पहले बना हुआ है, परन्तु उसको स्वीकृति नहीं मिल रही है जबकि अकाल रिलीफ के कार्यों में उस पर लगभग 50 लाख रुपये की लागत लग चुकी है। मैं चाहूंगा कि इस अपूर्ण पड़े हुए तालाब को इस बीसलपुर कैचमैंट एरिये से बाहर निकालकर स्वीकृति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : अन्त में थोड़ा और बोलना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष : थोड़े का ही झगड़ा है ।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : एक समस्या और है मातृकुण्डिया बांध की । तत्कालीन सिंचाई मंत्रीजी ने मेरे क्षेत्र के साथ इतना बड़ा कुठाराघात किया है जो शायद ही कोई कर सकता है । मेरे क्षेत्र के किसानों के जैसे कोई फांसी लगा दी हो, उसी प्रकार से मातृकुण्डिया बांध का सारा का सारा पानी मेजर डैम को दे दिया जाता है । मेरे किसान उस डैम में जाते हुए पानी को देख लेते हैं मगर उसमें से एक बूंद, एक लोटा पानी भरकर के नहीं ले सकते हैं । मैं पुरजोर शब्दों में कहूंगा और सरकार से भी मांग करूंगा कि मातृकुण्डिया का पानी हमारे राशनोद, गंगरार क्षेत्र की जनता के लिये उपलब्ध कराया जाए । मैं चाहूंगा कि जो अभी 68.50 की भराव क्षमता है उसको बढ़ाकर 70 तक किया जाए । यदि 70 तक भराव क्षमता होती है तो मातृकुण्डिया बांध में 700 एम. सी. एफ. टी. पानी अतिरिक्त रुक सकता है और उस 700 एम. सी. एफ. टी. पानी को यदि सरकार चाहे तो राशनोद और गंगरार क्षेत्र की जनता को, किसानों को पिलाई के लिये दे सकती है ।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप । डूब में तो आपकी आती नहीं है । 70 मीटर तक बढ़ाने पर डूब में तो आपकी आती नहीं है । बिराजें आप । श्री हीरालालजी विश्नोई ।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : (व्यवधान) अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत मैं चाहूंगा कि यदि गांव का विकास करना है.... (व्यवधान) आपने समय दिया, इसके लिये धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद । आप बिराजें । श्री हीरालाल जी विश्नोई । तीन मिनट में आप बात समाप्त करें ।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल की समस्या के बारे में विचार-विमर्श हो रहा है उस पर मैं अपने आप को शरीक करते हुए आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान एक कृषि प्रधान प्रदेश है। इसमें 95 प्रतिशत किसान वर्ग और मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं ।

(19.00)

आज जब अकाल के बारे में हम यहां बैठे चर्चा करते हैं तो हमारे गांवों में बैठे किसान यह राह देख रहे हैं कि हमारे मंत्री महोदय हमारे लिये अकाल राहत के कार्यक्रम खोलेंगे, हमें मजदूरी मिलेगी । जिस तरीके से कल यहां बिजली की चर्चा हुई, मुख्य मंत्रीजी ने गोलमोल जवाब देकर आठ घंटे का आश्वासन तो जरूर दे दिया....

श्री अध्यक्ष : अब आप बिजली की चर्चा कर रहे हैं या अकाल की ? इसमें भूमिका की जरूरत नहीं है, आप तो तीन मिनट में अपने रचनात्मक सुझाव दीजिये।

श्री हीरालाल विश्नोई : मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल की घोषणा तुरन्त होनी चाहिये क्योंकि पूरे प्रदेश में अकाल है। एक अकाल तो सीधा पड़ता है, वह अकाल होता है, जिसमें किसान अपना बीज और खाद खेत में नहीं डालते लेकिन इस बार अकाल पड़ा है पूरा भयंकर। बारिश अच्छी हुई, बारिश अच्छी होते हुए भी अकाल पड़ा है। इसको जल अकाल कहते हैं। जो अपनी पूंजी है, जो किसान के पास बीज और खाद है, वह उसने अपने खेत में लगा दिया और आज अकाल पड़ गया। आज दिन तक आप, मंत्री महोदय, कह रहे हो कि हमारे पास सर्वे रिपोर्ट नहीं आयी है। 95 प्रतिशत प्रदेश में अकाल है और आज भी किसानों के साथ जबरदस्ती वसूली हो रही है। इसके लिये मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल तुरन्त घोषित करके लोगों को राहत दिलवायी जाए। जालौर जिले में बाढ़ का सिरोही से अजमेर का चला हुआ पूरा का पूरा पानी आता है और सांचौर में खास करके पूरा पानी दरिये में आगे चला जाता है। पूरा दलदल का इलाका बना हुआ है। सांचौर तहसील में 100 से 150 एनीकट बने हुए थे, 1990 की जो बाढ़ आयी उससे पहले एनीकट बने हुए थे। उन एनीकट से वह पानी खेतों में फैलता था और हजारों क्विंटल गेहूं होते थे। वे एनीकट टूटने के बाद में पूरा का पूरा पानी दरिया में चला जाता है और उसका कोई फायदा किसानों को नहीं मिलता है। वहां पर पीने के पानी की भी भयंकर समस्या है। जो हमारी सांचौर तहसील है, उसमें आधा इलाका दलदल का है, नेड इलाका उसको बोलते हैं। वहां पर तीस से चालीस पंचायतें हैं, पूरी पंचायतों में कोई पानी की व्यवस्था नहीं हैं। चालीस-पचास किलोमीटर दूर से पानी आता है। बीच में बड़े-बड़े शहर पड़ते हैं सांचौर कस्बा पड़ता है, हाड़ेता पड़ता है और नेड इलाके में जाते हैं। टेल एण्ड पर पानी जाता ही नहीं है। जब हम अधिकारियों से बात करते हैं तो कहते हैं कि वहां तो टेल एण्ड है इसलिये नहीं पहुंचता है। तो वे टेल एण्ड वाले आदमी कहां जाएंगे ?

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें। श्री किशन गोपाल कोगटा।

श्री हीरालाल विश्नोई : इसलिये पीने के पानी की व्यवस्था की जाए, चारे की व्यवस्था की जाए और जो वसूली है वह तुरन्त रोकी जाए। अध्यक्ष महोदय, यह तुरन्त होनी चाहिये, यह मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री किशन गोपाल कोगटा। दो-तीन मिनट में ही आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल की स्थिति पर चर्चा हो रही है। राजस्थान में

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

अधिकांश कृषक बारिश पर अपनी काश्त करते हैं। अगर बारिश होगी तो किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक होगी और अगर बारिश नहीं हुई तो उनकी खेत की उपज पर असर पड़ेगा, बोनी उपज होगी। राजस्थान में आधे भाग में अकाल की स्थिति है। खासकर जोधपुर डिवीजन उदयपुर डिवीजन और अजमेर डिवीजन....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप तो अपने यहां की बात करिये, क्यों टाइम खराब कर रहे हैं ?

श्री किशन गोपाल कोगटा : और खासकर अजमेर डिस्ट्रिक्ट में ब्यावर तहसील, केकड़ी तहसील, सरवाड़ तहसील और किशनगढ़ की आतोड़िया की गिरदावरी में जो अकाल की स्थिति है, वह बहुत ही दयनीय है। मसूदा विधान सभा क्षेत्र में जवाजा और मसूदा का क्षेत्र पड़ता है, उसमें लगातार अकाल की स्थिति है और राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा स्थिति खराब है तो इसी क्षेत्र में है। न बारिश हुई, न पीने का पानी, न चारा और न कोई और व्यवस्था है। जो थोड़ी बहुत फसलें हुई हैं वे भी समय पर बारिश नहीं होने से नष्ट हो गयी हैं। जालिया सैकण्ड स्टेज में चाहे लोहडी बांध हो, मायला का या न्यारा का तालाब हो या देवी सागर फीडर हो, कहीं भी एक बूंद भी पानी नहीं है। इस बार जो स्थिति बनी वह देखने लायक है। वहां के जो नागरिक रहने वाले हैं, अकाल की स्थिति को देखते हुए अगर तुरन्त राहत कार्य प्रारम्भ नहीं कराये गये तो उनको मसूदा क्षेत्र से बाहर जाना पड़ेगा और हालत खराब हो जायेगी। अकाल के साथ पानी की भी विकट समस्या है। ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र है और वहां पानी की ऐसी विकट समस्या है कि हर बार ट्रान्सपोर्टेशन करना पड़ता है, मई-जून में। लेकिन इस बार अक्बटूर-नवम्बर में भी पीने के पानी की विकट समस्या है। हैंडपम्प्स का वाटर लेवल नीचे चला गया है और पी. एच. ई. डी. और पंचायत समिति में जो ठीक करने वाले हैं वे कहते हैं कि राहत की कमी है। पानी का लेवल नीचे चला गया। मेरा यह सुझाव है कि पी. एच. ई. डी. एक अभियान चलाये और जो वाटर लेवल नीचे चला जाने के कारण जो पाइप डालने हैं या मेजर मिस्टेक है, उसको ठीक करने के लिये कार्य करें, क्योंकि पंचायत समितियों के पास ऐसा कोई साधन नहीं है। खासकर मेरे विधान सभा क्षेत्र में सिवाय हैण्डपम्प के पानी की व्यवस्था का अन्य कोई साधन नहीं है। पानी की टोंटी या टंकी की कोई स्कीम नहीं है इसलिये यहां पर जो हैण्डपम्प ...

श्री अध्यक्ष : उनको ठीक करवाएं।

श्री किशन गोपाल कोगटा : तुरन्त ठीक करवाएं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री शांतिकुमारजी धारीवाल।

श्री किशन गोपाल कोगटा : एक मिनट ठहरिये। खास समस्या चारे की है। चारे की जो समस्या है उस पर विशेष ध्यान

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

दिया जाए। हमारे अजमेर डिस्ट्रिक्ट में आधे भाग में तो अकाल पड़ा है और आधे भाग में पानी है। मेरा यह सुझाव है प्रशासन से कि अजमेर जिले से चारे की निकासी बंद की जाए। पिछले साल की तरह चारे की व्यवस्था और उसका ट्रान्सपोर्टेशन तो राज्य सरकार की तरह से हो और वितरण स्थानीय लोगों की स्वयसेवी संस्थाओं पचायतों या कोआपरेटिव डेयरी के माध्यम से वरना मवेशी बाहर जाने लगेंगे।

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छा सुझाव है।

श्री किशन गोपाल कोगटा : इसके साथ-साथ रोजगार के लिये मेरा सुझाव है कि यहां जो सरकारी बिल्डिंगें, चाहे शिक्षा विभाग की हों या स्वास्थ्य विभाग की डिस्पेंसरीज हों ....

श्री अध्यक्ष : बन्द करिये आप।

श्री किशन गोपाल कोगटा : चाहे पशु-चिकित्सालय हो, उनकी मरम्मत का कार्य भी अगर अकाल राहत में ले लिया जाए तो निश्चित रूप से उनका उद्धार होगा। मेरा यह सुझाव है, माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। श्री शांतिकुमार जी, अब आप लिखकर बता देना मंत्रीजी को।

श्री किशन गोपाल कोगटा : आपने जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छे सजेशंस दिये हैं। तीन मिनट में आप बात करें। प्रारम्भ करें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए तीन मिनट नहीं, सिर्फ दो ही मिनट लूंगा। मैं बिलकुल स्पेसिफिक मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बाबत बोलूंगा। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : मैं पौने आठ बजे ही खत्म करना चाहता हूं, बोलने दीजिये अब।

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रतिपक्ष के नेता शायद आज बोलेंगे?

श्री अध्यक्ष : नहीं, अभी तो आप बोलेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कब बोलेंगे?

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये जल्दी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, हाड़ौती में नहीं है हिण्डोली में है।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया प्रारम्भ करें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इतने सीनियर आदमी बीच में टोक रहे हैं तो मैं क्या करूं? चुप हो जाऊं?

श्री अध्यक्ष : यदि विद्वान आदमी हैं, तो अपने आप ही कण्ट्रोल कर लेता है अपनी भावनाओं को। विद्वान टैम्प्टेशन से विचलित नहीं होता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह आपने गलत समझा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, कोटा डिवीजन में एक्सेस रेन्स भी हुई और नारमल रेन्स भी हुई। लेकिन ज्यों ही आप बूंदी से आगे चलते हैं तो वहां से डैफिसिट रेन्स चालू हो गयी और यह डेफिसिट रेन्स जो है, वह बूंदी से चार-पांच किलोमीटर आगे जाकर ठेठ केकड़ी तक आप देख लीजिये। हाइड्रोलोजी का जो नक्शा है, उसमें भी आपको यह नजर आयेगा कि माइनस 30 पर्सेंट से 60 इस एरिया में रेन्स हुई है। पिछली साल तो आपने हिण्डौली तहसील के 133 गांवों को अकाल में घोषित किया था, अब के भी उन से कोई कम संख्या नहीं है। क्योंकि चाहे गुढ़ा डैम ले लें जो सिण्डौली तहसील में बना हुआ है, चाहे पेचकी बावड़ी ले लें, चाहे बूंदी का गोठड़ा ले लें, पिछली बार इनका जितना भराव हुआ था- उससे 10-10 फीट खाली हैं और प्रोपर हिण्डौली का तालाब तो कम से कम 13 फीट खाली है। जहां से हजार-हजार बीघा या पांच-पांच सौ बीघा जमीन की काश्त हो जाया करती थी वह काश्त भी संभव नहीं है। अकाल राहत मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान इसलिये दिलाना चाहता हूं कि यह वह क्षेत्र है जहां के 80 प्रतिशत काश्तकार के पास 10 या 15 बीघा जमीन से ज्यादा जमीन नहीं हैं। कमाण्ड एरिया में उसकी जमीन आती नहीं, चड़स से वह खेती करता है। दो--चार खेत मिल कर कोई अगर कुआं हो तो हो, और उस कुएं में भी पानी नहीं। अब यह हालत हो गयी कि लोगों ने पलायन चालू कर दिया। जो एनीकट वहां पर मंजूर किये गये थे उनके काम अधूरे पड़े हुए हैं। यह आप इधर-उधर देखते हो या हमारी तरफ देखते हो? आपका तो ध्यान खींचने के लिये हम बोल रहे हैं यहा पर।

श्री अध्यक्ष : हां, 10-10 बीघा जमीन है एक एक काश्तकार के पास। सुन रहे हैं, आप बोलें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप अगर ध्यान नहीं रखोंगे तो फिर क्या बात हुई?

श्री सांवरलाल : माननीय सदस्य, मैं आपकी बात बराबर सुन रहा हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा आपसे निवेदन है कि जो एनीकट अधूरे पड़े हुए हैं और जो मंजूरी के लिये लम्बित पड़े हुए हैं, कृपया उनको फौरन मंजूर करें और अधूरे एनीकट को तैयार करवायें। गिरदावरी की रिपोर्ट तो पता नहीं कब जायेगी, आप हाइड्रोलोजी का नक्शा देख लें और जहां पर डैफिसिट रेंस है वहां पर काम सरकार को शुरू कर देने चाहिये। सरकार अकाल के प्रति अगर गम्भीर है तो जहां पर डैफिसिट रेंस है, जहां पर स्कैंटी रेंस है वहां पर इन्तजार नहीं करना चाहिये हालत वरना इतनी गम्भीर हो जाएगी कि आगे जाकर लोग और पशु मरने शुरू हो जाएंगे। तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है...

श्री अध्यक्ष : श्री कन्हैयालालजी पाटीदार। बिराजें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप हिण्डोली को ध्यान में रखें।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें आप।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के जिन जिलों में अकाल पड़ा है उनमें हमारा झालावाड़ जिला भी सम्मिलित है। झालावाड़ जिले में इस वर्ष सामान्य से कम वर्षा हुई है और झालावाड़ जिले के मेरे विधान सभा क्षेत्र में सबसे कम वर्षा हुई है। खरीफ की फसल पूर्णतः चौपट हो चुकी है। किसानों के पास पशुओं को खिलाने के लिये चारा नहीं है, पीने के लिये पानी नहीं है और आगामी रबी की फसल को बोने की तो कतई सम्भावना ही नहीं लगती।

अध्यक्ष महोदय, मैं राहत मंत्रीजी से मिला था, मैंने अपनी व्यथा आपको बतायी मैं आपके माध्यम से पुनः एक बार माननीय राहत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि झालावाड़ जिले को अकालग्रस्त घोषित कर उस क्षेत्र में, विशेष कर मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो जिले में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, राहत कार्य शुरू कराये जाएं। अकाल से लड़ने के लिये मेरी पंचायत समिति में ऐसी कोई योजना प्रभावी नहीं है, जैसे प्रधानमंत्री आश्वासित रोजगार योजना, डी. पी. ए. पी. या डांग ऐसी कोई भी योजना मेरी पंचायत समिति में नहीं है इसलिये मेरा क्षेत्र पूर्णतः माननीय राहत मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी की दया पर निर्भर करता है, मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि यहां पर राहत कार्य प्रारम्भ कराए जाएं।

श्री अध्यक्ष : श्री कन्हैया लाल जी मीणा। आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार : अध्यक्ष महोदय, पीने के पानी की इतनी किल्लत है इसलिये पीने के पानी की व्यवस्था तुरन्त करायी जाए।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : अध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर जिले में अतिवृष्टि से हुए नुकसान की वजह से अकालग्रस्त घोषित करने के लिये माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। अतिवृष्टि के कारण हजारों मकानों का नुकसान हुआ, सरकार को मैं बधाई देना चाहूंगा, मंत्री महोदय को बधाई देना चाहूंगा कि एक-एक हजार रुपये की आपने तात्कालिक सहायता दी।

श्री अध्यक्ष : अकाल की बात करें आप।

श्री कन्हैयालाल मीणा : उस अतिवृष्टि के कारण 80 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक फसल बिलकुल नष्ट हो गयी है। दौसा से लगे हुए तहसील बस्सी चाकसू और जमवारामगढ़....

श्री अध्यक्ष : हां, उसका ध्यान रखा जाएगा।

श्री कन्हैयालाल मीणा : दौसा से लगी हुई जो तहसीलें थीं वहां तो शत-प्रतिशत

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

नुकसान हुआ है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उस....

श्री अध्यक्ष : श्री खेत सिंहजी। एक मिनट में आप भी अपनी बात कह दें फिर मदेरणाजी बोलेंगे।

श्री कन्हैयालाल मीणा : मैं एक मिनट लूंगा।

उन जयपुर जिले की तहसीलों को अकालग्रस्त घोषित किया जाए और वहां अकाल राहत कार्य खोले जाए। अब के गेहूं और सरसों की फसल भी बहुत कम होने की उम्मीद है, आपसे निवेदन है कि वहां हर हालत में चारा डिपो खोले जाएं। (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप बोल चुके, नाथूरामजी, अब क्या है ?

श्री नाथूराम अहारी : एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। देखते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पौने आठ बजे तक का टाइम है और अगर आप अभी छुट्टी दे देंगे तो हम घर चले जाएंगे और वापस फिर आपके डिनर में नहीं आएंगे।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपको एक मिनट का समय दिया है, अभी मदेरणाजी बोलेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अच्छा। पत्रकारों ने पूछा था कि डिनर है क्या ? मैंने कहा, डिनर नहीं है, खाना है मामूली।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : खाने और डिनर में फर्क क्या है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : डिनर में तो नान-वेजिटेरियन भी होता है, कई और चीजें भी होती हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस वर्ष निश्चित तौर पर अकाल के काम खोले जाएंगे और इसलिये खोले जाएंगे कि यह वर्ष है लोक सभा के चुनाव का वर्ष। लोक सभा के चुनाव का वर्ष होने के नाते, अकाल है ही और फिर आप यह चाहते हैं कि अकाल के कामों को खोलकर हम ज्यादा से ज्यादा वोट बटोरें। यह सीखे तो हम से ही होंगे। लेकिन इस वर्ष इन्होंने यह तय कर रखा है, क्योंकि पांच महीने के अन्दर-अन्दर लोक सभा के चुनाव आने वाले हैं ये दो महीने और निकाल देंगे। कलक्टर्स की मीटिंग बुला रहे हैं, अभी गिरदावरी की रिपोर्ट नहीं आयी है वह सब देखेंगे। अभी केबिनेट की मीटिंग नहीं की है। वह सब तय करके जनवरी के एण्ड में निश्चित तौर पर काम खोलेंगे, काफी बड़ी तादात में खोलेंगे और राजनीतिक दृष्टिकोण रखेंगे।

मुझे एक ही बात का एतराज है कि यह मानवता का प्रश्न है। उस इलाके में फेमिन है, हालत नाजुक है, गरीबी है,

(श्री खेतसिंह राठौड़)

लोगों के पास धन्धा नहीं है खास तौर से फसली इलाके में जहां पर इस बार एक बार बारिश हुई। लोगों ने कितना खर्चा किया, मैं आपको सही निवेदन करता हूं कि लोगों ने कर्जा करके खेती बोयी। फिर थोड़ी उस पर और बारिश पड़ गयी तो वापस उनको ट्रैक्टर किराये करने पड़े। बेहद खर्चा कर के उन लोगों ने खेती करवायी और खेती के बाद में मौसम ठीक रहा तो उसकी वजह से लोगों ने उसका निनाण करवाया। जब फसल इतनी-इतनी ऊंची आ गयी तो लोगों को आसार बना कि एक बारिश और हो जाए तो इस साल का जमाना निश्चित तौर पर पक्का है लेकिन वह बारिश आयी ही नहीं पूरे भादवे का महीना निकल गया। आज तक अमूमन भादवे में बारिश हमेशा होती आयी है और बरसात का महीना ही भादवा कहलाता है लेकिन इस बार भादवे में बारिश बिलकुल नहीं हुई और उसकी वजह से सारी फसल बरबाद हो गयी, खतम हो गयी, जल गयी। मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, धौला लगा। धौला यही कि गर्म हवाएं चलीं और वह इतनी आयी हुई फसल बिलकुल जल कर खतम हो गयी। उसके बाद में एक बारिश आयी तो जो कड़बी थी और घास था वह भी सब जमीन पर गड़ गया, खतम हो गया। ऐसा भयंकर अकाल कई वर्षों के बाद आया जब कड़बी भी खतम हो गयी, फसल बिलकुल नहीं हुई। मेरे इलाके के अन्दर 625 रुपये में एक क्विंटल बाजरी मिलती है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी भी खुद काश्तकार रहे हैं, काश्तकारों से मिलते हैं, इनको अच्छी तरह मालूम है कि बाजरी हमारे यहां का स्टेबल फूड है और इतनी महंगी बाजरी आज तक कभी नहीं हुई जितनी महंगी बाजरी इस साल लोग खरीदने जा रहे हैं। इसका साफ यह मतलब है कि बाजरी की फसल राजस्थान में टोटल बरबाद हो गयी और बाजरी हुई ही नहीं। इसलिये मैं आपसे खास तौर से यह निवेदन करूंगा कि इस साल भयंकर अकाल की स्थिति है, चारे की भी और साथ में मजदूरी की भी। आज भी कई जवान लड़के जो कमाऊ हैं, हमारे यहां से या तो अहमदाबाद चले गये हैं या गंगानगर की तरफ गये हैं। कहीं न कहीं मजदूरी ढूंढने के लिये या शहर के अन्दर कण्डे तोड़ने के लिये गये हैं, लेकिन जो गांव में बैठे हैं उनके पास आज कोई मजदूरी नहीं है फसली इलाके के अन्दर बिलकुल बेकार बैठे हैं और उनका हाल बहुत बुरा है, यह मैं आपको निश्चित तौर पर कह सकता हूं।

मेरे इलाके के लिये मैं यह निवेदन करूंगा वहां पर क्वैरीज का बहुत बड़ा इलाका है, खानियों का। मैंने पिछले साल भी आपसे यह निवेदन किया था और आपने कैलाश जी मेघवाल को इंस्ट्रक्शन दिये थे, इन्होंने उसके ऊपर कार्यवाही करायी। करीब एक हजार खानें इन्होंने अलाट करायीं उससे निश्चित तौर पर कम से कम सात हजार आदमी काम पर लगेंगे,

(श्री खेतसिंह राठोड)

लग रहे हैं। बहुत बडा इलाका और भी पड़ा है, अगर आप और उसके अन्दर क्वैरीज के अलाटमैंट कराएंगे तो वहां पर आपको फेमिन के कार्य कम खोलने पड़ेंगे क्योंकि लोग क्वैरीज में ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। वे फेमिन में नहीं आएंगे तो आपको इससे यह लाभ मिलेगा कि आपका रुपया वहां पर कम खर्च होगा और लोगों को एक परमानेन्ट मजदूरी मिल जाएगी। उनको क्वैरीज अलाट हो जाएंगी तो उससे वे लोग अपनी कमायी शुरू कर देंगे। एक तो मेरा यह सुझाव है कि यह कार्यवाही करवाइये।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि पिछले अकालों के अन्दर जो सड़कें अधूरी रह गयी हैं उनको प्राथमिकता दीजिये। यह मत सोचिये, सांवर जी, कि यह इलाका खेतसिंह का है इसलिये यहां नहीं। आपके इलाके हैं वे तो शहर ही शहर हैं, आगे कुछ है ही नहीं। जोधपुर जिले के अन्दर तीन कांस्टीट्यूएंसीज हैं आपकी, बाकी तो हमारी ही हमारी हैं। हां, एक विश्नोई जी हैं। (व्यवधान) और सबसे ज्यादा काम इन विश्नोई जी के होते हैं, यह मैं गलत नहीं कहता। होंगे, उसमें मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं। इनके काम कीजिये, मेरी मनाही नहीं है लेकिन दूसरे इलाकों की तरफ भी आपका ध्यान रहना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्रीमान् परसराम जी मदेरणा।

श्री सांवरलाल (राज्य मंत्री सहायता एवं पुनर्वास) : जोधपुर की मीटिंग में आये जब आपने कहा, वह सब चीजें घोषणा करके आया हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं-नहीं, तो मैं आपको अच्छा मंत्री मानता हूं न। तारीफ की बात तो अब करूंगा। अभी तक तो समस्याएं बता रहा हूं। इसलिये आपसे कहता हूं अधूरे कार्यों को प्राथमिकता दीजिये, तालाबों को प्राथमिकता दीजिये। जो अच्छे तालाब हों, जिनके अन्दर बारह-बारह महीनों पानी रह सकता हो उन तालाबों को प्राथमिकता दीजिये ताकि वहां पर लोग लगकर, मजदूरी करके अपना भरण-पोषण कर सकें।

मुझे इस बात के लिये कोई एतराज नहीं है, आपने मीटिंग बुलायी। आप अच्छे मिनिस्टर हैं, आपने फेमिन की मीटिंग बुलायी, हम सब एम. एल. एज. को बुलाया। मैंने उस मीटिंग में भी यह कहा था, कुछ मंत्री आपके ऐसे आते हैं जो हम लोगों को बुलाते ही नहीं हैं, अपने सर्किट हाउस में बैठकर और शहर के तीन एम. एल. एज. से बात करके वापस भाग जाते हैं। आपकी मीटिंग के अंदर मैंने कहा भी था कि आप हैं, मामड़ा साहब हैं, जब भी आते हैं, हम लोगों को बुलाते हैं, मीटिंग करते हैं, हमें रूबरू बैठाकर बातचीत करते हैं, अच्छी बात है। हम जो कुछ भी सुझाव देंगे जनता के हित में देंगे। यह क्या जरूरी है, पार्लियामेंट के चुनावों के अन्दर कोई सारी कांस्टीट्यूएंसीज हमारी जेब में तो नहीं हैं। अगर आपको चुनाव

(श्री खेतसिंह राठौड़)

लड़ना है, अगर आप अच्छे काम करोगे तो आपको वोट मिल जाएंगे लेकिन जनता का हित सबसे पहले देखना चाहिये। वोट क्या है ? वोट तो अपने आप मिलते हैं। अगर आप जनता का हित देखोगे तो हमारे भाषण खाली जाएंगें और आपके भाषण सही हो जाएंगे और आप कुछ भी नहीं करोगे तो आप बिलकुल साफ हो जाओगे।

भैरोंसिह जी ने परसों बहुत बड़ा चैलेंज दिया था। उनके दिमाग में दो-तीन बातें थीं। एक तो बिजली, बिजली में तो सफाया ही किया है, ज्यादा काम कुछ हुआ नहीं। अब फेमिन के लिये इनके दिमाग में थी कि मैं फेमिन के अन्दर एकदम से ऐसे काम टेकूंगा कि जिससे वहां पर लोग ज्यादा नम्बर में लग जाएंगे और उनकी पगत लगाकर और लाइन में खड़ा कर के वोट टिकवा दूंगा। काम नहीं करो तो आपको तो मजदूरी इस रोज की मिल जाएगी, यूं करके काम जमा लूंगा। होते हैं, लेकिन लोग काफी समझदार हो गये हैं, वे जानते हैं कि भारत की सरकार कौन चला सकता है। आज लोगों की भावनाएं यह बन गयी हैं।

मैं चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि लोग यह मानने शुरू हो गये हैं, जनता यह मानती है, राजस्थान की जनता ही नहीं भारत की जनता यह मानती है कि अगर राज कोई कर सकता है तो वह कांग्रेस ही कर सकती है। किसी और के रास.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम जी मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने और फलोदी से आने वाले माननीय सदस्य ने जोधपुर डिवीजन में जो क्राप डैमेज हुई है, फसल को क्षति पहुंची है उसके कारण आपको बता दिये हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। एक्सेस रेन से क्राप डैमेज हुई है, स्पैन एक रेन में और दो रेन के बीच में बहुत लम्बा हुआ है, समय पर बरसात नहीं हुई है। और आज तो जैसा कि खुद राज्य मंत्रीजी यह मानते हैं कि तीन डिवीजन के अन्दर संभावनाएं हैं। काहे की हैं ? स्केयरसिटी की हैं कि फेमिन की हैं ? फेमिन कोड में स्केयरसिटी और फेमिन अलग-अलग हैं। स्केयरसिटी की, फेमिन की इस बात को आपने क्लीयर नहीं किया। आप जिन संभावनाओं की बात करते हैं, इससे पहले तो आपकी प्राक्कलन समिति गयी थी जोधपुर इन दी मंथ आफ सितम्बर। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया 20 को, वह दैनिक नवज्योति में आया जो अजमेर से प्रकाशित होता है और जयपुर से भी। "राजस्थान विधान सभा की प्राक्कलन समिति का मानना है कि पश्चिमी राजस्थान में सूखे के कारण खरीफ की फसल को पचास प्रतिशत तक नुकसान होने की आशका है।" उनको

(श्री परसराम मदेरणा)

आशंका थी आज से सवा महीने पहले और अभी आशंका बनी हुई है ।

मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं, अभी हाउस में रिलीफ मिनिस्टर मिसलीड कर रहे थे । इन्होंने कहा कि कलक्टर टैस्ट वर्क खोल सकता है । मैंने कहा कहां पर खोल सकता है तो उन्होंने फेमिन कोड भिजवाया मेरे पास । मैंने इस फेमिन कोड का पैरा 38 पढ़ा । यह सब्जेक्ट टू पैरा 7 है और पैरा 7 में यह बात लिखी हुई है कि कलक्टर को इतना विजिलेंट रहना चाहिये । अगर क्राप पकने से पहले भी स्थिति बिगड़ती हुई जा रही है तो तहसीलदारों को एन्जवाइन है, एस. डी. ओ. की रेस्पांसिबिलिटी है कि वह कलक्टर को प्रति सप्ताह रिपोर्ट देगा और कलक्टर प्रति सप्ताह और फोर्ट नाइटली रिपोर्ट रिलीफ कमिश्नर के पास भेजेगा रिलीफ कमिश्नर का मतलब है कि वह रिलीफ मिनिस्टर के पास । हालांकि आजकल इनएक्सपीरिएंस्ड कई मिनिस्टर चिटठियां लिख देते हैं, हमने कभी जिंदगी में कोई चिट्ठी नहीं लिखी है चाहे किसी को ही एड्रैस करो । गवर्नमेंट का आर्डर हमेशा ब्यूरोक्रेसी के थ्रू जाता है, मिनिस्टर कोई चिट्ठी नहीं लिखता । इसलिये मैं निवेदन कर रहा था, समावनाएं नहीं हकीकत में भयंकर अकाल है और विश्नोईजी बिलकुल ठीक कह रहे थे, अनाज, पानी और चारा, इन तीनों का अकाल है, त्रिकाल है ।

अब खेतसिंह जी का असेसमेंट कि आज मुख्य मंत्रीजी की बात में आउट रेट चेंज हुई है वे कुछ न कुछ करेंगे । ठोके रह जाओगे, करने वरने का तो मुझे कुछ कम ही मामला दिख रहा है । क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, आपने जो कुछ भी यहां पर एक पिक्चर रखी, "पूत रा पांव पालने में दिखे ।", सवा 377 करोड़ रुपये का मैंने एस्टिमेट बनाया । मेरे पास कैलेमिटी रिलीफ फण्ड में 169 करोड़ रुपये हैं । आपने सेण्ट्रल स्टडी टीम को जो मैमोरेण्डम दिया है उसमें कुल मिलाकर 700 कितने करोड़ रुपये मांगे हैं और 704 करोड़ का नुकसान बताया है । उसके साथ ही आपने 377 करोड़ रुपये में एक बात रख दी, राइडर लगा दिया उसमें जवाहर योजना और अनटाइड फण्डस का । और फिर जवाहर योजना नम्बर 2--वह तो शायद करीब-करीब बन्द हो गयी, आधे साल से । बोर्डर एरिये का भी एक फण्ड आता है हैण्ड्रेड पर्सेन्ट ग्रांट डी. पी. ए. पी. का फण्ड अलग है और कुछ अपने मुख्य मंत्रीजी की दो योजनाएं हैं "अपना गांव अपना काम" और "तीस जिले तीस काम" चाहे जिले 31 हो गये पर आप तो तीस पर ही टिके रहो । सदस्य कल गंगानगर से आने वाले माननीय कह रहे थे कि उनको रिप्लाई दी कि गंगानगर में तो आ गयी है फ्लड और हनुमानगढ़ जंक्शन डूब गया पानी में, उसकी इंफार्मेशन ही नहीं । वे यह बता रहे थे कि राइटिंग में दिया है ।

मेरा निवेदन करने का मतलब यह कि स्केयरसिटी डिक्लेयर करनी पड़ती है और स्केयरसिटी में लास्ट डेट जो फर्स्ट रिपोर्ट

(श्री परसराम मदेरणा)

पेश करने की है वह 31 अक्टूबर है। 31 अक्टूबर वहां नहीं, 31 अक्टूबर को फेमिन कोड के अनुसार राजस्थान गवर्नमेंट के रिलीफ कमिश्नर को प्रस्तुत करनी पड़ेगी। आज तारीख 2 है, रिपोर्ट आयी आपके पास कलक्टर्स की ? अगर अभी रिपोर्ट आयी है, यह कोई जरूरी नहीं कि रेवेन्यू बोर्ड में तारीख गिरदावरी की रखी हुई है और गवर्नमेंट ऐसा सोचती है। और उन्होंने भी गिरदावरी की बात कही है, एस्टीमेट कमेटी ने गिरदावरी के लिये कहा कि गिरदावरी इमीजिएट होनी चाहिये। माननीय सदस्य महावीर जी भगोरा ने तो कहा कि पश्चिमी राजस्थान उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाडा जिलों में सूखे के कारण पचास प्रतिशत से अधिक फसलों को नुकसान पहुंच चुका है। वह आदमी सबसे आखिरी बेंच में बैक बैंचर है और हाउस आफ कामन्स में सबसे बुद्धिमान आदमी बैक बैंचर रहते हैं। उनका असेसमेंट हो सकता है, और सम्भावनाओं के अन्दर पोसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज भी होती हैं लेकिन यह डेफिनेटली अकाल पड़ गया है। इसलिये आप इमीजिएटली रिलीफ के काम शुरू कीजिये। फेमिन कोड में कोई भी टैस्ट वर्क कलक्टर प्रारम्भ नहीं कर सकता है जब तक कि स्केयरसिटी डिक्लेयर नहीं हो। स्केयरसिटी डिक्लेयर होने के बाद में आपने कर्जे रोके कि नहीं रोके ? स्केयरसिटी डिक्लेयर नहीं की है। इमीजिएटली आपको कर्जे भी रोकने पड़ेंगे। वह कौनसा एक्ट है, मुख्य मंत्री जी, हैडलाइन्स से कोई मतलब ही नहीं, जानते हैं वह रिलीफ एक्ट है। वह अफैक्टेड एरियाज सस्पेंशन आफ रिकवरी एक्ट है। इमीजिएटली नैक्स्ट इनवोक करने का है। मैं हमेशा एज रिलीफ मिनिस्टर इमीजिएटली स्केयरसिटी के साथ यह नोटिफिकेशन निकालता था गजट में और आपको स्केयरसिटी भी गजट में डिक्लेयर करनी पड़ती है। इसलिये आप मेहरबानी करके सबसे फर्स्ट स्टेज यह लीजिये।

आप यह कह रहे हैं एक तरफ तो कि डी. आर. डी. ए. में मेरे पास 350 करोड़ रुपये हैं। उसमें से कुछ तो खर्च हो गये हैं आपके और कुछ बच गये हैं और कुछ आगे और मिल जायेंगे मार्च के बाद लेकिन वह जो पैसा है गरीबी रेखा के नीचे चयनित फैमिलीज हैं, उन्हीं को लगा सकते हैं। जब क्राफ फेल होती है तो एंटायर पापुलेशन स्केयरसिटी अफैक्टेड है और वह गरीबी रेखा के नीचे आ जाती है। केवल आप यह सोचते हैं कि हम इन चयनित फैमिलीज को ही रोजी देते रहेंगे, उससे समस्या का हल नहीं होने वाला है। एक माननीय सदस्य अभी कह रहे थे कि लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है, निश्चत तौर पर लोग जाने लग गये हैं बाहर। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक तरफ तो फ्लड से बहुत बड़ी क्षति पहुंची, सात सौ और कुछ करोड की प्रोपर्टी नष्ट हुई है और इधर कोई एस्टीमेट ही नहीं है। फसल गयी है लोगों की। आप अन्दाजा लगाइये 600 कुछ रुपये बाजरी का भाव है। स्टेपल और सीरियल डेजर्ट एरिया के अन्दर बाजरी है। अभी राठोड साहब कह रहे थे कि मुख्य मंत्री जी जानते हैं। मुख्यमंत्री जी जानते ही नहीं है,

(श्री परसराम मदेरणा)

बाजरी खाते हैं। वह सीकर वाली बाजरी मुझे पसन्द नहीं है। मुझे बाजरी पसन्द है, बाजरा पसन्द नहीं लम्बा-लम्बा यह आठ फुट वाला सीकर वाला। इसलिए मैं यह कह था कि बाजरी हुई नहीं, ग्वार नहीं हुआ। ग्वार के भी दो सौ, ढाई सौ, तीन सौ रुपये बढ गये हैं, क्योंकि बतौर रा-मैटीरियल गम फैक्ट्री में यूज होता है। आप उससे अन्दाज लगा लीजिये। साढ़े तीन रुपये किलो, चार रुपये किलो का एक चोपटा मिलता है जो अच्छा चोपटा होता है वह और दो रुपये किलो के अन्दर कडबी मिलती है। और सीकर के लोग ले जा रहे हैं, दो साल से ले जा रहे हैं। इस साल सीकर के कुछ गांवों में थोडी बहुत कडबी हो गयी तो मैं नहीं कह सकता हूं। हुई हैं, क्योंकि सीकर के कुछ पोर्शन में जून में बरसात हो गयी थी। मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये बड़े-ब्रांड इंडीकेटर्स हैं। मुख्यमंत्री जी इसमें तो पास मास्टर हैं कि नेशनल डवलपमेंट के इंडीकेडर में राजस्थान कहां खड़ा है। लास्ट बट वन, लास्ट बट वन गिना रहे हैं लेकिन यह जो बाजरी का आज मार्केट रेट है, आज चारे की जो मार्केट रेट है, आज ग्वार की जो मार्केट बढ़ी एकदम, बरसात के बाद में दो-दो सौ क्विंटल बढ़ जाना, इसका मतलब है कि पैदावर हुई ही नहीं है। ऐसी विषम स्थिति है तो, मुख्यमंत्रीजी, इमीजिएटली आपको डिक्लेयर करनी चाहिए स्केयरसिटी, तमाम प्रकार के ऋणों को सस्पेंड करना चाहिये। पानी की भी बहुत गम्भीर समस्या आपके सामने खड़ी होगी। बाड़मेर के 1400 कुछ गांव हैं। अभी शिव से आने वाले माननीय सदस्य हरिसिंह जी अभी बोल रहे थे, रेगिस्तानी इलाके की स्थिति ऐसी है कि पानी की जबर्दस्त समस्या आने वाली है। ये जो पी. एच. ई. डी. के लोग हैं, मैं यह नहीं कहता कि इन्होंने काम नहीं किया लेकिन जो रीजनल पाइप लाइन हैं वे करीब करीब सभी फेल हो चुकी हैं। इसके रीआग्मेंटेशन के लिये आपको करोड़ों रुपये की आवश्यकता है। इतना अमाउंट आपके पास है या नहीं है? इसलिये पानी की भी गम्भीर समस्या आपके सामने आयेगी।

इसलिये आप रीयलिस्टिक, वास्तविक, डाउन टू दी अर्थ असैसमेंट कीजिये कि आपको कितनी तो चारे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये आकड़े बीस-बीस करोड़ के जो आपसे पकड़ाये हैं ये तो आपने यूं ही अलटप्पू में पकड़ा दिये। आप रीयलिस्टिक असैसमेंट कीजिये। आपने भारत सरकार को मैमोरेण्डम दिया है पर नेचुरल कैलेमिटी रिलीफ आपके पास 169 करोड़ है। आपको फ्लड में भी व्यवस्था करनी है और 377 करोड़ रुपया आप बता रहे हैं आपको फेमिन में चाहिए। तो कम से कम you require 560 crore rupees.। सैण्ट्रल टीम को बुलाना पड़ेगा। सैण्ट्रल टीम जो आयी है वह फ्लड एरिया में आकर चली गयी है, वह रिलीफ के लिये नहीं आयी है। हालांकि आपने जो मैमोरेंडम प्रस्तुत किया है उसमें रिलीफ को मेमोरेण्डम का ही एक पार्ट बना दिया है लेकिन पार्ट बनाने से सैण्ट्रल रिलीफ कमेटी नहीं गयी है। इमीजिएटली

(श्री परसराम मदेरणा)

आपको सैण्ट्रल रिलीफ कमेटी को इनवाइट करना चाहिये ।

मुख्य मंत्रीजी, सबसे कम बरसात, जो फिफ्थ कैटेगरी स्कैंटी रेन्स है वह हुई है फलौदी में और फलौदी का निवासी हूं मैं । मेरा गांव है चाडी । मेरे गांव की हालत यह थी--मैं गया था वहां 10 सितम्बर को, इतनी की इतनी बाजरी खड़ी थी । पास वाले गांव में तो फिर भी दो-तीन दिन पहले बरसात हुई थी । बाजरी जली हुई थी करीब-करीब । यह स्थिति पूरी तहसील में हुई है । जोधपुर जिला अफैक्टेड है, जोधपुर डिवीजन पूरा अफैक्टेड है और ट्राइबल एरिया की सिचुएशन तो और भी खराब है ।

इसलिये मेरा निवेदन है कि आप रिलीफ के लिये इमीजिएटली स्टैप लीजिये । आप नहीं लेंगे तो लोगों की स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी और यह सिचुएशन हाथ में से निकल जाएगी । सरकार का दायित्व है । मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, और खेतसिंह ने बहुत मुद्दे की बात कही कि पूरे भारतवर्ष में सैण्ट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स की गवर्नेंस की जो स्थिति है वह बीलिटल हुई है लोक सभा इलैक्शन के सन्दर्भ में । इसलिये अगर आप वर्थ दी नेम मिनिस्टर हैं क्योंकि स्पीड से आप चलते हैं--कल भी आप चल रहे थे, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था । मैंने कहा, यह पूरा स्टेटमेंट है पढ़ने के लिये, न तो नीचे देखते हैं और आई साइट है बहुत बढ़िया । एक्सप्रैस की तरह जा रहे थे, सुपर सोनिक की तरह । अभी टाइम बहुत कम है और अध्यक्ष महोदय के डिनर में सभी को जाना है, संक्षेप में जो गवर्नमेंट सोचती है, रिलीफ देना चाहती है, रिलीफ के जो स्टैप्स लेना चाहती है, स्केयरसिटी कब डिक्लेयर करने वाली है उस सम्बन्ध में I think, you will throw some light.

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मंत्रीजी का जवाब पूरा होने तक समय बढ़ा दिया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय मंत्रीजी का जवाब पूरा होने तक बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया ।

राज्य में अकाल की स्थिति पर अग्रेत्तर चर्चा

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : डिबेट से जो मुद्दा आया है वह यह है कि कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि टास्क बेसिस पर फेमिन के कार्य करवाये जाने चाहिये । यह बहुत ही खतरनाक एप्रोच है, क्योंकि फेमिन रिलीफ वर्क्स उनके लिये हैं जिस जनता को पूरा अनाज

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

नहीं मिल रहा है, पर्याप्त पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है। उसमें हो सकता है कि पति-पत्नी साठ वर्ष के ऊपर के हों। इसमें मेरे कहने का आशय यह है कि फेमिन की तो फेमिश्ड लेबर है क्योंकि जो अच्छे कमाऊ हैं वे तो चले जाते हैं। फैक्ट्रियों में 60 रुपये रोज मिलते हैं या बाहर या अहमदाबाद चले जाते हैं और यहां थके-मांदे, बूढ़े बच्चे ये रहते हैं। आप जानते हो, काश्तकार हो, सबसे दुनिया में कठिन काम है रेत का खोदना और रेत का ढोना, इससे मुश्किल कोई काम नहीं होता है। टास्क देकर के बूढ़े-ठाड़ों को मजदूरी आप पूरी देंगे तो भी वह उस टास्क को कैसे पूरा कर सकेंगे। औरतें तो फिर भी तगड़ी हों तो आदमियों से ज्यादा काम करती हैं। लेकिन बूढ़े-ठाड़े और 14 वर्ष से ऊपर के बच्चे और बच्चियां उनके जिम्मे टास्क आप रख करके उनके साथ अन्याय मत करना, क्योंकि जो फेमिन कोड है वह आपके काम पूरे कराने का नहीं है, जनता को जो फेमिश्ड है, सहायता देने के लिये है। इस पर कृपया उत्तर अवश्य देवें।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब के बाद समय नहीं रहेगा पूछने का। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह समय की जरूर घोषणा कर दे कि इस तारीख तक फेमिन काम शुरू हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी।

श्री सांवरलाल (पुनर्वास एवं सहायता राज्य मंत्री) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक आपदा की स्थिति किसान के लिये बड़ी अजब स्थिति होती है। किसान का मुख्य धंधा खेती और पशु पालन है। अकाल की जब स्थिति पैदा होती है तब अन्न, चारा, पानी की कमी होती है। भाव आसमान की तरफ जाने लगते हैं। ऐसी स्थिति में ही किसान राज की तरफ देखता है। जब राम राजी होता है तो किसान को राज की परवाह नहीं होती। माननीय भैरोंसिंह जी के राज में, अभी चर्चा हुई, माननीय सदस्यों ने चिन्ता की है, हमारे मुख्य मंत्रीजी का स्पष्ट मानना है कि किसानों को, गांव वालों को इस प्राकृतिक आपदा से किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिये--चाहे चारे की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे रोजगार की समस्या हो। माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि जोधपुर प्राक्कलन समिति गयी उन्होंने यह कहा, मंत्रीजी कह रहे हैं कि सम्भावना है। मैं आपके राज की बात बताना चाहता हूं। हम तो सम्भावना कर रहे हैं, हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। जब घोषणा कर देंगे तो समझ लो वह काम चालू हो गया। पर आपने घोषणा की और कब काम चालू हुआ, यह बताना चाहता हूं। सम्वत् 2040 में 13-3-84 को आपने घोषणा की और....(व्यवधान)... एक मिनट सुनिये आप, आप सुनिये अपनी कमजोरी को। उस वर्ष आपने घोषणा करके काम चालू नहीं किया। 2041 में 15-1-85 को आपने घोषणा की, काम चालू नहीं....

श्री उदयलाल आंजना : काहे को इस झगड़े में पड़ते हो, 10 साल पीछे मत जाओ आप।....(व्यवधान)....

श्री सांवरलाल : सम्वत् 2043 में 7-11-86 को घोषणा की है और जनवरी के अन्दर आपने चालू किया। सम्वत् 2044 में, 26-10-1987 को घोषणा की और जनवरी के अन्दर चालू किया और 2045 में आपने सही समय पर चालू किया है। और माननीय भैरोंसिंहजी के राज की बात आपको बताना चाहता हूं, सम्वत् 2048 में 22-2-1992 को घोषणा की और फरवरी में काम चालू हो गया। फरवरी में घोषणा और फरवरी में ही चालू। (व्यवधान) 2049 में 2-4-1993 को घोषणा की और अप्रेल में चालू हो गया। 2050 में फरवरी में घोषणा की और फरवरी में ही चालू हो गया। मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि नवम्बर के महीने में सरकार राहत कार्य शुरू कर देगी। फण्ड की कमी होगी तो सरकार व्यवस्था करेगी।

अभी माननीय सदस्य चिन्ता कर रहे थे, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि भैरोंसिंहजी की सरकार में जनता को भूख से नहीं मरने दिया जायेगा। जिस तरीके से आपके जमाने में यह निष्क्रमण पशुओं का होता था और आदमी मरा करते थे इस तरह की स्थिति हम पैदा नहीं होने देंगे। लोरड़ी कांड को आप याद कीजिये कि आपके जमाने में काश्तकारों और भेड़पालकों के बीच झगड़ा हुआ, गोलियां चली और मरे। ऐसी स्थिति भैरोंसिंहजी के राज में नहीं होने देंगे। हमारी पहली प्राथमिकता होगी--जो अधूरे काम हैं उनको पूरा करवाया जाए। उसके तालाबों का काम पूर्ण प्राथमिकता से लेंगे। तालाबों में मिट्टी का काम हो, पक्का काम हो, मोरियां बनाने का काम हो, स्लूस हो, प्राथमिकता से लिये जाएंगे। इसके साथ ही मोरियां पक्की करवाने का काम किया जायेगा। इसके साथ ही किसानों के जो अधूरे कुए हैं, सिंचाई और पीने के पानी के लिये माननीय सदस्यों ने जो गम्भीर चिन्ता प्रकट की है, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि गांव वालों के जो सार्वजनिक कुए पीने के हैं और किसानों के जो अधूरे कुएं हैं उनको भी सरकार प्राथमिकता के आधार पर लेगी जिससे पानी की समस्या का समाधान होगा। 1994 में अकाल पड़ा, आपके जमाने में भी अकाल पड़े। स्कूटर के नम्बर से सब्सिडी ली, अभी तक जांच चल रही है। आप बताइये कि कितने जिले अकाल में थे और कितनी शिकायतें इस वर्ष हुई हैं। माननीय भैरोंसिंहजी के राज में भ्रष्टाचार न्यूनतम होगा, यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा। सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है कि जो पैसा सार्वजनिक है उसका सदुपयोग हो और जनता के लिये वह पूरा-पूरा इस्तेमाल हो। किसी को भी मनमानी करने की छूट नहीं दी जायेगी।

माननीय सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की, ये जो पहचान परिचय पत्र बनाये हैं, हमने खत्म कर दिये। आपने कहा कि वापस चालू कीजिये। मैंने महसूस किया है, मैं

(श्री सांवरलाल)

खुद, फेमिन में काम किया हुआ हूं। मैं जानता हूं कि एक राशन कार्ड बनाने के लिये, एक परिचय-पत्र बनाने के लिये कांग्रेस के राज में उन गरीबों से सौ-सौ, पचास-पचास रुपये लिये जाते थे। इस सरकार ने उसको खत्म किया, सरकार उसको पुनः चालू नहीं करेगी। अगर किसी गरीब को कोई अधिकारी रोजगार नहीं दे तो सरकार उसके खिलाफ तत्काल कार्यवाही करेगी, यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। अभी दिन में प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि अजमेर जिले के तालाब ज्यादा लिये गये और बाकी में राजस्थान था। मैं आपके क्षेत्र में गया था तो लोगों ने कहा कि रिलीफ मिनिस्टर जब मदेरणा साहब होते थे तो कहते थे कि मेरी गाड़ी चलती जाए उधर सड़क बन जानी चाहिये। मैंने कहा इतनी अनीति हम नहीं करेंगे, हम सबके साथ समान व्यवहार करेंगे। जहां-जहां प्रभावित लोग हैं वहां पर आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री परसराम मदेरणा : जब मैं रिलीफ मिनिस्टर था तो यहां पर एक सिंहावलोकन, रिव्यू हुआ था, रिलीफ का 1970 में। मोस्ट प्रोबेबली सितम्बर या अक्टूबर का महीना था। सितम्बर और अक्टूबर में मुख्य मंत्रीजी का जो भाषण हुआ है उस रिलीफ के सम्बन्ध में, मैं चाहूंगा कि वह आप निकाल कर किताब पढ़ लीजिये 1970 की, उससे आपकी सब आंखें खुल जायेगी। यहां पर यह जो + + + जो जल्दी-जल्दी बोल रहे थे न अभी कि फरवरी में काम डिक्लेयर हुए और अप्रैल में चालू कर रहे हो, आपको + + + चाहिये।

श्री सांवरलाल : मई में तो बन्द होता है काम।

श्री परसराम मदेरणा : फरवरी में काम होते हैं। आज तो हम नवम्बर में बात कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं कि फरवरी में हमने डिक्लेयर किया और अप्रैल में हमने डिक्लेयर किया। 1992 में इन्होंने दो दफे बताया है कि हमने दो दफे फरवरी में डिक्लेयर किया है।

श्री सांवरलाल : अकाल की गम्भीरता होती है जब ही सरकार डिक्लेयर करती है। और डिक्लेयर किया उसी समय चालू कर दिया। डिक्लेयर तीन महीने पहले करें और चालू तीन महीने बाद करें।

श्री परसराम मदेरणा : यही तो मुझे शंका है। आप अभी तक रिपोर्ट नहीं मगवा रहे हैं। कलक्टरों को कह रहे हैं कि धीरे-धीरे।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सांवरलाल : शंका इसलिये नहीं है कि हमने जब कहा है चालू किया है और इस बार भी नवम्बर महीने में चालू कर दिये जाएंगे।

श्री परसराम मदेरणा : डिक्लेरेशन के बाद में तो आप जाकर फरवरी में देख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही दिनांक 3 नवम्बर, 1995 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदन्नतर सदन की कार्यवाही 19.48 बजे शुक्रवार, 03 नवम्बर, 1995 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 139 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

कृषि कनेक्शन हेतु पोल चार्ज का विवरण

सामान्य श्रेणी :

रुपये 7000/-- प्रति पोल की दर काफी पहले निर्धारित की गई थी उसके बाद कण्डक्टर आदि की कीमतों में अत्याधिक वृद्धि हुई है फिर भी संशोधन होने तक इस श्रेणी के लिये एक पोल की कीमत यथावत रहेगी। सबसिडी एक पोल प्रति हार्स पावर की दर से अधिकतम 8 पोल तक देय है। यह पोल सबसिडी 11 के. वी. व एल. टी. लाइन दोनों के लिये ही उपलब्ध होगी।

सर्वमान में पोल सबसिडी देने के बाद आवेदक द्वारा देय पोल चार्जेज की दर निम्न प्रकार है :—

1. पहले तीन पोल
   रु. 1000/- प्रति पोल
2. चौथे व पांचवे पोल के लिये
   1500/- प्रति पोल
3. छठें, सातवें व आठवें पोल के लिये
   रु. 2000/- प्रति पोल

यदि पोल की दर 9000 रु. प्रति पोल मानी जाय, तो यह तीन पोल पर रु. 8000/- प्रति पोल, दूसरी श्रेणी में रु. 7500/- प्रति पोल तथा अन्तिम श्रेणी में रु. 7000/- प्रति पोल विद्युत मण्डल को वहन करना पड़ता है।

उपरोक्त दरें सभी हार्स पावर के कनेक्शनों पर लागू हैं।

(ब) तुरन्त प्राथमिकता योजना—एक पोल दो पोल व नर्सरी :

एक पोल दो पोल व तुरन्त प्राथमिकता योजना (नर्सरी श्रेणी) में 11 के. वी. एवं एल. टी. लाइन के पोल चार्जेज रुपये 9000/-- प्रति पोल लिये जावेंगे। यदि पूर्व में प्रथम पोल के रु. 7000/-- जमा करा दिये हों तो उन मामलों में अतिरिक्त राशि नहीं ली जायेगी। जिन मामलों में केवल सर्विस लाइन लगानी है, उन्हें भी एक पोल की कीमत देनी होगी। एल. टी. लाइन को 11 के. वी. लाइन मे बदलने अथवा सिंगल फेज को तीन फेज में करने के लिये, क्रमश: रु. 3500/-- व रु. 5000/-प्रति पोल अलग से लिये जायेंगे। उदाहरण के लिये यदि 8 पोल का कार्य करना है, जिसमें

(239)

5 पोल नये लगाने है और 3 पोल की एल. टी. लाइन को एच. टी. लाइन में बदलना हो अथवा 3 पोलों की सिंगल फेज एल.टी. लाइन को तीन फेज लाइन में बदलना हो तो नये पांच पोल लगाने के रु. 9000/-- प्रति पोल एवं तीन पोलों के लिये रु. 3500/-- अथवा रु. 5000/-- प्रति पोल देय होंगे। नर्सरी श्रेणी में पोलों की संख्या का बन्धन नहीं है अर्थात दो पोल से अधिक भी दिये जा सकेंगे।

राजस्थान के मरूस्थलीय क्षेत्रों में जहां सामान्यतया कुएं अधिक दूरी पर होने के कारण लाइन लम्बी होती है और उपभोक्ता पर अधिक व्यय भार पड़ता है, उन किसानों की सुविधा के लिये यदि वे नर्सरी श्रेणी में कनेक्शन लेना चाहते हो तो एक आवेदक से पहले 5 पोल की पूरी कीमत व अगले 5 पोलों की आधी कीमत व इससे अधिक लगने वाले पोलों की एक तिहाई कीमत ली जावेगी। यदि ग्रुप में दो या इससे अधिक आवेदक शामिल हों, उनसे पहले 10 पोल लाइन की पूरी कीमत व अगले 10 पोल की आधी कीमत व शेष पोल के लिये 1/3 राशि ले कर कनेक्शन कर दिये जायेंगे। कृषक स्वयं ग्रुप बनाकर प्रार्थना पत्र देंगे अन्यथा सभी पृथक-पृथक कनेक्शन माने जायेंगे। पोलों की गणना 11 के. वी. एवं एल टी. दोनों को मिला कर की जावेगी। इस योजना के अन्तर्गत गैर-मरूस्थलीय क्षेत्रों में भी कनेक्शन दिये जा सकते हैं एवं यह योजना अविद्युतिकृत ग्रामों में भी लागू होगी। इस प्रकार सारे राज्य में नर्सरी कनेक्शन के लिये 5 पोल से अधिक वाले मामलों में उपरोक्तानुसार रियायती दर पर पोल उपलब्ध कराये जायेंगे।

परिशिष्ट "ब"

क्र. सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (किमी)	निर्माण की स्थिति	कार्य पूर्ण होने की सम्भावित अवधि
1.	सम्पर्क सड़क हिण्डोन रोड से जाट बड़ोदा	2.00	डब्लू बी. एम. का कार्य पूर्ण किया जा चुका हैं। डामर का कार्य शेष हैं।	इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण होने की सम्भावना हैं।
2.	सम्पर्क सड़क टोकसी	2.00	कार्य पूर्ण किया जा चुका हैं।	" "
3.	सम्पर्क सड़क हिण्डोन रोड़ से रायपुर फुलवाड़ा	2.50	डब्लू बी एम का कार्य पूर्ण किया जा चुका हैं। डामर का कार्य शेष हैं।	" "
4.	सम्पर्क सड़क हिण्डोन रोड से जीवली	1.20	कार्य पूर्ण किया जा चुका हैं।	" "
5.	सम्पर्क सड़क हिण्डोन रोड से पावटा	2.90	2 किमी. में डामर का कार्य पूर्ण, 0.90 मीटर में डामर कार्य शेष।	" "
6.	सम्पर्क सड़क हिण्डोन रोड से मेडी	1.70	मिट्टी का कार्य पूर्ण	" "
7.	सम्पर्क सड़क हिण्डोन रोड़ से मीना बड़ोदा	2.00	सड़क का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पूर्ण कर दिया गया हैं।	" "

1	2	3	4	5
8.	सम्पर्क सड़क सलोदा से पीलोदा	7.00	3.75 कि. मी. बी. टी. का कार्यपूर्ण	इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण होने की सम्भावना है।
	वर्ष 1994-95 में स्वीकृत सड़कें :			
1.	स. स. पीलोदा से बगलाई	4.50	निर्माण कार्य प्रगति पर है।	आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होना सम्भावित है।
2.	स. स. मोहया से रेण्डवाल गुजर	2.50	निर्माण कार्य प्रगति पर है।	इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होना सम्भावित है।

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या 141 का विवरण)

बिन्दु संख्या-1 से 3 तक की सूची

	विद्यालय का नाम	छात्र/छात्रा	स्वीकृत पद			रिक्त पद		
			व्या.	व. प्र.	प्र.	व्या.	व. प्र.	प्र.
1.	रा. सी. मा. वि. बांदीकुई	1647	25	23	—	6	—	—
2.	बसवा	724	18	12	—	1	—	—
3.	" लोटवाड़ा	464	5	6	4	3	—	—
4.	रा. मा. वि. बडलियाकला	551	—	7	7	—	—	—
5.	" बैजूपाड़ा	317	—	7	3	—	—	—
6.	" पालुहेड़ा	309	—	6	3	—	—	—
7.	" मावताभावतो	247	—	6	3	—	—	—
8.	" बोवाई	491	—	8	6	—	—	—
9.	" देलाडो	240	—	6	3	—	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	रा. मा. वि. घनावड	318	—	6	4	—	1	—
11.	,, ढिग्रारियामीम	246	—	6	3	—	—	—
12.	,, गुढ़ाकदला	533	—	7	7	—	—	—
13.	,, हिगोटा	292	—	6	3	—	—	—
14.	,, कोलाना	339	—	6	5	—	—	—
15.	रा.बा.सी.मा.वि. बांदीकुई	559	5	7	—	1	—	—
16.	रा.बा. मा. वि. बसवा	213	—	6	3	—	1	—
17.	रा. बा. उ. प्रा .वि. बिवाई	134	—	1	4	—	—	—
18.	,, बढ़ियाकला	115	—	1	4	—	—	—
19.	,, गुढ़ालिया	227	—	1	5	—	—	—
20.	,, घनावड	191	—	1	5	—	—	1
21.	,, गुढ़ाकटला	153	—	1	6	—	—	—
22.	,, कोलाना	151	—	1	4	—	—	....

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	रा. बा. प्रा. वि. बान्दीकुई वार्ड न. 9,	23	—	1	2	—	—	—
24.	वार्ड न. 6 बान्दीकुई	252	—	—	10	—	—	—
25.	" बसवा	78	—	—	6	—	—	—
26.	रा. उ. प्रा. वि. अरनियां	378	—	1	11	—	—	—
27.	" अन्बाबाड़ा	232	—	1	6	—	—	—
28.	" आसियापाडा	71	—	1	05	—	—	—
29.	" अगावली	221	—	1	06	—	—	—
30.	" आमानेरी	225	—	1	06	—	—	—
31.	" एचेडी	186	—	1	06	—	—	—
32.	" कडूनावर	240	—	1	06	—	—	—
33.	" कुटी	253	—	1	08	—	—	—
34.	" कोलबा	252	—	1	07	—	—	1
35.	" गादरवाडा	305	—	1	09	—	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36.	रा. उ. प्रा. वि. गुंजरान	134	—	1	04	....	....	...2
37.	,, गुस्लाना	342	—	1	10	....	....	....
38.	,, गुढ़लियावास	336	—	1	06	....	....	....
39.	,, गुढ़ाभाशिकपुरा	149	—	1	04	....	....	...2
40.	,, गोताडावासडा	317	....	1	08	....	—	...2
41.	रा. उ. प्रा. वि. चोदेरा	170	....	1	06	....	....	....
42.	,, जागीरवादी.	339	—	1	09	....	....	....
43.	,, ढिगारिया कपूर	221	—	1	06	....	....	....
44.	,, इतापुरा	238	....	1	07	....	....	....
45.	,, पंडितपुरा	220	—	1	05	....	....	....
46.	,, पीचूपाडाखुर्द	315	—	1	08	....	....	....
47	,, कला	372	—	1	08	....	....	....

1	2		3	4	5	6	7	8	9
48.	रा. उ. प्रा. वि.	पुन्दरपाडा	340	—	1	08	....	....	1
49.	,,	परतापुरा	203	—	1	06	....	....	....
50.	,,	बड़ियाखुर्द	280	....	1	04	....	....	....
51.	,,	बड़ागांव	265	....	1	08	....	....	....
52.	,,	बेसिक बादी.	276	....	1	07	....	....	....
53.	,,	बेसिक बसवा	455	....	1	12	....	....	....
54.	,,	भाण्डेडा	144	....	1	06	....	....	....
55.	,,	उकला	258	....	1	07	....	....	....
56.	,,	मुही	194	....	1	06	....	....	....
57.	,,	नन्देरा	354	....	1	04	....	....	....
58.	,,	निहालपुरा	239	—	1	07	....	....	....
59.	,,	नागालझापरवाडा	224	....	1	06	....	....	....

1	2		3	4	5	6	7	8	9
60.	रा. उ. प्रा. वि. रूपवास		230	....	1	04	....	....	....
61.	,,	रलावता	272	....	1	04	....	....	1
62.	,,	सबडावली	180	....	1	06	....	....	....
63	,,	सोहालाबासडा	128	....	1	05	....	....	....
64.	,,	श्यामसिंहपुरा	278	....	1	08	....	....	2
65.	,,	श्यामलाबासखुर्द	244	....	1	07	....	....	....
66.	,,	श्यामलाबासकलां	181	....	1	07	....	....	....
67.	,,	हान्कली	163	....	1	06	....	....	2
68.	,,	जयसिंहपुरा	235	....	1	....	....	....	....
69.	,,	भाम्भीरामपुरा	45	....	1	....	....	....	....
70.	,,	भोजवाडा	165	....	1	....	....	....	....
71.	प्रा. वि. न. 1 बांदीकुई		53	....	....	03	....	....	....

1		2	3	4	5	6	7	8	9
72.	प्रा. वि.	वार्ड न. 6	129	....	....	03	....	....	....
73.	,,	खटीक मोहल्ला	37	....	....	02	....	....	....
74.	,,	अामेरी गेट	209	....	1	06	....	....	....
75.	,,	रामपुरा गेट	261	....	1	07	....	....	1
76.	,,	रेगरो का तिबारा	229	....	....	04	....	....	....
77.	,,	सेवरां की ढाणी	118	....	....	04	....	....	....
78.	,,	मोपांन का गुवाड़ा	51[illegible]	....	....	03	....	....	....
79.	,,	झुंरावती की ढाणी	84[illegible]	....	....	02	....	....	....

249

परिशिष्ट-3

(तारांकित प्रश्न संख्या 142 की सूचना)

परिशिष्ट "अ"

मण्डी समिति गंगापुरसिटी द्वारा तहसील गंगापुर सिटी में अब तक निर्माण करायी गयी सम्पर्क सड़कों व निर्माणाधीन सड़कों की सूची

क्र. सं.	नाम सड़क	लम्बाई (किमी.)	निर्माण वर्ष	वि. वि.
1.	स. स. हिण्डोन रोड से जाटबडोदा	2.00	1977	
2.	स. स, हिण्डौन रोड से जीवकी	1.20	1978	
3.	स. स. नहररोड (आन्तरिक सड़क)	0.6	1979	
4.	स. स. गावड़ी	0.7	1982	
5.	स. स, हिण्डौन रोड रायपुर से पुलवाड़ा	2.50	1982	
6.	स. स. हिण्डौन रोड से पावटा	2.90	1982	
7.	स. स. हिण्डौन रोड से मीना बड़ोदा	2.00	1982	

1	2	3	4	5
8.	स. स. हिण्डौन रोड से सेवा	1.20	1982	
9.	स. स. हिण्डौन रोड से टोक्सी	2.0	1982	
10.	स. स. हिण्डौन रोड सालोदा से पीलोदा	7.0	1982	
11.	स. स. हिण्डौन रोड से मेड़ी	1.70	1983	
12.	स. स. छोटीउदई से महानन्दपुरा	4.50	1983	ग्रेवल रोड का निर्माण
13.	स. स. चूलीबाग से चुलीगांव	1 20	1983	
14.	स. स. बजीरपुर से पीलोदा रेल्वे स्टेशन तक	2.50	1983	
15.	स. स. चूलीगेट से मिरजापुर	1.50	1984	
16.	स. स. पीलोदा से बगड़ाई	4.50	—	निर्माणाधीन है
17.	स. स. मोहचा से रडागल गूजर	2 50	—	—

परिशिष्ट-4

(तारांकित प्रश्न संख्या 5 का विवरण)

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., मेडिकल ब्रांच

राजस्थान सहकारी उपभोक्ता संघ की मेडिकल/आयुर्वेद ब्रांच में विगत 5 वर्षों में हुई चोरियों का विवरण

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	नाम शाखा	चोरी की दिनांक	चोरी का विवरण कैश	 माल
1.	जनाना—II	24-4-90	1290.00	7085.24
2.	बम्बई वाला आयुर्वेद	15-5-90	4569.03	—
3.	एम. आर. ई. सी.	1/2-8-92	2866.00	—
4.	जे. के. लॉन शाखा द्वितीय	14/15-10-93	—	64912
5.	एस. एम. एस. काटेज—II एवं III	12/13-6-94	11515.00	—

251

1	2	3	4	5
6.	बम्बई वाला आयुर्वेद	6/7-9-94	6786.00	—

× **विशेष विवरण :—**

क्रम संख्या 4 पर उक्त जे. के. लान शाखा द्वितीय के प्रकरण में विक्रेता द्वारा चोरी का मामला रिपोर्ट किये जाने पर चोरी की एफ. आई. आर. पुलिस में दर्ज कराई गई। इसके तत्काल पश्चात् दिनांक 18-10-93 को सम्पन्न किये गये संस्था के भौतिक सत्यापन करने पर यह पाया गया कि इस शाखा में 64,912.79 रुपये मूल्य की दवाइयां स्टाक में कम थी। संघ द्वारा इस सम्बन्ध में कराई गई विस्तृत जांच में यह पाया गया कि विक्रेता द्वारा तथाकथित चोरी में बतलाई गई दवाईयां वास्तव में दुकान पर उपलब्ध ही नहीं थी। इस प्रकार संस्था द्वारा कराये गये भौतिक सत्यापन एवं जांच के आधार पर विक्रेता द्वारा बताई गई चोरी की घटना होना सन्देहास्पद है। अतः यह मामला स्टाक की कमी का प्रकरण माना जाकर विक्रेता के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसी आधार पर संघ द्वारा थाना प्रभारी को 11-10-95 को यह आग्रह किया गया कि विक्रेता द्वारा किये गये गबन को छुपाने के लिये चोरी की रिपोर्ट किये जाने के खिलाफ तहकीकात कर दण्डित कराने की कार्यवाही की जावे।

परिशिष्ट ट"ब"

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. मेडिकल ब्रांच

बीमा विभाग/बीमा कम्पनी से मांगे गये क्लेम का विवरण

क्र. सं.	नाम शाखा	क्लेम भेजने का दिनांक	राशि कैश	राशि माल	क्लेम की स्थिति
1.	जनाना—II	19-9-92	1289.26	7085.40	चोरी के माल में से 4645.00 का क्लेम बीमा कम्पनी से प्राप्त हो चुका है।
2.	ऐम. आर. ई. सी.	5-8-92	2866.00	—	कैश इन सैफ का बीमा न होने के कारण क्लेम पास नहीं हुआ।
3.	बम्बई वाला आयुर्वेद	—	—	—	बीमा नहीं होने के कारण क्लेम नहीं मांगा गया।
4.	एस. एम. एस. काटेज—II एवं III	22-6-94	11515.00	—	3877/- राशि का क्लेम बीमा विभाग से प्राप्त हो चुका है।

253

(254)

1	2	3	4	5	6
5.	बम्बई वाला आयुर्वेद शाखा	19-9-94	6786.00	—	चोरी गयी राशि में से 1322.00 रु० का क्लेम बीमा विभाग द्वारा स्वीकृत हो गया है।
6.	जे० के० लोन—II	7-12-93	647.00		जे० के. लोन—II शाखा एक क्लेम फार्म 64,900/- दिनांक 7-12-93 को बीमा विभाग को भेजा गया था। संस्था के स्तर पर की गयी भौतिक सत्यापन व जांच के आधार पर मूल क्लेम को वापस मंगाकर 39221.29 रुपये का क्लेम पुनः प्रस्तुत किया गया। इस क्लेम पर बीमा विभाग द्वारा केवल मात्र 540/- रुपये का क्लेम पास किया गया जिसे संघ द्वारा अस्वीकार कर वापस बीमा विभाग को पुनर्विचार हेतु प्रेषित किया गया है।

परिशिष्ट-5

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

जनजाति जिला मुख्यालयों से ग्रामीण बस सेवा

144. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार उदयपुर सम्भागीय मुख्यालय एवं अन्य जन जाति जिला मुख्यालयों से रोडवेज की ग्रामीण बस सेवाएं प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किन-किन जिला मुख्यालयों से एवं कब से ?

उत्तर

उदयपुर संभागीय मुख्यालय एवं अन्य जनजाति जिला मुख्यालयों से निगम द्वारा ग्रामीण बस सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

सहकार संस्थाओं द्वारा कृषकों को ऋण

145. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा इस वर्ष सहकार संस्थाओं के माध्यम से दीर्घ, मध्यम व कम अवधि का कितना-कितना ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

(2) क्या राज्य के किसानों को तीनों प्रकार के ऋणों की आवश्यकता का आकलन कर सरकार द्वारा कोई सर्वे करवाया गया है ?

(3) यदि हां, तो तीनों प्रकार के ऋणों का क्या आकलन है तथा इसकी पूर्ति हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) राज्य योजना में इस वर्ष सहकारी संस्थाओं के माध्यम से अल्पकालीन 225 करोड़, मध्यकालीन 9 करोड़ तथा दीर्घकालीन 48 करोड़ रु. ऋण वितरण के लक्ष्य निर्धारित किये हैं।

(2) जी नहीं।

(3) सर्वे नहीं कराया गया। इसलिए उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम क्षेत्र कोटा की आरक्षित भूमि पर स्थापित उद्योग

146. श्री रामकिशन वर्मा (रामगंजमण्डी) एवं श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर निगम कोटा क्षेत्र की सिंचित भूमि जो ग्रीन बैल्ट के लिये आरक्षित थी, में उद्योग लगाने की

(श्री रामगोपाल बैरवा)

इजाजत दी गयी है ? यदि हां, तो किस-किस उद्योग को किन नियमों के तहत ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि नया नोहरा में सेमकोर टी.वी. पिक्चर ट्यूब की फैक्ट्री से तेजाब बहकर इस क्षेत्र की भूमि को उसर बना रहा है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । मै. सेमकोर ग्लास लि. द्वारा प्रस्तावित टी. वी. पिक्चर ट्यूब की फैक्ट्री स्थापित करने के लिये ग्राम नया नोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की 27.79 हैक्टेयर भूमि को ग्रीन बैल्ट से औद्योगिक उपयोग हेतु परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की गई है । मास्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन/सशोधन की शक्तियां राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग में निहित है ।

(2) जी नहीं ।

राजस्थान विकास सेवा गठन प्रकरण

147. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ग्रामीण विकास परियोजनाओं को गति प्रदान किये जाने की दृष्टि से तथा इस सेवा के अधिकारियों पर प्रभावी नियन्त्रण रखे जाने के लिए राजस्थान विकास सेवा के गठन का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि इस सेवा के अधिकारियों पर नियन्त्रण के मुद्दे को लेकर ग्रामीण विकास एवं कार्मिक विभाग के बीच में किसी प्रकार का विवाद बना रहने से अब तक इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं लिया जा सका है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस विवाद को दूर किये जाने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये ?

उत्तर

(1) जी हां । राजस्थान विकास सेवा के गठन सम्बन्धी कार्यवाही विभाग द्वारा प्राथमिकता से की जा रही है, शीघ्र ही गठन किये जाने की सम्भावना है ।

(2) जी नहीं । प्रस्तावित राजस्थान विकास सेवा के गठन में इस सेवा के अधिकारियों पर नियन्त्रण रखे जाने के सम्बन्ध में ग्रामीण विकास एवं कार्मिक विभाग के मध्य किसी प्रकार का विवाद नहीं है ।

मृत राज्य कर्मचारी के आश्रितों को पेंशन भुगतान प्रकरण

148. श्री शम्भूदयाल बडगूजर (केकड़ी): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि स्व. श्री उमराव प्रसाद शर्मा कम्पाउण्डर 'अ' क्षेत्र

(श्री शम्भूदयाल बडगूजर)

जयपुर का स्वर्गवास दिनांक 30 मई, 1978 को हो गया था ? यदि हां, तो क्या विभाग द्वारा उनके आश्रितों को ग्रेच्युटी एवं पेंशन का मुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब, यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) इस मामले में किस-किस उच्चाधिकारी द्वारा कब-कब शीघ्र कार्यवाही करने हेतु पत्र व अर्द्धशासकीय पत्र लिखे गये ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आयुर्वेद राज्य मंत्री महोदय द्वारा अपने पत्र क्रमांक राम/आय/95/1221, दिनांक 14-8-1995 द्वारा निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान को उक्त प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो अब तक उक्त मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

(4) क्या समय-समय पर इस सम्बन्ध में जारी नियमों, जिनके द्वारा मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों के क्लेमों का शीघ्र निस्तारण करने के आदेश दिए गये है, की पालना विभाग द्वारा की गई है ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या सरकार उक्त मृत राज्य कर्मचारी के आश्रितों को इसके स्थान पर नौकरी देने का भी विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों ?

(5) क्या सरकार अब मृत कर्मचारी के आश्रितों को ग्रेच्यूटी एवं पेंशन का शीघ्र मुगतान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ? अब तक मुगतान न होने के कारण क्या रहे तथा कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी हैं ? दोषियों के खिलाफ सरकार अब क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि प्राप्त सूचना के अनुसार कम्पाउण्डर श्री उमराव प्रसाद शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 30-5-1978 को हो गया था, किन्तु अभी उनके आश्रितों को ग्रेच्यूटी व पेंशन का मुगतान नहीं किया गया है। मृत्यु दिनांक तक की उपस्थिति एवं सेवा के प्रमाणीकरण के अभाव में पेंशन प्रकरण का बनना अवशेष है।

(2) इस प्रकरण में निदेशालय आयुर्वेद विभाग के स्तर से जिला आयुर्वेद अधिकारी, जयपुर, "अ" व "ब" क्षेत्र को समय-समय पर पत्र व अर्द्धशासकीय पत्र जारी किये गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट—1 पर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। निदेशालय आयुर्वेद विभाग द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को पत्र दिनांक 25-8-95 व 23-9-95 द्वारा शीघ्र प्रकरण को निस्तारित करने के निर्देश दिये गये।

(4) जी हां। मृतक कम्पाउण्डर श्री उमराव प्रसाद शर्मा के आश्रित का कोई आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में आयुर्वेद विभाग में प्राप्त होना नहीं पाया जाता

(आयुर्वेद राज्य मंत्री)

है। निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही की जा सकेगी।

(5) जी हां, ऐसे प्रकरणों में नियमानुसार ग्रेच्यूटी व पारिवारिक पेन्शन देने का प्रावधान है। मृत्यु दिनांक तक की उपस्थिति एवं सेवा के प्रमाणीकरण के अभाव में उक्त कार्य नहीं हो सका। अब तक यह भुगतान नहीं होने के लिये कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी दोषी है; इसकी जांच अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद से करायी जा रही है। जांच में दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

कम्पाउण्डर स्वर्गीय श्री उमराव प्रसाद शर्मा के पेन्शन व ग्रेच्यूटी प्रकरण के निस्तारण हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा लिखे गये पत्रों का विवरण

क. सं.	पत्र किस अधिकारी द्वारा जारी किया गया	पत्र क्रमांक/ दिनांक.	पत्र किस कार्यालय को भेजा गया.
1	2	3	4
1.	निदेशक, आयुर्वेद, विभाग, अजमेर	11882-85/20-5-86	जिला आयुर्वेद अधिकारी जयपुर-"अ" क्षेत्र
2.	अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर	13468/28-3-87 अर्द्ध शासकीय पत्र	जिला आयुर्वेद अधिकारी, जयपुर-"अ" क्षेत्र
3.	अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर	22325-26/18-6-87	जिला आयुर्वेद अधिकारी, जयपुर "अ" क्षेत्र
4.	उप-निदेशक (मुख्यालय) आयुर्वेद विभाग, अजमेर	39080-81/2-12-87	जिला आयुर्वेद अधिकारी. जयपुर "अ" क्षेत्र

259

1	2	3	4
5.	उप-निदेशक (मुख्यालय) आयुर्वेद विभाग, अजमेर	1626/16-1-90	जिला आयुर्वेद अधिकारी, जयपुर "अ" क्षेत्र
6.	अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर	7846-48/19-3-90	जिला आयुर्वेद अधिकारी, जयपुर "अ" क्षेत्र
7.	अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर	10665-66/16-4-90	जिला आयुर्वेद अधिकारी, जयपुर "ब" क्षेत्र
8.	अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर	14609-10/30-5-90	जिला आयुर्वेद अधिकारी, जयपुर "ब" क्षेत्र
9.	अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर	36066-68/1-10-91	जिला आयुर्वेद अधिकारी, जयपुर "अ" क्षेत्र
10.	अतिरिक्त, निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर	23464-66/6-6-92	जिला आयुर्वेद अधिकारी, जयपुर "ब" क्षेत्र

1	2	3	4
11.	अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर	23554-56/8-6-92 अर्द्धशासकीय पत्र	जिला आयुर्वेद अधिकारी, जयपुर "ब" क्षेत्र प्रतिलिपि- जिला आयुर्वेद, अधिकारी, जयपुर "अ" क्षेत्र एवं उप-निदेशक, आयुर्वेद विभाग, जयपुर
12.	अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर	25895-96/25-6-92 अर्द्धशासकीय-पत्र	जिला आयुर्वेद अधिकारी जयपुर "ब" क्षेत्र
13.	अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर	29835-36/25-7-92 अर्द्धशासकीय पत्र	जिला आयुर्वेद अधिकारी, जयपुर "ब" क्षेत्र
14.	लेखाधिकारी, आयुर्वेद विभाग, अजमेर	35386-87/10-9-92	जिला आयुर्वेद अधिकारी, जयपुर "ब" क्षेत्र
15.	अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर	4530-31/29-1-93 अर्द्धशासकीय पत्र	जिला आयुर्वेद अधिकारी, जयपुर "ब" क्षेत्र

2	2	3	4
16.	लेखाधिकारी, आयुर्वेद विभाग, अजमेर	9051-53/26-2-93	जिला आयुर्वेद अधिकारी, जयपुर "अ" क्षेत्र प्रतिलिपि- जिला आयुर्वेद अधिकारी, जयपुर, "ब" एवं उप-निदेशक, आयुर्वेद, जयपुर
17.	लेखाधिकारी, आयुर्वेद विभाग, अजमेर	11185/11-3-93	जिला आयुर्वेद अधिकारी, जयपुर "अ" क्षेत्र
18.	अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर	38756-59/27-9-93	जिला आयुर्वेद अधिकारी, जयपुर "ब" क्षेत्र प्रतिलिपि- जिला आयुर्वेद अधिकारी, जयपुर "अ" क्षेत्र
19.	अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर	42618-23/20-10-93	जिला आयुर्वेद अधिकारी, जयपुर "अ" क्षेत्र एवं "ब" क्षेत्र प्रति-उपनिदेशक, जयपुर
20.	अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर	11105-8/15-3-94	यथा..............

1	2	3	4
21.	अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर.	38434-37/19-8-94	जिला आयुर्वेद अधिकारी, जयपुर "अ" क्षेत्र एवं "ब" क्षेत्र प्रति-उपनिदेशक, जयपुर
22.	अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर.	38228-29/25-8-95	जिला आयुर्वेद अधिकारी, जयपुर "अ" क्षेत्र
23.	वरिष्ठ लेखाधिकारी, आयुर्वेद विभाग, अजमेर	42475-77/23-9-95	जिला आयुर्वेद अधिकारी, जयपुर "ब" क्षेत्र
24.	वरिष्ठ लेखाधिकारी, आयुर्वेद विभाग, अजमेर	42478-79/23-9-95	जिला आयुर्वेद अधिकारी, जयपुर "अ" क्षेत्र

श्रम निरीक्षकों की सेवाओं का नियमितीकरण प्रकरण

149. श्री नन्दलाल व्यास (बीकानेर) एवं श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) श्रम विभाग में श्रम निरीक्षकों के कितने पद कब-कब से रिक्त है ?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1983 में श्रम विभाग द्वारा श्रम निरीक्षकों के 26 रिक्त पदों पर 26 व्यक्तियों को तदर्थ नियुक्ति प्रदान की गई थी ?

(3) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा 5-3-1990 को कुछ श्रम निरीक्षकों की सेवाएं नियमित की गई थी ? यदि हां, तो उस समय शेष तदर्थ श्रम निरीक्षकों की सेवाएं नियमित क्यों नहीं की गई ? कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) कार्मिक विभाग के स्पष्ट निर्देशों के बाद भी तदर्थ श्रम निरीक्षकों की सेवाएं नियमित क्यों नहीं की गई ?

(5) क्या सरकार इन निरीक्षकों की सेवाएं अब नियमित करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वर्तमान में विभाग में वर्षवार निम्न प्रकार से श्रम निरीक्षकों के पद रिक्त हैं:—

	वर्ष	पदों की संख्या
विभाग में	1994	2
	1995	9
अन्य विभागों में	1988	1
	1989	1
	1990	1
	1993	1
	1995	3
	योग 18 पद	

(2) जी, हां।

(3) जी, हां। विभाग में 8 श्रम निरीक्षकों की सेवाएं प्रशासनिक विभाग के आदेश दिनांक 5/3/90 द्वारा नियमित की गई थी। दिनांक 5/3/90 के आदेश द्वारा नियमित किये गये श्रम निरीक्षकों की नियुक्ति के आदेश राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 22/7/74, जिसके द्वारा श्रम निरीक्षकों का पद पुनः लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधीन किया गया था, के पश्चात् जारी हुए थे। अतः इन निरीक्षकों की सेवाओं को नियमित करने का प्रकरण शेष तदर्थ श्रम निरीक्षकों से भिन्न होने तथा शेष तदर्थ श्रम निरीक्षकों के प्रकरण में अलग से कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने के कारण शेष तदर्थ श्रम निरीक्षकों की सेवाएं आदेश दिनांक 5/3/90 द्वारा नियमित नहीं की जा सकी।

(4) कार्मिक विभाग के निर्देश परिपत्र संख्या एफ. 5 (2) डी. ओ. पी./ए-11/93

(श्रम राज्य मंत्री)

दिनांक 2/6/94 प्रसारित किये जाने के पूर्व मे ही शेष तदर्थ श्रम निरीक्षकों की सेवाओं को नियमित करने का प्रकरण विचाराधीन है।

(5) तदर्थ श्रम निरीक्षकों की सेवाएं नियमित करने के सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही की जावेगी।

विधान सभा क्षेत्र सीकर में सहायक अभियन्ता कार्यालय

150 श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर शहर में कुल कितने विद्युत् उपभोक्ता हैं?

(2) विभागीय मानदण्डानुसार कितने उपभोक्ता कसेक्शन्स पर एक सहायक अभियन्ता कार्यालय खोला जाना प्रस्तावित है? क्या सरकार विद्युत् कनेक्शनों के अनुपात में सीकर में सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में सीकर शहर में लगभग 28,545 विद्युत उपभोक्ता हैं।

(2) विद्युत मण्डल के मानदण्ड ओ. एम. पी. 18.3 के अनुसार 5001 से 8000 उपभोक्ताओं पर एक सहायक अभियन्ता कार्यालय सृजित करने का प्रावधान है। लेकिन इसके अतिरिक्त उस क्षेत्र में स्थित विद्युत ट्रांसफार्मर्स की संख्या (पावर व वितरण), 33 के. वी. लाइन व 11 के. वी. लाइन की कुल लम्बाई, राजस्व आय, भौगोलिक स्थिति व प्रशासनिक सुविधा तथा वित्तीय संसाधनों को भी ध्यान में रखा जाता है। सीकर शहर के लिये एक नया सहायक अभियन्ता कार्यालय सृजित करने हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसका उपरोक्त दृष्टि से परीक्षण के किया जा रहा है। परीक्षण पश्चात ही निर्णय लिया जाना सम्भव हो सकेगा।

जिला झुंझनूं के विद्यालयों को क्रमोन्नति

151. श्री शीशराम ओला (झुंझनूं): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झुंझनूं जिले में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों के काफी पद रिक्त हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इन पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि जिला झुंझनूं में सत्र 1994-95 में भी उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये गये थे? यदि हां, तो कितने व कौन-कौन से उच्च प्राथमिक से माध्यमिक, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत

(श्री शीशराम ओला)

किये गये ? उक्त विद्यालयों की क्रमोन्नती का मानदण्ड क्या रहा ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी यही है कि कुछेक विधान सभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें वर्ष 1994-95 और 1995-96 में कोई माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे विधान सभा क्षेत्रों में अगले सत्र में विद्यालय क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । झुंझुनूं जिले में व्याख्याताओं के 43, द्वितीय वेतन श्रृंखला के 12 तथा तृतीय वेतन श्रृंखला के 11 पद रिक्त है । व्याख्याताओं के अधिकांश रिक्त पदों को भरा जा चुका है । शेष रिक्त पदों की पूर्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय चयन समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवायें जाने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा । द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

(2) वर्ष 1994-95 में झुंझुनूं जिले के निम्नलिखित विद्यालय क्रमोन्नति किये गये है :—

उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालयों में

विद्यालय का नाम	पंचायत समिति
1. मोजासर	झुंझुनूं
2. नूआ (छात्रा)	,,
3. बजावा रावलका	,,
4. खारी	,,
5. मोविया	सूरजगढ़
6. जाखोद	,,
7. सुखाना जोड (प्रवेशिका संस्कृत)	,,
8. चन्दवा	अलसीसर
9. दूदवा	खेतड़ी
10. कारी	नवलगढ़
11. मडासी (कन्या)	,,

माध्यमिक से सीनियर माध्यमिक में

1. चवरा	उदयपुरवाटी

विद्यालय क्रमोन्नति हेतु निर्धारित मानदण्डों की प्रति संलग्न है ।

(3) जी नहीं ।

267

विद्यालय खोलने/क्रमोन्नत करने हेतु निर्धारित मानदण्ड

(1) प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने हेतु मानदण्ड

मानदण्ड	सामान्य क्षेत्र	रेगिस्तानी क्षेत्र
1. ग्रामों की जनसंख्या	1000	500
2. कक्षा-5 की छात्र/छात्रा संख्या	20	15
3. कक्षा 1–5 तक की कुल छात्र संख्या	100	75
4. फीडर प्राथमिक विद्यालय	2	2
5. 2 किमी परिधि में अन्य उच्च प्रा. वि. की सुविधा का नहीं होना ।		

उपरोक्त मानदण्डों के आधार पर तथा जनप्रतिनिधियों की मांग के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते रहे हैं ।

(2) उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत करने हेतु

जनसंख्या (1991) छात्र विद्यालय	2000	1500
छात्रा विद्यालय	4000	3000
छात्र संख्या (कक्षा 8) छात्र विद्यालय	30	20
छात्रा विद्यालय	20	10
फीडर विद्यालय	2	2
दूरी (किमी.)	10	10

(3) माध्यमिक विद्यालयों को सीनीयर माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने हेतु

1. जनसंख्या (1991)	5000	4000
2. छात्र/छात्रा सं. कक्षा-10		
छात्र विद्यालय	50	40
छात्रा विद्यालय	40	30
3. फीडर विद्यालयों की संख्या	2	2
4. दूरी (किमी)	10	10

अन्य आधार बिन्दु

(1) उपलब्ध वित्तीय प्रावधान

(2) प्रशासनिक आधार

(3) क्षेत्र की शैक्षिक आवश्यकताएं

(4) भौगोलिक परिस्थितियां

(5) माध्यमिक एवं सी. उ. मा. विद्यालयों का अनुपात।

उपरोक्त मानदण्डों एवं बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते हैं।

पावटा (कोटपूतली) में मण्डी यार्ड का निर्माण

152. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार किस-किस स्थान पर

(श्री रामचन्द्र रावत)

नए कृषि उपज मण्डी यार्ड बनाने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र के पावटा कस्बे में कृषि उपज मण्डी के तहत मण्डी यार्ड बनाने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) मण्डी/गौण मण्डी प्रांगण निर्माण हेतु भूमि एवं वित्तीय ससाधन उपलब्ध होने पर सभी मण्डियों/गौण मण्डियों में नियमन व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये मण्डी यार्डों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में निम्न स्थान पर नवीन मुख्य मण्डी प्रांगण गौण मण्डी प्रांगण की परियोजना स्वीकृत व विचाराधीन है :—

1. बाड़मेर (फल सब्जी)
2. चौहटन (गौण मण्डी, बाड़मेर)
3. नागौर (फल सब्जी)
4. जायल (गौण मण्डी, नागौर)
5. खैरथल (मुख्य मण्डी यार्ड)
6. टीडामीम (गौण मण्डी, महुआ मण्डावर)
7. डूंगला (गौण मण्डी, बड़ी सादड़ी)
8. सिवाना (गौण मण्डी, बालोतरा)
9. समदड़ी (गौण मण्डी, बालोतरा)
10. बान्दीकुई (मुख्य मण्डी यार्ड)
11. हिण्डौन (मुख्य मण्डी यार्ड)
12. किशनगढ़ रेनवाल (मुख्य मण्डी यार्ड)

(2) कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र का पावटा कस्बा मण्डी समिति कोटपूतली के अन्तर्गत गौण मण्डी घोषित है। पावटा में ना तो गौण मण्डी प्रांगण बना हुआ है ना ही भूमि उपलब्ध है। भूमि उपलब्ध होने पर कृषि उपज मण्डी समिति, कोटपूतली की आर्थिक स्थिति के अनुसार परियोजना आर्थिक दृष्टि से जीवन्त (वाइबिलिटी) होने पर पावटा में गौण मण्डी यार्ड का निर्माण कराया जायेगा। अभी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

जिला दौसा में केन्द्रीय सहकारी एवं जिला भूमि विकास बैंक की स्थापना

153. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं भूमि विकास बैंक का विलय करने का विचार रखती है ?

(2) क्या दौसा जिला बन जाने के बाद कई तहसीलों के नागरिकों को सहकारी बैंक एवं भूमि विकास बैंक के लिए जयपुर आना पड़ता है एवं महुआ तहसील के नागरिकों को सवाई माधोपुर एवं हिण्डौन जाना पड़ता है, जो सुविधा की दृष्टि से ठीक नहीं है ? क्या सरकार दौसा जिले में अलग से केन्द्रीय सहकारी

(270)

(श्री परसादी लाल मीणा)

बैंक एवं जिला भूमि विकास बैंक खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं भूमि विकास बैंक के विलय सम्बन्धी प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) जी, नहीं। दौसा जिले में एकीकृत सहकारी बैंक के गठन की सम्भावनाओं का पता लगवाया जा रहा है जिसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है।

माही सीमेन्ट लिमिटेड, बांसवाड़ा

154. **श्री दलीचन्द (दानपुर)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या माही ग्राम सीमेंट लि. जिला बांसवाड़ा को ग्राम पृथ्वीपुरा में सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करने की अनुज्ञा प्रदान की गई थी ?

(2) क्या माही सीमेंट लि. द्वारा स्वीकृत स्थान पर फैक्ट्री स्थापित न करके ग्राम झालों का गढ़ा से 400 मीटर दूर फैक्ट्री स्थापित की जा रही है ?

(3) क्या इस स्थान परिवर्तन तथा परिवर्तित स्थान के लिए अनुज्ञा प्राप्त न होने के कारण सरकार तुरन्त माही सीमेंट लि. का निर्माण कार्य रोकेगी ?

(4) क्या सरकार उपरोक्त अनियमितताओं के कारण फैक्ट्री को प्रदत्त लाइसन्स रद्द करने का विचार रखती है, और ग्राम पृथ्वीपुरा में आबंटित 65.82 हैक्टेयर जमीन का आबंटन रद्द करेगी ?

(5) क्या माही सीमेंट लि. द्वारा वन एवं पर्यावरण मंत्रालयों से आवश्यक मंजूरी प्राप्त करली गई है ? यदि हां, तो यह मंजूरी किस स्थान पर फैक्ट्री स्थापित करने के लिए प्रदान की गई थी ?

(6) क्या माही सीमेंट लि. द्वारा फैक्ट्री स्थापना के साथ ही प्रदूषण नियन्त्रण के उपाय किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) मैं0 माही सीमेंट लिमिटेड पृथ्वीपुरा को विकास आयुक्त (उद्योग) नई दिल्ली द्वारा मीमो संख्या 830 दिनांक 9-9-91 द्वारा पोर्टलैण्ड सीमेंट उत्पादन हेतु आई. ई. एम. पंजीकृत किया गया है। भारत सरकार की औद्योगिक नीति, 1991 के अनुरूप सीमेन्ट फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अनुज्ञा–पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

(2) जी, नहीं। इकाई द्वारा फैक्ट्री ग्राम झालों का गढ़ा एवं पृथ्वीपुरा में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत/आबंटित भूमि पर ही स्थापित की जा रही है।

(3) फैक्ट्री नियत स्थान पर स्थापित की जा रही है। अतः निर्माण कार्य रोकने का प्रश्न नहीं उठता है।

(4) उपरोक्तानुसार वर्णित स्थिति में

(उद्योग मंत्री)

अनुज्ञा-पत्र निरस्त करने अथवा आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त करने का प्रश्न नहीं उठता है।

(5) जी, हां। राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा में सीमेन्ट फैक्ट्री स्थापित करने हेतु स्थल सम्बन्धी स्वीकृति प्रदान की गई है।

(6) यह उद्योग अभी स्थापना की प्रारम्भिक अवस्था में है। फिर भी राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण निवारण एवं नियन्त्रण मण्डल से स्वीकृति प्राप्त कर प्रदूषण नियन्त्रण के प्रभावी उपाय किये जा रहे हैं।

पंचायत सचिवों ग्रुप/सचिवों के रिक्त पद

155 श्री लक्ष्मणसिंह (मीम) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में किस-किस पंचायत समिति में कितने-कितने पंचायत सचिवों/ग्रुप सचिवों के पद रिक्त हैं।

(2) क्या विभिन्न योजनाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के निर्वहन हेतु सरकार प्रत्येक पंचायत में एक एक सचिव पद स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार रिक्त पदों पर सचिवों की नियुक्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या उक्त नियुक्ति में विलम्ब से जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ?

उत्तर

(1) ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत के पंचायत समितिवार रिक्त पदों का विवरण संलग्न सूची अनुसार है।

(2) प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पूर्णकालिक ग्राम सेवक नहीं होने से पंचायतों को उनके कार्य निष्पादन में कठिनाई आती है। वर्तमान में कृषि पर्यवेक्षकों को तथा जहां कृषि पर्यवेक्षक नहीं हैं वहां स्थानीय राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों को ग्राम सेवक के कार्य का अतिरिक्त कार्यभार दिये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) इस सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही का विवरण उक्त प्रश्न के उपरोक्त पैरा दो में अंकित है।

(4) जी नहीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसन में व्याप्त अनियमितताएं

156. श्री शिवकिशोर सनाढ्य, (उदयपुर), श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी),

एवं श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसन राजस्थान में लाखों रुपये के बैंकर्स चैक/डी. डी./पोस्टल आर्डर अवधि पर्यन्त हो चुके ? यदि हां, तो वर्ष 1990 से अब तक कुल कितने रुपये के ?

(2) क्या यह भी सही है कि सैकड़ों अभ्यार्थियों के. डी. डी./पोस्टल आर्डर बोर्ड द्वारा भुगतान प्राप्त करने की कार्यवाही यथा समय नहीं करने के कारण अवधि पर्यन्त हुये हैं, जिन्हें प्रार्थियों को वापस लौटकर नये भेजने हेतु लिखा गया है ? यदि हां, तो वर्ष 1990 से अब तक किस-किस के और कितनी-कितनी राशि के ? इसके लिए कौन दोषी हैं तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या उक्त प्रकरणों की शियकातें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो यह शिकायतें किस-किस से प्राप्त हुई और सरकार द्वारा उसकी जांच कब कराई गई प्राप्त शिकायतों की प्रति एवं जांच में लिये गये बयानों की प्रति सहित जांच रिपोर्ट एव उस पर की गई सम्पूर्ण कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि बोर्ड के स्टोर में भी गम्भीर अनियमितताएं पाई गई हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या व उसके लिए कौन दोषी है तथा दोषियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(5) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो किस-किस से एवं क्या उनको सरकार द्वारा जांच कराई गई ? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों की प्रति एवं जांच में लिये गये बयानों की प्रतियों सहित जांच रिपोर्ट एवं उस पर की गई सम्पूर्ण कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बैंकर्स चैक/डी. डी./पोस्टल आर्डर निम्नांकित राशि के अवधि पार हुए हैं। डी. डी. एवं पोस्टल आर्डर जो अवधि पार हुए हैं उनके रजिस्टर एवं अभिलेखों का पूर्व रजिस्ट्रार, बोर्ड आफ इंडियन मेडिसन के कार्यकाल में उचित संधारण नहीं किया गया, इसलिये वर्ष 1990 से सूचना उपलब्ध नहीं है। अवधि पार डी. डी./पोस्टल आर्डर की राशि वर्ष 1994 से उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दी गई है : —

1. बैंकर्स चैक रुपये	1,40.403
2. डी. डी.	7, 410
3. पोस्टल आर्डर	1,080

(2) वर्ष 1994 से उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर जो डी. डी. और पोस्टल आर्डर अवधि पार हुये हैं उनकी सूची परिशिष्ट "अ" एवं "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है। इन अवधि पर्यन्त बैंकर्स चैक/डी. डी. एवं पोस्टल आर्डर के

(आयुर्वेद राज्य मंत्री)

समय पर भुगतान प्राप्त करने की कार्यवाही नहीं करने के लिये निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रथम दृष्टयता दोषी पाया गया है :--

1. श्री कृष्णगोपाल पारीक, पूर्व रजिस्ट्रार
2. श्री रामनारायण शर्मा, कैशियर
3. श्री रामशरण शर्मा, कैशियर
4. श्री सीताराम शर्मा, कैशियर

श्री कृष्णगोपाल पारीक, पूर्व रजिस्ट्रार के विरुद्ध सी. सी. ए. नियम 17 के अन्तर्गत एवं बोर्ड के कर्मचारी सर्वश्री रामनारायण शर्मा, कैशियर, रामशरण शर्मा, कैशियर एवं सीताराम शर्मा, कनिष्ठ लिपिक के विरुद्ध सी. सी. ए. नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का निर्णय किया गया है।

(3) जी हां। रजिस्ट्रार इण्डियन मेडिसन बोर्ड, राजस्थान, जयपुर से उनके पत्र दिनांक 24-3-95 के द्वारा सम्बन्धित विषयक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसके क्रम में सहायक शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग को दिनांक 19-4-95 को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। बोर्ड से प्राप्त पत्र दिनांक 24-2-95 की प्रति परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है। जांच अधिकारी ने जांच रिपोर्ट 28-6-95 को प्रस्तुत कर दी है। जांच रिपोर्ट एवं जांच के दौरान लिये गये बयानों की प्रति परिशिष्ठ "ख" पर उपलब्ध है। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी कर्मचारियों एवं अधिकारी के विरुद्ध क्रमशः सी. सी. ए. नियम 16 एवं 17 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी इंडियन मेडिसन बोर्ड को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30-10-95 को निर्देशित किया जा चुका है, जिसकी प्रति परिशिष्ट "ग" पर उपलब्ध है।

(4) स्टोर में अनियमितता के सम्बन्ध में जांच सहायक शासन सचिव, आयुर्वेद से कराई गयी एवं जांच के अनुसार स्टोर कीपर द्वारा सम्बन्धित कर्मचारियों को दिये गये सामान की प्रविष्टि की गई है, किन्तु कर्मचारियों के हस्ताक्षर नहीं है।

स्टाक रजिस्टर पर शेष रहे सामान रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित उपरोक्त अनियमितता के लिये स्टोरकीपर से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है और उसके उत्तर के बाद उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।

(5) वांछित सूचना/अभिलेख भाग संख्या--3 में उपलब्ध करा दिये गये हैं।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

कृषि विद्युत कनेक्शन नीति

157. **श्री खंगारसिंह चौधरी** (खारची), **श्री अमराराम** (धोद) **एवं श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 1995-96 में कृषि विद्युत कनेक्शन देने की नीति बनाकर लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं ? यदि हां, तो कुल कितने कृषि कनेक्शन का लक्ष्य निर्धारित किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1995-96 में सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन दिए जाने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो कितना ?

(3) अब तक उक्त श्रेणी के कितने कृषि कनेक्शन दे दिए गये ?

(4) सामान्य श्रेणी में किस-किस के कितने-कितने कनेक्शन जिलेवाइज दिए जायेंगे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार सभी वरीयता के कनेक्शन वर्तमान वित्तीय वर्ष में जारी करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 1995-96 में नर्सरी योजना में भी कृषि विद्युत कनेक्शन देने की नीति निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो नर्सरी योजना का प्रारूप सदन की मेज पर रखें।

(7) दौसा जिले में नर्सरी योजना में कितने आवेदन किस-किस दिनांक को जमा हुये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या यह सही है कि दो-तीन माह बाद तक भी नर्सरी योजना में आवेदक को डिमांड नोटिस नहीं दिया जाता ? यदि हां, तो क्यों ?

(9) क्या सरकार नर्सरी योजना में समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार किसानों को कनेक्शन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो वह कार्यक्रम कितने दिन का होगा ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1995-96 की वार्षिक योजना में 25000 कृषि कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि कनेक्शन देने के लिये दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

(2) सामान्य श्रेणी के कनेक्शन्स पर रोक नहीं है। सितम्बर, 1995 तक 9356 कनेक्शन कर दिये गये उनमें 3155 कनेक्शन्स सामान्य श्रेणी के हैं।

(3) वर्ष 1995-96 में सामान्य श्रेणी में सितम्बर, 95 तक 3155 कृषि कनेक्शन दिये गये।

(4) विभिन्न श्रेणियों के आवेदकों को सामान्य श्रेणी में कनेक्शन देने का कोई अलग से आवंटन नहीं किया गया है। सभी के लिये एक सी नीति अपनाई गई हैं।

(5) वर्ष 1995-96 में विभिन्न श्रेणियों में 25000 कनेक्शन देने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा।

(ऊर्जा मंत्री)

(6) जी हां, कृषि कार्यों के लिये "नर्सरी योजना" में कृषि कनेक्शन देने की नीति निर्धारित की गई है। इस सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश की पुस्तिका सभी विधायकों/प्रधानों व ग्राम पंचायत स्तर तक भेज दी गई है। पुस्तिका से सम्बन्धित उद्धरण की प्रति परिशिष्ट "अ" संलग्न हैं।

(7) दौसा जिले में नर्सरी श्रेणी में कनेक्शन लेने के लिये 569 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं। सूची परिशिष्ट "ब" संलग्न है।

(8) साधारणतया एन. डी. एस. (कृषि) में कनेक्शन के डिमान्ड नोटिस देने की शीघ्र कार्यवाही की जाती है। प्रारम्भ में कुछ मामलों में तखमीने में परिवर्तन के कारण कुछ देरी हुई है। परन्तु अब जल्दी ही कनेक्शन दिये जा रहे हैं। जब योजना प्रारम्भ की थी, तब यह अनुमान नहीं था कि यह इतनी लोकप्रिय हो जायेगी तथा अनेक प्रार्थना पत्र आ जायेंगे। अतः कुछ विलम्ब हुआ है।

(9) जो भी प्रार्थना पत्र अब तक प्राप्त हो चुके हैं उन्हें इसी वित्तीय वर्ष में कनेक्शन दे दिए जायेंगे।

परिशिष्ट "अ"

नर्सरी योजना में कृषि कनेक्शन देने की नीति

तुरन्त प्राथमिकता योजना—यह योजना पूर्णतः स्वेच्छिक है। जो कृषक वरीयता लांघ कर स्वेच्छानुसार कनेक्शन लेना चाहते हैं उनको नर्सरी श्रेणी में कनेक्शन दिये जायेंगे। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न दरें सामान्य श्रेणी से अधिक रखी गई हैं क्योंकि ऐसे आवेदकों को करीब ढाई लाख कृषकों की प्रतीक्षा सूची को लांघ कर कनेक्शन दिये जा रहे हैं। सामान्यतया सामान्य श्रेणी में ऐसे कृषकों को कनेक्शन मिलने में 8-9 वर्ष की अवधि लग जाती है। अब किसी भी कृषक को विद्युतीकृत या अविद्युतीकृत गांव से नर्सरी श्रेणी में कनेक्शन दिया जा सकता है।

जिन आवेदकों को मांग पत्र की राशि अधिक लगती हो, उनकी अग्रिम राशि आवेदकों की इच्छानुसार लौटाई जा सकेगी। उनका प्रार्थना पत्र यदि सामान्य श्रेणी में था तो वरीयता आने तक यथावत लम्बित रहेगा।

तुरन्त प्राथमिकता योजना (नर्सरी श्रेणी)—इस श्रेणी में कनेक्शन लेने के लिये निर्धारित प्रार्थना पत्र के साथ अग्रिम राशि रुपये 5000/- जमा करानी होगी जो डिमाण्ड नोट में समायोजित कर ली जायेगी।

वर्तमान में सामान्य श्रेणी से कोई भी आवेदक वरीयता लांघ कर तुरन्त प्राथमिकता योजना में कनेक्शन लेना चाहे तो उसे भी अग्रिम राशि रुपये पांच हजार जमा करानी होगी। पूर्व में जमा अग्रिम राशि समायोजित कर ली जायेगी।

तुरन्त प्राथमिकता योजना (नर्सरी श्रेणी)—इस श्रेणी में प्रार्थना पत्र व रुपये 5000/- अग्रिम जमा कराने के 15 दिन के अन्दर डिमाण्ड नोट जारी कर दिया जायेगा। डिमाण्ड नोट जमा कराने की तिथि के अनुसार वरीयता उपखण्ड स्तर पर होगी।

तुरन्त प्राथमिकता योजना—एक पोल दो पोल व नर्सरी :

एक पोल दो पोल व तुरन्त प्राथमिकता योजना (नर्सरी श्रेणी) में 11 के. वी. एवं एल. टी. लाइन के पोल चार्जेज रु. 9000/- प्रति पोल लिये जायेंगे। यदि पूर्व में प्रथम पोल के रु. 7000/- जमा करा दिये हो तो उन मामलों में अतिरिक्त राशि नहीं ली जायेगी। जिन मामलों में केवल सर्विस लाइन लगानी है, उन्हें भी एक पोल की कीमत देनी होगी। एल. टी. लाइन को 11 के. वी. लाइन में बदलने अथवा सिंगल फैज को तीन फैज में करने के लिये क्रमशः रु. 3500/- व रु. 5000/- प्रति पोल अलग से लिये जायेंगे। उदाहरण के लिये यदि 8 पोल का कार्य करना है, जिसमें पांच पोल नये लगाने हैं और तीन पोल की एल. टी. लाइन को एच. टी. लाइन में बदलना हो अथवा तीन पोल की सिंगल फेज एल. टी. लाइन को तीन फेज लाइन में बदलना हो तो नये पांच पोल लगाने के रु. 9000/- प्रति पोल एवं तीन पोलों के लिये रु. 3500/- अथवा रु. 5000/- प्रति पोल देय होंगे। नर्सरी श्रेणी में पोलों की संख्या का बन्धन नहीं है अर्थात दो पोल से अधिक भी दिये जा सकेंगे।

राजस्थान के मरूस्थलीय क्षेत्रों में जहां सामान्यतया कुएं अधिक दूरी पर होने के कारण लाइन लम्बी होती है और उपभोक्ता पर अधिक व्यय भार पड़ता है, उन किसानों की सुविधा के लिये यदि वे नर्सरी श्रेणी में कनेक्शन लेना चाहते हो तो एक आवेदक से पहले 5 पोल की पूरी कीमत व अगले पांच पोल की आधी कीमत व इससे अधिक लगने वाले पोलों की एक तिहाई कीमत ली जायेगी। यदि ग्रुप में दो या इससे अधिक आवेदक शामिल हों उनसे पहले 10 पोल लाइन की पूरी कीमत व अगले 10 पोल की आधी कीमत व शेष पोलों के लिये 1/3 राशि लेकर कनेक्शन

कर दिये जायेंगे । कृषक स्वयं ग्रुप बनाकर प्रार्थना पत्र देंगे अन्यथा सभी पृथक-पृथक कनेक्शन माने जायेंगे । पोल की गणना 11 के. वी. एवं एल. टी. दोनों को मिलाकर की जायेगी । इस योजना के अन्तर्गत गैर-मरूस्थलीय क्षेत्रों में भी कनेक्शन दिये जा सकते हैं एवं यह योजना अविद्युतीकृत ग्रामों में भी लागू होगी । इस प्रकार सारे राज्य में नर्सरी कनेक्शन के लिये 5 पोल से अधिक वाले मामलों में उपरोक्तानुसार रियायती दर पर पोल उपलब्ध कराये जायेंगे ।

तुरन्त प्राथमिकता योजना (नर्सरी श्रेणी)—इस श्रेणी के लिये रु. 1250/- प्रति हार्स पावर लिये जायेंगे जो कि रुपये 25/- प्रति हार्स पावर प्रतिमाह की दर से बिलों में समायोजित की जाकर सम्पूर्ण राशि उपभोक्ता को लोटा दी जायेगी । जिन आवेदकों द्वारा रु. 2500/- प्रति हार्स पावर जमा करा दिये हैं उन्हें 50/- रु. प्रति हार्स पावर प्रतिमाह बिलों में समायोजित कर वापस कर दिया जायेगा ।

इस प्रकार करीब 4 वर्षों में पूरी राशि लौटा दी जायेगी । इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

सर्विस कनेक्शन चार्जेज :

1.	5 हार्स पावर तक	रु. 1500/-
2.	5 हार्स पावर से अधिक 10 हार्स पावर से कम	,, 1750/-
3.	10 हार्स पावर से अधिक किन्तु 25 हार्स पावर से कम	,, 2000/-
4.	25 हार्स पावर या इससे अधिक	,, 2200/--

उपरोक्त के लिये अन्तिम पोल से कुएं तक 10 मीटर की सर्विस लाइन उपभोक्ता स्वयं उपलब्ध करायेगा ।

तुरन्त प्राथमिकता योजना के कनेक्शन देने की विशेष शर्तें :

1. नर्सरी श्रेणी के कनेक्शन के लिये राजस्व या वन विभाग से नर्सरी का कोई भी प्रमाण-पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है परन्तु पूर्व की भांति भूमि के स्वामित्व का प्रमाण प्रार्थना पत्र के साथ देना होगा ।

278

2. नर्सरी श्रेणी के अन्तर्गत प्रार्थी से रु. 5000/- प्राप्त होने की तिथि से डिमाण्ड नोट 15 दिनों में जारी कर दिये जायेंगे। सामान्यतः डिमाण्ड नोट की राशि जमा होने पर दो माह में नर्सरी श्रेणी के कनेक्शन दे दिये जायें। यदि विलम्ब हो रहा है तो सम्बन्धित कृषक को लिखित में विलम्ब के कारणों से अवगत कराते हुये सम्भावित लगने वाले समय से अवगत कराया जावे।

तुरन्त प्राथमिकता योजना--इस योजना में मांग पत्र यू. पी. सी. से आवेदक को भेजा जायेगा व 30 दिन तक राशि जमा न होने पर सूचना पुनः रजिस्टर्ड ए. डी. द्वारा भेजी जायेगी व मांग पत्र जमा नहीं होने पर आवेदन सामान्य श्रेणी में तो यथावत लम्बित रखा जायेगा व आवेदक के चाहने पर अग्रिम राशि वापस कर दी जायेगी। राशि विलम्ब से जमा होने पर भी नर्सरी श्रेणी के प्रार्थना पत्र पुनः सक्रिय कर दिये जायेंगे।

आवेदक द्वारा देय दर--डिमाण्ड नोट की राशि जिस तिथि को जमा कराई जायेंगी उस तिथि को प्रचलित पोल चार्जेज, अनुदान, अमानत राशि व अन्य चार्जेज वसूल किये जायेंगे। डिमाण्ड नोट की राशि जमा होने के पश्चात यदि दरों में परिवर्तन होता है, तब भी उपभोक्ता से डिमाण्ड नोट जमा होने की तिथि को लागू दरों के अनुसार ही राशि ली जायेगी लेकिन डिमान्ड नोट जारी होने के पश्चात तथा जमा होने से पूर्व यदि दरों में परिवर्तन होता है, तो राशि जमा कराने से पूर्व मांग पत्र संशोधित किया जा सकेगा।

अविद्युतीकृत गांवों में कनेक्शन—कृषि कनेक्शन :

विद्युतिकृत गांवों के पास अविद्युतीकृत गांवों के निवासियों को विद्युत कनेक्शन विशेष-कर कृषि कार्य हेतु विद्युत कनेक्शन का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि अविद्युतीकृत गांवों में कृषि कार्य के लिये नर्सरी श्रेणी में कनेक्शन दिये जा सकेंगे। ऐसे गांवों में कोई कृषि कनेक्शन सामान्य श्रेणी में नहीं किया जायेगा, इसके लिये आवेदकों को नर्सरी श्रेणी के कनेक्शन पर देय चार्जेज देने होंगे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नर्सरी श्रेणी के अन्तर्गत कनेक्शन पर कोई रोक नहीं है, गांव चाहे विद्युतिकृत हो या अविद्युतीकृत, चाहे सर्विस लाइन, एक पोल का फासला हो या एक से अधिक पोल का।

तुरन्त प्राथमिकता योजना (नर्सरी श्रेणी)--इस श्रेणी में अविद्युतीकृत गांवों में कनेक्शन लेने के लिये प्रेरित करने वाले विद्युत मण्डल के कर्मचारी/ अधिकारी को प्रथम वर्ष में हुये प्रत्येक कनेक्शन के लिये रु. 1000/- प्रति कनेक्शन

प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। प्रथम कनेक्शन होने की तिथि से एक वर्ष गिना जायेगा। यह राशि अधीक्षण अभियन्ता कनेक्शन हो जाने पर एवं प्रथम बिल जारी हो जाने के पश्चात आवेदक द्वारा यह लिखकर दिये जाने पर की अमुक अधिकारी/कर्मचारी की प्रेरणा से कनेक्शन लिया है, स्वीकृत करेंगे।

विशेष छूट नर्सरी योजना—जिन कृषकों ने कृषि कनेक्शन के लिए अब तक नर्सरी योजना या अन्य श्रेणी में आवेदन किया हुआ है तथा नर्सरी योजना में कनेक्शन लेना चाहते हैं, यदि वे नर्सरी योजना के अन्तर्गत पोल व ट्रांसफार्मर की निर्धारित राशि बिना डिमाण्ड नोटिस का इन्तजार किये स्वतः ही जमा करा देते हैं तथा इसके अतिरिक्त मासिक मिनिमम चार्जेज एन. डी. एस. की आधी राशि का छः गुना राशि जमा करा देते हैं तो उनका कनेक्शन स्वतः होना मान लिया जायेगा। इस प्रकार के कृषकों में विधिवत कनेक्शन देने की कार्यवाही भी अलग से अधिकतम एक माह में कर ली जायेगी तथा उपरोक्तानुसार डिमाण्ड नोटिस जारी कर पोल व ट्रांसफार्मर के अलावा जो भी राशि देय हो, तो उस आवेदक को डिमाण्ड नोटिस के आधार पर जमा करानी होगी। यदि यह राशि निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराई जाती है तो चोरी का मामला माना जावेगा परन्तु तब तक उपभोक्ता नियमित रूप से विद्युत का उपभोग कर सकेगा तथा उसके विरुद्ध विद्युत चोरी का मामला नहीं बनाया जायेगा।

उपरोक्त 6 गुना के बराबर की मिनिमम चार्जेज की राशि इस प्रकार से नियमित किये गये कनेक्शन के शुल्क के अतिरिक्त होगी जो मासिक बिलों में समायोजित नहीं होगी अर्थात प्रति माह लगने वाली मिनिमम चार्जेज की राशि यथावत रहेगी। इस व्यवस्था से डिमांड नोटिस जारी होने में विलम्ब तथा कनेक्शन देने के मामलों में विलम्ब से कृषकों को राहत मिलेगी।

कृषि कनेक्शनों के लिये विद्युत उपभोग की दर—नर्सरी श्रेणी।

वर्तमान में आधी एन. डी. एस. टेरिफ में देय दर निम्न प्रकार है :

प्रथम 100 यूनिट तक	एक रुपया ढाई पैसे प्रति यूनिट
100 यूनिट से अधिक	
400 यूनिट तक	एक रुपया दस पैसे प्रति यूनिट
400 यूनिट से अधिक	एक रुपया साढ़े सत्रह पैसे प्रति यूनिट

नर्सरी श्रेणी में महावारी न्यूनतम चार्ज रु. 82.50 प्रति हार्स पावर प्रति माह होगा क्योंकि वर्तमान में एन. डी. एस. टैरिफ में न्यूनतम चार्जेज रु. 165/- प्रति हार्स पावर प्रति माह है। उपरोक्त दोनों श्रेणियों में विद्युत कर अतिरिक्त होगा ।

स्वतः स्वीकृत भार बढ़ाना—तुरन्त प्राथमिकता योजना (नर्सरी श्रेणी) :

इस श्रेणी में लिये गये कनेक्शन में यदि स्वीकृत भार से अधिक भार पाया गया तो बढ़े हुये भार पर जुर्माने के तौर पर अतिरिक्त चार्जेज का 25 प्रतिशत ज्यादा लिया जायेगा। उदाहरण के लिये यदि एक आवेदक 10 एच. पी. का कनेक्शन लेता है, तो नर्सरी श्रेणी में कुल रुपये 12500/- जमा कराता है, परन्तु जांच करने पर यदि 10 एच. पी. की जगह 15 एच. पी. का भार पाया जाता है तो ऐसे उपभोक्ताओं पर अन्य कार्यवाही के अलावा 1250/- रुपये प्लस 25/- प्रति हार्स पावर की दर से 5 हार्स पावर के अतिरिक्त भार पर चार्ज किया जायेगा। यह 25 प्रतिशत राशि स्वयं लोड बढ़ाने की सूचना देने पर देय नहीं होगी। इसी प्रकार एक पोल/दो पोल में भी वसूल किया जायेगा। इन योजनाओं में कुछ परिस्थितियों में राशि बिलों में समायोजित कर वापस करने का प्रावधान है किन्तु उपरोक्त प्रकार के मामलों में वसूल की गई राशि समायोजित नहीं की जायेगी।

विशेष विवरण—नर्सरी श्रेणी मे कनेक्शन लेने के लिये ली गई अतिरिक्त राशि उन्हीं उपभोक्ताओं को तब तक वापस की जाती रहेगी जब तक वे विद्युत बिलों का समय पर भुगतान करते रहेंगे, साथ ही ऐसे उपभोक्ता कोई अनाधिकृत कार्यवाही नहीं करें, जैसे की विद्युत चोरी या अनाधिकृत लोड बढ़ाना आदि। यदि किसी कारणवश उपभोक्ता नर्सरी श्रेणी में कनेक्शन चालू नहीं रखता है, तो शेष राशि का समायोजन बन्द हो जायेगा।

परिशिष्ट "ब"

दौसा जिले में नर्सरी श्रेणी में प्राप्त आवेदन-पत्रों का ब्यौरा

ं. सं.	आवेदन की दिनांक	आवेदन संख्या	क्र. स.	आवेदन की दिनांक	आवेदन संख्या
.	14-2-1995	1	22.	19-5-95	1
.	21-2-95	1	23.	20-5-95	2
.	29-3-95	1	24.	22-5-95	1
.	10-3-95	4	25.	23-5-95	6
.	13-3-95	1	26.	24-5-95	2
.	15-3-95	3	27.	25-5-95	4
.	21-3-95	1	28.	29-5-95	11
.	23-3-95	1	29.	31-5-95	10
.	25-3-95	3	30.	2-6-95	4
.	30-3-95	2	31.	3-6-95	1
.	31-3-95	3	32.	5-6-95	6
.	3-4-95	1	33.	8-6-95	2
.	7-4-95	2	34.	12-6-95	10
.	15-4-95	2	35.	13-6-95	2
.	18-4-95	1	36.	14-6-95	1
.	25-4-95	1	37.	15-6-95	1
.	29-4-95	1	38.	16-6-95	1
.	2-5-95	2	39.	17-6-95	4
.	12-5-95	2	40.	19-6-95	1
.	15-5-95	1	41.	20-6-95	1
.	18-5-95	1	42.	21-6-95	2

282

1	2	3	4	5	6
43.	22.6.95	3	68.	25.7.95	3
44.	24.6.95	4	69.	26.7.95	3
45.	26.6.95	4	70.	28.7.95	1
46.	27.6.95	1	71.	29.7.95	2
47.	28.6.95	4	72.	31.7.95	2
48.	29.6.95	4	73.	1.8.95	8
49.	1.7.95	9	74.	2.8.95	5
50.	3.7.95	3	75.	3.8.95	4
51.	4.7.95	7	76.	5.8.95	3
52.	5.7.95	1	77.	8.8.95	7
53.	6.7.95	3	78.	9.8.95	4
54.	7.7.95	7	79.	11.8.95	2
55.	10.7.95	7	80.	14.8.95	7
56.	11.7.95	8	81.	16.8.95	2
57.	12.7.95	10	82.	17.8.95	3
58.	13.7.95	3	83.	19.8.95	5
59.	14.7.95	3	84.	22.8.95	5
60.	15.7.95	8	85	23.8.95	2
61.	17.7.95	10	86.	24.8.95	2
62.	18.7.95	5	87.	25.8.95	1
63.	19.7.95	5	88.	26.8 95	1
64.	20.7.95	6	89.	29.8.95	1
65.	21.7.95	3	90.	30.8.95	5
66.	22.7.95	9	91.	31.8.95	1
67.	24.7.95	11			

1	2	3	4	5	6
92.	1.9.95	6	106.	4.10.95	12
93.	4.9.95	20	107.	5.10.95	5
94.	6.9.95	9	108.	6.10.95	3
95.	11.9.95	1	109.	7.10.95	2
96.	12.9.95	4	110.	9.10.95	4
97.	13.9.95	1	111.	10.10.95	8
98.	14.9.95	4	112.	11.10.95	2
99.	15.9.95	1	113.	12.10.95	4
100.	19.9.95	1	114.	16.10.95	9
101.	20.9.95	1	115.	17.10.95	5
102.	22.9.95	3	116.	18.10.95 से 31.10.95 तक	144
103.	23.6.95	6			
104.	29.9.95	3			योग—569
105.	30.9.95	2			

विधान सभा क्षेत्र निवाई में पर्यटन स्थल का चयन

158. श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :....

(1) राज्य के प्रत्येक जिले में कौन-कौन से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व दार्शनिक पर्यटन स्थल चिन्हित किये गये हैं तथा उनके विकास के सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है ?

(2) क्या सरकार ने निवाई पहाड़ पर अथवा उसकी तलहटी में कोई स्थान पर्यटन की दृष्टि से चिन्हित किया है ? यदि हां, तो उसका विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1 व 2) पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के ऐतिहासिक सांस्कृतिक व दार्शनिक पर्यटन स्थलों को बढ़ावा दिया जाता है, परन्तु किसी स्थान विशेष को चिन्हित नहीं किया जाता। पर्यटन विभाग मुख्यत: राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थलों का विकास, राज्य के प्रमुख मेले एवं त्यौहारों का आयोजन एवं प्रचार-प्रसार, उपलब्ध वित्तीय संशोधन के अनुरूप करता है।

अतः किसी भी स्थान विशेष का चिन्हीकरण करना अथवा नहीं करना इस विभाग से सन्दर्भ नहीं रखता।

उद्यान विभाग द्वारा फलदार पौधों की खरीद

159. श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उद्यान विभाग द्वारा फलदार पौधे खरीदने के लिये पिछले तीन वर्ष में प्रतिवर्ष कितनी-कितनी राशि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड से प्राप्त की गयी है ?

(2) उक्त राशि से उद्यान विभाग द्वारा किस-किस किस्म के कितने-कितने फलदार पौधे कहां-कहां से क्रय किये गये है और किस-किस क्षेत्र में काश्तकारों को अनुदान पर उपलब्ध करवाये गये हैं ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त वितरित किये गये पौधों में से कितने पौधे वर्तमान में जीवित रहे हैं, इसकी वर्षवार एवं जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उद्यान विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों में अनुदान पर वितरित करने हेतु फलदार पौधे खरीदने के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड से प्रति वर्ष निम्न अनुसार प्राप्त की गयी :—

क्र. सं.	वर्ष	राशि में
1.	1992-93	22,20,978
2.	1993-94	16,43,265
3.	1994-95	6,59,863

(राज्य मंत्री कृषि)

(2) उक्त राशि से उद्यान विभाग द्वारा राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार से निम्न किस्मों के फलदार पौधे वर्षवार क्रय किये गये :—

क्र. सं.	नाम फलदार पौधे व किस्म	क्रय किये गये फलदार पौधों की संख्या		
		1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
1.	अनार गणेश	59,769	46,466	18,652
2.	संतरा नागपुरी	74,114	38,747	2,207
3.	अमरूद एल-49	14,285	16,501	7,050
4.	आम दशहरी/लंगड़ा	30,215	24,957	13,482
5.	आम केसर	4,661	3,407	....
6.	मौसमी न्यूसेलस	16,636	5,044	1,144
7.	बेलपत्र बस्ती	....	700	....
8.	नारियल ड्वार्फ	3,080	4,591	5,122
9.	बेर, सेव/गोला	38,886	20,454	3,618
10.	आंवला, चकैया/एन.ए. 7	41,579	38,077	20,778
11.	करौंदा, लाल	26,250	....	11,092
12.	चीकू, काली पत्ती	5,425	....	655
13.	केले कि गाठ, कसराई	3,908		9,546
14.	कटहल	5,758	....	....

यह पौधे काश्तकारों को अनुदान पर निम्न जिलों में उपलब्ध करवाये गये ।

1. जयपुर
2. अजमेर
3. भीलवाड़ा
4. चित्तौड़गढ़
5. उदयपुर
6. बांसवाड़ा
7. झालावाड़
8. कोटा
9. टोंक
10. सीकर
11. श्रीगंगानगर
12. अलवर
13. भरतपुर
14. जोधपुर
15. पाली

(राज्य मंत्री, कृषि)

(3) उक्त वितरित किये गये पौधों में से जीवित रहे व पौधों की सूचना वर्षवार व जिलेवार निम्न परिशिष्टों पर संलग्न है :—

क्र. सं.	वर्ष	परिशिष्ट संख्या	पृष्ठ संख्या
1.	1992-93	"अ"	1--4
2.	1993-94	"ब"	5--8
3.	1994-95	"स"	9--11

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

प्रश्न संख्या 160

(स्थगित)

प्रश्न संख्या 161

(स्थगित)

पंचायत समितियों में विकास अधिकारियों का पदस्थापन

162. श्री आर.पी. शर्मा (भरतपुर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समितियों में विकास अधिकारी के पद पर किस कैडर के कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है ?

(2) क्या राज्य की सभी पंचायत समितियों में निर्धारित कैडर के आधार पर ही विकास अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है ?

उत्तर

(1) कैडर की सूची संलग्न कर दी गयी है ।

(2) जी नहीं ।

SCHEDULE-I

S.No.	Name of Post	Name of service of post, members of which are eligible with name or specific group wing or section	Designation and scale of pay of the post in service wise mentioned in Column No. 3	Condition of minimum pay in any of officers mentioned in Column No.3	Minimum experience
1	2	3	4	5	6
1.	Vikas Adhikari	Rajasthan Agricultuer Service Officers of Gronp-C, Extention Service.	Subject Matter specialist (750-1350)	Drawing Pay Rs. 750/- or above.	3 years
2.	Vikas Adhikari	Rajasthan Animal Husbandry	1. Veterinary Surgeon (750-1350)	Rs. 750/-	"

1	2	3	4	5	6
			2. Veterinary Assistant Surgeon (650-1270)	Rs 740/-	3 years
3.	Vikas Adhikari	Rajasthan Sheep & wool Service	1. Deputy District Sheep & wool Officer (750-1350)	Rs. 750/-	,,
			2. Sheep & wool Extention Officer (620-1100)	Rs. 680/-	,,
4.	Vikas Adhikari	Rajasthan Industries Service	1. District Industries Officer (590-1035)	Rs. 650/-	,,
			2. Assistant Director (650-1270)	Rs. 740/-	,,
5.	Vikas Adhikari	Rajasthan Education Service	1. Senior Deputy District Education Officer (750-1350)	Rs. 750/-	,,

1	2	3	4	5	6
			2. Headmaster, Higher Secondary School (750-1350)	Rs. 750/-	3 years
			3. Deputy District Education Officer (650-1270)	Rs. 740/-	,,
			4. Education Extension Officer (620-1100)	Rs. 680/-	,,
			5. Assistant Headmaster (650-1270)	Rs. 740/-	,,
6.	Vikas Adhikari	Rajasthan Co-operative Service	1. Assistant Registrar (650-1270)	Rs. 740/-	,,
			2. Extension Officer (590-1035)	Rs. 650/-	,,
7.	Vikas Adhikari	Rajasthan Public works Department Service	1. Assistant Engineer (750-1350)	Rs 750/-	,,

290

1	2	3	4	5	6
8.	Vikas Adhikari	Rajasthan Irrigation Service	1. Assistant Engineer (750-1350)	Rs. 750/-	3 years
9.	Vikas Adhikari	Rajasthan Public Health Engineering Service	1. Assistant Engineer (750-1350)	Rs. 750/-	,,
10.	Vikas Adhikari	Rajasthan Tehsildar Service	1. Tehsildar (620-1100)	Rs. 680/-	,,
11.	Vikas Adhikari	Rajasthan Social welfare Serviec	1. Assistant Director (750-1350)	Rs. 750/-	,,
			2. District Probation & Social Welfaire Officer (590-1035)	Rs. 650/-	,,

1	2	3	4	5	6
12.	Vikas Adhikari	Rajasthan Economics and Statistical Service	1. Assistant Director (750-1350)	Rs. 750/-	3 years
		Rajasthan Evaluation Service	2. Statistical Officer (650-1270)	Rs. 740/-	,,

(292)

In Schedule I after the existing S. No. 12 and entries thereto, the following new S. No. 13 and entries thereto shall added, namely :—

1	2	3	4	5	6
"13	Vikas Adhikari	1. Rajasthan Panchayat Service	1. Lecturer Panchayat (2000-3500)	Rs. 2180/-	3 Years
			2. Assistant Secretary Zila Parishad (1640-2900)	Rs. 1820/-	,,
		2. Raiasthan Subordinate Panchayat Service	1. Panchayat Extension Officer (1400-2360)	Rs. 1520/-	,,

4. In the existing Schedule II the figures "750-1340" wherever occurring shall be substituted by the figures "2200-4000".

(No. F. 5 (5) DOP/A-II/82)
By Order and in the name of
the Governor,

टी. श्रीनिवासन,

Special Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.

सतर्कता प्रकोष्ठ की स्थापना

163. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य विद्युत मण्डल द्वारा राज्य में काश्तकारों को सिंचाई हेतु कितने घण्टे बिजली वितरित की जा रही है ? क्या बिजली की कम सप्लाई, कम वोल्टेज, ट्रिपिंग के कारण काश्तकारों में भयंकर असन्तोष है ? यदि हां, तो इसके समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि विद्युत चोरी रोकने हेतु सतर्कता प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है ? उक्त प्रकोष्ठ किन मानदण्डों के आधार पर जुर्माना वसूल कर रहा है ? क्या जुर्माना वसूल करने की कार्यवाही भेदभावपूर्ण एवं अनियमितता से की गई जिसकी शिकायतें मिलने पर भी उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? यदि हां, तो अब कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

(3) क्या काश्तकारों के एक कनेक्शन में हाउस पावर की क्षमता अनुसार दो ट्यूब वैल चलाने पर अलग से राशि वसूल की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राज्य में काश्तकारों को कृषि कार्यों हेतु आमतौर पर 8 घण्टे विद्युत आपूर्ति यथा सम्भव की जाती है । लेकिन राज्य में जब कभी विद्युत उपलब्धि में अचानक काफी कमी आ जाती है तो न केवल कृषि हेतु 8 घण्टे वरन् उद्योगों पर भी 50 प्रतिशत से शत-प्रतिशत तक एवं शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 3 से 4 घण्टे विद्युत कटौती करनी पड़ जाती है । ऐसे समय में राज्य द्वारा बाहर के स्रोतों एवं पड़ोसी राज्यों से महंगी दर पर बिजली खरीद कर कृषि क्षेत्रों में प्राथमिकता देते हुये बिजली उपलब्ध कराई जाने के प्रयास किये जाते हैं । इसके लिये राज्य को अधिक आर्थिक भार वहन करना पड़ता है । वर्तमान में अपरिहार्य कारणों को छोड़ कर कृषि कार्य हेतु 8 घण्टे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति की जा रही है । परन्तु जिस गति से प्रति वर्ष नये कनेक्शन दिये जा रहे हैं, उससे स्वाभाविक है कि प्रति व्यक्ति के लिये बिजली की उपलब्धता में धीरे-धीरे कमी आए ।

(2) जी हां, विद्युत चोरी रोकने हेतु विद्युत मण्डल में सतर्कता प्रकोष्ठ स्थापित किया हुआ है । यह शाखा विद्युत चोरी, दुरुपयोग करने वाले दोषी व्यक्तियों से मण्डल नियमानुसार समझौता राशि/जुर्माना राशि वसूल करती है एवं समझौता राशि जमा न कराने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सम्बन्धित पुलिस थाने में प्र. सू. रि. दर्ज कराई जाती है एवं निम्न मापदण्डों के आधार पर जुर्माना वसूल किया जा रहा है :–

(ऊर्जा मंत्री)

क्र. सं.	श्रेणी	वसूलने योग्य राशि
1.	घरेलू	1000/- रु. प्रति किलोवाट स्वीकृत या सम्बद्ध भार जो भी अधिक हो,(1000/- रु. कम से कम प्रति मामला वसूला जाये)
2.	व्यावसायिक	(अ) 1500/- रु. प्रति किलोवाट स्वीकृत या सम्बद्ध भार जो भी अधिक हो (1500/- कम से कम प्रति मामला वसूला जावें)
		(ब) 10 किलोवाट से अधिक पाये जाने पर 2500/ प्रति किलोवाट स्वीकृत या सम्बद्ध भार जो भी अधिक हो उस पर चार्ज किये जावें।
3.	कृषि	1000/- रु. प्रति हार्स पावर स्वीकृत या सम्बद्ध भार जो भी अधिक हो पर चार्ज किया जावें।
4.	लघु उद्योग	1900/- रु. प्रति हार्स पावर स्वीकृत या सम्बद्ध भार जो भी अधिक हो पर चार्ज किया जावे।
5.	मध्यम उद्योग	2000/- रु. प्रति हार्स पावर स्वीकृत या सम्बद्ध भार जो भी अधिक हो पर चार्ज किया जावें।
6.	उच्च उद्योग (एच. टी.)	2200/- रु. प्रति के. वी. ए. स्वीकृत कान्ट्रेक्ट डिमाण्ड अधिकतम डिमाण्ड उस माह की, जो भी अधिक हो।

यदि घरेलू एवं कृषि उपयोग के अतिरिक्त अन्य श्रेणियों के लिए विद्युत चोरी की जाती है और दोषी व्यक्ति मण्डल का उपभोक्ता नहीं है तो ऐसे दोषी व्यक्ति से उपरोक्त दर से ढाई गुणा राशि मण्डल के आदेश संख्या 630 दिनांक 10-3-95 के तहत वसूल की जाती है। जुर्माना वसूली की कार्यवाही मण्डल द्वारा बनाये गये नियमों के अनुरूप ही की जाती है। अतः भेद-भाव एवं अनियमितता का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो शिकायत की

(ऊर्जा मंत्री)

जांच कराकर सत्यता की पुष्टि होने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाती है।

(3) काश्तकारों द्वारा एक ही कनेक्शन पर एक ही ट्यूब वैल चलाया जा सकता है। अतः एक कनेक्शन के लिये स्वीकृत अधिक क्षमता के मद्‌नेजर दूसरा ट्यूबवैल चलाना मण्डल नियमों के विरुद्ध है तथा ऐसी स्थिति में सम्बन्धित काश्तकार से अलग से राशि वसूल किया जाना वांछनीय है। कृषकों को कनेक्शन हजारों रुपये के अनुदान देकर दिये जाते हैं। कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को पिछले दरवाजे से, एक कुएं का कनेक्शन लेकर दो कुओं की कनेक्शन लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

जिला सवाई माधोपुर में विद्यालयों की क्रमोन्नति

164. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सरकार द्वारा बनाई गई शिक्षा नीति के अनुसार जिला सवाई माधोपुर में कितनी सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूल क्रमोन्नत की जानी चाहिए और कितनी वास्तव में क्रमोन्नत कहां-कहां की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में जिन स्कूलों में हैडमास्टर एवं मास्टरों के पद खाली हैं, उनको भरने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वर्ष 1995-96 में सवाई माधोपुर जिले में निम्नांकित सी. मा. विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये गये है–

उ. प्रा. वि. से माध्यमिक में		मा. वि. से सी. मा. वि. में	
पं. स.	विद्यालय का	पं. स.	विद्यालय का नाम
गंगापुरसिटी	मोहचा	बोली	खिरनी
सपोटरा	मीजोरा		
बामनवास	गंडाल		

राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्राप्त प्रस्तावों पर उपलब्ध वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति करने वाले विद्यालयों के प्रस्तावों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

(2) जी हां। प्रधानाध्यापक एवं व्याख्याताओं के अधिकांश रिक्त पदों को भर दिया गया है। शेष रिक्त पदों की पूर्ति विभागीय चयन समिति एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित आशार्थी

(शिक्षा मंत्री)

उपलब्ध करवाये जाने पर की जा सकेगी। द्वितीय एवं तृतीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

गंगनहर क्षेत्र की नहर/माइनर/खालों के विकास हेतु योजना

165. श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

क्या सरकार गंगनहर क्षेत्र की नहरों, माइनरों व खालों को पक्का करने के लिए कैनाल एरिया डवलपमेंट योजना में शामिल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

गंगनहर क्षेत्र की नहरों, माइनरों एवं खालों को पक्का करने के लिए कैनाल एरिया डवलपमेंट नाम की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। गंगनहर क्षेत्र की कुछ माइनरों को पक्का करने का कार्य गंगनहर आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है। राज्य सरकार का गंगनहर सिंचित क्षेत्रों के आधुनिकीकरण एवं सुधार के लिए विश्व बैंक की सहायता से राजस्थान जल संसाधन संघनन परियोजना (Rajasthan State Water Resources Consolidation Project में शामिल कराने के लिए विश्व बैंक से विचार विमर्श चल रहा है।

कोटा सम्भाग में गोडावण संरक्षित क्षेत्र

166 श्री भरतसिंह (खानपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सोरसन गोडावण संरक्षित क्षेत्र में गोडावण की संख्या सिमटने लगी है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? इस क्षेत्र में कुल कितने गोडावण हैं ?

(2) क्या गोडावण को सुरक्षा प्रदान करने तथा इसे कोटा सम्भाग से लुप्त होने से बचाने के लिये सरकार इस संरक्षित क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सोरसन गोडावण संरक्षित क्षेत्र में गोड़ावण की संख्या में कमी नहीं आयी है। सोरसन संरक्षित क्षेत्र में गोडावण की संख्या 11 से 13 के बीच पाई गई है।

(2) सोरसन क्लोज्ड एरिया को अभयारण्य बनाने के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्रीमती शर्मिला गौड़, व्याख्याता राजकीय बालिका सीनियर सैकण्डरी विद्यालय, बिलाड़ा का स्थानान्तरण प्रकरण

167. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नव नियुक्ति पर अध्यापक को ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया जाता है एवं उसका 2 वर्ष तक स्थानान्तरण नहीं किया जाता ? यदि हां, तो क्या श्रीमती शर्मिला गौड़, नव नियुक्ति व्याख्याता (अंग्रेजी) राजकीय बालिका सीनियर सैकण्डरी स्कूल बिलाड़ा को उसकी घोर अनुशासनहीनता व कदाचार के कारण बिलाड़ा से फलौदी लगाया गया था ? यदि हां, तो उक्त व्याख्याता का फलौदी से जोधपुर जो उसका गृह शहर है में 2 माह बाद ही किस नीति के तहत स्थानान्तरण किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि श्रीमती गौड़ को अपने कार्य से अनुपस्थित रहने की सूचना प्राधानाचार्य, बिलाड़ा द्वारा उच्च अधिकारियों को दी गयी ? यदि हां, तो जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) द्वारा प्रतिनियुक्ति पर विभाग द्वारा पूर्ण प्रतिबन्ध होने के बावजूद भी जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) जोधपुर के द्वारा उपस्थिति प्रमाण-पत्र किस आधार पर जारी किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त व्याख्याता (अंग्रेजी) के खिलाफ उसके प्रधानाचार्य बिलाड़ा द्वारा गम्भीर आरोप लगाये गये हैं ? यदि हां, तो विभाग द्वारा अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, श्रीमती शर्मिला गौड़ को भी प्रथम नियुक्ति पर बिलाड़ा अर्थात् एक ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थापित किया गया था। यह सही है कि बिलाड़ा सीनियर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य की शिकायत के कारण उनका स्थानान्तरण फलौदी किया गया, फलौदी से जोधपुर स्थानान्तरण शिक्षा सत्र 1995-96 में शिक्षकों के पदस्थापन स्थानान्तरण हेतु जारी किये गये नीति निर्देश की बिन्दु संख्या घ (6) के अन्तर्गत किया गया।

(2) प्रधानाचार्या के द्वारा कार्यग्रहण न करने देने के कारण श्रीमती गौड़ ने उपनिदेशक (छात्रा) जोधपुर को वस्तु स्थिति से अवगत कराया। जिस पर सम्बन्धित उपनिदेशक ने श्रीमती गौड़ को जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपस्थिति देने के आदेश दिये। उक्त आदेश की अनुपालना में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उन्हें आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया।

(3) यह सही है कि प्रधानाचार्य बिलाड़ा ने श्रीमती गौड़ पर कतिपय आरोप लगाये थे। लेकिन जांच कराने पर यह आरोप आधारहीन पाये गये। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 228 की प्रति)

पी. सी. संचेती,
आयुक्त

कार्यालय आयुक्त, देवस्थान विभाग,
राजस्थान, उदयपुर

अर्द्ध शासकीय पत्र

सं. एफ. 3(2) संपदा/देव/85/8772 उदयपुर, दिनांक : 17-6-91

विषय—राजकीय आत्म निर्भर मंदिर श्री खुशालीराम जी नानीगली, उदयपुर की संपदा पर श्यामलाल सोनी द्वारा अनधिकृत कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में।

अध्यक्ष, शिवदत्त समिति मेवाड़ के प्रार्थना पत्र दिनांक 17-5-91 में राजकीय आत्म निर्भर मन्दिर श्री खुशालीराम जी, उदयपुर की सम्पदा की श्रीमती शान्ता देवी पत्नी श्यामलाल सोनी, निवासी उदयपुर द्वारा तोड़-फोड़ कर मंदिर के अस्तित्व को मिटा कर मंदिर में स्थापित मूर्तियों को गायब करने, मंदिर से जुड़ी लाखों रुपयों की सम्पदा पर अवैधानिक कब्जा करने, कार्यालय अभिलेख गायब होने एवं उनके द्वारा आपको दिये आवेदन पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं करने का आक्षेप लगाते हुये उक्त प्रकरण की जांच 15 दिन में कराने हेतु निवेदन किया (पत्र की प्रति संलग्न है।)

नागरिकगण मोहल्ला जगदीश चौक, द्वारा दिनांक 8-11-88 को भी उक्त मंदिर की सम्पदा को श्रीमती शान्ता द्वारा खुर्दबुर्द करने का आक्षेप लगाते हुये जांच करने हेतु इस कार्यालय को निवेदन किया जिस पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक

एफ 3(2) सम्पदा/देव/85/11023 दिनांक 18-11-88 के साथ शिकायत पत्र की प्रति संलग्न कर जांच 15 दिवस में करा प्रतिवेदन भिजवाने हेतु लिखा गया था। इसके पश्चात् यहां के पत्रांक 12175 दिनांक 27-12-88, 4801 दिनांक 26-5-89, 6177 दिनांक 30-6-89, 6596 दिनांक 23-6-90, 8816 दिनांक 10-8-90 लिखे गये किन्तु वांछित जांच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

आपके पत्रांक के एफ 2(12) सम्पदा/देव/उदय/84/3298 दिनांक 1-8-85 पर अतिक्रमण हटाने हेतु न्यायालय में वाद दायर करने, वाद में पैरवी करने एवं वाद से सम्बन्धित पत्रों पर हस्ताक्षर करने व अभिवचन हेतु आपको कार्यालय आदेश क्र. 13596 दिनांक 11-9-85 से प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था और वाद से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे किन्तु वाद को नवीनतम स्थिति से अभी तक अवगत नहीं कराया गया है।

अंतः जांच प्रतिवेदन अभी तक प्रस्तुत नहीं करने के लिये, विभागीय अभिलेख गायब होने एवं प्रधान कार्यालय के निर्देशों की पालना नहीं करने हेतु दोषी के विरुद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए जांच रिपोर्ट 15 दिवस में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

संलग्न—उपरोक्तानुसार

सद्भावी,

ह.

(पी. सी. संचेती)

श्रीमती विनिता बोहरा,
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग,
उदयपुर खण्ड, उदयपुर

बनवारी लाल शर्मा,
सहायक आयुक्त, (मु.)

कार्यालय आयुक्त, देवस्थान विभाग,
राजस्थान, उदयपुर ।

अर्द्ध शासकीय पत्र

एफ. 3(2)संपदा/देव/81/15783 उदयपुर, दिनांक 25-11-91

विषय :--राजकीय आत्म निर्भर मन्दिर श्री खुशालीराम जी, नानी गली, उदयपुर को सम्पदा के सम्बन्ध में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु।

आपका ध्यान यहां के पत्रांक एफ 3(2) सम्पदा/देव/85/13851 दिनांक 1 अक्टूबर, 91 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, राजकीय आत्म निर्भर मन्दिर श्री खुशालीराम जी उदयपुर की सम्पदा को खुर्दबुर्द करने सम्बन्धी शिकायत की जांच, गायब अभिलेखों की विभागीय जांच एवं दोषियों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर 15 दिन में अवगत कराने हेतु आपको लिखा गया था किन्तु अभी तक की गयी कार्यवाही से अवगत नहीं कराया गया है जो खेदपूर्ण है ।

अतः आपके कार्यालय के पुरालेखों का शीघ्र शोधन करा सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर कार्यवाही से मुझे शीघ्र अवगत कराने का श्रम करावें । ताकि वस्तुस्थिति से राज्य सरकार को अवगत कराया जा सके ।

सदभावी,

ह.

(बनवारी लाल शर्मा)

श्री बी. आर. भाटी,
सहायक आयुक्त,
देवस्थान विभाग,
उदयपुर खण्ड, उदयपुर

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 234 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

राज्य सरकार द्वारा मानदण्डों के अनुसार वन मण्डल वार वनपाल, सहायक वनपाल एवं वनरक्षकों की आवश्यकता ।

क्र. सं.	नाम वन मण्डल	आवश्यकता वनपाल/स. वनपाल	वन रक्षक
1.	2	3.	4
1.	उप वन संरक्षक, उदयपुर (दक्षिण)	23	252
2.	उप वन संरक्षक, उदयपुर, (उत्तर)	59	153
3.	उप वन संरक्षक, उदयपुर (मध्य)	21	58
4.	उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुर	7	18
5.	उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़	63	158
6.	मण्डल वन अधिकारी, चित्तौड़गढ़	42	110
7.	उप वन संरक्षक, अरावली वृक्षारोपण परियोजना चित्तौड़गढ़	23	66
8.	मण्डल वन अधिकारी, बांसवाड़ा	65	162
9.	उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा	23	60
10.	उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, बांसवाड़ा	5	12
11.	भू-संरक्षण अधिकारी, बांसवाड़ा	6	17

1	2	3	4
12.	उप वन संरक्षक, डूंगरपुर	42	108
13.	उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उदयपुर	85	247
14.	उप वन संरक्षक, राजसमन्द	41	87
	योग-	575	1508

परिशिष्ट "ख"

उदयपुर संभाग में गत तीन वर्षों में दी गई पदोन्नतियों का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	पदोन्नत कर्मचारियों की संख्या		
		वनपाल से क्षेत्रीय ग्रेड-- II	सहायक वनपाल से वनपाल	वनरक्षक से सहायक वनपाल
1	2	3	4	5
1.	1992-93	....	5	9
2.	1993-94	15	16	17
3.	1994-95	....	5	19

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 236 का विवरण)

परिशिष्ट--"क"

बांदीकुई की तहसील बसवा में वन विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही। योजनाओं का विवरण।

1- ईंधन एवं चारा योजना :

यह योजना भारत सरकार द्वारा राज्य के ईंधन की कमी वाले 14 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें से दौसा भी एक हैं। इस योजना के अन्तर्गत ईंधन एवं चारे के पौधे तैयार कर रोपित किये जाते हैं। इस योजना के अधीन हुये व्यय की आधी राशि भारत सरकार तथा आधी राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती हैं।

2-पहाड़ी एवं कन्दरा क्षेत्रों में भूमि संरक्षण योजना :

इस योजना के अन्तर्गत पहाड़ी एवं कन्दरा क्षेत्रों में वनस्पति की वृद्धि करने के उद्देश्य से भू-एवं जल संरक्षण उपाय किये जाते हैं तथा वनस्पति रहित क्षेत्रों में वृक्षारोपण कर क्षेत्र को विकसित किया जाता हैं।

3-वानिकी विकास परियोजना :

ओ. ई. सी. एफ. जापान की सहायता से राज्य के चौदह जिलों में वर्ष 1995-96 से वन विकास कार्य प्रारम्भ कराये जा रहे हैं, दौसा जिले की बसवा तहसील में भी इस योजना के अन्तर्गत वन विकास कार्य कराया जाना प्रस्तावित हैं।

4-जवाहर रोजगार योजना :

केन्द्र सरकार की आर्थिक सहायता से क्रियान्वित की जा रही इस योजना के अन्तर्गत भी बसवा तहसील में सामुदायिक भूमि पर ईंधन एवं चारा वृक्षारोपण कार्य कराये जा रहे हैं।

5-फार्म वानिकी :

इस योजना के अन्तर्गत विभाग अपनी पौधशालाओं में पौधे तैयार कर कृषकों, स्थानीय संस्थाओं एवं राजकीय विभागों को वितरित करता है।

परिशिष्ट "ख"

तहसील बसवा में गत वर्ष कराये गये वृक्षारोपण कार्यों का विवरण

क्रम संख्या	नाम वृक्षारोपण	क्षेत्रफल	रोपित पौधों की संख्या
1.	हरिपुरा	25 हैक्टेयर	12500
2.	भाण्डेड़ा	50 "	40000

परिशिष्ट--9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 245 का विवरण)

बिन्दु संख्या--1 की सूची

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	व्या0	व0अ0	अध्या0	रिक्त पद व्या0	व0 अ0	अ0	कब से रिक्त
		स्वीकृत पद						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	रासीमावि दूदू	10	8	8		....	....	
2.	दूदू मोजमाबाद	09	8	8	03	....	....	7/95 से
3.	,, बिचून	05	2	5	....	—	....	
4.	,, नारायणा	12	6	11	08	....		017/94,11/93 11/93,8/956/95
5.	,, बोराज	05	8	6	02	1	....	7/95
6.	,, गागरड़	08	5	....	05	—	....	4/95,7/95, 4/95,7/95 7/95
7.	,, साख्ता	05	6	5	02	2	—	7/9,57/95
8.	रामावि भाग	....	6	5	....	....	....	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	रामावि साली	....	6	4	....	2	—	2/95,7/95
10.	,, मरवा	....	7	4	....	2	...	6/95,6/95
11.	,, महेला	....	6	4	....	....	....	
12.	,, बोबास	....	6	2	....	....		108/95
13.	,, सेवा	....	5	....	....	....	....	
14.	,, सावरदा	....	5	4	....	....	....	
15.	,, हरसौली	....	5	1	....	1	....	12/94
16.	,, कीरसीना	....	5	2	....	01	01	6/95,2/95
17.	,, आसलपुर	....	5	2	....	1	....	6/95
18.	,, ढासीबोरजा	....	3	....	....	2	....	7/95,7/95
19.	,, काचरोदा	....	6	6	....	1	....	3/95
20.	,, राजेड़ी	....	5	5	....	....	....	
21.	राबामावि दूदू	....	6	4	....	....	....	
22.	,, मोजमाबाद	....	6	6	....	....	....	
23.	राबाउप्रावि बिचून	....	1	6	....	....	....	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	राबाउप्राबि साखुम	....	1	4	....	....	....	
25.	,, मेहुला	....	1	6	....	....	....	
26.	,, बोराज	....	1	5	....	....	....	6/95
27.	,, फांग	....	1	5	....	....	....	
28.	,, रहलाना	....	1	2	....	....	2	7/95
29.	राउप्रावि आंकोद	....	1	11	....	....	2	7/95/795
30.	,, माईदानेकोबास	....	1	6	....	....	2	5/95,5/95
31.	,, मगवतपुरा	....	1	7	....	....	2	5/95,2/95
32.	,, बरकोसी	....	1	7	....	....		
33.	,, गुढ़ाबैरसल	....	1	9	....	....		12/94,18/94
34.	,, गाडोता	....	1	9	....	....	2	2/95,2/95
35.	,, गहलोता	....	1	7	....	1	....	2/95
36.	,, ढोण्ढा	....	1	7	....	....	....	
37.	राउप्रावि इवसपुरा	....	1	06	....	....	3	7/95,7/95 7/95
38.	,, हिरनाद	....	1	09	....	....	1	5/95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39.	राउप्रावि केसीसिंहपुरा	....	1	02	....	....	....	
40.	,, श्रीरामपुरा	....	1	06	....	....	....	
41.	,, सामलपुर	....	1	06	....	....	....	
42.	,, रामपुराढाका	....	1	08	....	1	....	5/95
43.	,, शार्दुलपुरा	....	1	04	...	1	3	7/95,5/95, 7/95,3/95
44.	,, सुरपुरा	....	1	02	....	1	1	7/95
45.	,, उग्रास	....	1	09	....	....	1	7/95
46.	,, अखेपुरा	....	1	06	....	....	1	5/95
47.	,, बिहारीपुरा	....	1	06	....	....	....	
48.	,, चैनपुरा	....	1	06	....	....	....	
49.	,, छापरवाड़ा	....	1	06	....	....	....	
50.	,, दातरी	....	1	06	....	....	....	
51	,, धमाणा	....	1	06	....	....	1	12/95
52.	,, घोघोली	....	1	07	....	....	1	12/95

(309)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53.	राउप्रावि गुढ़ासायपुरा	....	1	06	....	....	...	
54.	,, खुडियाला	....	1	07	....	....	....	
55.	,, ग्रेजी	....	1	06	....	....	....	
56.	,, किशनपुरा	....	1	06	....	....	....	
57.	,, गंगातीकलां	....	1	07	....	....	....	
58.	,, गिदानी	....	1	07	....	1	....	2/95
59.	,, कल्याणपुरा	....	1	06	....	....	....	
60.	,, लोरडी	....	1	07	....	1	....	8/95
61.	,, मागलावाडा	....	1	06	....	....	1	2/95
62.	,, ममणा	....	1	06	....	....	1	7/95
63.	,, मोखमपुरा	....	1	08	....	....	....	
64.	,, पडासूली	....	1	10	....	....	....	
65.	,, सावली	....	1	06	....	1	1	7/95,7/95
66.	,, रहलाना	....	1	07	....	1	4	7/95,7/95, 7/95,/7/95
67.	,, रसीली	....	1	04	....	1	1	5/95,11/95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68.	राउप्रावि सिनाडीणा	....	1	06	....	....	1	11/94
69.	,, ऊरसेवा	....	1	08	....	....	....	
70.	,, खेडीराम	....	1	....	1	....	....	नवक्रमोन्नत
71.	,, ढाणीनागान	....	1	....	....	....	....	.. ..
72.	राउप्रावि नानणा	....	1	....	....	1	....	नवक्रमोन्नत
73.	,, सिरोहीकलां	....	1	....	....	....	....	.. ..
74.	,, हुडूपुरा	....	1	02	....	1	2	.. 11/94
75.	,, रेटा	....	1	07	....	1	....	7/94
76.	राप्रावि नारायण	....	....	08	....	....	....	
77.	,, ,, नं० 2	....	1	07	....	....	1	7/95
78.	,, मरतोलाउ	....	1	30	....	....	....	
		54	180	417	20	25	39	

परिशिष्ट–10

(प्रतारांकित प्रश्न संख्या 249 की प्रति)

Schedule

Sl. No.	Name of the Posts	Sources of recruitment with percentege.	Minimum qualification and experience for direct recruitment	Post or the posts from whith promotion is to be made	Qualification & experience required for promotion	Committee for direct recruitment to the post not within the purview of Rajasthan Public Service Commission and for promotion	Seniority	Remarks.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Secition F

3. One ecxpert to nominated

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						by Director Primary & Secondary Education.		
9(a)	Grade III Assistant Teachers.	25% by direct recruitment and 75% by transfer from Panchayat Samities Schools of a District concerned.	Secondary or equivalent examination recongnised by Government of Rajasthan with certificate of Teachers Training recognzied by Government of Rajasthan.	—	—	1. District Education Officer, concerned. & Ec, (13) FI / (2) Edu. c II/82 20-3-93 2. One Headmaster of Higher/Secondary School/ B.S.T.C. School to be nominated	Distreit wise	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						by Joint/Deputy Director of Education of the range concerned. 3. One expert to be nominated by the Joint/Deputy Director of Education of the range concerned.		

313

(314)

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 260 की प्रति)

परिशिष्ट-एक

शीर्ष बैंक/केन्द्रीय सहकारी बैंकों के संचालक मण्डल सम्बन्धी सूचना

क्र. सं.	नाम बैंक			संचालक मण्डल के कार्यरत होने की दिनांक
1.	शीर्ष बैंक			9-8-94
1.	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., अजमेर			15-9-92
2.	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., अलवर			15-9-92
3.	बांसवाड़ा केन्द्रीय सह. बैंक लि.			15-9-92
4.	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., बाड़मेर			15-9-92
5.	भरतपुर केन्द्रीय सह. बैंक लि., भरतपुर			प्रशासक कार्यरत
6.	भीलवाड़ा केन्द्रीय सह. बैंक लि.			,, ,,
7.	बीकानेर केन्द्रीय सह. बैंक लि.			15-9-92
8.	बून्दी	,,	,,	15-9-92
9.	चित्तौड़गढ़	,,	,,	15-9-92
10.	चूरू	,,	,,	15-9-92
11.	डूंगरपुर	,,	,,	15-9-92
12.	जयपुर	,,	,,	15-9-92
13.	जैसलमेर	,,	,,	15-9-92
14.	जालौर	,,	,,	15-9-92
15.	झालावाड़	,,	,,	15-9-92
16.	झूंझूनू	,,	,,	15-9-92
17.	जोधपुर	,,	,,	प्रशासक कार्यरत

1	2		3
18.	कोटा	केन्द्रीय सह. बैंक लि.	10-10-92
19.	नागौर ,,	,,	15-9-92
20.	पाली ,,	,,	9-11-92
21.	सवाईमाधोपुर ,,	,,	15-9-92
22.	सीकर ,,	,,	15-9-92
23.	सिरोही ,,	,,	15-9-92
24.	श्रीगंगानगर,,	,,	15-9-92
25.	टोंक ,,	,,	15-9-92
26.	उदयपुर ,,	,,	15-9-92

परिशिष्ट–12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 263 की सूची)

ग्राम पंचायत खोरा बीसल पंचायत समिति, आमेर में वर्ष 1993-94 एवं 94-95 में नि:शुल्क आवासीय भूखण्ड के दिये गये पट्टों का विवरण ।

क्र सं.	वर्ष	नाम मय पिता के नाम के जिसको पट्टा दिया गया	जाति	नि:शुल्क ग्राम पट्टा वर्ग गज में	
1	2	3	4	5	6
1.	93-94	श्री पूरण मल पुत्र मूलचन्द	जागा	35	किशनपुरा
2.	93-94	श्री भोमाराम पुत्र पोखर	रैगर	63	खोरा बीसल
3.	93-94	श्री लक्ष्मीनारायण, रामरतन पुत्रान नारायण लाल	मीणा		खोरा बीसल
4.	93-94	श्री कैलाश पुत्र हजारी	बड़वा		किशनपुरा
5.	93-94	श्री रूडा राम पुत्र खूबाराम	मेहरा		किशनपुरा
6.	93-94	श्री भागीरथ पुत्र सूजा	मीणा		बैनाड़ मय दौलतपुरा
7.	93-94	श्री नन्दाराम पुत्र रामचन्द्र	धानका		"
8.	93-94	श्री लालाराम पुत्र रामचन्द्र	धानका		"

1	2	3	4	5	6
9.	93-94	श्री भैरू पुत्र घासी	मीणा	153	खोरा बीसल
10.	93-94	श्री महादेव पुत्र बीज्या	धानका		"
11.	94-95	श्रीमती कमला पत्नि जगदीश	मीणा	150	बैनाड़ मय दौलतपुरा
12.	94-95	श्रीमती मन्नी पत्नि सरदारमल	मीणा	142	"
13.	94-95	श्रीमती काली पत्नि भूरा	मीणा	150	"
14.	94-95	श्रीमती कमला पत्नि रामेश्वर	कुम्हार	150	"
15.	94-95	श्रीमती फुली पत्नि बदरी	मीणा	150	"
16.	94-95	श्री नानगराम पुत्र सूजा	मीणा	150	"
17.	94-95	श्रीमती नाथी पत्नि सूरजमल	मीणा	150	"
18.	94-95	श्री मालीराम पुत्र नाथूराम	रेगर	150	"

ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा में वर्ष—93-94 व 94-95 में दिये गए निःशुल्क पट्टों का विवरण

क. सं.	वर्ष	नाम मय पिता के जिसको पट्टा दिया गया	जाति
1	2	3	4
1.	93-94	श्री भागीरथ पुत्र सूजा	मीणा
2.	93-94	श्री नन्दाराम पुत्र रामचन्द्र	धानका
3.	93-94	श्री लालाराम पुत्र रामचन्द्र	धानका
4.	94-95	श्रीमती कमली पत्नी जगदीश	मीणा
5.	94-95	श्रीमती मन्नी पत्नी सरदारमल	मीणा
6.	94-95	श्रीमती कमली पत्नी मुरा	मीणा
7.	94-95	श्रीमती कमला पत्नी रामेश्वर	कुम्हार
8.	94-95	श्रीमती फुली पत्नी बदरी	मीणा
9.	94-95	श्री नानगराम पुत्र सूजा	मीणा
10.	94-95	श्रीमती नाथी पत्नी सूरजमल	मीणा
11.	94-95	श्री मालीराम पुत्र नाथूराम	रैगर

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 264 की प्रति)

कार्यालय जिला परिषद बून्दी, राजस्थान

क्रमांक 522-23 दिनांक 22-2-95

विकास अधिकारी,

पंचायत समिति तालेड़ा, नैनवा

विषय :—अतारांकित प्रश्न संख्या 1 द्वारा श्री रामनारायण वर्मा, सदस्य, विधान सभा के उत्तर अनुसार कार्यवाही बाबत

उपरोक्त विषय में लेख है कि विधान सभा प्रश्न संख्या 1 के ऊपर में आप द्वारा प्रेषित सूचना के आधार पर निम्न प्रकार से उत्तर रखा गया है। कृपया प्रश्न के ऊपर अनुसार निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण करा कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत कराया जावे।

प्रश्न संख्या 2

क्या माध्यमिक विद्यालय कल्याणपुरा, पीपल्या, मोतीपुरा, देवरिया, लुहारपुरा, खड़ीबारा, करोरी, खुरी, बुढ़करवर, खेडी सून्वली, बोजलजा, छावणी, एवं गुलखेडी जिला बून्दी के लिए भू-आबंटन की कार्यवाही की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक।

उत्तर

विकास अधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में अंकित शालाओं को विधिवत भू-आबंटन नहीं हुआ है। सम्बन्धित प्रधानाध्यापकों निर्धारित प्रपत्र में उसके स्तर अनुसार उपलब्ध भूमि का ब्यौरा अंकित करते हुए सम्बन्धित पटवारियों से सहयोग ले कर अन्दर 1 माह आवेदन भिजवाने हेतु विकास अधिकारियों को निर्देशित कर लिया गया है।

320

प्रश्न 3

क्या उ0 विद्यालयों के खेल मैदानों के लिए भूमि चिन्हित की जाने की कार्यवाही सरकार द्वारा की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक

उत्तर

आवंटन के उपरांत प्रधानाध्यापक एवं पटवारी इस कार्य को सम्पन्न करेंगे।

अतः उपरोक्त अनुसार कार्यवाही सम्पन्न कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करायें।

ह./-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिला परिषद, बून्दी

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 266 की सूची)

क्र. सं.	नाम अध्यापक/अध्यापिका	कहां से	कहां को	पदोन्नति तिथि
1	2	3	4	5
1	सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री			
1	प्रिय वन्दा आर्या	सांगानेर	चाकसू	19.8.92
2	कमला जाखोटिया	" "	" "	20.8.92
3	शशी शेखावत	" "	" "	20.8.92
4	चमन जोशी	" "	फागी	20.8.92
5	रामप्रकाश शर्मा	" "	" "	26.8.92
6	सावित्री गुप्ता	" "	चाकसू	27.8.92
7	गीता कपिल	" "	" "	30.8.92
8	सोमवती	" "	" "	8.9.92
9	रामेश्वर लाल यादव	सांगानेर	फागी	29.10.92

1	2	3	4	5
10	उर्मिला शुक्ला	सांगानेर	चाकसू	3.7.93
11	शशिकला पारीक	,, ,,	,, ,,	10.7.93
12	अनिता खेतान	,, ,,	,, ,,	14.7.93
13	द्वारका प्रसाद मित्तल	,, ,,	फागी	14.7.93
14	विमला गुप्ता	,, ,,	चाकसू	16.7.93
15	सुषमा शर्मा	,, ,,	,, ,,	16.7.93
16	मेनका सिंह	,, ,,	,, ,,	17.7.93
17	गिरधारी लाल	,, ,,	फागी	17.7.93
18	ममता गर्ग	,, ,,	चाकसू	17.7.93
19	शोभा शुक्ला	,, ,,	,, ,,	20.7.93
20	अल्पना चतुर्वेदी	,, ,,	,, ,,	5.8.93
21	शारदा शर्मा (कलवाड़ा)	,, ,,	,, ,,	6.8.93
22	शकुन्तला शर्मा	,, ,,	,, ,,	7.8.93
23	सुमन चौधरी	,, ,,	,, ,,	17.8.93
24	ऋतुरानी	,, ,,	,, ,,	18.8.93

1	2	3	4	5
25	जगदीश नारायण	सांगानेर	66 चाकसू	20.8.93
26	प्रनिता सिंह गुलेरी	,, ,,	,, ,,	24.9.93
27	गोकुल प्रसाद शर्मा	,, ,,	दूदू	4.11.93
28	इन्द्रा गौतम	,, ,,	चाकसू	3.12.93
29	शशि शर्मा	,, ,,	,, ,,	25.6.93
30	मंजू सिंह	,, ,,	,, ,,	30.6.94
31	रजनी बाला जैन	,, ,,	चाकसू	6.7.94
32	सुमन माथुर	,, ,,	,, ,,	14.7.94
33	शारदा शर्मा (कल्लावाला)	,, ,,	,, ,,	15.7.93
34	कल्पना शर्मा	,, ,,	,, ,,	15.7.94
35	सुधा जैन	,, ,,	,, ,,	16.7.94
36	सविता जैन	,, ,,	,, ,,	18.7.94
37	सुरेश कासट	,, ,,	दूदू	19.7.94

1	2	3	4	5
38	वन्दना श्रीवास्तव	सांगानेर	चाकसू	19.7.94
39	शकुन्तला गुप्ता (महापुरा)	" "	" "	20.7.94
40	अन्जना माखीजा	" "	" "	20.9.94
41	हेमप्रथा तोतला	सांगानेर	चाकसू	20.7.94
42	पाल कोर	" "	" "	21.7.94
43	रजनी भटनागर	" "	" "	26.7.94
44	शकुन्तला जोशी	" "	" "	30.7.94
45	सुनिता गुप्ता	" "	" "	31.7.94
46	सरोज शर्मा (बही का बारा)	" "	" "	1.8.94
47	सीमा चौधरी	" "	" "	1.8.94
48	रवीन्द्र कुमार हावा	" "	दूदू	2.8.94
49	रामप्रसाद शर्मा	" "	" "	4.8.94
50	अनिता कुमारी जैन	" "	चाकसू	4.8.94

1	2	3	4	5
51	हेमलता गुप्ता	सांगानेर	चाकसू	20.7.94
52	लल्लू राम मीणा	" "	दूदू	5.8.94
53	मधुबाला जैन	" "	चाकसू	8.8.94
54	मधु शर्मा	" "	" "	9.8.94
55	निशा शर्मा	" "	" "	9.8.94
56	सुमनलता जैन	" "	" "	9.8.94
57	रेणुबाला	" "	" "	10.8.94
58	रश्मि शर्मा	" "	" "	28.8.94
59	सन्तोष शर्मा	" "	" "	2.9.94
60	कमलेश गुप्ता	" "	" "	2.9.94
61	शालिनी श्रीवास्तव	" "	" "	2.9.94
62	ताराचन्द सोनी	" "	दूदू	4.9.94
63	श्रोम प्रकाश गुप्ता	" "	" "	6.9.94

325

1	2	3	4	5
64	अन्जु गोयल	सांगानेर	चाकसू	8.9.94
65	प्रेमकुमारी राठोर	" "	" "	8.9.94
66	सन्तोष भास्कर	" "	" "	18.10.94
67	बाबूलाल शर्मा (हुसमपुरा)	" "	फागी	10.12.95
68	बाबूलाल गुर्जर	" "	" "	14.12.94
69	नमिता कुमावत	" "	चाकसू	14.12.94
70	प्रहलाद शर्मा	" "	दूदू	14.12.94
71	ओम प्रकाश शर्मा	" "	" "	17.12.94
72	उर्मिला शर्मा	" "	चाकसू	17.12.94
73	संजय कुमार शर्मा	सांगानेर	दूदू	23.12.94
74	विष्णु शर्मा	" "	फागी	23.12.94
75	राकेश कुमार अग्निहोत्री	" "	फागी	24.12.94
76	सुशीला शर्मा (मम्मोरिया)	" "	चाकसू	24.12.94

(327)

1	2	3	4	5
77	रामावतार घोबी	सांगानेर	फागी	24.12.94
78	गोपाल लाल मोर्य	" "	" "	24.1.94
79	अनिल शर्मा	" "	आमेर	10.4.95
80	बीना गुप्ता	" "	चाकसू	15.4.95
81	हेमलता सैनी	" "	" "	14.7.95
82	सुमिता होलिया	" "	" "	22.8.95

भाग संख्या (iii) से सम्बन्धित सूची

क्र. सं.	नाम शाला	अध्यापक का नाम	पदस्थापन तिथि
1	प्राथमिक विद्यालय वाटिका	1—श्री रघुनाथ यादव	30.1.64
		2—श्रीमती ललिता देवी शर्मा	1.9.62
		3—प्रभा जैन	21.9.89
		4—विमला चौधरी	1.12-76
		5—विजया चौधरी	25.3.88
2	रा0 उ0 प्रा0 विद्यालय (क्रमोन्नत)	1—श्री रमेश चन्द शर्मा	22.7.89
		2—स्वरूपनारायण दिनकर	1.7.80

परिशिष्ट "क"

परिशिष्ट—15

(प्रतारांकित प्रश्न संख्या 271 का विवरण)

होटल उद्योग से वर्तमान में ली जा रही विद्युत की दरें

अघरेलू श्रेणी

(अ) 25 कि. वा. सम्बद्ध भारत तक (प्रतिमाह दरें) :

क्र. सं.		दर	फ्युल सरचार्ज	विद्युत कर	कुल
			(दर पै. प्रति यूनिट में)		
(i)	प्रथम 100 यूनिट	155	60	10	225
(ii)	100 से अधिक एवं 400 यूनिट तक	170	60	10	240
(iii)	400 यूनिट से अधिक	185	60	10	255
(ब)	25 कि. वा. से अधिक एवं 50 कि. वा. सम्बद्ध भार तक (एल. टी. सप्लाई)	190	60	10	240
(स)	50 कि. वा. से अधिक सम्बद्ध भार (एल. टी. सप्लाई)	205	60	10	5

होटल उद्योग से वर्तमान में ली जा रही पानी की दरें

क. सं.	उपभोक्ता की श्रेणी	1000 प्र. लि. सकल दरें	1000 प्र. लि. शुद्ध दरें 20 प्रतिशत छूट के साथ यदि भुगतान समय पर किया जाए
(1)	15,000 लीटर उपभोग तक	3.75	3.00
(2)	15,000 लीटर से 40,000 लीटर तक	6.25	5.00
(3)	40,000 लीटर से ऊपर	10.00	8.00

नोट यह दरें अक्टूबर 1994 से लागू हैं तथा अप्रैल 1995 से प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि की जाती है ।

331

परिशिष्ट--16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 275 की सूचना)

परिशिष्ट "क"

जयपुर शहर की चार दीवारी के बाहर स्टेज कैरिज परमिट के तहत् संचालित तिपहिया वाहनों के मार्गों की सूची

क्र. सं.	मार्ग का नाम
1.	बम्बाला से नारायणसिंह तिराया वाया कृष्णविहार राजस्थान आवासन मण्डल, पिंजरापोल, गऊशाला, सांगानेर सर्किल, प्रभूदयाल मार्ग, जगतपुरा रेल्वे स्टेशन, मालवीय नगर बाईपास मोड़, झालाना महल, ओ. टी. एस. चौराहा, बजाज-नगर मोड़, गांधी सर्किल (कानोड़िया कॉलेज) बिरला मंदिर, नारायणसिंह तिराहा।
2.	बम्बाला—कानोड़िया कॉलेज उपरोक्त वाया से।
3.	मांकरोटा से शास्त्रीनगर भट्टा बस्ती वाया केसुपुरा कमला नेहरू नगर मोड़, हीरापुरा, डी. सी. एम. हीरानगर विद्युतनगर मोड़, क्वीन्स रोड़ तिराहा, श्यामनगर मोड़, सोडाला पुलिस थाना, अजमेर पुलिया (संतोष गैराज), होटल जयपुर ग्रीन, रेल्वे क्रासिंग, रेल्वे स्टेशन, पोलो विक्ट्री, सिंधीकैम्प बस स्टेण्ड, पारीक कॉलेज रोड़, मोड़ चांदपोल गेट के बाहर, हाजी कॉलोनी, पीतल फैक्ट्री, शास्त्रीनगर सर्किल, शास्त्रीनगर भट्टा बस्ती।
4.	चौमू—झोटवाड़ा तिराहा से कालवाड़ वाया रेल्वे फाटक, झोटवाड़ा क्वीन्स रोड़ मोड़, पंचायत समिति, शालीमार मोड़, तकये की चौकी गोविन्दपुरा पैट्रोल पम्प होथोज, माचवा, चम्पापुरा, कालावाड़।

1	2
5.	जोरावरसिंह गेट से विद्याधर नगर वाया रामगढ़ मोड़, कागजी वाड़ा, भंगियों का बाडा, मदीना मस्जिद मोड़, नाहरी का नाका मोड़, शास्त्रीनगर थाना, शास्त्रीनगर चौराहा, अमानीशाह का नाला।
6.	ट्रान्सपोर्ट नगर से सांगानेर (मालपुरा गेट) वाया मानसिंह चिकित्सालय, राम मन्दिर, राजापार्क, विजयपथ मोड़, गणेश मन्दिर का चौराहा, त्रिमूर्ति चौराहा, रामबाग सर्किल, वाया जे. डी. ए. सर्किल, पोलो सर्किल, 22 गोदाम सर्किल सोडाला न्यू सांगानेर मोड़, गूजर की थड़ी, शिपरा पथ मोड़, कावेरी पथ मोड़, सैल्फ फाईनेन्स स्कीम, 10, 12, 13, 14 स्टेडियम मोड़, किरण पथ, रजतपथ, प्रखरमोड़, थड़ी मार्केट, अग्रवाल फार्म, सैल्फ फाइनेन्स स्कीम, डिग्गी रोड़ मोड़।
7.	अम्बाला से मांकरोटा वाया सैक्टर नं. 5 (प्रतापनगर) गऊशाला, सांगानेर थाना, किसान कांटा, किसरोड़ (निर्माण मार्ग) हीरापुरा।

परिशिष्ट-17

(अतारांकित प्रश्न संख्या 278 की प्रति)

पत्र संख्या 6074

प्रेषक,

कुल सचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ-226007

दिनांक 7.2.94

सेवा में,

विकास अधिकारी,
पंचायत समिति,
निवाई (राज.)

महोदय,

आपके पत्रांक शिक्षा/93-94/3874 दिनांक 5.2.94 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि नीचे लिखे गये छात्रों के उनके [नाम] के आगे लिखे वर्ष एवं रोल नं सहित उन्होंने इस विश्वविद्यालय से नियमित छात्र के रूप में बी. एड. की परिक्षा उत्तीर्ण की हैं। उनको जारी की गई अंक तालिकायें एवं उपाधियां पूर्णरूप से ठीक हैं।

339

क्र. सं. 1	छात्र/पिता का नाम 2	परीक्षा 3	वर्ष 4	रोल नं. 5	प्राप्तांक 6
1.	रामलाल प्रजापति पुत्र श्री लक्षमण लाल प्रजापति	बी. एड.	1987	151	293/550 125/200
2.	रमेशचन्द्र गूजर पुत्र श्री मोजराज गूजर	बी. एड.	1987	148	286/550 105/200
3.	रामकरण जाट पुत्र श्री बजरंगलाल जाट	बी. एड.	1987	149	337/550 130/200
4.	रामेश्वरलाल जाट पुत्र श्री जगदीशलाल जाट	बी. एड,	1988	131	307/550 120/200
5.	मागूतालाल गूजर पुत्र श्री पूरनमल गूजर	बी. एड.	1988	11710	295/550 105/200

1	2	3	4	5	6
6.	रामफुल गूजर पुत्र श्री गोरू गूजर	बी. एड.	1988	11747	246/550 100/200
7.	छीतरमल जाट पुत्र श्री बजरंगलाल जाट	बी. एड.	1988	11713	293/550 105/200
8.	ग्रम्बालाल गूजर पुत्र श्री देवशरण	बी. एड.	1988	11703	235/550 100/200
9.	भागचन्द्र जैन पुत्र श्री छिगनलाल जैन	बी. एड.	1988	11709	333/550 100/200
10.	श्रीराम जाट पुत्र श्री कानाराम जाट	बी. एड.	1988	11759	274/550 90/200
11.	श्री जयपाल लोधा पुत्र श्री कल्याणमल लोधा	बी. एड.	1988	11726	297/550 100/200

335

1	2	3	4	5	6
12.	रामदयाल जाट पुत्र श्री शिवकिशन जाट	बी. एड.	1988	11741	289/550 110/200

ह.

उपकुल सचिव (परीक्षा)

लखनऊ विश्वविद्यालय,

लखनऊ ।

337

भाग संख्या (2) से सम्बन्धित सूची

पत्र संख्याA.d./2440

प्रेषक,

कुल सचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ-226007

दिनांक 9-5-95

सेवा में,

डा. पी. सी. जैन,
विकास अधिकारी
पंचायत समिति-निवाई,
टोंक (राजस्थान)

महोदय,

आपके कार्यालय पत्र सं.-परीक्षा/शिक्षा/95-96/1510 एवं 1515 दिनांक 1-5-95 जो उपाधियों की जांच एवं सत्यापन के संदर्भ में है के सम्बन्ध में सूचित करना है कि विश्वविद्यालय के अभिलेखानुसार जो छात्र निम्नलिखित अनुक्रमांकों से बी. एड. वर्ष 1987 एवं 1988 की परीक्षा में सम्मिलित हुए वह निम्न प्रकार से हैं :—

क्र. सं.	अनुक्रमांक	वर्ष	अभ्यर्थी का नाम
1.	151	1987	श्रीमती समुद्र द्विवेदी
2.	148	,,	शिक्षा टंडन
3.	149	,,	शोभा उपरेती
4.	131	,,	नीलू चोपड़ा
5.	11710	1988	अमिता भदोरिया
6.	11747	,,	श्रवा द्विवेदी
7.	11713	,,	बेला जोशी
8.	11703	,,	अंजु अग्रवाल
9.	11709	,,	अनीता वर्मा

338

1	2	3	4
10.	11759	1988	सिंह नलिना
11.	11726	,,	लक्ष्मीता सक्सैना
12.	11741	,,	अभिन्द्र पाल सिंह
13.	11749	,,	रश्मा धवन
14.	11744	,,	प्रिया माथुर
15.	11724	,,	लता जैन

आपके कार्यालय द्वारा उक्त अनुक्रमांक से जो सूची भेजी गयी है वह पूर्ण रूप से असत्य एवं अप्रमाणित है।

भवदीय

ह0/—

उप कुल सचिव (परीक्षा)

कुल कुलसचिव

परिशिष्ट-18

(अतारांकित प्रश्न संख्या 4 का विवरण)

क्र. सं.	नाम शाला रा.उ.प्रा. वि.	छात्र संख्या	स्वीकृत	पद	कार्यरत	पद	रिक्त	पद
		कक्षा 1 से 8	II	III	II	III	II	III
			व.अ.	स.अ.	व. अ.	स.अ.	व अ.	स.अ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	धीरेरा	171	01	08	01	08	....	....
2.	बामनवाली	131	01	09	01	09	....	....
3.	तखतपुरा	183	01	07	....	07	01	....
4.	सुराणाना	257	01	08	01	08	....	....
5.	दुलमेरा स्टेशन	234	01	10	01	10	....	....
6.	कुम्हारों का मो. लूणकरणसर	276	01	15	01	15	....	....
7.	नई आबादी, लूणकरणसर	431	01	07	01	07	....	....
8.	फूलदेसर	262	01	08	01	08	....	....

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	खोखराना	177	01	03	01	03	....	....
10.	रामबाग	188	01	08	01	08	....	....
11.	पीपेरा मलकीसर	218	01	08	01	08	....	....
12.	अरजुनसर स्टेशन	325	01	05	01	07	....	....
13.	खियेंरा	255	01	09	01	09	....	....
14.	शुभलाई	140	01	06	01	06	....	....
15.	लखावर	137	01	06	....	06	01	....
16	गारबदेसर	152	01	07	01	07	....	....
17.	रावांसर	187	01	10	01	10	....	....
18.	सहजरासर	182	02	07	01	07	....	....
19.	कालवास	105	01	05	01	05	....	....
20.	नाथवाना	190	01	01	01	04	....	....
21.	कपूरीसर	249	01	09	01	09	....	....

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	अमरपुरा (लूण.)	213	01	05	10	05	....	....
23.	शेरपुरा	166	01	07	....	01	10	....
24.	सुई	192	01	08	....	08	01	....
25.	राजासरभाटियान	250	01	08	01	08	—	....
26.	कृष्णनगर	198	01	06	01	06	....	....
27.	महादेववाली	93	01	11	....	11	01	....
28.	कुजटी	153	01	03	01	03	....	....
29.	मलकीसर छोटा	210	01	04	01	04	....	....
30.	खारवारा	221	01	04	....	04	01	....
31.	काकड़वाला	192	01	04	01	04	....	....
32.	मोखनेरा	133	01	04	01	04	....	....
33.	नकोदेसर	115	01	04	01	04	....	....

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34.	राजासर उर्फ करणीसर	163	01	04	01	04	....	....
35.	धीरदान	206	01	04	01	04	....	....
36.	हंसेरा	224	01	04	01	04	....	....
37.	264 आर. डी.	212	01	04	01	04	....	....
38.	माण्डेरा	229	01	04	01	04	....	....
39.	संसारदेसर	207	01	04	01	04	....	....
40.	मेहराणा	213	01	04	01	04	....	....
41.	बींझरवाली	222	01	02	....	02	01	....
42.	केलां (नवक्रमो0)	148	01	....	01	01	....	....
43.	मकड़ासर	162	01	....	01	01	....	....
44.	अजीतमाना	134	01	....	01	01	....	....
45.	कालासर	143	01	....	01	01	....	....

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46.	राजपुरा हुडाने (नवक्रमो.)	135	01	....	01	01	....	....
47.	घीरेरास्टेशन	179	01	02	01	02	....	....
48.	असरासर (नवक्रमो.)	135	01	....	01	01	....	....
49.	डेलाना छोटा ,,	141	01	....	01	01	....	....
50.	14 बी. डी.	192	01	03	01	03	....	....
51.	32 हैड	356	01	09	01	09	....	....
52.	जयमलसर	249	01	07	01	07	....	....
53.	खारा	232	02	14	02	14	....	....
54.	नापासर	437	03	24	03	24	....	....
55.	सूरतसिंहपुरा	179	01	05	01	05	....	....
56.	सुरधाना	238	01	05	01	05	....	....
57.	नालबड़ी	356	02	11	02	11	....	....

343

(344)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58.	मालासर	191	01	07	01	07	....	....
59.	कानासर	364	01	08	01	08	....	....
60.	कावनी	187	01	04	01	04	....	....
61.	कल्याणसर	195	01	05	01	05	....	....
62.	22 के वाई0डी0	175	01	04	....	04	01	....
63.	34 के0 वाई0डी0	247	01	04	01	04	....	....
64.	सत्तासर	171	01	03	01	05	....	....
65.	गुसाईसर	397	01	08	01	08	....	....
66.	खारडा	251	01	06	01	06	....	....
67.	अमरपुरा (बीकानेर)	182	01	08	01	08	....	....
68.	कालासर	190	01	08	01	08	....	....
69.	2 के0 डब्लू0एम0	260	01	04	....	04	01	....

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70.	देवीकुण्डसागर	243	02	09	02	09	....	....
71.	रायसर (बीकानेर)	216	01	07	01	07	....	....
72.	दन्तौर (नव क्रमोन्नत)	65	01	....	....	01	01	....
73.	जोधासर डेली		01	....	01	01	....	....

345

शुद्धि-पत्र

क.सं.	स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1.	13	15	140,	140.
2.	51	9	श्री रघु वीरसिंह	श्री रघुवीर सिंह
3.	100	फोलियो	प्रश्नत्तोर	प्रश्नोत्तर
4.	201	1	(श्री भीम सेन चौधरी)	(श्री भीमसेन चौधरी)
5.	208	7	श्री भीमराज	श्री भीमराज भाटी
6.	209	1	; ;	;;
7.	216	23	मत्री	मंत्री
8.	225	फोलियो	सूचनाा	सूचना
9.	487	फोलियो	5	2